दशम माला, खंड 37, अंक 12

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 1994
1 पौष, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

दिनांक 22-12-1994 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
27	3	विवरण	विवरण I
90	5	जल संसाधन[]	जल संसाधन मंत्रालय में
112	23	विवरण	विवरण IV
235	नीचे से 7	डा० अमृतलाल कालिदास	डा० अमृतलाल कालिदास पटेल
253	12	(छ)	(ड·)
256	24	(ग) से (ड·)	(ग) और (ड·)
260	11	संबंध	संबंध में
269	12	जी, नहीं ।	(क) जी, नहीं ।
277	23	डा०(श्रीमती)के·एस·सौन्दम	डा०(श्रीमती) के·एस·सौन्द्रम

विषय-सूची

दशम माला, खंड 37, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 12, गुरुवार, 22 दिसम्बर, 1994/1 पौष, 1916 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1—4
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	221-240	4—51
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2325-2526 और 2526 क	51—282
संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं वर्षगांठ के बारे में संकल्प—**स्वीकृत**		282—283
सभा पटल पर रखे गए पत्र		284—292
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
सैंतीसवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		293
प्राक्कलन समिति		
की गई कार्यवाही विवरण—**सभा पटल पर रखा गया**		293
लोक लेखा समिति		
(एक) उनासीवां और बयासीवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		294
(दो) की गई कार्यवाही विवरण—सभा पटल पर रखा गया		294—295
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
सैतीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—**प्रस्तुत**		295
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
उनतालीसवां और चालीसवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		295—296
रेल अभिसमय समिति		
आठवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		296
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		
दसवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		296
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया**		296
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया**		297

विषय	कालम
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1994-95	304—305
विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 1994	
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
—श्री सी.के. जाफर शरीफ	305
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
—श्री सी.के. जाफर शरीफ	306
खंड 2, 3 और 1	306
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
—श्री सी.के. जाफर शरीफ	306

लोक सभा

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 1994 / 1, पौष, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को अपने दो सहयोगियों सर्वश्री चितरंजन रे और अदयराजू रमण के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री चितरंजन रे ने 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा में पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री चितरंजन रे एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। अपने क्षेत्र के श्रम आंदोलन के लोकप्रिय नेता होने के नाते उन्होंने श्रमिकों के हित के लिए अथक प्रयास किए।

वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

श्री चितरंजन रे का निधन 3 नवम्बर, 1994 को कलकत्ता में हुआ।

श्री उदयराजू रमण 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के नरसापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री उदयराजू रमण एक स्वतंत्रता सेनानी थे तथा उन्होंने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और कलकत्ता में 1933 में वह जेल गए।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण वह आन्ध्र प्रदेश के लोकप्रिय किसान नेता बन गए। वह 1952-56 के दौरान आन्ध्र राष्ट्र रैयतस संगम के कोषाध्यक्ष रहे और उन्होंने साबरी प्रोजेक्ट रैयत्स एसोसिएशन के सचिव के रूप में भी कार्य किया और बाद में वह अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने। वह आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में युवा आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने दलितों के कल्याण और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए और छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध संघर्ष किया।

श्री उदयराजू रमण का निधन 82 वर्ष की आयु में 27 नवम्बर, 1994 को हैदराबाद में हुआ। हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। और मुझे विश्वास है कि शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में सदस्यगण मेरे साथ हैं।

सदस्य उन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहें।

11.03 म.पू.

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ए.टा. आर. के बारे में हमने नोटिस दिया है .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, मैं सदस्यों को मेरी बात मान लेने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है ..... **(व्यवधान)** हम आपका बहुत आदर और सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने इस विषय पर अपने विचार को बहुत जोरदार ढंग से व्यक्त किया है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जिसमें अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : हमे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और इस संसद के लिए विधेयक और बजट पारित करने से बढ़कर महत्वपूर्ण कार्य और कोई नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : यह सरकार ऐसा कैसे कर सकती है?

श्री राम विलास पासवान : भ्रष्टाचार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने विधायी कार्य करने में बहुत बुद्धिमता से सहयोग दिया है। केवल थोड़ा सा वित्तीय कार्य ही शेष है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं किन्तु हम कार्यवाही चाहते हैं। **(व्यवधान)** हम सभा का समय बढ़ाने के लिए सहमत हैं। **(व्यवधान)** किन्तु पहले उन्हें भ्रष्ट मंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री राम विलास पासवान : महोदय, उन्हें भ्रष्ट मंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पहले कार्यवाही की जाए, उसके बाद हम अन्य कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : और यहां पर सदस्यों की उपस्थिति में सभा में खड़े होकर आपने सब बहुत ही समझदारी से कहा था कि आप इससे सहमत हैं कि वित्तीय कार्य पूरा कर लिया जाए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, पहले उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमें सरकार द्वारा संभाले जाने वाले वित्तीय कोष का नियंत्रित करने के अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया, तो वे इस उद्देश्य के लिए धनराशि जुटाने के अन्य तरीके ढूंढ निकालेंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम यही कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके अलावा ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत है। की गई कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट आपके सामने रखी हुई है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट हमारे समक्ष नहीं रखी गई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : और आपको उसी रिपोर्ट में से ही इस ओर ध्यान दिलाने का अधिकार है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। यह देखना भी आपका कर्तव्य है कि जो लोग वास्तव में हजारों करोड़ो रुपयों के गबन के जिम्मेदार हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यह उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति तभी दूंगा यदि इस ओर से उत्तर दिए जाने की अनुमति दी जायेगी। अन्यथा केवल एकतरफा विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट दीजिए। यह रिपोर्ट हमारे समक्ष नहीं रखी गई। **(व्यवधान)**

कई माननीय सदस्य : हम कार्यवाही चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात अवश्य सुनना चाहूंगा। किन्तु सरकारी पक्ष को उत्तर देने की अनुमति होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पैट्रोलियम पर उपकर

*221. **श्री नीतीश कुमार :**
डा. मुमताज अंसारी :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पैट्रोलियम पर उपकर लगाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह किस दर पर वसूल किया जाता है और इससे मार्च, 1994 के अन्त तक कुल कितनी आय हुई;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार जमा धनराशि का उपयोग स्वदेशी तेल उद्योग के विकास के लिए किया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान जिन परियोजनाओं पर यह धनराशि का खर्च की गई, उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने में शेष जमा राशि कितनी-कितनी थी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल स्वदेशी कच्चे तेल पर लगाया जा रहा उपकर 900 रुपये प्रति टन की दर से लगाया जा रहा है। 1993-94 (आर. ई) के अन्त तक उपकर से सरकार का कुछ संग्रह 20,975 करोड़ रुपये था।

(ग) अब तक उपलब्ध करायी गई धनराशि तेल उद्योग के विकास के लिए उपयोग में लाई जा चुकी हैं।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण III में दी गई ।

विवरण-I

(करोड/रुपए)

क्र.सं.	संगठन	परियोजना		धनराशि
1	2	3		4
1.	गेल	एल पी जी प्रोजेक्ट फेज-2, बीजापुर		77.00
2.	बी आर पी एल	शोधन विस्तार परियोजनाएं		19.69
3.	सी आर एल	कैपेसिटी एक्सपेनसन प्रोजेक्ट	13.00	
		अतिरिक्त एलपीजी स्फेयर प्रोजेक्ट	12.76	
		अतिरिक्त क्रूड बैंकेज प्रोजेक्ट	10.93	
		प्रोसेरा आप्टीमाइजेशन प्रोजेक्ट	0.40	43.01
		कैप्टिव पावरप्लांट	2.71	
		एक्सप्लोरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट	0.16	
		एरोमेटिक्स फेज-2	0.15	
		पेट्रोकेमिकल्स के लिए फीड स्टाक	1.40	
		पोली ब्यूटेन प्रोजेक्ट	1.50	
4.	एम आर एल	ल्यूब एक्सपेनसेन, हैक्सीन, रिफाइनरी ओप्टीनाइजेशन सीवेज		
		वाटर ट्रीटी यर ट्रीटमेंट कावेरी डिस्टीलेशन यूनिट		33.94
		रिवेफिपिंग स्टीम और पावर सिस्टम एरोमोटिक्स कार्यशील		
		पूंजी ऋण		50.00
5.	एल आई एल	इंजिन आयल डिस्प्रसेंट-फेज-4		
		इंजिन आयल डिस्प्रेसेंट-फेज-4ए		11.97
		संयंत्र का एक्सपेंसन और इंटीग्रेशन यूनिटलिटीज सिस्टम,		
		एक्सट्रीम प्रेसर एडिटिव्स, इंजिन आयल डिटरजेंट		
		एक्सपेंशन-चरण-4 बी रिवेंपिग आफ जिंक डि-आर्गोनो		
		डि थियोफासपेट यूनिट इंजिन आयल डिटरजेंट की रिवेंपिग		
		मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी ब्लैडिग प्लांट का एक्सपेशन		
		एमरजेंसी फलेया सिस्टम आर एएड डी फेज-3		
		मैकेनिकल टैस्टिंग लेबोरेटरी फेज-3		
		मरारा पायलट प्लांट एक्सपेंशन फेज-2/3		
6.	आई बी पी कंपनी	मार्केटिग टर्मिनल-कावेरी बेसिन		0.50
		सी एन जी वाणिज्यीकरण		1.48
		नौएडा आफिस काम्प्लेक्स		0.70
		हाउसिंग/आफिस कोरबा में		1.00
		न्यू एस एम एस प्लांट		3.00
		एक्सप्लोसिव एसेसिरी प्लांट		1.19
		शेप चार्जेज प्लांट		3.31
		हाऊसिंग आफीस काम्प्लेक्स		0.20
		डलिकलर लिड्डिन एमटीबई		0.50
		नाइट्रोपेंजीन/एनीलाइन		0.50
		डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट		0.50
		डिटोनेटिंग कोड		0.27
		मैथानोल		1.00
		इंजीनियरिंग के लिए नई योजना		3.60

1	2	3	4
7.	बामर लारी	कार्यशील पूंजी ऋण	10.00
		कोचीन में पोलिटब्यूटेन प्रोजेक्ट	4.10
		आई सी एल सी, कलकत्ता में निवेश	1.34
		बिल्डिंग 9, क्वीक पार्क	0.75
		रियर आफिस, बिल्डिंग काम्प्लेक्स	0.35
8.	बीको लारी	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0.78
		कार्यशील पूंजी ऋण	2.89
		डायवर्सिफिकेशन एंड मोडर्ननाइजेशन स्कीम	0.30
9.	आई ओ सी	कार्यशील पूंजी ऋण	500.00
10.	एच पी सी एल	कार्यशील पूंजी ऋण	50.00
11.	बी पी सी एल	कार्यशील पूंजी ऋण	100.00
12.	आई पी सी एल	कार्यशील पूंजी ऋण	100.00
13.	अनुकूल वायलर की बदलाई	कार्यशील पूंजी ऋण	0.46
			1029.83
1992–93			(करोड़ रुपए)
1.	एम आर एल	ल्यूब एक्सपेंशन, रिफाइनरी अप्टीमोइजेशन कावेरी डिस्टीलेशन यूनिट, स्कीम और पावर सिस्टिम की रिवेंपींग	334.93
2.	गेल	यू.पी. पेट्रोकेमिकल्स (काम्पलेक्स)	100.00
3.	आईबीपी कं.लि.	कावेरी बेसिन मार्किटिंग टर्मिनल	
		वाडला/सिवाई, लखनऊ और चेरलापली	
		में ए जी टी एस, शेयड चार्जेज प्रोजेक्ट	
		इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट	71.10
4.	सी आर एल	कैपेसिटी एक्पेंशन प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल्स के लिए पीड स्टाक बम्बई में केलरेक्स 20/25 लीटर	25.84
5.	बामर लारी कं.	प्लास्टिक ड्रम परियोजना	
		पर बम्बई	12.50
		ईस्टर प्रोजेक्ट	1.30
		फंकशनल एडिटिव्स मद्रास	0.58
		बामर लारी (यू.के.) में इक्विटी	
		फाइनेंस निवेश	3.62
6.	एच पीसी एल	बहादुरगढ़ में एलपीजी बाटलिंग प्लांट	3.58
		ल्यूब आयल पाइपलाइन, बम्बई बी पी	6.50
		सी एल बूस्टर स्टेशन	6.50
		मिनास विकास रिफाइनरी में इंफलुएंट	
		ट्रीटमेंट फैसीलिटी	1.00
		विशाख रिफाइनरी में ए पीटी–फेज–2	2.65

1	2	3	4
7.	ओ आई एल	वित्त पोषण क्रियाकलापों तथा अन्वेषण क्रियाकलापों, भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा अन्वेषी वेधन में कमी को पूरा करने के लिए	16.50
8.	बीआरपीएल	रिफाइनरी विस्तारण परियोजनाएं	15.65
9.	एल आई एल	अंत्य दाब योगज(इंजन आयल के क्रैक्ट रिवेंम्पिंग एमटी बी ई, रिवोंपिगं एवं विनिर्माण सुविधाएं मिश्रण संयंत्रा अनुसंधान एवं विकास का विस्तारण चरण-III यात्रिंक जांच प्रयोगशाला चरण-III सहित।	2.58
10.	बीको लारी	वेंकम सर्किट ब्रेकट के निर्माण का विविधिकरण तथा आधुनीकिकरण	1.50
		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0.60
		कार्यशील पूंजी ऋण	0.86
11.	आई पीसीएल	आई पी सी एल की प्लास्टिक क्रेटयोजना	1.20
		कार्यशील पूंजी ऋण	100.00
12.	विभिन्न संगठन	अकुशल बायलरों को बदलने की योजना	0.21
		कुल	706.20
1993-94			(करोड़ रुपए)
1.	एम आर एल	ल्यूब एक्सपेंशन	256.00
		स्टीम और पावर सिस्टम का जीर्णोद्धार	
		गैस स्वीटनिंग और एल पी जी सैपरेशन	
		यूनिट एरोमैट्रिक्स	
		ब्रिज लोन	100.00
2.	सी आर एल	कैपेसिटी एक्सपैंशन प्रोजेक्ट	115.40
3.	एचपीसीएल	मंगलौर में एलपीजी आयात सुविधाएं	9.00
		बाटलिंग प्लांट-दिल्ली	4.21
		सान्ताक्रुज में हाइड्रेट, रिफ्लूलिंग सुविधाएं	2.90
		मंगलौर में नया टर्मिनल	1.00
		बम्बई रिफाइनरी में ल्यूब बेसस्टाक आवर्धन सुविधाएं	16.91
		मिनास-बम्बई रिफाइनरी	1.29
		मिनास-विशाख रिफाइनरी	15.51
		सल्फर रिकवरी यूनिट-विशाख रिफाइनरी	13.39
4.	एन आर एल	प्रिलिमिनरी/इनेब्लिंग वर्क	50.00

1	2	3	4
5.	बामर लारी एण्ड कं.	मैरिन/एसपीटीकंटेनर	4.00
		ग्रीस लुबिगकेंट्स एंड स्पेसिलिटिज,	3.13
		इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंटस/फंकशनल एडिटिव्ज	7.49
		विदेश में निवेश बामर लारी (यू के)	
		लि. (डब्ल्यू ओ एस)	3.38
		तलोजा बम्बई में हाई परफार्मेंस ग्रीस ब्लेंडिड	
		आयल तथा सल्फराइज्ड फैट्स का उत्पादन	2.02
		ग्रीस और कंटेनर यूनिट का आधुनिकीकरण	
		और उन्नयन	2.64
6.	आईबीपी कं.	कावेरी बेसिन मार्केटिंग टर्मिनल एपीटीएस	
		वडाला/सेवारी, लखनऊ, चेरापल्ली इंजीनियरिंग	
		हाई वेक्यूम प्रीज., एसएम एस संयंत्रा	18.00
7.	ओएनजीसी	ब्रिज ऋण	150.00
8.	ओएनजीसी विदेश लि.	वियतनाम परियोजना	105.00
9.	बीको लारी	विविधिकरण और आधुनिकीकरण योजना	0.70
	एंड कं.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	1.37
		कार्यशील पूंजी ऋण	1.22
10.	बीपीसीएल	कार्यशील पूंजी ऋण	31.19
11.	विभिन्न संगठन	अकुशल बायलरों के प्रतिस्थापन की योजना	0.07
		कुल	915.82

विवरण-II

अनुदान

1991-92 (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3
1.	पैट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन	4.00
2.	सेंटर फार हाई टेक्नोलोजी	1.88
3.	आयल इंडस्ट्री सेफटी डायरेक्टोरेट	1.00
4.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	0.74
5.	आयल इंडिया लि.	0.39
6.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स का. लि.	1.42
7.	रूड़की विश्वविद्यालय	0.09
8.	इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद	0.20
		9.72

1	2	3
	1992-93	
1.	पैट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन	4.05
2.	सेंटर फार हाई टेक्नोलोजी	1.48
3.	आयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट	1.00
4.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	0.71
5.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स का.लि.	
	क. प्लास्टिक क्रेटस 0.60	
	ख. पी सी ओटी स्कीम 2.41	3.01
6.	रूड़की विश्वविद्यालय	0.15
7.	इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद	0.20
8.	पेट्रोकैमिकल्स डाटा सर्विसिज	0.52
9.	इंडियन इंस्टीटयूट आफ पैट्रोलियम	0.15
		11.28

1	2	3
	1993-94	
1.	पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ	5.55
2.	उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र	2.53
3.	तेल उद्योग संरक्षा निदेशालय	1.28
4.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स का. लि. पी पी टोटी योजना	1.50
5.	इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद	0.65
6.	पेट्रोकेमिकल्स डाटा सर्विसेज	0.19
7.	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	0.60
		12.22

विवरण-III

31 मार्च को अंतिम शेष की स्थिति

(करोड रु.)

	1991-92	1992-93	1993-94
अंतिम शेष	373.80	471.43	198.17

[अनुवाद]

गैस का जलाया जाना

*222. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वाणिज्यिक रूप से दोहन किये जा रहे गैस क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बाम्बे-हाई में गैस जलाने को रोकने के लिए आवश्यक तन्त्र तथा तकनीकी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय वहां कितनी गैस जलाई जा रही है; और

(घ) गैस जलने से रोकने की अवधि 1995 से बढ़ा कर 1998 करने के क्या कारण हैं;

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पश्चिमी अपतट में बम्बई हाई बेसिन, गंधार तथा अनेक छोटे क्षेत्रों गुजरात, के जी तथा कावेरी बेसिन तथा उत्तर-पूर्व का वाणिज्यिक दोहन किया जा रहा है।

(ख) संपीडन तथा परिवहन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करके गैस के दहन को कम कर तकनीकी रूप से न्यूनतम स्तर तक लाने की योजना है।

(ग) 1993-94 में बम्बई हाई में 2.42 एम एम एस सी एम डी गैस का दहन किया गया था।

(घ) ओ एन जी सी द्वारा संभाली जा रही गैस दहन परियोजना के मूल तत्वों को 1995 में पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाएं

*223. **श्री तेजनारायण सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993-94 हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों और कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाओं के मामले में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार ने वर्ष 1994-95 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विविध कल्याण योजनाओं से संबंधित लक्ष्यों/उपलब्धियां

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	1993-94				कमी का कारण, यदि कोई है	1994-95	
		वित्तीय		वास्तविक			वित्तीय लक्ष्य	वास्तविक लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अनुसूचित जाति विकास								
1.	विशेष संघटक योजना को केन्द्रीय सहायता	247.00	272.00	25.25 (लाख परिवार)	23.24 (लाख परिवार)		274.00	26.78 (लाख)
2.	अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	22.00	29.34	6.1 (लाभ भोगी)	5.32 लाख		22.00	5.50 (लाख)
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	21.00	21.00	5.000	6.164		40.00	25.000
4.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति एवं पुनर्वास की योजना	73.20	70.97	36.989 (पुनर्वासित) 1,06,917 (प्रशिक्षण)	23.070 (पुनर्वासित) 31,309 (प्रशिक्षण)	नयी योजना धीरे-धीरे गति पकड़ रही है।	73.00	1.50.000 (पुनर्वासित) 80,000 (प्रशिक्षण)
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित ज.जा. छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	72.40	74.49	18.30.000	16.75.483	पहले के वर्ष के लक्ष्य में 10% जोड़कर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है जबकि वास्तविक उपलब्धि के आंकड़े बाद में प्राप्त होते हैं। अन्तर का यही कारण है।	96.35	18,43.000
6.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे जैसे सफाई, चमड़ा उतारने आदि कार्यों में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति	14.00	5.61	2,80,000 (छात्रवृत्ति)	1,68,939 (छात्रवृत्ति)	25.2.94 से योजना संशोधित की गई थी और राज्यों को संशोधित योजना के अनुसार संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया था परन्तु वे वित्तीय वर्ष के पूरा होने तक यह भेजने की स्थिति में नहीं है।	10.00	2,05,000 (छात्रवृत्ति)
7.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के होस्टल	6.00	6.00	200 (छात्रावास) 10,500 (सवासी)	213 19,453		6.20	84 (छात्रावास) 42000 (संवासी)
8.	अनुसूचित जाति लड़कों के होस्टल	6.00	6.50	230 (छात्रावास) 12,000 (संवासी)	101 7020	पहले के वर्ष के रूप में ही लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जब बड़ी सं. में होस्टलों के प्रस्ताव/मंजूरी थे लेकिन अपर्याप्त राज्य अंश के चलते केवल निधियों का एक भाग ही निर्मुक्त किया गया । ऐसा 93-94 के दौरान नहीं हुआ। 93-94 में कोई बैकलॉग नहीं था। लेकिन निधि उपलब्ध न होने के कारण पहले वाले वर्ष में अनुमोदन नहीं हो सका।	6.20	84 (होस्टल) 4200 (संवासी)
9.	एस सी/एस छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	5.60	3.33	40.000	33,120	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपर्याप्त प्रस्ताव	3.50	20,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	2.00	1.74	8.000	10.000		2.00	8.000
11.	सहायता अनुदान योजना	7.50	7.50		208 (गैर सरकारी संगठन)		8.00	-
12.	नागरिक अधिकार संरक्षण तथा अत्याचार	6.00	7.06	-	-	-	6.00	-
13.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	0.80	0.17	-	25 स्टडीज 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 सेमीनार	चूंकि वर्तमान(1980) योजना के अधीन उपलब्ध कराए गए एक अनुसंधान परियोजना की लागत केवल 1.50 लाख रु. थी, अतः कई प्रतिष्ठित संस्थान अखिल भारतीय अध्ययन के प्रस्ताव नहीं भेजे। अनुसंधान तथा प्रशिक्षिण योजना का संशोधन कल्याण मंत्रालय के विचाराधीन है।	0.38	25(स्टडीज) 2 (प्रशिक्षण कार्यक्रम)
14.	मेरिट का उन्नयन	0.55	0.15	1000	334	अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित न की गई योजना के कारण	1.00	1000
15.	विशेष शैक्षिक विकास	6.00	-योजना के चालू होने की रूपरेखा के पश्चात् अंतिम लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।				0.50	-
16.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	0.76	2.60	30 (वार्ड)	30 (अवार्ड)	-	1.48	30 (वार्ड)
अनुसूचित जनजाति विकास								
17.	आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	295.00	294.85	9 (लाख अ. ज.जा.परिवार)	10.42 (लाख अनु. ज.जा.परिवार)		275.00	10.12 लाख अ.ज. जा.परिवार)
18.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुदान	75.00	75.00		-	-	75.00	
19.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास	3.00	2.64	74 (छात्रावास)	52 (छात्रावास)	संघ राज्य क्षेत्रों प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण	3.05	60 छात्रावास
20.	अनुसूचित जनजाति लड़कों के होस्टल	3.00	2.70	74 होस्टल	53 होस्टल		3.05	60 होस्टल
21.	आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आदिवासी आश्रम स्कूल	2.50	2.53	50 (स्कूल)	64 (स्कूल) 41 स्कूलों के दूसरे चरण के निर्माण सहित		2.50	60(स्कूल)
22.	अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण							
	(i) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को सहायता-नुदान तथा रिसर्च फेलोशिप अवार्ड	1.20	1.20	14 25 (संस्थान और फैलोशिप)	14 24 (संस्थान और फैलोशिप)		1.30	14 (संस्थान)
	(ii) अखिल भारत तथा अंतर राज्यीय प्रकृति की परियोजनाओं के लिए	0.15	0.16	10(नए संगठन)	8(नए संगठन)		0.20	10(नए संगठन)
23.	अ.ज.जा.के लिए स्वैच्छिक संगठनों का अनुदान	4.00	4.03	80 संगठन	66 संगठन		4.75	80 संगठन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य आदिवासी विकास निगमों को सहायतानुदान	3.50	3.50	10 आदिवासी विकास निगम	9 आदिवासी विकास निगम		3.50	10 आदिवासी विकास निगम
25.	आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए निम्न साक्षरता पाकिटों में शैक्षिक परिसर	1.25	1.25	10 परिसर	23 परिसर		1.85	33 93-94 में स्थापित किए गए परिसरों सहित
26.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक परिसर	1.90	1.96	13 केन्द्र	15 केन्द्र		2.40	1992-93 तथा 1993-94 में स्थापित किए गए 22 केन्द्रों सहित
	विकलांग कल्याण प्रभाग							
27.	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	7.70	10.40	कोई वास्तविक निर्धारित नहीं किया गया	315	–	10.40	
28.	कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.40	0.40		16	–	0.40	
29.	जनशक्ति विकास के लिए प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.50	0.31		9	–	0.40	
30.	विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण	10.00	10.00		65	–	10.00	
31.	विकलांगों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास	1.50	0.10		7	–	1.50	
	अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग विकास							
32.	आर्थिक मानदण्ड पर आधारित पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना	0.50	0.50	1500	1500	–	1.50	4500
33.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	100.00	105.60	–	76,289	–	100.00	50.000
	समाज रक्षा तथा बाल कल्याण							
34.	वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	3.00	3.06	126	126	शून्य	5.68	419 केन्द्र
					वयोवृद्ध गृह			
				182	182			
					दिवा देखभाल केन्द्र			
				11	11			
					सचल मेडिकेयर यूनिट			
35.	आवारा बेसहारा लड़कों बच्चों का कल्याण	3.00	1.11	–	38 केन्द्र 11,400 बच्चे	अपर्याप्त संख्या में प्रस्ताव	4.10	93केन्द्र
36.	किशोर समाज कुसमंजन का नियंत्रण तथा निवारण योजना	5.00	1.10	32.000	32.000	प्रस्तावों की उचित सं. का न प्राप्त होना/पूर्ण सूचना का न होना/कागजात	3.00	32,000

[अनुवाद]

त्रिपक्षीय समझौता

*224. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार ओर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. के बीच पांवर्ची पंचवर्षीय योजना के लिए कोई त्रिपक्षीय समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. के बीच दिनांक 24.9.1994 को हस्ताक्षरित हुए त्रिपक्षीय समझौते में, अन्य बातों के अलावा वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की वार्षिक योजनाओं में और आठवीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कंपनी को वित्तीय सहायता दिए जाने, दोनों सरकारों के बीच इक्विटी धारिता के अनुपात की, प्रबंधन संरचनात्मक ढांचे की और आठवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 28.27 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने की वचनबद्धता संबंधी व्यवस्था की गई है।

(ग) यह समझौता क्रियान्वयन अधीन है और वर्ष 1993-94 तक की वचनबद्धताओं को सम्बद्ध पक्षों द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है।

कश्मीर के संबंध में इंटरनेशनल वाच ग्रुप की रिपोर्ट

*225. **श्री मोहन रावले :**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंटरनेशनल मानवाधिकार वाच ग्रुप की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कश्मीरी आतंकवादियों और उनके समर्थकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कश्मीर मामले के समर्थन में अंतराष्ट्रीय मंचों पर इन टिप्पणियों का उपयोग किया गया है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (घ). "ह्यूमन राइट्स वाच/आर्म्स प्रोजेक्ट" ने "इंडिया: आर्म्स एण्ड एब्यूजिज इन इंडियन पंजाब एण्ड कश्मीर" शीर्षक से प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा है कि पाकिस्तानी आई एस आई द्वारा अफगानिस्तानियों के जरिये उग्रवादियों में आधुनिक छोटे शस्त्रों और हथियारों के प्रसार का पंजाब एवं कश्मीर मे मानवाधिकारों की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने आगे कहा है कि अफगानिस्तानी मुजाहिद्दीनों को पाकिस्तान द्वारा हस्तांतरित किए गए इन हथियारों में से अनेक, पंजाब और कश्मीर में उग्रवादियों के हाथों में पहुंच गए हैं जिससे निशस्त्र सिविलियनों पर हमले, अंधाधुंध हमलों, समरी एक्जीक्यूशन और अपहरणों सहित युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का भारी उल्लंघन होने लगा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पंजाब और कश्मीर राज्यों में उग्रवादियों ने सैन्य उद्देश्यों के लिए अनेक अवसरों पर धार्मिक स्थलों का प्रयोग किया है जोकि सैन्य प्रयासों में सहायता के लिए पूजा स्थलों के प्रयोग का निषेध करने वाले माननीय कानूनों की भावना के विपरीत है। रिपोर्ट में, जम्मू एवं कश्मीर के उग्रवादियों को हथियार एवं सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने में पाकिस्तान सरकार और आई एस आई के प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने का भी उल्लेख है।

सरकार, भारत के जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष संलिप्तता के प्रमाण, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जानकारी में लगातार लाती रही है। उपर्युक्त रिपोर्ट ने एक बार फिर हमारे उन कथ्यों का समर्थन ही किया है जोकि इस संबंध में हम कहते रहे हैं। रिपोर्ट के निष्कर्षों का प्रयोग, कश्मीर में आतंकवादियों को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में सच्चाई सामने लाने में ही नहीं अपितु उनके द्वारा चलाए जा रहे अपसूचना और दुष्प्रचार अभियान का मुकाबला करने के लिए भी समुचित ढंग से किया जा सकेगा। हाल ही में 4 अक्तूबर, 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हमारे प्रतिनिधि ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के भाषण पर भारत के प्रत्युत्तर के अधिकार का प्रयोग करते हुए उक्त रिपोर्ट का उपयोग किया था।

विदेशी आयल कंपनियां

*226. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं विदेशी आयल कंपनियों ने देश में विपणन के प्रयोजन से अपना कारोबार आरम्भ किया है;

(ख) क्या भारी संख्या में ऐसी कंपनियां यहां अपने निर्माण एककों की स्थापना किए बिना, अपने उत्पादों को विभिन्न रूप में लाकर भारतीय उपभोक्ताओं को बेच रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख)और (ग). फिलहाल सभी प्रमुख पैट्रोलियम उत्पादों का विपणन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है। तथापि सरकार ने स्नेहकों के बाजार को अविनियमित कर दिया है, कुछ अन्य पैट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रण मुक्त कर दिया है तथा मिटटी के तेल, एल पी जी एवं एल एस एच एस को समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत आयात तथा विपणन की मंजूरी दी है।

कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने स्नेहकों के निर्माण तथा विपणन एवं एस के ओ तथा एल पी जी के समानांतर विपणन के लिए आधारभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियां बनायी हैं।

(घ) और (ङ). विदेशी कंपनियां स्वतंत्र रूप से अथवा भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के रूप में भारत में पंजीकृत हो सकती हैं तथा विद्यमान आयात निर्यात नीति तथा अन्य लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप कुछ पैट्रोलियम उत्पादों का आयात एवं विपणन कर सकती हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई

*227. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के अंत तक देश में सिंचाई हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1993-94 के अंत तक सिंचाई हेतु कितनी वास्तविक क्षमता विकसित की गई और कितनी भूमि की सिंचाई की गई; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के लिए वृहद एवं मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिये 2.69 मिलियन हेक्टेयर को अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य नियत किया गया है जिसकी तुलना में संभावित उपलब्धि 2.04 मिलियन हेक्टेयर है।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने के मुख्य कारण ये हैं; संसाधन की बाधाएं तथा कुछ राज्यों द्वारा वित्तीय परिव्यय के रूप में क्षेत्र को दी गई निम्न प्राथमिकता।

(घ) वर्ष 1993-94 के अन्त तक "वृहद एवं मध्यम" तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता तथा इसका उपयोग अनुमानतः 85.05 तथा 76.27 मिलियन हेक्टेयर था।

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान "वृहद एवं मध्यम" और लघु सिंचाई योजनाओं में हुआ व्यय/परिव्यय इस प्रकार है :

वर्ष	हुआ कुल व्यय/परिव्यय (करोड़ रुपए)
1991-92	3668.32
1992-93	4041.91
1993-94 (संशोधित परिव्यय)	4338.89
1994-95 (परिव्यय)	5698.46

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस

*228. **श्री फूलचंद वर्मा :**
डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का निकट भविष्य में देश में किन-किन क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज करने का विचार है;

(ख) प्रतिदिन कितनी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है;

(ग) 1994 के अंत में तेल और प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(घ) 1995 के अंत तक उनके उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण तटीय भागों में कैम्बे, उपरी असम, असम-अराकान फोल्ड बेल्ट, त्रिपुरा, कच्छ-सौराष्ट्र, कावेरी, कृष्णा-गोदावरी, गंगा घाटी, राजस्थान, बंगाल, विंध्य, सत्पुडा दक्षिणी रेवा और अपतटीय भाग में बम्बई अपतट, कच्छ सौराष्ट्र , केरल-कोंकण, कावेरी, कृष्णा गोदवरी, उत्तरपूर्वी तटीय बेसिनों जैसे देश के विभिन्न तलछटीय बेसिनों में जारी रखा जाएगा। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों यथा गहरे पानी, गोंडवाना तलछटीय, डकन सिनेक्साइज आदि में भी खोज की जाएगी।

(ख) अप्रैल-नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान देश में तेल का औसत उत्पादन 85,983 टन प्रतिदिन और प्राकृतिक गैस का 53.48 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन रहा।

(ग) और(घ). वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 के दौरान देश में तेल का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 32.30 मि.मी.टन और 38.37 मि.मी.टन और प्राकृतिक गैस का 57.10 एम एम एस सी एम डी और 69.26 एम एम एस सी एम डी होने की आशा है।

[हिन्दी]

प्रतिबन्धित क्षेत्र

*229. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश,1963 के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले कई वर्षों से कमी आई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उपरोक्त आदेश को वापस लेने/संशोधित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (एस.बी. चव्हाण) : (क) सम्पूर्ण असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम की दक्षिणी सीमा से लेकर इनर लाइन तक सिक्किम का सम्पूर्ण क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सम्पूर्ण क्षेत्र, विदेशी नागरिक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

(ख) विदेशी नागरिक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश,1963 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

स्नेहकों की मांग और उनका उत्पादन

*230. **श्री श्याम बिहारी मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मांग की तुलना में स्नेहकों का घरेलू उत्पादन कितना है;

(ख) मांग और उत्पादन में अंतर को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है; और

(ग) सरकार ने स्नेहकों के आयात को कम करने हेतु क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार किया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 के दौरान स्नेहकों की मांग 913 टीएमटी थी, जिसमें से 700 टीएमटी का विपणन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और 213 टीएमटी का विपणन निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया गया। 1993-94 के दौरान देश में स्नेहक बेस स्टाक आयल का उत्पादन लगभग 490 टीएमटी था। एल ओ बी एस और तैयार स्नेहकों की आवश्यकता के बाकी हिस्से की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती है।

(ग) स्नेहक बेस आयल का आयात कम करने के लिए सरकार ने विद्यमान स्नेहक रिफाइनरियों की विस्तार परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है।

मंद बुद्धि व्यक्तियों का कल्याण

*231 **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा** :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में मंद बुद्धि के संबंध में एक विश्व सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में मुख्य रूप से क्या-क्या सुझाव रखे गए और क्या-क्या निर्णय लिए गए;

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान मंद बुद्धि व्यक्तियों हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि इन योजनाओं के अधिकतम लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को मिले?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व कांग्रेस का आयोजन मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय लीग ऑफ सोसायटीज के तत्वावधान में तथा ठाकुर वी. हरि प्रसाद अनुसंधान एवं पुर्नास संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से मानसिक रूप से विकलांगों के कल्याण संबंधी राष्ट्रीय मंच द्वारा किया गया। विश्व कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 20-27 नवम्बर, 1994 तक किया गया जिसमें भारत तथा विश्व के अनेक विशेषज्ञों, व्यवसायियों गणमान्य व्यक्तियों और स्वयंसेवी संगठनों एवं विश्व निकायों ने भाग लिया था। विश्व कांग्रेस ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संरक्षण और विकासात्मक पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित किया।

(ग) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के अधिकारों के संबंध में विश्व कांग्रेस द्वारा अपनाई गई घोषणा संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) कल्याण मंत्रालय स्वयसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है न कि राज्य सरकारों को नहीं देता। दो योजनाएं यथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना और प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मन्दता के क्षेत्र में शिल्पों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मन्दता वाले व्यक्तियों से संबंधित संगठनों को सहायता की योजना चालू है। 1992-93; 1993-94 और 1994-95 के दौरान मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। धनराशि का निर्धारण राज्यवार नहीं किया जाता है। तथापि, वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों वाले स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

(ङ) स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष प्रोत्साहन स्वरूप, विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता योजना के तहत सहायता की राशि 90 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत कर दी गई है ताकि पुनर्वास सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा सके।

विवरण-I

मानसिक रूप से विगलांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के अधिकारों के बारे में दिल्ली घोषणा।

1. मानसिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों की तरह अधिकार प्राप्त है। लम्बे अर्से से उन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा गया है।

2. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति विशेषकर भेदभाव के शिकार होते हैं, उनकी असमर्थता के कारण उनके साथ भेदभाव को मिलाकर उनके साथ लिंग, श्रेणी, जाति संस्कृति, धर्म, आयु और यौन के संबंध में उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

3. अब समय आ गया है कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों और उनके परिवारों को उनके अधिकारों की गारंटी दी जाए और उन्हें उचित सम्मान और सभी समाजों में समान दर्जा प्रदान किया जाए।

4. परिवार सहायता और शिक्षा के मुख्य स्रोत हैं। इसके एवज में उन्हें सामुदायिक समर्थन की आवश्यकता है। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की जरूरतों एवं उनके जनशक्ति के बारे में सार्वजनिक जानकारी को बढ़ाये जाने की और अधिक आवश्यकता है। जो ज्ञान हमारे पास पहले से है, उसका प्रसार करने में स्कूलों, मीडिया तथा व्यावसायिक स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन नीतियों एवं निर्णयों के केन्द्र में ऐसे विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों और उनके परिवारों को आवश्यक रूप से रखा जाए जिनका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता हो।

5. व्यक्ति, परिवार और विकलांगता ग्रस्त सामुदायिक सदस्यों को उपयुक्त सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने तथा उसके लिए संसाधन जुटाने में स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

6. विकलांगता की पहचान होते ही सहायता देना आरंभ कर दिया जाए और इसे जीवन भर जारी रखा जाए। मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को अन्य नागरिकों की तरह ही सामान्य सेवाओं की आवश्यकता है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा, आवास, कार्य के अवसर, मनोरंजन तथा यौन संबंधों सहित अन्य प्रकार के संबंध स्थापित करना शामिल है।

7. समाज, सामुदायिक जीवन में उनकी पूर्ण भागीदारी की बदौलत उनके सकारात्मक योगदान से लाभान्वित हो पाने में तभी समर्थ होगा जब मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को उपर्युक्त समर्थन प्रदान किया जाए।

8. परिवारों के संगठनों, स्वयं विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और व्यावसायिकों के लिए जरूरी है कि वे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट सम्पर्क बनाकर कार्य करें। भागीदारी की केन्द्र में आवश्यक रूप से मानसिक विकलांग व्यक्ति और उसके परिवार को रखा जाना चाहिए।

9. संयुक्त राष्ट्र ने "विकलांगता व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता संबंधी मानक नियम" प्रकाशित करके विश्व को नेतृत्व प्रदान किया है। हम सभी सरकारों से निवेदन करते हैं कि वे विकलांग व्यक्तियों के संगठनों के साथ मिलकर इन नियमों का प्रसार करें तथा इन्हें कार्यान्वित करें।

10. चूंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष है, इसलिए ।।वीं विश्व कांग्रेस परिवारों एवं समुदायों को शक्ति सम्पन्न करने के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति खासकर युवा बच्चों को अपने पूर्ण विकासात्मक सामर्थ्य की पहचान करने में सक्षम बनाया जा सके। अब हमारे ऊपर कुछ करने, व्यावहारिक बनने तथा अपने स्थानीय समुदायों के भीतर कार्य करने का नैतिक दायित्व है ताकि पूरे विश्व के लिए एक समुदाय का सृजन किया जा सके।

विवरण-II

विकलांग व्यक्तियों से संबंधित संगठनों को सहायता और प्रमस्तिष्काघात एवं मानसिक मन्दता हेतु मानवशक्ति विकास संबंधी योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को 30 नवम्बर, 1994 तक निर्मुक्त धनराशि :

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	135.03	163.76	81.2
2.	कर्नाटक	124.09	122.17	62.1
3.	केरल	72.71	75.19	30.7
4.	मध्य प्रदेश	5.95	15.61	7.8
5.	मणिपुर	8.37	8.40	4.20
6.	मेघालय	3.24	2.98	-
7.	राजस्थान	18.16	22.74	11.37
8.	उत्तर प्रदेश	122.00	113.09	54.12
9.	दिल्ली	102.96	113.09	54.12
10.	असम	1.11	3.01	1.22
11.	गोवा	5.08	4.04	2.01
12.	गुजरात	19.20	22.42	11.12
13.	पश्चिम बंगाल	96.54	152.00	13.54
14.	महाराष्ट्र	112.12	79.66	75.06
15.	बिहार	45.65	27.05	25.12
16.	हरियाणा	10.19	12.65	5.71
17.	जम्मू और कश्मीर	5.00	3.48	-
18.	पंजाब	13.05	7.42	3.74
19.	उड़ीसा	15.84	10.97	5.42
20.	चंडीगढ़	1.12	1.16	0.55
21.	त्रिपुरा	0.79	3.11	2.05
22.	तमिलनाडु	53.28	69.66	40.33
		971.48	107.58	515.41

बाढ़ नियंत्रण

*232. **श्री उद्धव बर्मन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक तथा इनकी सहायक नदियों में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण के लिए कुछ वृत् योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) तीन भागों में तैयार मास्टर योजनाओं में बाढ़ प्रबंध के लिए अल्पाबाधक और दाघाबाधक उपाय अभिज्ञात किए गए हैं। भाग-I में ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा आती है, भाग-II में बराक तथा इसकी सहायक नदियां आती हैं। भाग-III में ब्रह्मपुत्र की 38 सहायक नदियां तथा त्रिपुरा की 8 नदियां आती हैं।

(ग) और (घ) विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए इन मास्टर योजनाओं का पूर्वोत्तर राज्यों और केन्द्रीय अभिकरणों को भेज दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कावेरी बेसिन से रसोई गैस और कच्चा तेल

*233. **श्री के.टी. वान्डायार** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कावेरी बेसिन पर तटीय और अपतटीय क्षेत्रों से रसोई गैस और कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या कच्चे तेल और गैस के मामले में समृद्ध कुछ और विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कुल कितना भंडार पाए जाने का अनुमान है;

(घ) इस क्षेत्र में कितना निवेश किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या किन्हीं विदेशी तेल कंपनियों को भूकम्पीय सर्वेक्षण और तेल की खोज हेतु कुछ विशिष्ट क्षेत्र सौंपे गए हैं और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय और विदेशी, दोनों प्रकार की गैर-सरकारी ड्रिलिंग कंपनियों को निविदाएं देने में क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इस वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर, 1994) के दौरान कावेरी बेसिन तटीय क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा 0.221 मिलियन टन थी। कावेरी अपतटीय बेसिन में कोई अन्वेषण/उत्पादन नहीं है/किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कोई एन्न पी जी संयंत्र नहीं है।

(ख) कावेरी बेसिन में कई तेल और गैस युक्त क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(ग) इन क्षेत्रों में तल और गैस के समतुल तेल का कुल भूगर्भीय भंडार 55.85 मिलियन टन हका है।

(घ) 1994-95 के दौरान कावेरी तटीय क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश 132.44 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च). सरकार ने अन्वेषण बोली के क्रमशः चौथे पांचवे दौर के अंतर्गत कावेरी, अपतटीय बेसिन में एच ओ ई सी-इंडिया-टाटा पेट्रोडाइन इंडिया-बाल्को, यू एस ए के परिसंघ को दो ब्लॉक देने का अनुमोदन कर दिया है बशर्ते कि उत्पादन हिस्सेदारी व ठेकों को अंतिम रूप दिया जा सकने कि संभावना भूकम्पीय सर्वेक्षण के दो दौरों के अंतर्गत कावेरी बेसिन के कोई भी ब्लाक प्रस्तावित नहीं है। अन्वेषण ब्लोकों के लिए सफल बोलीदाताओं के चयन के लिए अपनाया गया मानदंड विभिन्न तकनीकी और वित्तीय प्राचलों पर आधारित होता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना

*234. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई उप-योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उप-योजनाओं के अंतर्गत किन-किन कमान क्षेत्रों की कृषि भूमि को शामिल किया जायेगा;

(ग) इन पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(घ) इन उप-योजनाओं को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1.4.1991 से आज तक की अवधि के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	क्र. सं.	उप परियोजना का नाम	कमान क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	स्वीकृति की तारीख	पूर्ण होने की नियत तारीख
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1.	करनूल नहर	31.38	894	03.03.92	31.03.96
	2.	तुंगभद्रा	13.31	332	03.03.92	31.03.95
	3.	निजाम सागर	93.62	2305	31.03.92	31.03.97
		उप-योग	138.31	3531		
गुजरात	1.	धारोई	12.98	505	21.01.93	31.03.96
	2.	मेशो	6.88	248	21.01.93	31.03.96
	3.	ससोई	4.07	107	28.07.94	31.03.96
	4.	पटदुंगारी	5.07	129	28.07.94	3.03.96
	5.	गोंदाली	1.42	46	28.07.94	31.03.96
	6.	जोजावा	6.75	174	28.07.94	31.03.96
	7.	मालन	3.38	116	28.07.94	31.03.96
	8.	हिरन	2.63	90	28.07.94	31.03.96
	9.	खरोद	1.30	54	28.07.94	31.03.96
		उप-योग	44.48	1469		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
हरियाणा	1.	विद्यमान सिंचाई प्रणाली के जल प्रबंध का सुधार	340.00	12200	23.06.92	31.03.95
		उप-योग	340.00	12200		
केरल	1.	वाजानो	4.31	115	24.08.92	31.03.95
	2.	पोचो	16.00	369	24.08.92	31.03.95
		उप-योग	20.31	484		
कर्नाटक	1.	शान्ति सागर	2.89	70	23.06.92	03.95
	2.	तुंगा	9.32	232	23.06.92	03.96
	3.	अंजनपुरा	6.74	134	23.06.92	03.96
	4.	अम्बलिगोला	3.20	67	23.06.92	03.96
	5.	अय्यनखेरा	1.57	49	22.09.93	03.96
	6.	न्यू मदगा	2.01	64	22.09.93	03.96
	7.	गोंदो	4.60	144	22.09.93	03.96
	8.	राया	4.27	136	22.09.93	03.96
	9.	गोकक	7.53	240	22.09.93	03.96
	10.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 12 तुंगभद्रा	3.60	115	22.09.93	03.96
	11.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 13 तुंगभद्रा	10.27	328	22.09.93	03.96
	12.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 14 तुंगभद्रा	14.16	452	22.09.93	03.96
	13.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 15 तुंगभद्रा	6.91	220	22.09.93	03.96
	14.	बायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 31 तुंगभद्रा	21.15	558	22.09.93	03.96
	15.	बायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 55 तुंगभद्रा	7.13	228	22.09.93	03.96
	16.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 76 तुंगभद्रा	28.93	924	22.09.93	03.96
	17.	दाया तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 85 तुंगभद्रा	11.35	362	22.09.93	03.96

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	18.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 89 तुंगभद्रा	15.34	491	22.09.93	03.96
	19.	दायां तट उच्च स्तरीय नहर की वितरणी सं. 89 तुंगभद्रा	13.52	413	22.09.93	03.96
	20.	मादक मासूर	2.85	91	28.07.94	03.96
		उप-योग	177.34	5318		
मध्य प्रदेश	1.	कुन्डा	1.00	37	14.05.91	03.95
	2.	सकलदा	2.35	64	14.05.91	पूर्ण
	3.	सेगवाल	1.20	36	14.05.91	पूर्ण
	4.	सोनखेड़ी	1.12	34	14.05.91	03.95
	5.	खारूंग	60.00	1664	14.05.91	06.96
	6.	गंगुलपारा	4.09	126	14.05.91	06.96
	7.	मोरवान	4.00	98	30.05.91	छोड़ दी गयी
	8.	गगन	1.49	51	26.08.91	03.95
	9.	मोला	3.56	105	26.08.91	03.95
	10.	ओदा	8.90	220	26.08.91	03.96
	11.	परोंच	2.61	94	03.03.92	03.95
	12.	तवा	41.00	1330	21.01.93	06.97
		उप-योग	131.32	3859		
उड़ीसा	1.	सालंदी	10.00	299	19.12.91	03.98
	2.	देरजंग	5.95	178	19.12.91	03.98
	3.	सलिया	8.44	253	19.12.91	03.98
	4.	धानेई	3.83	115	19.12.91	03.98
	5.	रूशीकुल्या	12.62	378	03.03.92	03.98
	6.	महानदी डेल्टा-I	10.22	306	26.06.92	03.98
	7.	महानदी डेल्टा-II	34.52	1036	26.06.92	03.98
	8.	हीराकुंड	24.12	844	21.01.93	03.98
		उप-योग	109.70	3409		
राजस्थान	1.	बुचारा	2.02	79	28.07.94	03.97
	2	ढील	6.58	219	28.07.94	03.98
	3.	गुधा	1039	450	28.07.94	03.98
	4.	जेतपुरा	3.73	123	28.07.94	03.98
	5.	नन्द समंद	7.88	242	28.07.94	03.97
	6	ओरई	9.26	414	28.07.94	03.97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	7.	सैन्थल	3.27	127	28.07.94	03.97
	8.	उमैद सागर	2.97	134	28.07.94	03.97
		उप-योग	46.10	1788		
तमिलनाडु	1.	[illegible]	14.91	494	26.08.91	03.97
	2.	थिरूकोयलुर	14.34	494	26.08.91	03.97
	3.	कृष्णागिरि	5.70	143	26.08.91	03.96
	4.	एलियार	20.67	517	26.08.91	03.97
	5.	चित्तर	9.64	241	23.06.92	03.95
	6.	मंजलर	2.17	54	21.01.93	03.95
	7.	पिलावुक्कल	3.66	91	21.01.93	01.97
		उप-योग	71.09	2034		
उत्तर प्रदेश	1.	शारदा नहर	454.00	1520	30.05.91	03.98
	2.	लोअर गंगा नहर	1035.00	4840	30.05.91	03.98
		उप-योग	1489.00	6360		
		कुल योग	2567.65	40452		

[अनुवाद]

डा. अम्बेडकर की कृतियां

*235. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा. बी. आर अम्बेडकर की कृतियों के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन की परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) प्रारम्भ में इन प्रकाशनों के कार्य पूरा होने की क्या अवधि रखी गयी थी;

(घ) क्या उक्त अवधि में प्रकाशनों का यह कार्य पूरा हो जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस कार्य को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) :

(क) **परियोजना के ब्यौरे** :

सरकार ने बाबा साहेब डा. बी. आर. अम्बेडकर के लेखों और भाषणों का अनुवाद और प्रकाशन हिन्दी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने की एक प्रतिष्ठित परियोजना शुरू की है। यह डा. बी. आर. अम्बेडकर शताब्दी समारोहों से उत्पन्न विशेष योजनाओं में से एक है।

क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कार्य बाबा साहेब की कृतियों और भाषणों के अंग्रेजी खण्डों से किया जाना है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित हैं। शुरू में बाबा साहेब की कृतियों और भाषणों का अनुवाद और प्रकाशन हिन्दी तथा 8 अन्य भारतीय भाषाओं यथा पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगला, मलयालम, तामिल तेलुगू और कन्नड में करने का निर्णय लिया गया। 6 दिसम्बर, 1994 को बाबा साहेब की कृतियों एवं भाषणों का अनुवाद और प्रकाशन उर्दू और असमी भाषाओं में भी करने का निर्णय लिया गया है।

शुरू में किए गए अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत 4.00 करोड़ रुपये है जिसमें नई भाषाओं (उर्दू और असमी) के जुड़ने तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी खण्डों की संख्या में वृद्धि के कारण और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि परियोजना निर्माण के समय महाराष्ट्र सरकार द्वारा केवल 10 अंग्रेजी खण्ड लाए जाने की आशा थी। लेकिन अंग्रेजी खण्डों की संख्या 17 तक होने की संभावना है। 13 अंग्रेजी खण्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

प्रारंभ में यह कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग को मार्च, 1992 में आबंटित किया गया था। अब यह परियोजना डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को, जो सितम्बर, 1993 से कल्याण मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, हस्तांतरित कर दी गई है।

डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान इस परियोजना को राज्य सरकारों की सहायता तथा अनुवाद विशेषज्ञों के सहयोग से चला रहा है। अनुवादकों इत्यादि को साहित्य अकादमी द्वारा भुगतान की जा रही दर से भुगतान किया जाता है।

(ख) अब तक इस संबंध में की गई प्रगति :

प्रकाशन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए हैं :-

भाषा	प्रकाशित खण्डों की सं.	शामिल किए गए अंग्रेजी खंडों की संख्या
हिन्दी	1	1/2
तमिल	1	1/2
गुजराती	1	1/2

इस परियोजना को डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान से हस्तांरित किए जाने के बाद, इसके तहत विभिन्न भाषाओं में 12 और खण्ड भी प्रकाशित किए जा चुके हैं जो निम्नलिखित हैं :

भाषा	प्रकाशित खण्डों की सं.	शामिल किए गए अंग्रेजी खंडों की संख्या
हिन्दी	5	2
तमिल	4	1-1/2
पंजाबी	2	1
गुजराती	1	1/2

इस प्रकार 2½ अंग्रेजी खण्ड हिन्दी में, दो अंग्रेजी खण्ड तमिल में और एक अंग्रेजी खण्ड पंजाबी तथा गुजराती, प्रत्येक में प्रकाशित किए जा चुके हैं।

विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है :-

हिन्दी : शेष 7½ अंग्रेजी खण्डों का अनुवाद कार्य लगभग पूरा हो चुका है जो 14 खण्डों में प्रकाशित किया जाएगा, चूंकि प्रतिष्ठान अपेक्षाकृत छोटे खण्डों अर्थात एक अंग्रेजी खण्ड पर औसतन 2 खण्ड बना रहा है।

तमिल : अंग्रेजी खण्ड 3 का अनुवाद कार्य पूरा हो चुका है और यह मुद्रण के लिए तैयार है।

पंजाबी : अंग्रेजी खण्ड 2, 3 और 4 का अनुवाद कार्य अधिकांशतः पूरा हो चुका है। अंग्रेजी खण्ड 5 से 8 तक का अनुवाद कार्य प्रगति पर है।

गुजराती : सभी अंग्रेजी खण्डों के अनुवाद का कार्य लगभग पूरा होने को है। इसके मुद्रण की व्यवस्था की जा रही है।

बंगला : खण्ड 1 का अनुवाद और अनुवाद कार्य की जांच की जा चुकी है और यह मुद्रण के लिए तैयार है। अन्य खण्डों का अनुवाद प्रगति पर है।

उड़िया : खण्ड 1 के आधे भाग का अनुवाद और इसकी जांच की जा चुकी है और यह मुद्रण के लिए तैयार है। अन्य खण्डों का अनुवाद प्रगति पर है।

कन्नड : कर्नाटक राज्य सरकार ने तीन खण्डों का अनुवाद और प्रकाशन पहले ही करा दिया है और चौथा खण्ड प्रकाशित हो रहा है। शेष छः खण्डों का अनुवाद कार्य भी पूरा हो चुका है और इसके अनुवाद कार्य की जांच की जा रही है।

तेलगू : आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 खण्डों को पहले ही प्रकाशित कर दिया है और शेष खण्डों का कार्य प्रगति पर है।

(ग) से (च). शुरू में, यह परियोजना 31 दिसम्बर, 1994 को पूरी की जानी थी। लेकिन, जैसाकि ऊपर वर्णित है, इसके कार्यों में वृद्धि होने तथा कार्य की अत्यन्त संवदेनशील प्रकृति के कारण, जिसमें राज्य सरकारों से पत्राचार, विश्वसनीय अनुवादकों और मुद्रण एजेन्सियों का चयन शामिल है, संपूर्ण परियोजना का कार्य पूरा करने में कुछ और अधिक समय लगेगा।

तथापि, इस योजना के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों सहित सभी एजेन्सियों के साथ नजदीक से और नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है ताकि शेष खण्डों के अनुवाद और प्रकाशन संबंधी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।

जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता

*236. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 से जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिये कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शिक्षा परिसरों की स्थापना करने हेतु एक नई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किन-किन स्थानों पर शुरू की गई है;

(घ) अब तक इस योजना से राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और आठवीं योजना के दौरान कितने लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों के साक्षरता के विकास के लिए अल्पसाक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय सैक्टर की योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इसमें 8 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा अरुणाचल प्रदेश के 48 जिले शामिल हैं जहां 1981 की जगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिला की साक्षरता की दर 2 प्रतिशत से कम थी तथा आदिम आदिवासी समूहों में भी महिला साक्षरता अत्यधिक कम थी। कल्याण मंत्रालय शैक्षिक परिसरों की स्थापना करने के लिए शत-प्रतिशत लागत प्रदान करता है तथा राज्य

सरकारों की भूमिका विश्वसनीय तथा रूचि लेने वाले गैर सरकारी संगठनों का पता लगाने तथा ऐसे परिसरों के लिए निःशुल्क लागत पर भूमि आवंटित करने की है।

(ग) इस प्रकार के शैक्षिक परिसरों को आरंभ करने के लिए जिन स्थानों के लिए निधियां मंजूर की गई हैं उनकी सूची संलग्न विवरण-I में है।

(घ) अब तक परिसरों के अंतर्गत शामिल की जाने वाली अनुसूचित जनजाति की छात्राओं की संख्या 1500 है। आठवीं योजना अवधि में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजाति की छात्राओं की संख्या उपर्युक्त 1500 को मिलाकर लगभग 2500 है। विभिन्न राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने पर लाभ-ग्राहियों की राज्यवार वास्तविक संख्या निर्भर होगी।

(ङ) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत सहायता अनुदान निम्नलिखित हैं :-

1993-94	1.25 करोड़ रुपये
1994-95 (अब तक)	0.58 करोड़ रुपये

(च) आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों के साक्षरता विकास के लिए कम साक्षर पाकेटों में शैक्षिक परिसरों की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में राज्य सरकारों को किसी वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं है। तथापि राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए गैर सरकारी संगठनों को सीधे सहायता दी जाती है। इस वर्ष विभिन्न राज्यों में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को अभी तक कुल 0.58 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	2
1.	**आंध्र प्रदेश**
	(1) सम्सकार (सामाजिक रूप से परित्यक्तों के पुनर्वास के लिए सोसायटी), जिला निजामबाद
2.	**गुजरात**
	(2) सुशिलाबेन मणिलाल संघवी मेमोरियल ट्रस्ट, नीलपर, रापर, जिला कच्छ
	(3) ग्राम स्वराज संघ, निलपर, जिला कच्छ
	(4) श्री सर्वोदय आश्रम, सेनाली, जिला बनासकंठा
	(5) सर्वोदय केन्द्र, अमीरगढ़ तालुक एट अमीरगढ़ जिला, बनासकण्ठा
3.	**केरल**
	(6) केरल साक्षरार्थ समिति, केरल (पी.टी.जी.), जिला क्यानार्द
4.	**मध्य प्रदेश**
	(7) खारगांव जिले में वरला में कस्तूरबा वरवासी कन्या आश्रम (पश्चिम निमार जिला में)
	(8) रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, पुष्पा सोशल सेंटर, रायसेन जिला
	(9) साव्या सांची सेंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, जिला सिधी
	(10) एम.पी. शाहारिया सेवा संघ, ग्वालियर, जिला राजगढ़
	(11) दीनदयाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, दिल्ली सतना जिला में परिसर, मध्य प्रदेश
	(12) नवयुवक कल्याण एवं ग्राम विकास समिति, जिला पन्ना
	(13) भील सेवा संघ, झाबुआ जिला (मध्य प्रदेश)
5.	**महाराष्ट्र**
	(14) ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र, थाने (पी.टी.जी.) जिला थाणे
6.	**उड़ीसा**
	(15) कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल, जिला रायगढ़ द्वारा संगठित ग्राम सेवा केन्द्र
	(16) जनकल्याण समिति, दरलीपुर, जिला कोरापुट
	(17) अग्रगामी, टेन्टुलेखुन्टी जिला रायगढ़
	(18) सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी, जिला रायगढ़
	(19) सर्वोदय समिति, जिला कोरापुट
	(20) सेवा समाज, गुनुपुर, डाक गुनुपुर, जिला रायगढ़
	(21) ओसकार्ड (सामाजिक बदलाव तथा ग्रामीण विकास के लिए संगठन) जिला मल्कागिरी
	(22) वन भारती, डाक-जिला कोरापुट, पिन-764020
	(23) इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, काउडोगुडा विल्लेज आफ कोरापुट, जिला, उड़ीसा
	(24) काउंसिल आफ कल्चरल ग्रोथ एंड कल्चरल रिलेशन्स, मणिगुडा ब्लॉक, जिला रायगढ़ (अविभाजित कोरापुट जिला)
	(25) ब्राइट कैरियर अकादमी, मॉगपरिगुडा ब्लॉक आफ कोरापुट, उड़ीसा
	(26) बॉय-परिगुडा क्षेत्रीय समिति, बॉय-परिगुडा ब्लॉक आफ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट
7.	**राजस्थान**
	(27) राजस्थान बनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर जिला
	(28) राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षण प्रतिष्ठान, प्रतापनगर, जिला उदयपुर
	(29) ग्रामीण महिला एवं बाल विकास समिति, गांव सोप, तहसील नादेटी, जिला सवाई माधोपुर
	(30) जिला युवा मीणा समाज संस्थान, भीलवाड़ा जिला

विवरण-II

1994-95 के दौरान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को संस्वीकृति राशि

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि (रु.)	परिसर
1.	भील सेवा संघ, ब्लॉक रामा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश (नया)	4,59,000	1
2.	ओसकार्ड (सामाजिक बदलाव तथा ग्रामीण विकास के लिए संगठन) उड़ीसा (नया)	4,59,000	1
3.	वन भारतीय, जिला कोरापुट, पिनकोड-764020 (नया)	4,59,000	1
4.	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कुड्डप्पा विल्लेज, कोरापुट जिला (नया)	4,59,000	1
5.	काउंसिल ऑफ कल्चरल ग्रोथ एंड कल्चरल रिलेशन्स, मणिगुडा, ब्लॉक जिला रायगढ़, उड़ीसा (नया)	4,59,000	1
6.	ब्राइट कैरियर अकादमी, जेपोर डाक, जिला कोरापुट (पुराना)	4,59,000	1
7.	दीनदयाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, सतना जिला (पुराना)	6,23,384	1
8.	जनकल्याण समिति, दरलीपुट, कोरापुट जिला (पुराना)	7,38,800	1
9.	कस्तूरबा ग्राम सेवा केन्द्र, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, उत्कल ब्रांच, रायगढ़ जिला द्वारा संगठित	1,95,511	1
10.	सर्वोदय समिति, कोरापुट जिला (पुराना)	2,43,200	1
11.	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास समिति, गांव सोप, तहसील नादाटा, जिला सवाई माधापुर, जिला (पुराना)	8,29,583	1
12.	बॉय-बरिगुडा क्षेत्रीय समिति, जिला कोरापुट (उड़ीसा) (नया)	4,59,000	1
		58,43,478	12

दूरदर्शन पर विज्ञापन

*237. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन तथा इसके विभिन्न चैनलों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को सेंसर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न वाणिज्यिक विज्ञापनों की निर्धारित मानदंडों के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ङ). दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर दिखाए जाने वाले सभी विज्ञापनों का प्रसारण से पूर्व दूरदर्शन द्वारा पूर्व दर्शन किया जाता है। इस संहिता के उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

जल भंडारण क्षमता

*238. **श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में ऐसी झीलों और जलाशयों का पता लगाया है, जिनकी जल भंडारण क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता दी है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ). केन्द्रीय जल आयोग पूरे देश में फैले 62 महत्वपूर्ण बड़े जलाशयों में किए गए भंडारण का प्रबोधन कर रहा है। जब कभी हालात की मांग होती है, केन्द्रीय जल आयोग संबंधित राज्यों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग करने हेतु तदनुसार प्रचलनात्मक योजनाएं तैयार करने की सलाह देता है। इन 62 जलाशयों के लिए डिजाइन किए गए सक्रिय भंडारण के प्रतिशत के रूप में चालू मानसून मौसम के दौरान किए गए अधिकतम भंडारण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अधिकांश जलाशय परियोजनाओं में प्रचुर जल वहन क्षमता उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वर्षा वाले वर्ष के अतिरिक्त जल का बाद में आने वाले सूखे वर्ष के दौरान उपयोग करने के लिए भंडार किया जा सके। इसीलिए जलाशयों के प्रत्येक वर्ष पूरी क्षमता तक भर जाने की संभावना नहीं होती है। इस संदर्भ में उपयोज्य क्षमता संतोषजनक मानी गई है। इस प्रयोजन के लिए वित्त सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

भारत के 62 महत्वपूर्ण जलाशयों की साप्ताहिक रिपोर्ट 10.9.1994 को समाप्त सप्ताह

क्र. सं.	जलाशय का नाम	राज्य	पूर्ण जलाशय स्तर पर सक्रिय क्षमता (बिलियन घन मीटर)	चालू मौसम के दौरान अधिकतम सक्रिय क्षमता (बिलियन घन मीटर)	पूर्ण जलाशय स्तर पर सक्रिय क्षमता के प्रतिशत के रूप में इस वर्ष की क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सेलम	आंध्र प्रदेश	8.288	8.288	100
2.	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश	6.841	6.841	100
3.	श्रीराम सागर	आंध्र प्रदेश	2.300	1.953	85
4.	सोमासिल	आंध्र प्रदेश	1.994	0.810	1
5.	तेनू घाट	बिहार	0.821	0.323	39
6.	मैथन	बिहार	0.571	0.571	100
7.	पंछेट हिल्ल	बिहार	0.223	0.223	100
8.	कोनार	बिहार	0.275	0.211	77
9.	तिल्लैया	बिहार	0.319	0.189	59
10.	उकाई	गुजरात	7.100	7.089	100
11	साबरमती	गुजरात	0.778	0.759	98
12	कदना	गुजरात	1.472	1.370	93
13	शतरूंजी	गुजरात	0.343	0.218	64
14	भादर	गुजरात	0.199	0.199	100
15	गोबिंद सागर	हिमाचल प्रदेश	6.655	6.400	96
16	पोंग बांध	हिमाचल प्रदेश	7.119	6.158	87
17	कृष्णाराजा सागर	कर्नाटक	1.163	1.144	98
18	तुंगभद्रा	कर्नाटक	3.276	3.240	99
19	घटप्रभा	कर्नाटक	1.391	1.386	100
20	भद्रा	कर्नाटक	1.785	1.774	99
21	लिंगनामक्की	कर्नाटक	4.294	4.294	100
22	नारायणपुर	कर्नाटक	0.863	0.575	67
23.	मालप्रभा	कर्नाटक	0.972	0.941	97
24.	कबिनी	कर्नाटक	0.275	0.274	100
25.	हेमवती	कर्नाटक	1.013	0.991	98
26.	हरंगी	कर्नाटक	0.220	0.215	98
27.	सुपा	कर्नाटक	4.120	4.096	99
28.	कल्लडा	केरल	0.507	0.427	84

1	2	3	4	5	6
29.	इदमलायर	केरल	1.018	1.018	100
30.	इडुक्की	केरल	1.460	1.187	81
31.	गांधी सागर	मध्य प्रदेश	6.827	6.496	95
32.	तवा	मध्य प्रदेश	1.944	1.760	91
33.	महानदी	मध्य प्रदेश	0.767	0.764	100
34.	जयकवाडी	महाराष्ट्र	2.171	2.037	94
35.	कोयना	महाराष्ट्र	2.677	2.578	96
36.	भीमा	महाराष्ट्र	1.517	1.336	88
37.	इसापुर	महाराष्ट्र	0.965	0.436	45
38.	मुला	महाराष्ट्र	0.608	0.607	100
39.	येलदरी	महाराष्ट्र	0.809	0.081	10
40.	गिरना	महाराष्ट्र	0.524	0.515	98
41.	खड़कवासला	महाराष्ट्र	0.056	0.053	95
42.	हीराकुड	उड़ीसा	5.378	5.216	97
43.	बलीमेला	उड़ीसा	2.676	2.677	100
44.	सलंदी	उड़ीसा	0.558	0.448	87
45.	रेंगाली	उड़ीसा	3.432	3.214	94
46.	मचकुंड	उड़ीसा	0.893	0.870	97
47.	अपर कोलाब	उड़ीसा	0.935	0.829	89
48.	मही बजाज	राजस्थान	1.833	1.718	94
49.	झकम	राजस्थान	0.132	0.132	100
50.	राणा प्रताप सागर	राजस्थान	1.573	1.245	79
51.	लोअर भवानी	तमिलनाडु	0.929	0.752	81
52.	मेत्तुर	तमिलनाडु	2.647	1.957	74
53.	वेगई	तमिलनाडु	0.194	0.083	43
54.	परमोइकुलम	तमिलनाडु	0.380	0.378	99
55.	एलियार	तमिलनाडु	0.095	0.092	97
56.	शोलायर	तमिलनाडु	0.143	0.143	100
57.	गुमटी	त्रिपुरा	0.312	0.126	40
58.	माताटीला	उत्तर प्रदेश	0.707	0.684	97
59.	रामगंगा	उत्तर प्रदेश	2.196	1.381	63
60.	रिहंद	उत्तर प्रदेश	8.967	8.950	100
61.	मयूराक्षी	पश्चिम बंगाल	0.547	0.497	91
62.	कंगसावती	पश्चिम बंगाल	0.914	0.733	80
	62 जलाशयों के लिए कुल		121.961	111.162	91

कच्चा तेल

*239. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) कच्चे तेल के अन्वेषण हेतु किन-किन नए क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। 1994-95 के दौरान 32.30 मिलियन टन स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए प्रत्याशित उत्पादन क्रमशः 38.37 मिलियन टन और 44.45 मिलियन टन है।

(ग) और (घ). सरकार ने 6500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1994-97 के दौरान कार्यान्वित करने के लिए एक त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। इस कार्यक्रम के घटक में है :—

(I) गहरे पानी में अन्वेषण

(II) राष्ट्रीय भूकम्पीय कार्यक्रम

(III) सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण

(IV) विदेशों में भण्डारों/एकरेजिज की अधिप्राप्ति

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

*240. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु अपनी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्यवार सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) इन परियोजना प्रस्तावों को विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमादित लागत (करोड़ रुपए)
1.	मध्य प्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना (रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना तथा राजघाट नहर परियोजना)	मध्य प्रदेश	865.44
2.	नर्मदा नहर परियोजना	राजस्थान	467.53
3.	जल संसाधन समेकन परियोजना	राजस्थान	1973.00
4.	आन्ध्र प्रदेश सिचाई-III परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	1540.00
5.	सुवर्णरेखा बहु प्रयोजनी परियोजना	बिहार	1429.00
6.	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	715.00
7.	जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	970.00
8.	जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	1102.846
9.	लघु सिंचाई परियोजना	गुजरात	85.06
10.	राष्ट्रीय जल वैज्ञानिक पस्योजना	बहुराज्यीय	482.16
11.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना	बहुराज्यीय	1380.00

विवरण-II

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	करार की तारीख	क्रेडिट समाप्त होने की तारीख	सहायता की राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)	31.10.94 को उपयोग (मिलियन अमेरिकी डालर)
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना फेज-II	कर्नाटक	16.6.89	31.12.1996	207.500	114.943
2.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना-III	महाराष्ट्र	5.12.85	31.12.1996	182.620	92.620
3.	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	पंजाब	9.2.1990	31.3.1990	155.670	53.935
4.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना (फेज-I)	बहुराज्यीय	15.5.1987	31.3.1995	127.270	120.847
5.	बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना	बहुराज्यीय	10.6.1991	30.9.1997	154.370	14.850
6.	जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	6.4.1994	31.12.2000	252.00	8.0000

[अनुवाद]

मंत्री के दौरे

2325. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्त वर्ष के दौरान मंत्री महोदय देश के अंदर और विदेशों में कितने दिन दौरे पर रहे;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दौरों पर प्रत्येक के समय कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या इनके लिए व्यय का वहन केन्द्र सरकार के बजट में से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धन किन स्रोत में से खर्च किया गया?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान, गृह मंत्री द्वारा देश के भीतर और देश से बाहर जिन स्थानों का दौरा किया गया उनके विवरण-I और II संलग्न हैं।

(ख) से (ङ). क्योंकि ये दौरे सरकारी थे अतः इन पर हुआ खर्च केन्द्र सरकार के बजट से पूरा किया गया।

विवरण-I

वित्त वर्ष 1994-95 (20.12.94 तक) के दौरान गृह मंत्री द्वारा देश के भीतर जिन स्थानों का दौरा किया उनके बारे में सूचना।

क्र.सं.	तारीख	स्थान	दिनों की संख्या
1	2	3	4
1.	1 से 4 अप्रैल, 1994	नांदेड़, प्रभनी, नांदेड़	4
2.	14 से 17 अप्रैल, 1994	मद्रास, कांचीपुरम, बम्बई	4
3.	22 से 24 अप्रैल, 1994	बम्बई	3
4.	6 से 8 मई, 1994	गंगटोक	3

1	2	3	4
5.	14 से 15 मई, 1994	बंगलौर	2
6.	18 मई, 1994	जम्मू, राजौरी, मेदर, जम्मू	1
7.	21 से 24 जून, 1994	गुवाहटी, शिलांग, ईटानगर, गुवाहटी	4
8.	2 से 4 जुलाई, 1994	बंगलौर	3
9.	8 से 11 जुलाई, 1994	हैदराबाद, सिकंदराबाद, नांदेड़, हैदराबाद	4
10.	19 से 24 जुलाई, 1994	बम्बई	6
11.	20 से 22 अगस्त, 1994	लातूर, नांदेड़	3
12.	16 से 18 सितम्बर, 1994	बम्बई	3
13.	22 सितम्बर, 1994	मानेसर, एन.एस.जी.केम्पस	1
14.	26 सितम्बर से 1अक्तूबर, 1994	औरंगाबाद, पैंथन, औरंगाबाद, नांदेड़, बंगलौर	6
15.	12 अक्तूबर, 1994	बम्बई	1
16.	4 से 6 नवम्बर, 1994	नांदेड़, शौलापुर, पंडारपुर, तुलजापुर, ऊरमेगा, शौलापुर	3
17.	18 से 20 नवम्बर, 1994	बम्बई, नांदेड़, अष्टी	3
18.	21 से 24 नवम्बर, 1994	नागपुर, बम्बई	4
19.	25 से 27 नवम्बर, 1994	नांदेड़, शिरदोन, कुनटूर, मुखेद, नांदेड़	3
20.	2 से 4 दिसम्बर, 1994	नांदेड़, कंधार, गोराथा, धरमाबाद, औरंगाबाद	3
21.	18 दिसम्बर, 1994	अजमेर	1
		कुल	65

विवरण–II

1994–95 के दौरान गृह मंत्री ने देश से बाहर जिन स्थानों का दौरा किया उनके बारे में सूचना।

क्र.सं.	मंत्री का नाम	देश जहां का दौरा किया	अवधि	यात्रा का दौरा
1.	श्री एस.बी. चव्हाण	बुल्गेरिया और रोमानिया	26.5.94 से 2.6.94 (8 दिन)	बुल्गेरिया और रोमानिया सरकारों के साथ, आतंकवाद अपराध इत्यादि को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के साथ उन देशों की यात्रा पर गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में।
2.	–तदैव–	रूसी परिसंघ	28.8.94 से 3.9.94 (6 दिन)	रूसी राष्ट्र मंडल की यात्रा पर।
3.	–तदैव–	इंग्लैंड और कनाडा	20.10.94 से 30.10.94 (11 दिन)	आतंकवादक, ¯,शीली दवाओं और स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंग्लैंड और कनाडा का सहयोग प्राप्त करने और कनाडा सरकार के साथ आपसी कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए।
		योग 25 दिन		

मंत्री के दौरे

2326. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री कितने-कितने दिनों के लिए देश और विदेश की यात्राओं पर गए;

(ख) इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्र सरकार के बजट से हुआ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धनराशि कहां से खर्च की गई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) अप्रैल, 1994 से दिसम्बर, 1994 के मध्य तक की अवधि में कोयला राज्य मंत्री ने, जिसमें दौरे पर जाने की तारीख तथा मुख्यालय को वापस आने की अवधि शामिल है, 103 दिन का दौरा किया, जिसमें से अप्रैल से अगस्त, 1994 की अवधि के दौरान 84 दिन का दौरा किया गया और सितम्बर से दिसम्बर, 1994 के मध्य तक की अवधि में 19 दिन का दौरा किया। यह सभी दौरे देश के अंदर ही किए गए। किन्तु श्री अजित कुमार पांजा, मंत्री महोदय दिनांक 26 अगस्त, 1994 से चिकित्सा कराए जाने के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए।

(ख) देश के अंदर ये दौरे विचार-विमर्श किए जाने, समीक्षा किए जाने तथा कोयला उद्योग से संबंधित अन्य सरकारी समारोहों में भाग लेने के लिए किए गए और इन दौरों में कलकत्ता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, रामागुंडम, गुवाहाटी, नेयवेली, रांची तथा कोटाडीह (ई.को. लि.) तथा सिमसांग (ना.ई.को.) आदि की खानों का दौरा किया।

(ग) से (ङ). हवाई यात्रा के संबंध में इन दौरों पर लगभग 1.77 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है, जोकि या तो को.ई.लि. से खर्च की गई है अथवा व्यय केन्द्रीय बजट से वहन किया गया है। इसके अलावा, को.ई.लि. के हवाई जहाज को भी, जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, कुछ अवसरों पर प्रयोग में लाया गया है।

मंत्री के दौरे

2327. श्री इन्नान मोल्लाह :
श्री अमल दत्त :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री कितने दिनों के लिए देश और विदेश की यात्राओं पर गए;

(ख) इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्र सरकार के बजट से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह खर्च कहां से किया गया?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). सरकारी प्रयोजनों के लिए यात्राओं के संबंध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी गयी है :-

क्र. सं.	देश/स्थान का नाम	व्यय/रुपये	अवधि
1	2	3	4
	भारत के बाहर		
1.	यू. के. (लंदन)	1,05,031.00	05.04.1994 से 14.04.1994
2.	नार्वे (स्टावेंघर)	97,595.00	28.05.1994 से 02.06.1994
3.	चीन	91,461.00	26.06.1994 से 04.07.1994
4.	ओमान तथा यू. के. (ओमान तथा लंदन)	95,684.00	25.09.1994 से 01.10.1994
	भारत के भीतर		
5.	बम्बई	7,708.00	14.05.1994 से 15.05.1994

उपर्युक्त 1 से 4 मदों पर व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया गया है तथा मद 5 पर व्यय को आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा वहन किया गया है।

मंत्री के दौरे

2328. डा. असीम बाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय कितने-कितने दिनों के लिए देश और विदेश की यात्राओं पर गए;

(ख) इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्र सरकार के बजट से वहन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धनराशि किस स्रोत से खर्च की गयी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश के अन्दर के दौरे

क्र.सं.	दिनांक	यात्रा स्थल (यों)	दौरे के दिनों की संख्या	भुगतान किया गया हवाई किराया (रु.)
1	2	3	4	5
1.	2.4.94 से	दिल्ली-रायपुर-जगदलपुर	3	9738
	4.4.94	विजाग-मद्रास-दिल्ली		
2.	6.4.94 से	दिल्ली-कलकत्ता		5959
	7.4.94	गुवाहाटी-दिल्ली	2	5959
3.	10.4.94 से	दिल्ली-कलकत्ता		5959
	11.4.94	गुवाहाटी-कलकत्ता-दिल्ली	2	5959
4.	13.4.94 से	दिल्ली-भुवनेश्वर		
	15.4.94	भुवनेश्वर-दिल्ली	2	7616
5.	16.4.94 से	दिल्ली-ग्वालियर-दिल्ली	2	राज्य सरकार के
	17.4.94			हैलीकॉप्टर/ट्रेन द्वारा
6.	29.4.94 से	दिल्ली-रतलाम-अहमदाबाद		
	1.5.94	बड़ौदा-दिल्ली	2	2410
7.	6.5.94 से	दिल्ली-बंगलौर-कोयम्बटूर		4797
	8.5.94	मद्रास-दिल्ली	2	7709
8.	14.5.94 से	दिल्ली-कोचीन-कावारत्ती		4756
	17.5.94	कोचीन-बंबई-दिल्ली	4	1725
9.	19.5.94 से	दिल्ली-नैनीताल-दिल्ली	2	कार द्वारा
	20.5.94			
10.	21.5.94 से	दिल्ली-कलकत्ता-		
	26.5.94	भुवनेश्वर-दिल्ली	5	7358
11.	9.7.94 से	दिल्ली-भुवनेश्वर		
	11.7.94	कलकत्ता-दिल्ली	1	6120
12.	23.7.94 से	दिल्ली-भुवनेश्वर		
	25.7.94	कलकत्ता-दिल्ली	1	8173
13.	29.7.94 से	दिल्ली-जबलपुर-भोपाल-दिल्ली	2	राज्य सरकार के एयर-
	31.7.94			क्राफ्ट द्वारा
14.	4.8.94 से	दिल्ली-चण्डीगढ़-दिल्ली	1	ट्रेन द्वारा
	6.8.94			
15.	18.8.94 से	दिल्ली-कलकत्ता-भुवनेश्वर		
	21.8.94	कलकत्ता-दिल्ली	3	10975
16.	26.8.94 से	दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली	2	8242
	28.8.94			

1	2	3	4	5
17.	28.8.94 से 29.8.94	दिल्ली-मथुरा-दिल्ली	1	कार द्वारा
18.	31.8.94 से 2.9.92	दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	2	10192
19.	3.9.94	दिल्ली-हिसार-दिल्ली	1	राज्य सरकार के एयरक्राफ्ट द्वारा
20.	4.9.94	दिल्ली-रेवाड़ी-दिल्ली	1	कार द्वारा
21.	8.9.94 से 12.9.94	दिल्ली-बंबई-पूणे-बंबई-दिल्ली	3	6736
22.	15.9.94 से 17.9.94	दिल्ली-कोचीन-त्रिवेन्द्रम मद्रास-कलकत्ता-दिल्ली	3	19441
23.	22.9.94 से 26.9.94	दिल्ली-हावड़ा-भुवनेश्वर दिल्ली	4	4797
24.	12.10.94 से 14.10.94	दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	2	10192
25.	15.10.94	दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	1	10192
26.	21.10.94 से 26.10.94	दिल्ली-कलकत्ता-भुवनेश्वर-दिल्ली	6	4797
27	4.11.94 से 11.11.94	दिल्ली-कलकत्ता-भुवनेश्वर दिल्ली	7	5696
28.	18.11.94 से 19.11.94	दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	1	
29.	20.1194 से 21.11.94	दिल्ली-बंगलौर-दिल्ली	1	
30.	22.11.94 से 23.11.94	दिल्ली-भुवनेश्वर-दिल्ली	2	
31.	26.11.94 से 2.12.94 30.11.94	दिल्ली-भुवनेश्वर-कलकत्ता-गुवाहाटी-कलकत्ता-भुवनेश्वर-दिल्ली	7	30,000
32.	5.12.94 से 6.12.94	दिल्ली-मद्रास-बंबई-दिल्ली	2	
		योग	80	2,05,498
		देश के बाहर के दौरे		
1.	25.6.94 से 9.7.94	यू.के. और यू.एस.ए.	14	1,01,090
2.	1.10.94 से 11.10.94	जापान	10	87,775
		योग	24	1,88,865

एल पी जी डीलर

2329. **डा. सुधीर राय** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडियन आयल कारपोरेशन भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन के लिए पश्चिम बंगाल में नये एल पी जी डीलर नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां ये डीलर नियुक्त किए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में ऐसे डीलरों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). पश्चिमी बंगाल के लिए चालू विपणन योजना 1992-94 के अन्तर्गत 34 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें (आई.ओ.सी.- 25, एच.पी.सी.-6 एवं बी.पी.सी. -3) सम्मिलित की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन कार्य तेल चयन बोर्ड के माध्यम से चल रहा है। विज्ञापन जारी होने के पश्चात डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में लगभग 1-2 वर्ष का समय लग जाता है।

संयुक्त उद्यम

2330. **श्री राम कापसे** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन की सरकारों के बीच चीन, भारत और किसी अन्य देश में तेल की खोज एवं उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने पर सहमति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). भारत और चीन भाग तेल के उत्पादन, भूकम्पीय सर्वेक्षण वेधन, तेल/गैस उत्पादन और इसके संसाधन तथा पैट्रोलियम उपस्कर निर्माण, डिजाइन, इंजीनियरिंग और तेल/गैस पाइपलाइन, रिफाइनरियों के निर्माण आदि सहित पैट्रोलियम के विकास में सहयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं।

जासूसों की गिरफ्तारी

2331. **श्री जनार्दन मिश्र** :
श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान देश में एक महिला सहित कई जासूस गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके पास से क्या-क्या आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उनके विरूद्ध अब तक कुछ कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). इस मामले में ब्यौरे प्रकट करना जनहित में नहीं होगा।

आई.एस.आई. द्वारा हिमाचल प्रदेश के युवकों को भर्ती किया जाना

2332. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "आई.एस.आई. बिड टु रिक्रूट एच.पी. थूथ्स थ्रू मदरसाज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आई.एस.आई. की इस गतिविधि को रोकने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). हिमाचल प्रदेश में 32 मदरसे चल रहे हैं। तथापि, इन संस्थाओं द्वारा कट्टरतावादी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिए जाने या उग्रवाद की अवधारणाएं सिखाए जाने अथवा भारत-विरोधी दुष्प्रचार किए जाने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

दार्जिलिंग का भारत में विलय

2333. **श्री चित्त बसु** :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 सितम्बर, 1994 के "एशियन एज" में "दार्जिलिंग इज स्टिल नोट ए पार्ट ऑफ इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दार्जिलिंग भारत का अभिन्न अंग है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

पश्चिम बंगाल में खुदाई क्रिया-कलाप

2334. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
प्रो. सुशांत चक्रवर्ती :
श्री सुधीर गिरि :
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिमी बंगाल में अपने खुदाई क्रिया-कलापों में कमी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग

2335. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अगस्त, 1994 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र की तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करने के स्थान पर अपनी बिक्री के मामले में उनके साथ सहयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसका सरकारी उपक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). कुछ पैट्रोलियम उत्पादों के विपणन के उदारीकरण को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने स्नेहकों के निर्माण तथा विपणन के लिए निम्नलिखित संयुक्त-उद्यम कंपनियां बनायी हैं :-

1. आई ओ सी एण्ड मोबिल (इंडो-मोबिल)
2. बी पी सी एंड शेल (भारत-शेल)
3. आई बी पी एंड काल्टेक्स (आई बी पी-काल्टेक्स लि.)
4. आई ओ सी, बामर लारी एण्ड नायको
5. बामर लारी एण्ड फचस

भारत-शेल ने बी पी सी की सहायता से 7250 एम टी एल पी जी का आयात किया है। आई बी पी-काल्टेक्स ने भी एल पी जी के विपणन के क्षेत्र में प्रवेश करने तथा पत्तन सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनायी है। हल्दिया में आयात सुविधाओं के विकास के लिए आई जो सी ने मोबिल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। इसी प्रकार आधारभूत सुविधा के विकास के लिए एच पी सी संयुक्त उद्यम के कंपनी के निर्माण हेतु कुछ विदेशी कंपनियों सहित कतिपय निजी क्षेत्र की पार्टियों के साथ चर्चा कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने मिट्टी के तेल के आयात के लिए 7। पार्टियों के साथ तथा एल पी जी के आयात के लिए ।। पार्टियों के साथ इन उत्पादों के आयात के लिए अपनी सुविधाओं के प्रयोग हेतु उनको अनुमति देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ ऐसे संबंध, संबद्ध क्षेत्रों में सर्वोत्तम संभव प्रौद्योगिकी तथा पूंजी की आय को प्राप्त करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। इन संबंधों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों उन विदेशी कंपनियों के साथ प्रभावी तरीके से प्रतियोगिता करने में समर्थ हो पाएंगे जो देश में उन क्षेत्रों में भी प्रवेश करेंगे जिन्हें उदार बना दिया गया है। उन संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी होगा।

भोजपुर राज्य

2336. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजपुर क्रांति परिषद, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बनारस डिवीजन तथा पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक अलग भोजपुर राज्य बनाए जाने की मांग करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) भारत द्वारा ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयात शुल्क की अदायगी

2337. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने जुलाई, 1992 में वल्कनाइज्ड रबड़ से बनी "कन्टेनर बेल्ट" का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयात शुल्क की गलत दर लगाए जाने के कारण अधिक राशि अदा करनी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, नहीं। किन्तु, कोल इंडिया लि. ने ।। सैट के सेपलाइसिंग किट् के साथ स्टील कोर्ड 2300 मीटर तथा कलपुर्जों का एक सैट जर्मनी से जुलाई, 1992 में एफ.ओ.बी. जर्मन पत्तन 1640230 डच मार्क की लागत पर (जुलाई, 1992 में पत्तन परिवहन और दिनांक 4.8.1992 को कलकत्ता पत्तन में प्रवेश के साथ) आयात किया गया था।

(ग) और (घ). कलकत्ता सीमा शुल्क/कलकत्ता पत्तन से 2300 मोटर बॉल्टगस की निकासी करते समय, अनुषंगी सीमा-शुल्क तथा समान रूप का सीमा-शुल्क क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत दर प्रभारित की गई और सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 125/92 के अनुसार क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत की दर के एवज् में अदायगी की गई। इसके परिणामस्वरूप 65,96,204.00 रु. तक की सीमा शुल्क की अधिक राशि की अदायगी की गई। कोल इंडिया लि. ने नवम्बर, 93 में उपरोक्त सीमा-शुल्क की अधिक राशि की अदायगी को वापस प्राप्त करने के लिए कलकत्ता पत्तन से वापसी शुल्क प्राप्त करने संबंधी दावा प्रस्तुत किया है और सीमा-शुल्क की उक्त राशि को वापस प्राप्त करने के लिए कंपनी इस मामले को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के साथ उठा रही है।

[अनुवाद]

सिंचाई क्षमता

2338. श्री मंजय लाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक कुल कितने हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की गई है;

(ख) इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई;

(ग) देश में कृषि योग्य कुल कितनी हेक्टेयर भूमि असिंचित है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने शेष कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाएंगे;

(च) क्या सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश आमंत्रित करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). वृहद एवं मझौली तथा लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की पिछले दो वर्षों के दौरान उपलब्धि और चालू वर्ष के लिए लक्ष्य तथा उन पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	सृजित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (मिलियन हेक्टेयर)	परिव्यय/व्यय (करोड़ रुपए)
1992-93	1.92	4041.91
1993-94	2.04 (प्रत्याशित)	4338.89 (संशोधित परिव्यय)
1994-95	2.77 (लक्ष्य)	5698.46 (अनुमोदित परिव्यय)

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 1990-91 की "भूमि उपयोग सांख्यिकी" में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, अनुमानित 184.35 मिलियन हेक्टेयर कुल कृषि योग्य क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र लगभग 47.43 मिलियन हेक्टेयर था, 136.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बिना सिंचित ही रह गया था।

(घ) आठवीं योजना (1992-97) में 15.8 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य नियत किया गया है।

(ङ) लक्ष्य प्राप्त करने की नीति में अन्य बातों के साथ ये शामिल हैं :—

(i) निर्माणाधीन वृहद एवं मझौली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता,

(ii) वृहद एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की अधिक भागीदारी,

(iii) बड़ी संख्या में निर्माणाधीन सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना और

(iv) सतही तथा भूजल का संयुक्त प्रयोग।

(च) और (छ). उन वृहद एवं मझौली परियोजनाओं, जिनमें अधिक पूंजी लगती है, का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु तृतीय स्तर पर प्रणाली के अनुरक्षण और जल के वितरण तथा जल दरों की वसूली के कार्य को जल प्रयोगकर्ता संघों और निगमों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

कोयला प्रबंधन संस्थान

2339. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1994 के नवभारत टाइम्स में "कर्ज लेकर घी पी रहा है कोल इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. के अधीन एक और कोयला प्रबंधन संस्थान खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. अपने कर्मचारियों को आयकर और बोनस नहीं दे रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) दिनांक 15.11.1994 को "नवभारत टाइम्स" के पटना संस्करण से संबंधित अखबार की मद का अवलोकन कर लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां वार्षिक उत्पादन/उत्पादकता बोनस तथा तिमाही हाजिरी बोनस की अपने कर्मचारियों को अदायगी करती रही है। वर्ष 1993-94 के लिए वार्षिक बोनस के करार को अंतिम रूप दिए जाने तक वर्ष 1992-93 के बोनस के लगभग समान राशि में अदायगी कर दी गई है। देय होने की स्थिति में आयकर की भी अदायगी की जा रही है।

(घ) और (ङ). उपरोक्त (ग) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

मंत्री के दौरे

2340. श्री सुधीर गिरि : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय कितने-कितने दिनों के लिए देश और विदेश की यात्राओं पर गए;

(ख) इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्र सरकार के बजट से वहन किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह धनराशि किस स्रोत से खर्च की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चालू वित्त वर्ष के दौरान जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किए गए दौरों तथा उन पर हुए व्यय का ब्यौरा

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	दौरे का स्थान	मार्गस्थ अवधि सहित दौरों की अवधि	हुआ व्यय (प्राप्त किए गए बिलों के अनुसार)
1	2	3	4
क. दौरे -घरेलू			
1.	कुरूक्षेत्र	1.4.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
2.	बम्बई	7.4.94	7,708.00
3.	जयपुर	10.4.94	1,704.00
4.	अमृतसर	13.4.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
5.	मद्रास	17.4.94	10,249.00
6.	पटना, मुंगेर, कलकत्ता	24.4.94	2,614.00
7.	चंडीगढ़	8.5.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
8.	भिवानी	25.5.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
9.	भोपाल	26.5.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
10.	कानपुर	28.5.94 से 29.5.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
11.	दामोह, पथरिया, खजुराहो	1.6.94 से 4.6.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
12.	गुवाहाटी	5.6.94 से 6.6.94	8,846.00
13.	रायपुर	16.6.94 से 20.6.94	10,976.00
14.	ओरंगाबाद, बंबई	21.6.94	1,007.00
15.	बंबई, बंगलौर, मणिपाल, त्रिवेंद्रम	29.6.94 से 30.6.94	4,827.00
16.	रायपुर, भोपाल	3.7.94 से 5.7.94	2,744.00
17.	बिलासपुर, रायपुर	15.7.94 से 17.7.94	2,744.00
18.	खुर्जा	18.7.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया

1	2	3	4
19.	भोपाल पथरिया	22.7.94 से 23.7.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
20.	नागपुर, रायपुर	6.8.94 से 7.8.94	3,279.00
21.	लखनऊ, फैजाबाद, रायपुर	13.8.94 से 15.8.94	4,741.00
22.	रायपुर	29.8.94 से 2.9.94	6.558.00
23.	वाराणसी, चंदौली	3.9.94 से 4.9.94	2,065.00
24.	सरसावा, हथनीकुंड,	6.9.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
25.	खुजराहो, पाथिरया	8.9.94 से 11.9.94	3,176.00
26.	पुणे	12.9.94 से 13.9.94	10,284.00
27.	रायपुर	14.9.94 से 18.9.94	6,558.00
28.	कानपुर, कन्नौज	26.9.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
29.	रायपुर	14.10.94 से 19.10.94	3,176.00
30.	बंबई	22.10.94	3,854.00
31.	खुजराहो, पाथिरया	2.11.94 से 5.11.94	15,024.00
32	रायपुर	8.11.94 से 10.11.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
33.	रायपुर	22.11.94 से 24.11.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
ख.	**दौरे-विदेश**		
1.	टोक्यो, हिरोशिमा, हांगकांग	30.9.94 से 12.10.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
2.	तेल अवीव, कैरो, दुबई	12.11.94 से 20.11.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया
3.	मेक्सिको शहर	28.11.94 से 5.12.94	बिल का अभी निपटान नहीं किया गया

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

2341. श्री ललित उरांव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्टूबर, 1994 के "हिन्दुस्तान" (पटना संस्करण) में "एफ.सी.आई. को कोयले की आपूर्ति में भारी घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें भी मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). को.इं.लि. से प्राप्त सूचना के आधार पर भारत कोकिंग कोल लि. की बस्ताकोलिया कोलियरी की लीबर्टी-विक्टरी साइडिंग में 44 बाक्स का एक रैक मुहैया किया गया था। यह रैक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के परीचा तापीय विद्युत गृह के लिए था, किन्तु रेलवे द्वारा इसे भारतीय उर्वरक निगम की सिन्ध्री यूनिट को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस रैक से नमूने कोयला नियंत्रक द्वारा लिए गए थे। इन नमूनों के विश्लेषणों को, उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की अदायगी किए जाने के लिए, एक आधार के रूप में माना जाएगा।

किन्तु, स्थानीय पुलिस द्वारा रैक में आपूर्ति किए गए कोयले की निम्न मात्रा के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिस शिकायत के आधार पर संबंध कोलियरी के सहायक प्रबंधक और लदान कार्य पर कार्यरत चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भा.को.को.लि. की बस्ताकोलिया कोलियरी क्षेत्र के कई कर्मचारियों के विरूद्ध भी जालसाजी का एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। को.इं.लि. से प्राप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों को बाद में पटना उच्च न्यायालय की (रांची खंडपीठ) द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय के अधीन है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का जलना

2342. **श्री अमल दत्त : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पैट्रोलियम क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस जल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार अनुमानतः कितनी गैस जली है; और

(ग) क्या सरकार ने जलाई जा रही प्राकृतिक गैस का उपयोग में लाने हेतु कोई कदम उठाये हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 में गैस का क्षेत्रवार दहन निम्नानुसार था :—

	एमएम एससीएमडी
पश्चिमी अपतट	2.42
गुजरात	0.70
दक्षिणी भारत	0.20
उत्तर-पूर्व	1.95

(ग) जिस गैस को फिलहाल जलाया जा रहा है उस गैस का प्रयोग करने के लिए किए गए उपायों में अलग-क्षेत्रों में ग्राहकों की पहचान तथा संपीडन एवं परिवहन के लिए वांछित सुविधाओं को स्थापित करना शामिल है।

आकाशवाणी

2343. **श्री एन.जे. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी की बाह्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क)और(ख). जी, हां। इस स्कीम में आठवीं योजना अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु उपयोग किए जा रहे कुछ मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति के उन्नयन के साथ-साथ अतिरिक्त ट्रांसमीटरों को स्थापित किया जाना शामिल है।

प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार

2344. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में वाराणसी में उप रसोई गैस संयंत्र के निर्माण हेतु भूमि का अधिगृहण किया गया था और उस प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था और उनमें से कितने परिवारों को रोजगार दिया गया; और

(ग) शेष परिवारों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वाराणसी में एल पी जी संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय भूमि छोड़ने वालों को रोजगार देने के लिए आई ओ सी द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। तथापि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को यह सलाह दी गई थी कि भूमि छोड़ने वाले प्रत्येक परिवार के एक मात्र सदस्य को रोजगार देने के बारे में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता-मानकों को पूरा करना हो, रिक्तियां उपलब्ध हों और संबंधित रोजगार केन्द्र के माध्यम से सिफारिश की जाए।

(ख) और (ग). 71 परिवारों से भूमि अधिग्रहीत की गई। जिला प्रशासन द्वारा प्रायोजित 32 नामों में से केवल 20 नाम रोजगार केन्द्र द्वारा प्रायोजित थे, जिनमें से 18 उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया है। जहां तक बाकी दो का संबंध है, उनमें से एक की आयु कम थी और दूसरा उस प्रभावित परिवार का दूसरा सदस्य था, जिसके एक सदस्य को पहले ही रोजगार दे दिया गया था।

विदेशी कंपनियों को तेल क्षेत्र का दिया जाना

2345. **श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सम्भावित तेल क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 13 लघु आकार के तथा पांच मध्यम आकार के तेल/गैस क्षेत्रों के विकास से संबंधित संविदाओं के एवार्ड को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है :-

लघु आकार के क्षेत्र

कंपनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
1	2
गुजरात स्टैट पेट्रोकेमीकल्स कारपोरेशन लि. (जी एस पी सी एल) अहमदाबाद	हजीरा, कैम्बे, भन्डुत मतार और साबरमती
निको रिसोर्सिस कनाडा	(संविदा हस्ताक्षरित)
सेलन एक्सप्लोरेसन टेक. लि. नई दिल्ली	ईदंरोरा, बकरोल तथा लोहर
लारसेन एण्ड टुब्रो, बाम्बे-जोसी टैकनोलोजी यू.एस.ए	धोल्का, बेवेल

1	2
इन्टरलिंक ज्योफिज़का, बड़ौदा	बाओल
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेसन कंपनी (एच ओ ई सी), बड़ौदा-सोसबेघर इनर्जी कं. यू.एस.ए. पेट्रोडाइन इंक, यू एस ए	पी वाई-1
एच ओ ई सी, बड़ौदा, जी एस पी सी एल अहमदाबाद पेट्रोडाइन इंक, यू एस ए	असंजोल

मध्यम आकार के क्षेत्र

कंपनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
एनरोन, यू एस ए-रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत	मध्य और दक्षिण तापती मुक्ता और पन्ना
वीडियोकान पैट्रोलियम लि. भारत कंमाड पैट्रोलियम (इंडिया) प्रा. लि. आस्ट्रेलिया और रावा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि.	रावा(ठेके पर हस्ताक्षर हो गये हैं)
कंपनी जियोफाइनेंससियर, फ्रांस-एनप्रो सर्विसेज भारत	खरसांगे

निजी पार्टियों को ये क्षेत्र प्रस्तावित करने के मुख्य कारण यह हैं :—

- इन क्षेत्रों से शीघ्र उत्पादन करके तेल/गैस के उत्पादन में वृद्धि करना।
- कम भंडारों वाले क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्रों का विकास करना, जो खाली किए जा चुके हैं और जिनके लिए संवर्द्धित तेल निकासी प्रक्रिया की आवश्यकता है।
- ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, जो विदेशी कंपनियां संभवतः अपने साथ लेकर आई हों।
- चूंकि कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए प्रर्याप्त मात्रा में निवेश की आवश्यकता पड़ती है इसलिए निजी निवेश आकर्षित करना ताकि राष्ट्रीय तेल कंपनियों के संसाधनों का उपयोग अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों में किया जा सके।

तेल उद्योग विकास बोर्ड की धनराशि का निवेश

2346. **श्री पी. कुमारासामी :**
श्री राम कापसे :
श्री गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1992 की प्रथम छमाही में तेल उद्योग विकास बोर्ड की धनराशि के निवेश में बरती गई कथित अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जाएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). सिंडीकेट बैंक के साथ ओ आई जी बी के धन के निवेश में कथित अनियमितताओं की जांच सी बी आई द्वारा आयोजित की गई है। यह मामला सी बी आई द्वारा जांच के अधीन है।

वन्य जीवों की खाल का अवैध व्यापार

2347. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने वन्य जीवों की खाल का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां. तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन खालों को तस्करी करके देश के बाहर ले जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नवम्बर, 1994 और दिसम्बर, 1994 (15.12.94 तक) के दौरान क्रमशः विनय नगर, केशवपुरम पुलिस थाने में एक-एक और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में दो, कुल मिलाकर चार मामले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (1) (ग) के अधीन दर्ज किए गए और इस संबंध में चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए इन व्यक्तियों के पास से तेंदुए की 11 खालें, शेर की 16 खालें, तेंदुए की हड्डियां 3.2 कि.ग्रा. और शेर की 5 नकली खालें बरामद की गई जिनकी कीमत लगभग एक करोड़ बीस लाख रुपए है। इन चार मामलों के अलावा, वन्य जीव उत्पादों जैसे-सांप की खालों, तेंदुए एवं चीते की खालों और शेर के पंजों के पकड़े जाने से संबंधित चार अन्य मामले भी, जनवरी, 94 में एक, फरवरी, 94 में दो और जुलाई, 94 में एक, क्रमशः कमला मार्केट, गोकुलपुरी, बाड़ा हिन्दूराव और शंकरपुर में दर्ज किए गए थे।

(घ) आसूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए डिवीजन/बीट स्टाफ को चुस्त किया गया है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

2348. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय जनसंचार संस्थान की शाखाएं कहां-कहां हैं; और

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस संस्थान की शाखाएं कहां-कहां खोली जायेंगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के अलावा इस संस्थान की एक शाखा धेनकनाल, उड़ीसा में स्थित है। कोट्टायाम, केरल में स्थित संस्थान की शाखा शीघ्र ही प्रचालन में लाई जा रही है।

(ख) मध्य प्रदेश में झाबुआ और नागालैण्ड में दीमापुर ऐसे अन्य स्थान हैं जहां संसाधनों की उपलब्धता के अधीन की शाखाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

2349. डा. जयंत रंगप्पी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या और उन्हें दिए गए ऋण/सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी सहायता प्रदान की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) असम से कितने आवेदन-पत्र इस समय निगम के विचाराधीन हैं; और

(घ) असम के जनजातीय और पहाड़ी जिलों में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए निगम ने क्या कदम उठाए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं को दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण III में हैं।

(ग) असम के तीन आवेदन पत्रों पर इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(घ) असम राज्य में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम राज्य स्तर की माध्यम एजेंसियों के साथ नियमित सम्पर्क रखता है। असम मैदानी आदिवासी विकास निगम के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम आदिवासी सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी सदस्यों को सतत आधार पर आय प्रदान करने के लिए आदिवासी सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड को दो योजनाएं (जावा सिट्रोनला) भारतीय स्वीकृत की गई हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92			1992-93			1993-94		
		योजना की सं.	परियोजना लागत	एनएसएफडीसी का भाग	योजना की सं.	परियोजना लागत	एनएसएफडीसी का भाग	योजना की सं.	परियोजना लागत	एनएसएफडीसी का भाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	असम	09	105.74	75.43	28	740.45	408.61	03	30.43	15.84
2.	आंध्र प्रदेश	01	26.50	19.50	04	1143.60	593.90			
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	01	2.58	1.50
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01	23.21	13.45	–	–	–	–	–	–
5.	बिहार	04	349.47	233.95	05	772.30	439.00	05	198.92	111.15
6.	चण्डीगढ़	–	–	–	03	111.65	67.38	–	–	–
7.	दिल्ली	01	205.00	112.50	09	741.20	349.17	–	–	–
8.	गुजरात	–	–	–	08	867.00	491.50	09	732.25	419.42
9.	गोवा	03	7.90	3.35	08	23.15	12.71	01	1.46	0.73
10.	हरियाणा	01	90.00	53.00	02	49.00	34.25	01	21.40	10.80
11.	हिमाचल प्रदेश	03	297.70	202.76	03	209.98	75.27	–	–	–
12.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	02	67.50	47.25	02	46.15	32.30
13.	कर्नाटक	07	664.72	136.23	26	1143.96	560.48	10	385.31	44.57
14.	केरल	01	46.90	23.00	12	1276.00	741.72	–	–	–
15.	मिजोरम	12	159.04	93.20	34	253.26	131.87	04	12.02	6.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	03	60.44	31.04	25	313.62	169.76	01	21.00	10.50
17.	मध्य प्रदेश	04	445.55	218.40	09	2555.05	1118.17	01	100.00	46.25
18.	महाराष्ट्र	02	10.60	6.26	24	1603.96	850.71	05	201.70	118.45
19.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	02	12.72	7.26
20.	नागालैंड	09	35.68	22.64	44	342.33	134.50	07	19.19	10.33
21.	उड़ीसा	13	555.25	276.76	15	1613.62	919.36	–	–	–
22.	पंजाब	01	406.00	284.20	04	1013.96	526.99	–	–	–
23.	पांडिचेरी	01	19.80	14.85	–	–	–	05	25.55	15.33
24.	राजस्थान	06	31.33	15.92	09	310.87	165.32	19	499.10	237.55
25.	त्रिपुरा	02	22.34	11.18	21	225.47	111.41	–	–	–
26.	तमिलनाडु	03	157.33	67.95	05	4110.60	965.77	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	03	472.06	321.69	01	570.00	285.00	04	605.30	379.20
28.	प. बंगाल	07	256.26	165.45	08	588.80	296.06	06	47.12	20.60
	कुल	97	4438.90	2402.71	297	20717.33	9526.64	86	2982.15	1488.13

विवरण–II

राज्यवार संस्वीकृतियों के ब्यौरे

01.04.1994 से 30.11.94

(रुपये लाखों में)

क्र.स.	राज्य/संघ	योजनाओं की सं.	योजनाओं की लागत	एनएसएफ डीसी का भाग
1	2	3	4	5
1.	असम	8	154.40	81.29
2.	आन्ध्र प्रदेश	2	184.15	94.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	0.00	0.00
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	0.00	0.00
5.	बिहार	–	0.00	0.00
6.	चंडीगढ़	2	87.39	49.85
7.	दिल्ली	1	19.68	14.40
8.	गुजरात	4	217.25	123.85
9.	गोवा	1	0.60	0.30
10.	हरियाणा	–	0.00	0.00
11.	हिमाचल प्रदेश	10	322.18	174.30
12.	जम्मू और कश्मीर	–	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	1	970.00	69.00
14.	केरल	5	307.50	188.50
15.	मिजोरम	–	0.00	0.00
16.	मणिपुर	–	0.00	0.00
17.	मध्य प्रदेश	3	225.00	124.00
18.	महाराष्ट्र	13	706.56	411.79
19.	मेघालय	1	8.29	4.65
20.	नागालैंड	8	121.26	72.84
21.	उड़ीसा	–	0.00	0.00
22.	पंजाब	–	0.00	0.00
23.	पांडिचेरी	–	0.00	0.00
24.	राजस्थान	14	407.19	279.21
25.	त्रिपुरा	–	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	1	396.60	99.20
27.	उत्तर प्रदेश	5	695.00	382.88
28.	पश्चिम बंगाल	7	23.45	7.29
		86	4846.70	2176.25

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	एन.एस.एफ. डी.सी.का भाग	लाभग्राहियों की संख्या
1.	असम	50	1182.36	694.57	4811
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	4.33	2.40	7
3.	मणिपुर	29	395.06	211.30	493
4.	मिजोरम	53	533.67	314.72	1190
5.	मेघालय	3	21.01	11.91	25
6.	नागालैंड	68	518.40	240.31	673
7.	त्रिपुरा	27	382.61	209.94	499

भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजना

2350. श्री राम कापसे : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने आगामी पांच वर्षों के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) बी पी सी एल द्वारा शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :—

	परियोजनाएं	अनुमानित निवेश (करोड़ रुपये में)	पूरे किए जाने की संभावित तारीख
(1)	बम्बई-मनमाड उत्पाद पाइपलाइन	398.62	सरकार के अनुमोदन की तारीख से 36 माह।
(2)	कोचीन-करूर उत्पाद पाइपलाइन	493.80	सरकार के अनुमोदन से 36 माह।
(3)	सैंट्रल इंडिया रिफाइनरी (सी आई आर) से कानपुर उत्पादन पाइपलाइन	509.60	सरकार के अनुमोदन से 36 माह।
(4)	एच एस डी डीसल्फयूराइजेशन यूनिट	350.00	मार्च, 1998
(5)	सीसामुक्त गैसोलीन फार बम्बई (एम टी बी ई)	32.70	नवम्बर, 1995
परियोजना			
(6)	अतिरिक्त उत्पाद भण्डारण	93.37	जून, 1997
(7)	न्हावा-शिवा में एल पी जी की आयात सुविधाएं	63.00	सरकार के अनुमोदन की तारीख से 48 माह।
(8)	नए एल पी जी भराई संयंत्र	96.00	जून, 1997
(9)	सिक्का में विपणन टर्मिनल	603.30	सरकार के अनुमोदन की तारीख से 42 माह
(10)	सी आई आर में उत्पाद टर्मिनल	391.43	-तदैव-
	संयुक्त उद्यम परियोजनाएं		
(1)	ओमान आयल कं. के साथ संयुक्त उद्यम (केन्द्रीय भारत शोधशाला परियोजना)	551.00*	-तदैव-
(2)	आई बी पी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी(मुमालीगढ़ रिफाइनरी)	275.00*	-तदैव-
(3)	स्नेहकों आदि के विपणन के लिए मैसर्स शैल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी	63.70*	दिसम्बर, 1996
(4)	पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए संरचना सुविधाओं के लिए जी जी सी एल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी	100.00*	मार्च, 1997

(*) बी पी सी एल की शेयर इक्विटी को दर्शाता है।

इस्लामिक विश्वकोश

2351. श्री राम नाईक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को कोजीकोड में एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित इस्लामिक विश्वकोश नामक पुस्तक पर रोक लगाने और इसके प्रकाशन के विरूद्ध कार्यवाही करने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने केरल राज्य सरकार को सलाह दी है कि इस्लामिक इनसाईक्लोपीडिया के प्रकाशक के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करे। राज्य सरकार ने इस पुस्तक को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रकाशकों के कार्यालय पर छापा मारा गया और पुस्तक की अनेक प्रतियां जब्त की गयी। प्रकाशक के खिलाफ द.प्र.सं. की धारा 124 क, 153 क, 153 ख और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है।

रसोई गैस सिलेण्डरों की चोरी

2352. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1994 के कानपुर से प्रकाशित दैनिक जागरण में उत्तर प्रदेश में पनकी में इंडियन बोटलिंग प्लांट से गैस सिलेण्डरों की चोरी के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अंतर्गत एक प्राथमिकी थाना पनकी (कानपुर) में दर्ज कराई गई है और इस मामले की जांच की जा रही है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

[हिन्दी]

तेल उत्पादन

2353. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न विदेशी तेल कंपनियों के नाम क्या है जो अपने पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा तेल उत्पादन के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और प्रबंध तकनीक उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश में तेल उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी कार्य-कलापों से जुड़ी हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके परिणामस्वरूप देश में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के कार्य-कलापों की सीमा निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) रावा क्षेत्र के विकास के लिए उत्पादन हिस्सेदारी ठेके पर हस्ताक्षर करने वाले परिसंघ में जो विदेशी तेल कंपनियां सदस्य हैं वे हैं-कमांड पैट्रोलियम (इंडिया) प्रा. लि. आस्ट्रेलिया और संवा आयल(सिंगापुर) प्रा. लि., सिंगापुर। नीको रिसोसेज, कनाडा ने गुजरात राज्य पेट्रोरसायन कार्पोरेशन अहमदाबाद के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत गुजरात में पांच लघु आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी घुसपैठिए

2354. श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान भारत-बंगलादेश सीमा पर क्षेत्र-वार अलग-अलग कितने विदेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं;

(ख) इसमें कितने घुसपैठियों को वापस बंगलादेश भेज दिया गया है;

(ग) बंगलादेश प्राधिकारियों को औपचारिक रूप से कितने घुसपैठिए सौंपे गए हैं; और

(घ) मुकदमा चलाने हेतु स्थानीय पुलिस को कितने घुसपैठिए सौंपे गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ). उपलब्ध, संबंधित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	राज्य	पकड़े गए कुल	वापस भेजे गए	बंगलादेश राईफल को सुपुर्द किए गए	पुलिस को सुपुर्द किए गए
1993	पं. बंगाल	29940	21418	5759	2763
	असम	1281	1087	37	157
	मेघालय	395	45	2	348
	मिजोरम	8	0	0	8
	त्रिपुरा	773	187	1	585
	योग	32397	22737	5799	3861
1994	पं. बंगाल	19755	15527	1173	3055
(अक्तू तक)	असम	867	732	32	103
	मेघालय	349	59	67	223
	मिजोरम	3	0	0	3
	त्रिपुरा	1169	761	15	393
	योग	22143	17079	1287	3777

[अनुवाद]

भू-कटाव

2355. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जल अधिग्रहण क्षेत्रों में भू-कटाव की सीमा और प्रभावों के निर्धारण हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) जल अधिग्रहण क्षेत्रों में भू-कटाव रोकने हतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). देश के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि कटाव की सीमा का आकलन कृषि मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग संगठन द्वारा प्राथमिकता रूप रेखा सर्वेक्षण के जरिए किया जाता है। वर्ष 1993-94 तक सर्वेक्षण किया गया कुल क्षेत्र 97.1 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें देश के 44 जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं। इसमें से 25.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र "क्रान्तिक क्षेत्र" अभिज्ञात किया गया है जहां बहुत अधिक कटाव होता है।

(ग) देश के 18 राज्यों में फैले 37 जलग्रहण क्षेत्रों में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (क) नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण में मृदा संरक्षण और (ख) बाढ़ प्रवण नदियों में एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध, कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग संगठन द्वारा अभिज्ञात किए गए बुरी तरह से कटे जल विभाजकों का उपयुक्त मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा उपचार किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1993-94 तक लगभग 662 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 35.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है। नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के कारण संभवतः प्रभावित होने वाली भूमि के उपचार के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों में उपचार के इन उपायों का सुझाव दिया गया हैं (I) जलमग्नता के कारण प्रभावित भूमि और (II) परियोजना गतिविधियों के कारण प्रभावित भूमि। इसमें सीधे निष्कासन क्षेत्रों में उप-जल विभाजक के उपचार के उपाय भी सुझाये गये हैं। यह भी सुझाया गया है कि (क) जलमग्नता के कारण प्रभावित भूमि (ख) परियोजना गतिविधियों के कारण प्रभावित भूमि और (ग) 2500 हेक्टेयर तक के सीधे निष्कासन क्षेत्रों के उपचार के सम्बन्ध में लागत सम्बन्धित परियोजनाओं से ली जायेगी।

वृद्धों पर चर्चा

2356. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987 में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धों और उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत की ओर से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत की ओर से उन्होंने क्या विचार और संकल्प प्रस्तुत किए;

(ङ) इस सम्मेलन में पारित संकल्पों पर क्या निर्णय लिए गये;

(च) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, नहीं। फिर भी स्वास्थ्य नीति आचार नियम तथा मानव मूल्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में दिसम्बर, 1986 में आयोजित किया गया जिसमें "वृद्धों की देखभाल" पर एक गोल मेज विचार -विमर्श हुआ।

(ख) इस सम्मेलन ने सिफारिशें, की कि वृद्धों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए तथा पूर्ण आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय प्रयासों को संचालित, नियंत्रित, समन्वित और मानीटर करने के लिए राज्य को एक राष्ट्रीय वयोवृद्ध नीति अपनानी चाहिए।

(ग) से (ङ). प्रतिनिधि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, महानिदेशक सशस्त्र सेवादल चिकित्सा सेवाएं, भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, परिवार नियोजन फैडरेशन तथा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान से थे। सम्मेलन में सिफारिश की कि वृद्धों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए तथा पूर्ण आर्थिक .सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय प्रयासों को संचालित नियंत्रित, समन्वित और मॉनिटर करने के लिए राज्य को एक राष्ट्रीय वयोवृद्ध नीति अपनानी चाहिए।

(च) तथा (छ). इस प्रकार का काई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है।

नागरिकता प्रदान करना

2357. श्रीमती बिभू कुमारी देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगलादेश के बीच हुए इन्दिरा-मुजीब समझौते के समय मार्च, 1971 के बाद त्रिपुरा में कितने व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है;

(ख) नागरिकता प्रदान करने हेतु पात्रता का निर्णय करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में त्रिपुरा की आबादी में हुई बेहिसाब वृद्धि की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घुसपैठियों को आने से रोकने हेतु और उन्हें अपने देश को वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

तिब्बती लोगों को हथियार देना

2358. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तिब्बती लोगों को कतिपय तत्वों द्वारा हथियार दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तिब्बती लोगों को हथियार और कारतूस बेचने के लिये अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) अनजान व्यक्तियों और तिब्बती शिविरों में रहने वालों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में पुलिस स्टेशनों में पुलिस कार्मिकों को ब्रीफ किया गया है।

सास्ती ओपन कास्ट कोल माइन

2359. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत सास्ती ओपन कास्ट कोल माइन में हाल ही में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके जान और माल की कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(च) दोषी पाए गए कर्मिकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). वेस्टर्न कोफील्ड्स लि. की सस्ती ओपेनकास्ट खनन में कोई आग नहीं लगी थी। किन्तु इस खान में कार्यचालित उपकरण (ड्रैगलाइन) के इलैक्ट्रिकल में एक आग लगी थी।

(ग) बिजली की आग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। को.ई.लि. के अनुसार इलैक्ट्रिकल उपकरण की मरम्मत तथा प्रतिस्थापना पर लगभग 60 लाख रु. की लागत आने की संभावना है।

(घ) से (छ). प्रारंभिक जांच से यह पता चलता है कि बिजली की आग शार्ट सर्किट के कारण लगी थी। इसके बाद की आगे की कार्यवाही जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

परिषद सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा विश्वासघात

2360. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **गृह मंत्री** 12 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने परिषद सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंधकों द्वारा अपराधिक विश्वासघात करने संबंधी मामले की जांच पूरी कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसकी शिकायत करने वालों को इस मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में सूचित कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसकी जांच को पूरा करने में कितना समय लग जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अधीन थाना करोल बाग में दर्ज किए गए दोनों मामलों को 03 अगस्त, 1994 को मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय को भेजा जा चुका है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रॉ पैट्रोलियम कोक के मूल्य

2361. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय तेल निगम गुवाहाटी द्वारा रॉ पैट्रोलियम कोक के मूल्य में कमी किए जाने से पूर्व भारतीय तेल निगम बरौनी और भारतीय तेल निगम गुवाहाटी के रॉ पैट्रोलियम कोक के मूल्य समान थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तेल निगम, गुवाहाटी के साथ ही भारतीय तेल निगम, बरौनी के रॉ पैट्रोलियम कोक के मूल्य कम न करने के क्या कारण है;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम गुवाहाटी और भारतीय तेल निगम बरौनी के उपोत्पादों के मूल्य समान है; और

(ङ) यदि हां, तो जनवरी, 1994 से नवम्बर, 1994 तक भारतीय तेल निगम बरौनी और भारतीय तेल निगम गुवाहाटी के अलग-अलग वास्तविक विक्रय-आकड़ों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). आर पी सी एक मुक्त व्यापार उत्पाद है और इसका उत्पादन/विपणन करने वाली तेल कंपनी को इस उत्पाद को बाजार निर्धारित मूल्य पर बेचने की अनुमति है। सितंबर 1993 से आई ओ सी ने गोहाटी से अपना बिक्री मूल्य उस रिफाइनरी में अपनी उच्च सामान सूची परिसमाप्त करने के लिए 4250 रुपये प्रति मि.टन से घटाकर 3500 रुपये प्रति मि.टन कर दिया। गौहाटी और बरौनी में उत्पादित अन्य कोई उत्पाद मुस्त व्यापार उत्पाद नहीं हैं।

जनवरी-नवम्बर, 1994 के दौरान आई ओ सी द्वारा बिक्री किया गया आर पी सी बरौनी से लगभग 56 बी एम टी और गौहाटी से 76 टी एम टी था।

खनिज तारपीन का तेल

2362. **श्री पी.सी. चाको** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधन कारखाने को खनिज तारपीन के तेल का विपणन करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या देश में खनिज तारपीन के तेल का उपयोग किये जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोचीन रिफाइनरी के इस प्रस्ताव से केरल सरकार को लाभ होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी हां। रिफाइनरी में मूल्य संवर्धित उत्पाद के उत्पादन का लक्ष्य हैं।

(ग) और (घ). जी हां। एमटीओ के लिए पहचाने गए मुख्य अंत्य प्रयोग हैं- रंगो, लेकर्स और वार्निश के लिए साल्वेंट के रूप में पिगमेंट रंगों सहित टेक्टाइल प्रिंटिगं, तेल घुलनशील जंगरोधक, लीथोग्राफिक वार्निश, कीटनाशक, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग कम्पाउंडों के लिए साल्वेंट, ड्राई-क्लिनिंग के लिए साल्वेंट्, वाटर प्रूफिंग/वाईडिग/सीकिंग कम्पाउंडों के लिए डायल्यूटेंट, तेल कपड़ा निर्माताओं के लिए थिनर, आदि

(ङ) और (च). लोगों को बढ़े हुए रोजगार अवसरों, घटी हुई

वितरण लागत और बेहतर उपलब्धता के माध्यम से केरल सरकार को लाभ होगा।

समेकित आदिवासी विकास एजेंसियां

2363. प्रो. डम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में समेकित आदिवासी विकास एजेसियों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में, विशेष रूप से पश्चिम गोदावरी जिले में बड़ी संख्या में आदिवासियों को पिछले कई वर्षों से आवास सुविधाएं नहीं दी गयी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य ने राज्य में इन एजेंसियों द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है; और

(ङ) सरकार ने इन आदिवासियों को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) वर्ष 1991-92, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रदान की गई राशि में से, आन्ध्र प्रदेश समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों के लिए निर्धारित की गई राशि इस प्रकार हैं :

1991-92	813.60
1992-93	813.60
1993-94	860.56
1994-95(अब तक)	427.64

(ख) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्रतीक्षित है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी हाल में केन्द्र सरकार द्वारा इन समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ध) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

नदियों का "हाइड्रो-मेट" नेटवर्क

2364. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन नदियों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके जल-प्रवाह का पता लगाने के लिए "हाइड्रो-मेट" नेटवर्क के अंतर्गत रखा गया है;

(ख) क्या "हाइड्रो-मेट" नेटवर्क में काम आने वाले सभी उपकरणों का निर्माण देश में ही किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशों से किन-किन उपकरणों का आयात किया जाता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार ने जल के प्रवाह का पता लगाने के लिए भारत को निम्नलिखित 12 वृहद नदी प्रणालयों में हाइड्रोमेट नेटवर्क स्थापित किया है : (1) गंगा-ब्रह्मपुत्र-बराक (2) साबरमती (3) माही (4) नर्मदा (5) तापी (6) ब्राह्मणी (7) महानदी (8) गोदावरी (9) कृष्णा (10) पेन्नार (11) कावेरी (12) चेनाब।

(ख) हाइड्रो नेटवर्क में काम आने वाले सभी उपकरणों का निर्माण भारत नहीं करता है।

(ग) आयातित कुछ मुख्य उपकरण ये हैं :

(1) आउट बोड इंजिन (2) सहायक उपकरणों के साथ प्रोपेलर टाइप करंट मीटर (3) मौसम वैज्ञानिक तथा जल स्तरीय सेंसरस (4) मूविंग बोर्ड उपकरण

[हिन्दी]

भूमि का सौदा

2365. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री सनत कुमार मंडल :
डा. असीम बाला :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री राम नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में पांच अंडमान द्वीप समूह की कथित बिक्री के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग; इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क)और (ख). अण्डमान और निकोबार द्वीप प्रशासन द्वारा की गयी प्राथमिक जांच से पता चलता है कि फ्लेट-बे में 5 द्वीपसमूह, 1961 से पहले, गैर-अधिभोगी कब्जे स्वामित्व के रूप में, श्री बबैकट गिरी को आवंटित किए गए थे। 1988 में, इनमें से 4 द्वीपसमूहों का अधिभोगी अधिकार भी वैकटगिरी के उत्तराधिकारियों को दिया गया था। श्री वैकट गिरी के उत्तराधिकारियों ने इन द्वीपों के अपने अधिभोगी

अधिकार मैसर्स इम्पीरियल ग्रेनाईट प्रा.लि. को हस्तांतरित कर दिए थे।

5 वे द्वीप के बारे में, गैर-कानूनी और गैर-अधिप्रमाणित रिकार्ड बनाए गए थे और अधिभोगी अधिकार श्री अवतार सिंह को प्रदत्त किए गए थे, जिसने उसे केप्टन केसरी फिरोज नोबल को हस्तांतरित कर दिया। तहसीलदार और पटवारी दोनों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) से (ङ). इन सभी अनुबन्धों की जांच अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह भू-राजस्व और भूमि-सुधार विनियमन 1966 के उपबन्धों के अनुसार अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा की जा रही है और यदि उपरोक्त विनियमनों के उपबन्धों का उल्लंघन किए जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। अनधिकृत और गैर-अधिप्रमाणित रिकार्ड बनाकर जिसे 5 वें द्वीप का अधिभोग-अधिकार केप्टन केसरी फिरोज नोबल को हस्तांतरित कर दिया गया था, उसके संबंध में रिकार्ड को ठीक करने ओर केप्टन केसरी फिरोजे नोबेल के पक्ष में किए गए अवैध हस्तांतरण को रद्द करने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

2366. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री मंजय लाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनहित में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक सम्मिलित कर लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). पिछले कुछ समय से, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को संशोधन करने के कुछ सुझाव/सिफारिशे विचाराधीन हैं। चूंकि यह मामला जटिल और संवेदनशील है, अतः इसमें अंतर्ग्रस्त मुद्दों का सावधानी पूर्वक और विस्तृत विश्लेषण करने की जरूरत है। अतः ब्यौरे प्रस्तुत करना और इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए ठीक-ठीक समय सीमा बताना संभव नहीं हैं। इसी बीच, सरकारी कामकाज में खुलापन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कारगर कदम उठाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संसद प्रश्नों के उत्तरों में और अधिक ब्यौरे दिए जा रहे हैं, उन मंत्रालयों/विभागों में जो सार्वजनिक पूछताछ/शिकायतों से निपटते हैं, जन-सम्पर्क एककों को सक्रिय बनाना, वार्षिक रिपोर्टों में अधिक सूचना देने की व्यवस्था करना, जनता से प्राप्त पत्रों के उत्तर देने के लिए प्रभावकारी तंत्र की स्थापना करना इत्यादि सम्मिलित है।

[अनुवाद]

मंत्रियों के दौरे

2367. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिरोशिमा में आयोजित एशियाई खेल 1994 के संबंध में किन मंत्रियों ने जापान की यात्रा की; और

(ख) इन यात्राओं पर कुल कितना खर्च आया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एस. सईद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आर.डी. एक्स विस्फोटक

2368. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-नेपाल सीमा पर पूर्णिया जिले में काफी अधिक मात्रा में आर.डी. एक्स विस्फोटक मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें पाकिस्तान की आई.एस.आई. एजेंसी का कोई हाथ पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

घटिया किस्म का कोयला

2369. **श्री सूरज मंडल** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी. सी. एल. के वस्ताकोला कोलियरी से घटिया किस्म के कोयले के 44 वैगन बी. सिन्दरी उर्वरक कंपनी को 13 अक्तूबर, 1994 को सप्लाई किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (च). को. इ.लि. से प्राप्त सूचना के आधार पर भारत कोकिंग कोल लि. की बस्ताकोलिया कोलियरी की लीबर्टी- विक्टरी साइडिंग में 44 बाक्स का एक रैक मुहैया किया गया था। यह रैक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के परीचा तापीय विद्युत गृह के लिए था, किन्तु रेलवे द्वारा इसे भारतीय उर्वरक निगम की सिन्द्री यूनिट को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस रैक से नमूने कोयला नियंत्रक द्वारा लिए गए थे। इन नमूनों के विश्लेषणों को, उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की अदायगी किए जाने के लिए, एक आधार के रूप में माना जाएगा। किन्तु, स्थानीय पुलिस द्वारा रैक में आपूर्ति किए गए कोयले की निम्न मात्रा के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिस शिकायत के आधार पर सम्बद्ध कोलियरी के सहायक प्रबंधक और लदान कार्य पर कार्यरत चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भा.को.को. लि. की बस्ताकोलिया कोलियरी क्षेत्र में कई कर्मचारियों के विरूद्ध भी जालसाजी का एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। को. ई.लि. से प्राप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों को बाद में पटना उच्च न्यायालय की (रांची खंडपीठ) द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय के अधीन हैं।

[हिन्दी]

विदेशी रेडियो संगठन द्वारा हिंदी में समाचार

2370. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी रेडियो संगठन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हिंदी समाचार बुलेटिन की निगरानी करने हेतु कतिपय पदों के लिए प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जी, नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड

2371. **श्री राम निहोर राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कितने कैलशियम कार्बोनेट की खरीद की गई और इसका मूल्य कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोयले की अंदर और बाहर धुलाई के समय कोयले पर कैलशियम कार्बोनेट का छिड़काव करके कुल कितने कोयले की बचत की गई;

(ग) क्या सरकार को धुलाई के दौरान कोयले का वजन कम होने के बारे में उपभोगकर्ताओं/व्यापारियों की ओर से कोल फील्ड-वार कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). को.इं.लि. ने यह सूचित किया है कि को.इं.लि. तथा सहायक कंपनियों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह से खरीद नहीं की जाती है। किन्तु, पत्थर का चूना, जोकि कैलिशयम कार्बोनेट का एक मुख्य तत्व है, की खरीद की जाती है और इसका भूमिगत खानों में सुरक्षा मद के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(ग) और (घ). कोयले के मार्ग में हुई हानि होने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। किन्तु, चूंकि कोयले का उपभोक्ताओं को प्रेषण भार किए जाने के बाद किया जाता है जोकि रेल अथवा सड़क एफ.ओ.आर. कोलियरी आधार पर किया जाता है। कोयला कंपनियों की, मार्ग के दौरान किसी किस्म की हानि होने के संबंध में, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी ही स्थिति का उल्लेख वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 के अंतर्गत किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

2372. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग हेतु अनुदेश जारी कए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकारी कामकाज हिन्दी में करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करने के लिए, समय-समय पर, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968, राष्ट्रपति का आदेश, 1960 तथा राजभाषा संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के उपबन्धों के अनुरूप अनेक अनुदेश जारी किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना भी तैयार की जाती है तथा अनुपालन हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों इत्यादि में परिचालित की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ)और (ङ). जी हां, श्रीमान्। हिन्दी में मूल रूप से नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने के लिए मंत्रालयों/विभागों ओर उनके संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों मे एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है जिनमें "क" और "ख" श्रेणी के क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में कम-से कम 20 हजार शब्द लिखने पर तथा "ग" क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम से कम 10 हजार शब्द लिखने पर, नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

ऐसे आशुलिपिकों और टंकको को विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है जो अंग्रेजी में कार्य करने के साथ-साथ अपना सरकारी कार्य वास्तव में हिन्दी में करते हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम

2373. **श्री मंजय लाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि .

(क) क्या सरकार का आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) न्याय विभाग की सलाह लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) •प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डबल बाटॅल कनेक्शन

2374. **श्री पीयूष तीरकी :**
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पिछले छह माह से अपने उपभोक्ताओं को "डबल बॉटल कनेक्श" देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के लाभार्थ इस पाबंदी को हटाने का है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब से हटाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में अकाशवाणी केन्द्र

2375. **डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने आकाशवाणी केन्द्रों में "शार्टवेव" प्रणाली चालू है;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में ऐसे कुछ और केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) महाराष्ट्र में बम्बई में एक आकाशवाणी केन्द्र में 2 शार्ट वेव ट्रांसमीटर हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सम्पूर्ण राज्य मौजूदा शार्ट वेव सेवा द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है।

तेल परियोजनाएं

2376. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कुछ तेल परियोजनाएं मंजूरी हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) हरियाणा सरकार से तेल क्षेत्र के संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

2377. **श्री खेलन राम जांगडे :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का 1994-95 के अंत तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार देने का विचार है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) किन-किन राज्यों मे उक्त निगम कार्यरत है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) लाभग्रहियों को सीधे रोजगार प्रदान नहीं करता है। तथापि, एन.एस. एफ.डी.सी. की योजनाओं के अंतर्गत व्यवहार्य आय सृजन योजनाओं के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1994-95 के लिए एन.एस.एफ.डी.सी. को 40 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 1994-95 के दौरान एन.एस.एफ.डी. सी. का 25000 लाभग्रहियों को शामिल करने का प्रस्ताव है तथा अब तक मंजूर की गई योजनाओं के पूरा होने पर संचयी लाभग्राही 1.99 लाख होंगे।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम एक राष्ट्रीय स्तर निगम है और यह उन माध्यम एजेंसियों के जरिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो मुख्यतः राज्य स्तर के अनुसूचित जाति/ जनजाति विकास निगम हैं। राज्य सरकारें जहां अनुसूचित जाति विकास निगम कार्य नहीं कर रहे हैं वहां माध्यम एजेंसियों के रूप में अन्य सरकारी संगठनों को नामित करती हैं। प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर, एन.एस.एफ.डी. सी. ने अब तक असम, आंध्र प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक सहायता प्रदान की है।

आर. डी. एक्स विस्फोटक

2378. **श्री अंकुशराव टोपे :**
डा. एस.पी. यादव :
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने अपने राज्य और महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र में आर.डी. एक्स विस्फोटकों सहित शस्त्रों और हथियारों के उतारे जाने में पाक नौसेना के शामिल होने के बारे में केन्द्र सरकार को हाल ही में एक रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं/ किए जाने का विचर है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). जामनगर शहर में आर. डी. एक्स. और शस्त्रों की तस्करी से संबंधित मामले में दर्ज किए गए एक मामले की जांच-पड़ताल के संबंध में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के बारे में पूछताछ की रिपोर्ट की एक प्रति गुजरात राज्य सरकार ने अभी हाल ही में भेजी है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई करने की राज्य सरकार को सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

2379. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर आगे रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

प्राकृतिक गैस

2380. **श्री आर. अन्बारासु :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने रामानाथपुरम तट में पेरूगुलाम गांव में प्राकृतिक गैस का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में भूमि के अन्दर गैस का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में गैस की सम्भावना का पता लगाने के लिए कुछ और कुओं की खुदाई करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) संभावना मूल्यांकन/निर्धारण के अधीन है। गैस पूल की रूपरेखा बनाने के लिए एक स्थान को वेधन के लिए जारी कर दिया गया है।

(ग) और (घ). वेधन के लिए मेलुर और पालकोलम नामक दो और संरचनाओं की पहचान की गई है।

[हिन्दी]

पुलिस बल

2381. **डा. साक्षीजी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में पुलिस बल को बढाए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके ऊपर केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार को तीन इंडिया रिजर्व बटालियनें बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की जांच की गई तथा उसे स्वीकार नहीं किया गया।

क्रिकेट मैचों का प्रसारण

2382. **श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत में होने वाले क्रिकेट मैचों की कवरेज और दूरदर्शन पर प्रसारण करने के अधिकार किसी विदेशी कंपनी को दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनी के पास इन क्रिकेट मैचों के प्रसारण हेतु पूरी तकनीकी और अन्य सुविधा उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कंपनी को ये कार्य सौंपने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय रेडियो सेवा

2383. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूज कारपोरेशन लिमिटेड एशियासेट-I के माध्यम से देश में सात क्षेत्रीय रेडियो सेवाएं शुरू करने जा रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को न्यूज कारपोरेशन लिमिटेड से देश में सात भाषाओं में संगीत चैनल शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हा, तो सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय क्या है; और

(ङ) स्टार संगीत रेडियों सेवाओं के प्रवेश से क्षेत्रीय भाषाओं में की जा रही आकाश्वाणी की संगीत सेवाओं की लोकप्रियता का क्या असर पड़ा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). सरकार विदेशों में चलाए जा रहे चैनलों के बारे में ब्यौरा नहीं रखती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

व्यय में कटौती

2384. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में व्यय में कटौती करने हेतु किए गए मितव्ययता संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक कितने धन की बचत हुई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). प्रशासनिक (गैर-योजनागत) व्यय को न्यूनतम किए जाने के लिए मंत्रालय में कई मितव्ययी उपाय किए गए हैं। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. ईंधन (तेल) उपभोग पर प्रतिबंध।
2. स्टाफ-कारों को पूल बनाया जाना।
3. संयुक्त सचिव स्तर के नीचे के स्तर के अधिकारियों की एस.टी.डी. सुविधा को प्रतिबंधित किया जाना।
4. अखबारों/पत्रिकाओं, आदि की खरीद पर प्रतिबंध लगाया जाना।
5. जलपान पर व्यय में कमी किया जाना।

6. समयोपरि भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा विदेशी दौरों पर यात्रा करने, आदि पर प्रतिबंध लगाया जाना।
7. मंत्रालय में एक निदेश के पद की मितव्ययी उपायों के अंतर्गत समर्पित किया गया है।

इन उपायों को किए जाने के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान बचत के मामले में निम्नलिखित उपलब्धि हासिल की गई हैं :

(करोड़ रु. में)

1991-92	1992-93	1993-94
0.21	0.23	0.17

प्राकृतिक गैस का आयात

2385 **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो देश -वार कितनी गैस का आयात करने का विचार है;

(ग) क्या आयात की जाने वाली यह गैस बिहार को उपलब्ध करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों को यह आयातित गैस उपलब्ध किये जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). प्राकृतिक गैस की 56.6 एम एम एस सी एम डी मात्रा के आयात के लिए मुख्य शर्तों पर ओमान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है।

(ग) से (ङ). आयातित गैस का राज्यवार उपयोग गैस के परिवहन तथा उपयोग संबंधी तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

नए तेल भंडार

2386. **श्री सुव्रत मुखर्जी :**
श्री अनिल बसु :
श्री अजय मुखोपध्याय :
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल के नए भण्डारों को तेजी से पता लगाने के लिए पूरे भारत में ड्रिलिंग कार्यक्रम में तेजी लाने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। अन्वेषण संबंधी वर्धित कार्यक्रम के भाग स्वरूप दोनों ही ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड अतिरिक्त वेधन क्रिया-कलाप करेंगे।

[हिन्दी]

सफाई कर्मचारियों का कल्याण

2387. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री मंगलराम प्रेमी :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री द्वारका नाथ दास :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सफाई कर्मचारी कल्याण योजना के अन्तर्गत अब तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सफाई कर्मचारियों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास तथा उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु क्या विशेष उपाए किए गए है/ किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार सफाई कर्मचारियों के लाभ हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की भांति सफाई कर्मचारी वित्त विकास बोर्ड गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (सीता राम केसरी) : (क) पुनर्वासित सफाई कर्मचारियों की संख्या तथा सफाई कर्मचारियों सहित अस्वच्छ व्यवसायों में लगे माता-पिता के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल किए गए छात्रों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण I और II में संलग्न हैं।

(ख) विवरण-III संलग्न है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य प्रत्येक सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों को वैकल्पिक, प्रतिष्ठित और व्यवहार्य व्यवसाय/पेशों में लगाना है। योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु केन्द्र/राज्य/जिला स्तरों पर मानीटिरिंग समितियां स्थापित की गई हैं। मुक्ति और पुनर्वास संबंधी योजना के लिए 1994-95 का योजना परिव्यय 73.00 करोड़ रुपए हैं। 13.80 करोड़ रुपए राज्य सरकार को निर्मुक्त किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय

सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 अगस्त, 1994 को कर दी गई है। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के उपायों का अध्ययन और सिफारिश करेगा। अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य उन सफाई कर्मचारियों, चर्मकारों, धर्मशोधकों और झाड़ुबरदारों को जो सफाई कर्म से परम्परागत रूप से जुड़े हुए हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे मैट्रिक पूर्व शिक्षा जारी रख सकें।

राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सफाई कर्मचारियों सहित अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के लाभार्थ विशेष योजनाएं बनाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में से 10 प्रतिशत धनराशि निर्धारित करें। कल्याण मंत्रालय, स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायतानुदान निर्मुक्त करता है। ये संगठन अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। सफाई कर्मचारी समुदाय के लोग भी इन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं।

(घ) से (च).राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-वित्त एवं विकास निगम और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम सफाई कर्मचारियों सहित अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को वित्त पोषित करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को भी सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है जबकि राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम इस सम्मानजनक कार्यक्रम का कार्यान्वयन निचले स्तर पर कर रहे हैं। नव-स्थापित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी इस योजना की प्रगति मानीटरिंग करेगी है।

विवरण—I

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास एवं शुष्क शौचालयों को बदलने की योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

लाभ ग्राहियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास एवं शुल्क शौचालयों को बदलने की योजना	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6488	21,290
2.	असम	477	3,085
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
4.	बिहार	4382	25,156
5.	गोवा	–	
6.	गुजरात	1596	21,958
7.	हरियाणा	1295	25,274
8.	हिमाचल प्रदेश	565	3,106
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–
10.	कर्नाटक	107	3,463
11.	केरल	116	4,291
12.	मध्य प्रदेश	23182	1,15,366
13.	महाराष्ट्र	7741	11,456
14.	मणिपुर	–	–
15.	मेघालय	–	–
16.	मिजोरम	–	–
17.	नागालैंड	–	–
18.	उड़ीसा	2492	3,309
19.	राजस्थान	3315	27,885
20.	पंजाब	4438	26,441
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु	2611	11,903
23.	त्रिपुरा	–	8,861
24.	उत्तर प्रदेश	21767	53,029
25.	प. बंगाल	72	2,549
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50	150
27.	चंडीगढ़		–
28.	दादर और नगर हवेली	–	–
29.	दमण और दीव	–	–
30.	दिल्ली	701	4,793
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	304	–
	कुल	81,699	3,73,367

विवरण-II

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास एवं शुष्क शौचालयों को बदलने की योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

वर्ष	बजट आवंटन करोड़ रुपये में	केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	पुरस्कारों की संख्या
1	2	3	4
1980-81	0.15	0.14	4,001
1981-82	1.65	0.49	4,180

1	2	3	4
1982-83	1.65	0.29	5,600
1983-84	1.65	0.48	6,620
1984-85	1.65	0.39	7,726
1985-86	2.50	0.25	9,286
1986-87	1.82	0.13	8,948
1987-88	1.00	0.72	11,427
1988-89	1.00	0.53	13,500
1989-90	1.00	0.38	15,063
1990-91	3.00	0.23	14,262
1991-92	4.00	4.00	90,912
1992-93	11.00	6.3867	99,254
1993-94	14.00	5,6124884	1,68,939 (पूर्वानुमानित)

विवरण-III

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास एवं शुष्क शौचालयों को बदलने की योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्मुक्त धनराशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त धनराशि 1993-94	निर्मुक्त धनराशि 1994-95	निर्मुक्त धनराशि 1993-94	निर्मुक्त धनराशि 1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.59	-	0.84	0.22
2.	असम	-	-	-	-
3.	बिहार	-	-	0.66	0.22
4.	गुजरात	2.00	-	0.15	0.05
5.	हरियाणा	7.14	-	0.15	0.15
6.	हि प्र.	-	-	0.044	0.035
7.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
8.	कर्नाटक	-	-	0.019	0.005
9.	केरल	-	-	0.019	-
10.	मध्य प्रदेश	12.26	13.80	1.69	0.57
11.	महाराष्ट्र	3.78	-	0.20	0.30
12.	उड़ीसा	1.19	-	0.06	0.02
13.	पंजाब	-	-	0.33	-
14.	राजस्थान	2.27	-	0.30	0.38
15.	सिक्किम	-	-	-	0.006
16.	तमिलनाडु	-	-	0.27	0.57
17.	त्रिपुरा	-	-	0.12	0.12
18.	उत्तर प्रदेश	37.63	-	0.80	0.80
19.	प. बंगाल	-	-	0.03	0.01
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.004	0.001
21.	दिल्ली	-	-	0.13	0.045
22.	पांडिचेरी	-	-	-	-
23.	नागालैंड	0.11	-	-	-
	कुल	70.97	13.80	5.616	3.50

घटिया कोयले की आपूर्ति

2388. श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान आज तक गुजरात के उपभोक्ताओं को कोल इंडिया लि. द्वारा घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी शिकायतों का निदान किया गया है;

(ग) इस अवधि के दौरान मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) को. इं. लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, गुजरात के उपभोक्ताओं से निम्न स्तर के कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में विशिष्ट ब्यौरों के साथ वर्ष-वार प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1993-94	56
1994-95*(अनंतिम)	36

*(अक्तूबर, 1994 तक)

(ख) को.इं.लि. ने यह सूचित किया है कि सभी शिकायतों की जांच गुणावगुण आधार पर की जाती है और जहां कहीं ग्रेड में गिरावट

के मामले की पुष्टि होती है, उपभोक्ताओं से ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में आपूर्ति किए गए कोयले की ही कीमत ली जाती है।

(ग) को.इं.लि. के अनुसार बड़े उपभोक्ता क्षेत्रों द्वारा जैसे विद्युत, संयंत्र, सीमेंट, उर्वरक आदि द्वारा कोयले की आपूर्ति तथा इसकी अदायगी उक्त क्षेत्रों के साथ की गई संयुक्त नमूना व्यवस्था द्वारा विनियमित होती है। तद्नुसार बिल तैयार किए जाते हैं और जहां कहीं लागू होता है, समायोजन के लिए जारी किए जाते हैं।

(घ) कोयला हैट्रोजीनियस सामग्री होने के कारण इसे भूमि के क्रस्ट से उत्खनित किया जाता है, अतः गुणवत्ता में अंतराल होने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है, यद्यपि कोयले की ग्रेडों में गिरावट को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं। किन्तु, उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त होने पर, जिसमें गुजरात के उपभोक्ता भी शामिल हैं, जांच की जाती है और आपूर्तित किए गए कोयले की गुणवत्ता का सुनिश्चित किए जाने के लिए तद्नुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। जहां कहीं अपेक्षित होता है ऐसे मामलों में व्यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

तेल की खोज

2389. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के तेल क्षेत्र के तटीय भाग से तेल की खोज हेतु हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों से निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). बोली के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दौरों के अंतर्गत तेल अन्वेषण के लिए गुजरात के तटीय क्षेत्रों में प्रस्तावित ब्लाक और ऐसे ब्लाक, जिनके लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं, नीचे दर्शाए गए हैं :

प्रस्तावित ब्लाक	जिन ब्लाकों के लिए बोलियां प्राप्त हुई
1	2
चौथा दौर	
जीके-ओएन-90/1	जीके-ओएन-90/1
जीके-ओएन-90/2	जीके-ओएन-90/2
जीके-ओएन-90/3	
पांचवां दौर	
जीके-ओएन-90/1	
जीके-ओएन-/5	जीके-ओएन-/5
जीएस-ओएन/1	
जीबी-ओएन/5	बीबी-ओएन-5
छठा दौर	
जीके-ओएन-90/1	
जीके-ओएन-90/3	
जीके-ओएस/6	जीके-ओएस/6
जीएस-ओएन/1	जीएस-ओएस/1
सीबी-ओएस/1	सीबी-ओएस/2
सीबी-ओएन/2	सीबी-ओएन/2
सीबी-ओएन/6	
सीबी-ओएन/7	सीबी7ओएन/7
सातवां दौर	
सीबी-ओएन/6	सीबी-ओएन/6
जीके-ओएन-90/1	
जीके7ओएन-90/3	
जीके-ओएन/4	जीके-ओएन/4

जिन कंपनियों ने बोलियां भेजी हैं, वे अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया से संबंध रखती हैं।

(ग) और (घ). सरकार ने चौथे दौर के अंतर्गत ब्लाक जीके-ओएन-90/2 के लिए पैन एनर्जी रिसोसेज इंक, यूएसए, कोपलेक्स रिसोर्सेज आस्ट्रेलिया, पैन पेसीफिक पैट्रोलियम, आस्ट्रेलिया और ट्रांस एशिया कन्सलटेंट्स प्रा. लि. भारत के परिसंघ को ठेका देने का अनुमोदन किया है। सरकार ने ब्लाक जीके-ओ एस-/5 के लिए रैक्सवुड-ओकलैंड, यूएसए के परिसंघ को ठेका देने का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2390. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह 752.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इंदिरा सागर परियोजना, जिसमें 169.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करे। इस मामले की योजना आयोग से परामर्श करके जांच की गई थी तथा इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान नहीं की गई है।

खानों को बंद करना

2391. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कुछ खान बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप रानीगंज, आसनसोल स्थित कोयला क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कर्मचारियों की भारी संख्या में छंटनी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने छंटनी किए गए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए आश्वासन दिया है; और

(च) यदि हां, तो छंटनी किए गए कर्मचारियों को किस प्रकार से सेवा में शामिल करने का विचार है?

श्रममंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से 52 खानों को बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ). इन 52 खानों को बंद किए जाने के पश्चात् कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को कंपनी के अंदर ही अन्य खानों में पुनः नियुक्त कर दिया गया है।

(ङ) और (च). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

2392. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक और विदेशी संगठनों ने कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ख) राज्य में इस समय चल रही परियोजनाएं किस चरण पर हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). विश्व बैंक सहायता से गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना गुजरात में 31.3.1994 तक क्रियान्वित की गयी थी। विश्व बैंक ने 1993-94 के दौरान 12.275 मिलियन अमेरिकी डालर तथा 31.10.94 अर्थात क्रेडिट समाप्त होने की तारीख से सात महीने आगे तक 4.202 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि की अदायगी की है।

इसके अलावा, गुजरात विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत 10 भागीदार राज्यों में से एक राज्य है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए, कुल मिलाकर 1993-94 के दौरान 34.315 मिलियन अमेरिकी डालर तथा 1994-95 के दौरान 31 अक्तूबर, 1994 तक 20.375 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का वितरण किया है।

विस्फोटक नियंत्रण ब्यूरो

2393. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विस्फोटक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक आर. डी. एक्स. की कितनी मात्रा जब्त की गई है; और

(घ) सरकार ने देश में आर.डी.एक्स. के प्रवेश को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी 1993 से देश के विभिन्न भागों से 4486.72 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. बरामद किया गया है।

(घ) तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संबंधित एजेन्सियों को इस बात के लिए सतर्क कर दिया है कि वे इस संबंध में पूरी तरह से एकीकृत और अधिक चौकसी की व्यवस्था करें। इस संबंध में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के बारे में उच्चतम स्तर पर सतत् निगरानी की जा रही है। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता भी दी जा रही है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्ति

2394. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग लोगों को सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) यह सर्वेक्षण किस एजेन्सी के माध्यम से कराया गया क्या इसके लिए अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में दिमागी फालिज से पीड़ित व्यक्तियों तथा बच्चों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों/बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है; और

(च) ऐसे व्यक्तियों/बच्चों के पुनर्वास हेतु चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). जी, हां। देश में विकलांग व्यक्तियों की सही संख्या मालूम करने के किए गए संख्या से पता चलता है कि देश की कुल जनसंख्या के करीब 1.9 प्रतिशत में शारीरिक और मानसिक विकलांगता है जिसमें दृष्टि, वाणी, श्रवण तथा चलन विकलांग शामिल है धीमा मानसिक विकास के 0-14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के एक अलग सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि 2.95 प्रतिशत बच्चों में विकास धीमा है जो प्रायः मानसिक मंदता के साथ सम्बद्ध होता है। शारीरिक और मानसिक विकलांगता की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रचलित दर की दर्शाने वाला विवरण-I तथा II संलग्न है।

(ग) ये दोनों सर्वेक्षण योजना मंत्रालय, सांख्यकीय विभाग के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए गए थे। सर्वेक्षणों के लिए दो स्तर के नमूना सर्वेक्षण के डिजाइन को अपनाया गया था प्रथम स्तर यूनिट में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम तथा शहरी ब्लाक। दूसरे स्तर के यूनिट मे थे दोनों क्षेत्रों के घर।

(घ) देश में स्पास्टिक व्यक्तियों तथा बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई अलग से सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ङ) इस प्रकार के संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या की सूची विवरण-III संलग्न है।

(च) स्पास्टिस सहित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सीधे गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है, राज्य सरकारों को नहीं दी जाती। चालू वर्ष के दौरान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता के ब्यौरे विवरण में हैं।

विवरण-I

लिंग के आधार पर प्रति 100,000 व्यक्तियों में से विकलांग व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी		
	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
1. आंध्र प्रदेश	2640	2354	2498	2092	1712	1903
2. असम	1408	947	1200	1390	948	1186
3. बिहार	1973	1125	1573	1740	1071	1436
4. गुजरात	1786	1557	1676	1720	1566	1648
5. हरियाणा	2290	1665	1988	1603	1105	1374
6. हिमाचल प्रदेश	3580	2157	2870	1268	995	1144
7. कर्नाटक	2368	1891	2131	1662	1307	1494
8. केरल	2280	1636	1945	1927	1587	1755
9. मध्य प्रदेश	2281	1794	2051	1805	1113	1475
10. महाराष्ट्र	2437	1927	2700	1787	1408	1610
11. उड़ीसा	3191	2166	2306	2025	2077	2049
12. पंजाब	3418	2384	2936	2025	1558	1807
13. राजस्थान	2141	1355	1767	1594	1168	1126
14. तमिलनाडु	2541	2201	2372	2075	1669	1874
15. उत्तर प्रदेश	2269	1441	1879	1779	1210	1519
16. प. बंगाल	2069	1484	1788	1690	1283	1505
सम्पूर्ण भारत	2277	1694	1995	1774	1361	1579

विवरण–II

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित धीमा तथा विकास में पिछड़ने वाले प्रति 1000 बच्चों में विलम्ब विकासात्मक माइलस्टोन के साथ बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उम्र 1–14 वर्ष	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	54	132
3.	असम	71	60
4	बिहार	36	29
5.	गोवा	5	3
6.	गुजरात	15	25
7.	हरियाणा	31	33
8.	हिमाचल प्रदेश	22	16
9.	जम्मू और कश्मीर	40	31
10.	कर्नाटक	14	17
11.	केरल	15	32
12.	मध्य प्रदेश	36	18
13.	मेघालय	19	29
14.	मिजोरम	9	2
15.	नागालैंड	92	83
16.	उड़ीसा	47	21
17.	पंजाब	49	18
18.	राजस्थान	32	25
19.	सिक्किम	55	28
20.	त्रिपुरा	04	10
21.	उत्तर प्रदेश	33	34
22.	पं. बंगाल	44	39
23.	अंडमान और निको. द्वीप समूह	13	6
24.	चंडीगढ़	1	5
25.	दादर और नगर हवेली	4	9
26.	दमन और दीव	2	4
27.	दिल्ली	2	47
28.	पांडिचेरी	25	12
	सम्पूर्ण भारत	31	29

विवरण–III

प्रमस्तिष्काघात/स्पास्टिक क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	संगठनों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	1
3.	दिल्ली	3
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	1
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	5
8.	केरल	4
9.	मध्य प्रदेश	3
10.	महाराष्ट्र	14
11.	मेघालय	1
12.	मिजोरम	1
13.	उड़ीसा	3
14.	पंजाब	2
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	13
17.	उत्तर प्रदेश	7
18.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल :	78

विवरण–IV

1994–95 के दौरान प्रदान की गई सहायता तथा योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	1994–95 के दौरान मंजूर की गई (राशि करोड़ में) (40.11.94 तक)	सहायता प्रदान किए गए गैर सरकारी संगठन
1.	विकलांगों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	5.81	304
2.	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.34	15
3.	प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता में मानवशक्ति विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.06	5
4.	विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास	0.09	6

[अनुवाद]

नर्मदा परियोजना

2395. श्री फूलचन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 नवंबर, 1994 की स्थिति के अनुसार नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण, जल भंडारण तथा पुनर्वास के बारे में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के संदर्भ में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकर का न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों में कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के सन्दर्भ में नर्मदा नदी पर बांधो के निर्माण, जल भण्डारण तथा पुनर्वास के सम्बन्ध में 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्य वार प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश : नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने मध्य प्रदेश को अपने सीमा क्षेत्र में उपयोग हेतु 18.25 मिलियन एकड़ फुट नर्मदा जल आवंटित किया है। मध्य प्रदेश अपने हिस्से के उपयोग के लिए तथा सरदार सरोवर परियोजना, जो गुजरात में बनाया जा रहा है वृहद टर्मिनल बांध है की निर्यमित निर्मुक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी राज्य में लगभग 30 वृहद बांध बनाने का विचार कर रहा है। अब तक 3 वृहद बांध अर्थात तवा, बरना और सुक्ता पूरे हो गये हैं। अन्य 8 परियोजनाएं अर्थात् बारगी, कोलार, मिटियारी, इन्दिरा सागर, ओंकारेकर, महेश्वर, मान और जोबट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। तीन निर्माणधीन परियोजनाओं अर्थात् बारगी, मिटियारी और कोलार के मुख्य कार्य पूरे हो गये हैं और इन परियोजनाओं की नहर प्रणालियों का निर्माण किया जा रहा है। जल वर्ष 1992-93 (जुलाई 92 से जून, 93 तक) के दौरान मध्य प्रदेश में वृहद निर्माणाधीन और पूर्ण परियोजनाओं के जरिए केवल 1.72 मिलियन एकड़ फुट का उपयोग किया गया।

गुजरात : सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा गुजरात और राजस्थान को नर्मदा जल के आवंटित हिस्से (क्रमशः 9 मिलियन एकड़ फुट तथा 0.5 मिलियन एकड़ फुट) के उपयोग के लिए किया जा रहा है। बांध का निर्माण अनुसूची के अनुसार किया जा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना पर परिकल्पित सकल भण्डारण 7.70 मिलियन एकड़ है जिसमें से सक्रिय भण्डारण 4.73 मिलियन एकड़ फुट है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र में नर्मदा पर कोई पर वृहद बांध बनाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

पुनर्वास : नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने केवल सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के लिए शर्तें निर्धारित की हैं, न कि अन्य परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों ने नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के लिए निर्धारित शर्तों के अलावा, अपनी पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास नीतियां और भी उदार की हैं। इन मानदण्डों के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना के सभी परियोजना प्रभावित परिवारों का वास्तविक जलमग्नता होने से काफी पहले पुनर्वास किया जा रहा है। अक्तूबर, 1994 के अन्त तक सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित पुर्नस्थापन और पुनर्वास नीति की प्रगति निम्नवत है :

राज्य	पुनःस्थान निर्धारित करने की स्थिति	परियोजना प्रभावित परिवारों को कुल संख्या	31 अक्तूबर, और पुनर्वास (परियोजना की संख्या) गृह भूखण्ड	1994 तक पुनर्स्थापन को प्राप्त प्रभावित परिवारों कृषि भूमि
गुजरात	गुजरात	4600	4268	4332
महाराष्ट्र	गुजरात	999	690	690
	महाराष्ट्र	2114	841	884
	कुल	3113	1531	1574
मध्य प्रदेश	गुजरात	14124	2153	2529
	मध्य प्रदेश	18890	671	–
		33014	2824	2529
	कुल-योग	40727	8623	8435

पात्र परिवारों को गृह भूखण्ड और कृषि भूमि आबंटित करने के अलावा, परियोजना प्रभावित परिवारों को भरण पोषण भत्ते का भुगतान, पुनर्वास अनुदान, अनुग्रह राशि, उत्पादक परिसम्पत्ति तथा प्राथमिक स्कूल, कुँए, हैंड पम्प, मर्गस्थ शेड, बीमारक्षा आवरण तथा विद्युतीकरण जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई है। कुछ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान किया गया है।

रसोई गैस विपणन योजना

2396 :श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस विपणन योजना में गत दो वर्षों के दौरान गुजरात के किन स्थानों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने रसोई गैस विपणन योजना के अंतर्गत इस राज्य में 1994-95 के दौरान कुछ नये स्थानों को शामिल किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गुजरात के लिए चालू विपणन योजना 1992-94 में 65 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप में शामिल की गई हैं।

(ख) से (घ). 1993-94 के बाद की विपणन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कोयला उठाया जाना

2397. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादन होने वाले कुल कोयले की अधिकांश मात्रा का उत्पादन उड़ीसा में ईब घाटी और तालचेर खान से होता है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों से कितना कोयला उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रतिदिन वास्तव में कितना कोयला उठाया जाता है;

(ग) ईब घाटी और तालचेर की खानों से कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे से कुल कितने रेकों की आवश्यकता पड़ती है; और

(घ) लक्ष्य के लिए अपेक्षित रेकों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) को.इं.लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार ईब-घाटी तथा तलचर कोयला क्षेत्रों से उड़ीसा में उत्पादित कोयला, को.इं.लि. द्वारा उत्पादित कुल कोयले का 10 से 11 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1993-94 में को.इं.लि. में उत्पादित कुल 216.11 मिलियन टन में से लगभग 24.30 मि. टन कोयले का ईब घाटी तथा तलचर कोयला क्षेत्रों में उत्पादन किया गया है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान ईब घाटी तथा तलचर कोयला क्षेत्रों से कोयले का उठान किए जाने का लक्ष्य 26.67 मि. टन का है। अप्रैल से नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान कोयले का वास्तविक उठान 17.23 मि.ट. किया गया, इस कोयला क्षेत्र से दैनिक औसत उठान 70,600 टन हुआ।

(ग) को.इं.लि. द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार ईब घाटी तथा तलचर कोयला क्षेत्र के लिए अपेक्षित रेलवे रैकों की संख्या क्रमशः 8 तथा 12 की है।

(घ) क्षेत्रीय (जोनल) रेलवे तथा प्रभागीय (डिवीजनल) रेलवे के साथ समीपय समन्वय रखा जाता है ताकि लक्ष्यों के अनुसार कोवले की निकासी का सुनिश्चिय किए जाने के लिए अपेक्षित रैकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

खारापन

2398. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नहर-सिंचित क्षेत्रों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में खारापन को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झींगा मछली पालन का अत्याधिक वाणिज्यिक दोहन खारापन का एक कारण है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार झींगा मछली उत्पादकों को कोई दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) नहर सिंचित क्षेत्रों में खारेपन की जांच करने के वास्ते केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 187 सिंचाई परियोजनाओं में खेत नालियों के निर्माण, भूमि समतलन व आकार देने और वारावन्दी लागू करने के जरिए कारगर सतही जल निकास प्रणाली और जल के इष्टतम उपयोग पर बल दिया जाता है। राज्यों/परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तटवर्ती क्षेत्रों में खारेपन को रोकने के लिए प्रारंभ किए जा रहे मुख्य उपाय में से एक उपाय समुद्री तट के साथ-साथ तटबंधों का निर्माण करना और प्रभावी जल निकास हेतु उनमें एकतरफा स्लुइस द्वारों की व्यवस्था करना है।

(ग) जी हां। आन्ध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले और तमिलनाडु के नागई कैद-ए-मिलेथ जिले के कुछ भागों में झींगा मछली पालन के वाणिज्यिक दोहन से खारापन हुआ है।

(घ) जी हां।

(ङ) कृषि मंत्रालय ने झींगो खेती की अनियोजित वृद्धि से उत्पन्न हो सकने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से पर्यावरण की सुरक्षा के वास्ते राज्यों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए मई, 1994 में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कृष्य कमान क्षेत्र हजार हेक्टेयर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	1340.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.95
3.	असम	6	84.06

1	2	3	4
4.	बिहार	7	2516.64
5.	गोवा	2	16.47
6.	गुजरात	35	1003.19
7.	हरियाणा	8	605.65
8.	हिमाचल प्रदेश	3	9.09
9.	जम्मू व कश्मीर	10	67.60
10.	कर्नाटक	12	1959.16
11.	केरल	14	176.45
12.	मध्य प्रदेश	23	1657.75
13.	महाराष्ट्र	16	1279.26
14.	मणिपुर	3	33.00
15.	मेघालय	1	0.90
16.	नागालैंड	1	0.50
17.	उड़ीसा	10	737.53
18.	राजस्थान	4	972.74
19.	तमिलनाडु	8	718.81
20.	त्रिपुरा	1	4.49
21.	उत्तर प्रदेश	10	6242.00
22.	पश्चिम बंगाल	4	1882.35
23.	दादर व नगर हवेली		8.28
24	और दमन व द्वीव	1*	3.41
	कुल	187	21320.28

* दमन गंगा परियोजना गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दमन व द्वीव तथा दादर एवं नगर हवेली में लाई गई हैं। इसे दो बार गिना गया है, एक बार गुजरात के अन्तर्गत तथा एक बार संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत।

[हिन्दी]

रसोई गैस की डीलरशिप

2399. **श्री छेदी पासवान :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी समितियों के लिए रसोई गैस वितरण एजेंसियों के आवंटन हेतु कोई कोटा आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ओबंटनों के लिए क्या दिशानिर्देश हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस श्रेणी के अंतर्गत कितनी वितरण एजेंसियां आबंटित की गयी तथा उनमें से कितने वितरक राज्यवार कार्यरत हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में सहकारी समितियों के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं है। तथापि खुली श्रेणी संबंधी विज्ञापनों के तहत उपभोक्ता सहकारी समितियों को अन्य उम्मीदवारों से अधिक बरीयता दी जाती है। इसको देखते हुए सहकारी समितियों को किए गए आबंटनों से संबंधित सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

2400. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वयंरोजगार के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन का कुछ राज्य सरकारों ने समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वयं रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन का मध्य प्रदेश सरकार ने समुचित उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) राज्य सरकारों द्वारा इस धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) विभिन्न राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग निगमों अथवा अन्य माध्यम एजेंसियों को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा पिछड़े वर्गों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए संस्वीकृत और संवितरित की गई निधियों के विपणन अथवा अनुचित उपयोग की कोई घटना मंत्रालय की नोटिस में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने 1992-93 में स्वीकृत धनराशि को मार्च, 1993 में संवितरित करने का अनुरोध किया था। माध्यम एजेंसी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1992-93 और 1993-94 हेतु धनराशि का उपयोग 31.5.94 तक 93 प्रतिशत है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) एन बी सी एफ डी सी द्वारा संस्वीकृत तथा संवितरित धनराशियों के उपयोग की उचित जांच के लिए राज्य स्तर निगमों/माध्यम एजेंसियों को एन बी सी एफ डी सी द्वारा विस्तृत दिशा

निर्देश जारी किए गए हैं। फिर भी राज्य स्तर के निगमों/माध्यम एजेंसियों को एन बी सी एफ डी सी द्वारा स्वीकृत सभी ऋण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई गारंटियों के तहत आते हैं जो स्वयं दुरुपयोग के विरूद्ध सुरक्षोपाय के रूप में है।

रसोई गैस की एजेंसियां

2401. श्री बलराज पासी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में रसोई गैस की आपूर्ति में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन जिलों में तथा विशेषरूप से पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में नई रसोई गैस की एजेंसियां खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ये गैस एजेंसियां खोली जायेंगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अगस्त और सितम्बर, 1994 के महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में एल.पी.जी. की आपूर्ति पर कानून और व्यवस्था समस्या का कुप्रभाव पड़ा। अब स्थिति सामान्य हो गई है और फिलहाल इस क्षेत्र में बकाया कार्य की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग). एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 20000 और अधिक की जनसंख्या वाले स्थानों पर आर्थिक व्यवहार्यता और उत्पाद उपलब्धता की शर्त पर खोली जाती हैं। तदनुसार वर्तमान एल.पी.जी. विपणन योजना 1992-94 में जिला नैनीताल के लिए एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रस्ताव किया गया है। विपणन योजना में सम्मिलित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन तेल चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश राज्य) के माध्यम से किया जा रहा है। किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने में विज्ञापन की तारीख से लगभग 1-2 वर्ष का समय लग जाता है।

मैसर्स गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड मुख्यतः गढ़वाल पहाड़ियों में एल.पी.जी. के विपणन के लिए उत्तरदायी है। यह फर्म उक्त क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारी संख्या में कनेक्शन भी जारी कर रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2402. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितने मामले रद्द किए गए हैं;

(ख) पूरी तरह से जांच किए जा चुके मामलों में क्या कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) क्या आयोग ने कोई दंड, क्षतिपूर्ति अथवा भारी जुर्माने का फैसला सुनाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 15 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज एवं खारिज किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 2792 और 1138 है।

(ख) एक मामले में, जिसके संबंध में जांच पूरी कर ली गई हैं, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश, दिया गया था और अन्तरिम क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/-रु. का मंजूरी ओदश जारी कर दिया गया है। दूसरे मामले में, जांच के पश्चात् जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दाखिल कर दिया गया है। एक अन्य मामले में आयोग ने शिकायतकर्त्ता को सुरक्षा-कवच उपलब्ध कराए जाने तथा एक इन्डेम्निटी बांड प्रस्तुत करने पर उसके पास से पकड़े गए सामानों की 82 मदों को वापस किए जाने की भी सिफारिश की थी।

(ग) अनेक मामलों में जांच-पड़ताल करने के बाद आयोग ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है। आयोग ने कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति के भुगतान की सिफारिश भी की है।

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

2403. श्री हाराधन राय :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में 30 जून, 1994 तक खान-वार कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दुर्घनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई/कितने घायल हुए और कितने व्यक्ति विकलांग हुए;

(घ) पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). खान सुरक्षा महानिदेशक (डी.जी.एम.एस) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष (जनवरी-जून, 1994) की अवधि के दौरान कोयला खानों में मृतक /घायल हुए व्यक्तियों के संबंध में ब्यौरा, जोकि कोलियरी-वार / तारीख-वार/कारण-वार मृतक दुर्घटनाओं के संबंध में है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मुआवेजे की राशि कामगार मुआवजा अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाती है और यह कामगार की आयु तथा मासिक आय पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, मृतक कामगारों के आश्रितों को निम्नलिखित राशि की अदायगी की जाती है :—

(1) अन्त्येष्टि व्यय –रु. 500/-

(2) अनुग्रह राशि –रु. 10,000/-

(3) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत राशि –रु. 15,000/-

इसके अतिरिक्त मृतक के एक आश्रित को रोजगार दिए जाने की पेशकश की जाती है।

(ङ) दुर्घटनाओं को कम किए जाने के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों को त्वरिता के आधार पर किया जा रहा है :—

(1) आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा अचानक जांच की कार्रवाई की जा रही है ताकि रूफ सपोर्ट क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए सुरक्षा की स्थिति की जांच की जा सके।

(2) सहायक कंपनियों के आंतरिक सुरक्षा संगठन के प्रमुखों को निरीक्षणों द्वारा बताए गए खतरों के स्रोतों से तथा दुर्घटना जांच रिपोर्टों के द्वारा भी निरन्तर सतर्क किया जा रहा है।

(3) समन्वय समितियों में को.इं.लि. के स्तर पर प्रत्येक सहायक कंपनी की सुरक्षा कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है तथा सुरक्षात्मक उपाय सुझाए जा रहे हैं और प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

(4) सुरक्षा लेखा परीक्षा रिपोर्टों की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जाती है ताकि खानों में विद्यमान सुरक्षा संबंधी कमियों का पता लगाया जा सके और आंतरिक सुरक्षा संगठन के सहायक कंपनियों के प्रमुखों को सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देश दिए जा सके।

विवरण

वर्ष 1991 के दौरान कोयला खानों में हुई मृतक दुर्घटनाओं के संबंध में ब्यौरा

क्र.सं.	खान का नाम	स्वामित्व का नाम	तारीख	मृत	घायल	स्थान	कारण संक्षिप्त में
1	2	3	4	5		7	8
1.	दमोदा	भा.को.को.लि.	2.1.91	1	0	ओ.सी.	इंकलाइन में सामग्री गिरने, रोलिंग सामग्री
2.	वेस्ट चिरिमरी	सा.ई.को.लि.	3.1.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
3.	चासनाला साउथ	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी	7.1.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
4.	गोविंदपुर	भा.को.को.लि.	18.1.91	1	0	ओ.सी.	शावेल ड्रेगलाइन फ्रंट एंड लोडर आदि
5.	केहुआडीह	भा.को.को.लि.	18.1.91	1	0	ए.जी.	अवर्गीकृत
6.	मोहन	वे.को.लि.	20.1.91	1	1	बी.जी.	साइडों का गिरना(औ–हैंग को छोड़कर)
7.	तरोडा ओ/सी	वे.को.लि.	22.1.91	1	0	ए.जी.	शोवल, ड्रेगलाइन फ्रंट एंड लोडर आदि
8.	पनाधरो	गुजरात गिन.डेव कारपोरेशन	22.1.91	1	0	ए.जी.	व्हील वाले ट्रेगलेस (ट्रक टैंकर आदि)
9.	काकरी	ना.को.लि.	24.1.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर
10.	न्यू सलेक्टैट धोरी	से.को.लि.	25.1.91	1	0	ओ.सी.	व्हील वाले ट्रेकलेस(ट्रक टैंकर आदि)
11.	ओ.सी.पी. रामागुंडम	सिं.को.कं.लि.	29.1.91	1	0	ए.जी.	कनवेयर
12.	मुरलाडीह 20/2 पिट्स	भा.को.को.लि.	30.1.91	1	0	ए.जी.	अन्य रेल परिवहन
13.	बस्ताकोला	भा.को.को.लि.	2.2.91	1	0	बी.जी.	रोप हॉलेज
14.	राजुर	वे.को.लि.	5.2.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
15.	संवाग यूजी	सें.को.लि.	7.2.91	1	0	ए.जी.	रोप हॉलेज
16.	ईस्ट भेसुरिया	भा.को.को.लि.	12.2.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
17.	बांसदेव पुर	भा.को.को.लि.	12.2.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
18.	लोडना	भा.को.के.लि.	18.2.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
19.	पारस कोल	इ.को.लि.	18.2.91	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
20.	गोदावरी खानी नं.10ए	सिं.को.क.लि.	19.2.91	1	1	बी.जी.	ऊर्जाकृत मशीनें

1	2	3	4	5		6	7
21.	केन्द्रा	ई.को.लि.	21.2.91	1	0	बी.जी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
22.	कुमरेर परियोजना	वे.को.लि.	26.2.91	1	0	ओ.सी.	अन्य हैवी अर्थ मूविंग मशीनें
23.	गिरिडिह ओसीपी	से.को.लि.	27.2.91	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
24.	न्यू माजरी ओसी	वे.को.लि.	28.2.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
25.	गोदावरी खानी नं.6 ए/बी	सिं.को.कं.लि.	28.2.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
26.	साउथ बलन्दा	सा.ई.को.लि.	3.3.91	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
27.	कोठागुंडम 5 बी	सिं.को.कं.लि.	7.3.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
28.	महादेवपुरी	सा.ई.को.लि.	10.3.91	1	0	बी.जी.	छत का गिरना
29.	राजगमार 4 एंड 5	सा.ई.को.लि.	12.3.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
30.	लोयाबाद	भा.को.को.लि.	13.3.91	1	0	ए.जी.	एरियल रोपवेज
31.	केन्द्रा	ई.को.लि.	13.3.91	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
32.	दुधिचुआ प्रोजेक्ट	ना.को.लि.	14.3.91	1	0	ए.जी.	लोडिंग मशीनें
33.	सारूबेरा	सें.को.लि.	16.3.91	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
34.	घोराबारी	वे.को.लि.	19.3.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
35.	श्रीरामपुर नं.11ए	सिं.को.कं.लि.	20.3.91	1	1	बी.जी.	स्पाइडों का गिरना (ओ/हैंगस को छोड़कर)
36.	सोमागुडम नं.1	सिं.को.कं.लि.	24.3.91	2	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
37.	दामुआ	वे.को.लि.	27.3.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
38.	भावरा साउथ	भा.को.को.लि.	30.3.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
39.	नाकोडा इंकलाइन	वे.को.लि.	4.4.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
40.	लोयाबाद	भा.को.को.लि.	6.4.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
41.	केशलपुर	भा.को.को.लिं.	6.4.91	2	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
42.	मेथानी	ई.को.लि.	11.4.91	1	0	बी.जी.	मिसफायर/साकेट(ड्रिलिंग के समय)
43.	राजगमार 6/7	सा.ई.को.लि.	16.4.91	1	0	बी.जी.	पानी में डूबना
44.	पिपरवार कोलियरी	से.को.लि.	20.4.91	1	0	ए.जी.	ऊंचाई/से गहराई में व्यक्ति का गिरना
45.	लोकुरा ओसी	महानदी को.लि.	24.4.91	1	0	ए.जी.	ओवरहैड लाइनें
46.	भोगरा नार्थ (वीजी)	भा.को.को.लि.	25.4.91	1	0	वी.जी.	रोप हालेज
47.	सयालडीह नं.7	सें.को.लि.	28.4.91	1	0	ओ.सी.	ट्रेलिंग केबल्स
48.	महावीर खानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	3.5.91	1	2	वी.जी.	रोप हालेज
49.	पिंडरा	सें.को.लि.	4.5.91	1	0	ओ.सी.	पानी में डूबना
50.	धेमोमेन	ई.को.लि.	6.5.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
51.	गेवरा प्रोजेक्ट	सा.ई.को.लि.	6.5.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
52.	मोनिडीह प्रोजेक्ट	भा.को.को.लि.	7.5.91	1	0	बी.जी.	गैस का इनफलक्स
53.	सुदामडीह शिफ्ट	भा.को.को.लि.	7.5.91	1	1	ए.जी.	रोलिंग सामग्री सहित वस्तुओं का गिरना
54.	नूतन डांडा	ई.को.लि.	8.5.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
55.	बहुला	ई.को.लि.	11.5.91	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना(ओ/हैंगस को छोड़कर)
56.	अमलोरी	ना.को.लि.	14.5.91	2	5	ओ.सी.	व्हील ट्रैकलैस(ट्रक, टैंकर आदि)

1	2	3	4	5		6	7
57.	केडलाभूमिगत	सें.को.लि.	15.5.91	1	0	बी.जी.	रोलिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
58.	भांदरा	ई.को.लि.	24.5.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
59.	नवरोजाबाद	सा.ई.को.लि.	27.5.91	1	0	ए.जी.	अन्य हैवी अर्थ मशीनरी
60.	नन्दन परियोजना	वे.को.लि.	29.5.91	1	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
61.	जामादोबा	टाटा आयरन एंड स्टील कं.	1.6..91	1	0	बी.जी.	ओवरहैंग का गिरना
62.	गोविंदपुर	सें.को.लि.	1.6.91	1	0	ओ.सी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
63.	वेस्ट बोकारो	टाटाआयरन एंड स्टील कं.	3.6.91	1	0	ए.जी.	क्रशिग एंड स्क्रीनिंग संयंत्र
64.	गोलखडीह ओसीपी	भा.को.को.लि.	4.6.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
65.	सिदुली	ई.को.लि.	5.6.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
66.	मोतीखाल खानी नं.4	सिं.को.कं.लि.	8.6.91	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना(ओ/हैंग्स को छोड़कर)
67.	तेतुलमारी	भा.को.को.लि.	8.6.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
68.	गोदावरी खानी न.8ए	सिं.को.क.लि.	11.6.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
69.	गिडी सी	सें.को.लि.	12.6.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
70.	तरही	सें.को.लि.	19.6.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
71.	परसिया 6 एवं 7 इनक्लाइन	ई.को.लि.	21.6.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
72.	नाकोडा इनक्लाइन	वे.को.लि.	23.6.91	1	0	बी.सी.	रूफ का गिरना
73.	रविन्द्र खानी नं. 5	सिं.को.कं.लि.	25.6.91	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
74.	सिजुआ	टाटा आयरन एंड स्टील कं	26.6.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
75.	पाथाखेड़ा नं.1	वे.को.लि.	30.6.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
76.	छछाई भूमिगत	सा.ई.को.लि.	1.7.91	1	0	बी.जी.	कनवेयर्स
77.	केन्द्रा	ई.को.लि.	2.7.91	2	0	ए.जी.	सामग्री का गिरना (जिसमें रोलिंग सामग्री शामिल है।)
78.	सुदामडीह इनक्लाइन	भा.को.को.लि.	3.7.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
79.	काम्पटी	वे.को.लि.	8.7.91	1	0	बी.जी.	गैस का इनफलक्स
80.	वेस्ट बोकारो	टाटा आयरन एंड स्टील कं.	10.7.91	1	1	ओ.सी.	डम्पर्स
81.	साउथ गोविंदपुर	भा.को.को.लि.	10.7.91	1	0	ए.जी.	लोहिंग मशीनें
82.	कल्याणखानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	11.7.91	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
83.	शारदा ओपनकास्ट	सा.ई.को.लि.	12.7.91	1	0	ओ.सी.	ओवरहैड लाइनें
84.	गोदावरी खानी नं.1	सिं.को.कं.लि.	17.7.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
85.	बेंकटेश खानी नं.7	सिं.को.कं.लि.	17.7.91	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
86.	सोनामानी इनक्लाइन	सा.ई.को.लि.	27.7.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
87.	गिरिमिंट	ई.को.लि.	9.8.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
88.	नाबाँ काजोरा	ई.को.लि.	12.8.91	1	0	ए.जी..	डम्पर्स

1	2	3	4	5		6	7
89	अमृत नगर	ई.को.लि.	21.8.91	1	0	बी.जी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
90.	गोदावरी खानी	सिं.को.कं.लि.	21.8.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
91.	भागाबंध	भा.को.को.लि.	23.8.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
92.	गोदावरी खानी नं.6	सिं.को.कं.लि.	26.8.91	1	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
93.	गोदावरी खानी नं6	सिं.को.कं.लि.	28.8.91	1	0	बी.जी.	स्विच गीयर्स गैट एंड बाक्सस पोमल आदि
94.	दुलबेरा	महानदी को.लि.	31.8.91	1	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
95.	कुसमुंडा ओ.सीपी	सा.ई.को.लि.	5.9.91	1	0	ओ.सी.	अन्य हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी
96.	कुकरी	वे.को.लि.	11.9.91	1	1	बी.जी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना
97.	बलिहारी	भा.को.को.लि.	11.9.91	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
98.	शामपुर	ई.को.लि.	14.9.91	1	0	बी.जी.	रोलिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
99.	रानीपुर	ई.को.लि.	14.9.91	2	4	बी.जी.	रोप हालेज
100	समलेश्वरी ओपनकास्ट	महानदी को.लि.	18.9.91	1	0	ओ.सी.	साइड का गिरना (ओ/हैंगस को छोड़कर)
101.	नेवली।।	ने लि.कार्पो.	22.9.91	1	0	ओ.सी.	अवर्गीकृत
102.	सिजुआ	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	22.9.91	1	0	बी.जी.	केजेज, स्कीप आदि से व्यक्ति का गिरना
103.	बलिहारी	भा.को.को.लि.	25.9.91	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
104.	कुसतोर	भा.को.को.लि.	28.9.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
105.	पाथाखेरा नं.1	वे.को.लि.	29.9.91	1	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
106.	कथारा	से.को.लि.	2.10.91	1	1	ओ.सी.	डम्पर्स
107.	सुरकचार 3 एवं 4	सा.ई.को.लि.	4.10.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
108.	आरा	से.को.लि.	15.10.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
109.	कुसमुंडा ओसीपी	सा.ई.को.लि.	21.10.91	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर्स को छोड़कर)
110.	चरचा	सा.ई.को.लि.	21.10.91	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
111.	राजमहल ओसीपी	ई.को.लि.	3.11.91	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
112.	साउदा करनपुरा	सें.को.लि.	4.11.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
113.	चन्दार एतवारी	वे.को.लि.	10.11.91	1	0	ए.जी.	हालेज इंजिन
114.	गोदावरी खानी नं.11ए	सिं.को.कं.लि.	11.11.91	1	0	ए.जी	कनवेयर्स
115.	गोदावरी खानी वर्कशाप	सिं.को.कं.लि.	14.11.91	1	0	ए.जी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
116.	साउथ तितरा	भा.को.को.लि.	18.11.91	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
117.	ईस्ट डोंगर चिकली	वे.को.लि.	22.11.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
118.	पतंग साउंगी	वे.को.लि.	25.11.91	1	0	पी.जी.	रोप हालेज
119.	काम्पटी	वे.को.लि.	25.11.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
120.	श्रीपुर सीम इनक्लाइन	ई.को.लि.	25.11.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
121.	कुसमुंडा ओसीपी	सा.ई.को.लि.	29.11.94	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
122.	नार्थ अहमदाबाद परियोजना	भा.को.को.लि.	2.12.91	1	0	बी.जी.	रालिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना

1	2	3	4	5	6	7
123.	गोहगोला	जम्मू एंड कश्मीर मिनरलस	2.12.91	1	0	ओ.सी.	साइड का निगरना (ओ/ हैंग्स को छोडकर)
124.	पाथरडीह	भा.को.को.लि.	6.12.91	1	0	बी.जी.	ऊंचाई से गहराई में व्यक्तियों का गिरना
125.	कथारा	सें.को.लि.	8.12.91	1	0	ओ.सी.	ट्रेलिंग केबल के अलावा पावर केबल
126.	कोटाडीह	ई.को.लि.	13.12.91	1	1	बी.जी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
127.	गोदावरी खानी नं. 6	सिं.को.कं.लि.	15.12.91	1	0	बी.जी.	रोप होलेज
128.	लोहापट्टी	भा.को.को.लि.	18.12.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
129.	मधुजोर	ई.को.लि.	19.12.91	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
130.	न्यू केन्दा	ई.को.लि.	19.12.91	1	0	ए.जी.	क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग संयंत्र
131.	राजगमार 6 एवं 7	सा.ई.को.लि.	20.12.91	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
132.	तिरात	ई.को.लि.	22.12.91	1	0	बी.जी.	केजेज, स्किप आदि से व्यक्ति का गिरना
133.	पनादरो	गुजरात मिनरलस डेव.कार्पो.	22.12.91	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
134.	अम्बारा	वे.को.लि.	24.12.91	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
135.	बांकी 9 एवं 10	सा.ई.को.लि.	26.12.96	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
136.	कोठागुडम नं. 5बी	सिं.को.कं. लि.	27.12.91	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
137.	कुसमुंडा ओसीपी	सा.ई.को.लि.	29.12.91	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
138.	हिंदुस्तान लालपेट नं.1	वे.को.लि.	31.12.91	1	0	बी.जी.	ओवरहैड का गिरना
1992 के दौरान मृतक दुर्घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा						
1.	गोविंदपुर प्रोजेक्ट	से.को.लि.	2.1.92	1	0	ए.जी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
2.	न्यू लेकडीह ओसीपी	भा.को.को.लि.	4.1.92	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
3.	करणपुरा देवारखंड (केडीएसएसएल)	से.को.लि.	6.1.92	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक,टैंकर आदि)
4.	बालगी	सा.ई.को.लि.	10.1.92	1	0	बी.जी.	ऊर्जाकृत मशीनें
5.	भाटडीह	भा.को.को.लि.	11.1.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
6.	नेवेली नं. 2	ने.लि.कार्पो	2.1.92	1	0	ओ.सी.	कनवेयर्स
7.	छापापुर-2	ई.को.लि.	2.1.92	1	2	बी.सी.	रूफ का गिरना
8.	खादिया प्रोजेक्ट	ना.को.लि.	21.1.92	1	0	ओ.सी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
9.	बुरहार नं. 3	सा.ई.को.लि.	25.1.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
10.	कतरास छोटीडीह	भा.को.को.लि.	26.1.92	2	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
11.	भाभरा साउथ	भा.को.को.लि.	27.1.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
12.	गोदावरी खानी नं. 5	सिं.को.कं.लि.	2.2.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
13.	कल्याणखानी नं. 1	सिं.को.कं.लि.	7.2.92	1	2	बी.जी.	रोप हालेज
14.	नाबाकजोरा	ई.को.लि.	11.2.92	1	4	बी.जी.	एयरब्लास्ट
15.	कुइया	भा.को.को.लि.	13.2.92	1	1	बी.जी.	रोप हालेज
16.	दालुरबंद	ई.को.लि.	15.2.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज

1	2	3	4	5		6	7
17.	गसलीटांड	भा.के.को.लि.	19.2.92	1	0	बी.जी.	औवरहैंक का गिरना
18.	नार्थ चिरीमिरी	सा.ई.को.लि.	21.2.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
19.	टिपिन साउथ	से.को.लि.	23.2.92	1	0	ओ.सी.	लैंड स्लाइड
20.	राजापुर(साउथ झरिया)	भा.को.को.लि.	24.2.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
21.	खास कजोरा	ई.को.लि.	24.2.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
22.	खास कुसुडा	भा.को.को.लि.	4.3.92	2	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
23.	खादिया प्रोजेक्ट	ना.को.लि.	7.3.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर
24.	शोभापुर	वे.को.लि.	11.3.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
25.	करणपुरा देवाराखंड (केडीएचएसएल)	से.को.लि.	13.3.92	2	0	ओ.सी.	ड्रिलिंग मशीनें
26.	दालुरबंद ओसी	ई.को.लि.	14.3.92	1	4	बी.जी.	रूफ का गिरना
27.	लोहापट्टी	भा.को.को.लि.	17.3.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
28.	गुरलीडीह 20/21 पिट्स	भा.को.को.लि.	17.3.92	1	2	बी.जी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
29.	रत्वानवारा	वे.को.लि.	20.3.92	3	0	बी.पी.	रूफ का गिरना
30.	गोदावरी खानी 2ए	सिं.को.लि.	20.3.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
31.	खोडिया यूजी	ई.को.लि.	21.3.92	1	0	ए.जी.	लोडिंग मशीनें
32.	झाझरा 1 एंड 2	ई.को.लि.	22.3.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
33.	श्रीरामपुर नं. 3	सिं.को.कं.लि.	26.3.92	1	0	बी.जी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
34.	परसिया 6 एंड 7	ई.को.लि.	26.3.92	1	0	ए.जी.	रेत में दबा दिया
35.	इनक्लाइन						
35.	करणपुरा देवारखंड (केडी एचएसएल)	से.को.लि.	28.3.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
36.	कल्याणखानी नं 5ए	सिं.को.कं.लि.	29.3.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
37.	विश्रामपुर ओसी	सा.ई.को.लि.	29.3.92	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
38.	ओसीपी रामागुंडम	सिं.को.कं.लि.	3.4.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
39.	मुरलीडीह 20/21 पिट्स	भा.को.को.लि.	8.4.92	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
40.	दूधिबुआ परियोजना	ना.को.लि.	10.4.92	1	0	ओ.सी.	शावेल, ड्रेगलाइंस फ्रंट एंड लोडर आदि
41.	बंसल ओसी	ई.को.लि.	11.4.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
42.	कारो स्पेशल प्रोजेक्ट	से.को.लि.	18.4.92	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
43.	तिरात	ई.को.लि.	20.4.92	1	0	बी.जी.	केजेज का ओवर बाइडिंग/स्किप (नीचे जाने वाली)
44.	बुरागढ़	भा.को.को.लि	21.4.92	1	1	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
45.	झारखंड	से.को.लि.	24.4.92	1	0	ओ.सी.	अन्य हैवी अर्थ मूवी मशीनरी
46.	प्रकाशम खानी नं.11	सिं.को.कं.लि.	27.4.92	1	3	बी.जी.	रूफ का गिरना
47.	शिमलाबहल	भा.को.को.लि.	29.4.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
48.	गेवरा प्रोजेक्ट	सा.ई.को.लि.	2.5.92	1	0	ओ.सी.	व्हीलट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)

1	2	3	4	5		6	7
49.	चिनाकुरी नं.2	ई.को.लि.	8.5.92	1	0	बी.जी.	ओवरहैंग का गिरना
50.	बनकोला	ई.को.लि.	8.5.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
51.	रविन्द्र खानी नं.4	सिं.को.कं.लि.	9.5.92	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
52.	सयालडीह नं. 1 एंड 2	सें.को.लि.	9.5.92	1	0	ए.जी.	वेगन मूवमेंट्स
53.	गिडी ए	सें.को.लि.	9.5.92	1	0	ए.जी.	वैगन संचलन
54.	कुमारखाला ओसीपी	ई.को.लि.	9.5.92	1	1	ओ.सी.	व्हीलट्रेक लैस (ट्रक, टैंकर आदि)
55.	के.ओ.सी.पी.	भा.को.को.लि.	14.5.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
56.	बारमोरी ओसीपी	ई.को.लि.	16.5.92	1	0	ओ.सी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
57.	कनकानी	भा.को.को.लि.	20.5.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
58.	दोबारी	भा.को.को.लि.	20.5.92	3	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
59.	राजरप्पा प्रोजेक्ट	सें.को.लि.	22.5.92	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
60.	गिरिडीह ओसीपी	से.को.लि.	27.5.92	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
61.	सुदामडीह इनक्लाइन	भा.को.को.लि.	30.5.92	1	0	बी.जी.	छत का गिरना
62.	शिमला बहल	भा.को.को.लि.	31.5.92	1	0	बी.जी.	रोलिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
63.	रविन्द्र खानी नं.1	सिं.को.कं.लि.	5.6.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
64.	पांवेश्वर	ई.को.लि.	8.6.92	1	0	बी.जी.	केजेज, स्किप आदि द्वारा हिट होना
65.	उमरेर प्रोजेक्ट	वे.को.लि.	9.6.92	1	0	ए.जी.	स्विच गेयर गैट एंड बाक्सेस, पामेल आदि
66.	कटकोना नं. 3 एंड 4 इनक्लाइन	सा.ई.को.लि.	12.6.92	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
67.	राजरप्पा प्रोजेक्ट	सें.को.लि.	13.6.92	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
68.	परदेलिया	ई.को.लि.	14.6.92	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
69.	सेंदरा बांसजोरा	भा.को.को.लि.	15.6.92	1	0	ए.जी.	अवर्गीकृत
70.	शंकरपुर ओसीपी	ई.को.लि.	16.6.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
71.	रायबचरा	सें.को.लि.	20.6.92	1	1	बी.जी.	छत का गिरना
72.	वेस्ट मूडीडीह/ कैंशलपुर ओसीपी	भा.को.को.लि.	20.6.92	1	0	ओ.सी.	शावेल ड्रेगलाइंस फ्रंट एंड लोहर आदि
73.	गोविंदपुर	सें.को.लि.	24.6.92	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
74.	टोपा	सें.को.लि.	26.6.92	1	0	ओ.सी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
75.	जगन्नाथ	सा.ई.को.लि.	29.6.92	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
76.	शुरुबेरा	सें.को.लि.	30.6.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
77.	कुसमुंडा ओसीपी	सा.ई.को.लि.	1.7.92	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
78.	मुरगानस पिट	सिं.को.कं.लि.	2.7.92	1	0	बी.जी.	ओवरहैंग का गिरना
79.	चन्दर एतवारी	वे.को.लि.	8.7.92	2	0	बी.जी.	छत का गिरना
80.	डिगवाडीह	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	11.7.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
81.	नोरोजाबाद	सा.ई.को.लि.	16.7.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
82.	राजोर	वे.को.लि.	20.7.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)

1	2	3	4	5	6	7
83.	पाथरडीह	भा.को.को.लि.	25.7.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
84.	रविन्द्र खानी नं.6	सिं.को.कं.लि.	25.7.92	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस(ट्रक, टेंकर आदि)
85.	राखी कोल	वे.को.लि.	27.7.92	1	0	बी.जी.	रोप होलेज
86.	सयालडीह 6एंड 8	सें.को.लि.	27.7.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
87.	ब्लाक 11 ओसीपी	भा.को.को.लि.	27.7.92	1	0	ए.जी.	ओवरहैंड लाइंस
88.	सोमागुडम नं.1	सिं.को.कं.लि.	1.8.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
89.	एनसीपीएच	सा.ई.को.लि.	7.8.92	1	0	बी.जी.	रूफ हालेज
90.	परबेलिया	ई.को.लि.	8.8.92	1	0	बी.जी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
91.	नोरोजाबाद	सा.ई.को.लि.	11.8.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
92.	समूरिया	ई.को.लि.	12.8.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
93.	ईस्ट भगतडीह	भा.को.को.लि.	23.8.92	1	0	बी.जी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
94.	सुगिया	सें.को.लि.	24.8.92	1	0	ओ.सी.	पानी में डूबना
95.	मधुबंध	भा.को.को.लि.	26.8.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
96.	रामागुंडम ओसी-11	सिं.को.कं.लि.	26.8.92	1	0	ओ.सी.	अन्य हैवी अर्थ मूवी मशीनरी
97.	चित्रा	ई.को.लि.	27.8.92	1	0	ओ.सी	ओवरहैड लाइनें
98.	सुदामडीह शाफ्ट	भा.को.को.लि.	28.8.92	1	0	बी.जी.	रालिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
99.	चिन्दा यूजी प्रोजेक्ट	वे.को.लि.	28.8.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
100.	लोडना	भा.को.को.लि.	28.8.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना(ओ/हैंग्स को छोड़कर)
101.	रविन्द्र खानी नं.8	सिं.को.कं.लि.	29.8.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
102.	चरचा वेस्ट प्रोजेक्ट	सा.ई.को.लि.	1.9.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
103.	महावीर खानी नं 1	सिं.को.लि.	7.9.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
104.	पिंपोग	ना.ई.को.लि.	8.9.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
105.	गिडी सी	सें.को.लि.	9.9.92	1	0	ए.जी.	क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र
106.	बलिहारी	भा.को.को.लि.	11.9.92	1	20	बी.जी.	केजेज/की ओवर बाइडिंग/स्किप (नीचे जाती हुई)
107.	निमचा आर	ई.को.लि.	11.9.92	1	0	बी.जी.	ऊर्जाकृत मशीनें
108.	रावन बरखास	वे.को.लि.	11.9.92	1	0	बी.जी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
109.	प्रकाशम खानी नं.1	सिं.को.कं.लि.	14.9.92	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
110.	मधुसूदन पुर	ई.को.लि.	17.9.92	1	2	बी.जी.	चकिंग/पिल्लर का पहले ही ध्वस्त होना
111.	जामादोबा	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	18.9.92	1	0	बी.जी.	केजेज, स्किप आदि द्वारा हिट होना
112.	बुर्रागढ़	भा.को.को.लि.	19.9.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
113.	भवरा साउथ यूजी	भा.को.को.लि.	19.9.92	1	1	ओ.सी.	डम्पर्स
114.	कल्याणखानी नं.1	सिं.को.कं.लि.	21.9.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
115.	मुराईडीह	भा.को.को.लि.	22.9.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
116.	धोरी	सें.को.लि.	24.9.92	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
117.	कस्तोर	भा.को.को.लि.	25.9.92	3	1	ओ.सी.	डम्पर्स

1	2	3	4	5		6	7
118.	पिंडरा	सें.को.लि.	27.9.92	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेगलैस(ट्रक, टैंकर आदि)
119.	कुआरडीह	ई.को.लि.	28.9.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
120.	केशलपुर	ना.को.को.लि.	1.10.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
121.	जवन्त प्रोजेक्ट	भा.को.लि.	7.10.92	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
122.	चीनाकुरी नं.1	ई.को.लि.	10.10.92	2	0	बी.जी.	रोक बर्स्ट/बम्पस
123.	प्रकाशम खानी ओपनकास्ट-II	सि.को.कं.	11.10.92	1	0	ओ.सी.	रालिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
124.	बल्लारपुर 3 एंड 4	वे.को.लि.	14.10.92	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
125.	कुमारडीह बी	ई.को.लि.	14.10.92	1	0	बी.पी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
126.	गिरिमिंट	ई.को.लि.	14.10.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
127.	हिन्दुस्तान लालपेट नं. 1	वे.को.लि.	17.10.92	2	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
128.	सुरकचार 3 और 4	सा.ई.को.लि	18.10.92	2	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
129.	कुमारडीह बी	ई.को.लि.	19.10.92	1	2	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंडस को छोड़कर)
130.	सुरकी	वे.को.लि.	20.10.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
131.	भाभरा साउथ	भा.को.को.लि.	23.10.92	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
132.	गुलेती नं.1	सिं.को.कं.लि.	28.10.92	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
133.	अंगारपथरा	भा.को.को.लि	29.10.92	2	0	ए.जी.	स्विच गेयर गेट एंड बाक्सस पागेत आदि
134.	रविन्द्र खानी नं.3	सिं.को.कं.लि.	30.10.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
135.	कल्याणखानी न.5	सिं.को.कं.लि.	1.11.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
136.	बलिहारी	भा.को.को.कं.लि.	10.11.92	1	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
137.	मोधाईपुर	ई.को.लि.	14.11.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
138.	राजूर	वे.को.लि.	15.11.92	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
139.	हिन्दुस्तान लालपेट नं.1	वे.का.लि.	10.11.92	3	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
140.	ओरियंट नं. 2	महानदी को. लि.	18.11.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
141.	दोबारी	भा.को.को.लि.	19.11.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
142.	लोडना	भा.को.को.लि.	20.11.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
143.	शांति खानी	सिं.को.कं.लि,	25.11.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
144.	अमलाबाद	भा.को.को.लि.	26.11.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
145.	गोदावरी खानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	3.12.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
146.	काबरीबाद पुनर्गठित	सें.को.लि.	5.12.92	1	0	ए.जी.	अन्य हेवी अर्थ मूवी मशीनरी
147.	पाथखंडा न.1	वे.को.लि.	8.12.92	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
148.	महादेवपुरी	वे.को.लि.	8.12.92	1	0	बी.जी	रूफ का गिरना
149.	भादरा 7 एंड 8 इनक्लाइन	सा.ई.को.लि.	10.12.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
150	चित्रा ए	ई.को.लि.	10.12.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
151.	पानादरो	गुजरात मिनरलस डेव.कार्पो.	10.12.92	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)

1	2	3	4	5		6	7
152.	चपुईखास	ई.को.लि.	11.12.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
153.	केपटी ओसी	वे.को.लि.	15.12.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
154.	जवाहरखानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	16.12.92	1	0	बी.जी.	कनवेयर्स
155.	एनसीपीएच ओल्ड माइन	सा.ई.को.लि.	17.12.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
156.	चासनाला नार्थ	इंडियन आयल एंड स्टील कं.	17.12.92	1	0	ए.जी.	रालिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
157.	मूडीडीह	भा.को.को.लि.	17.12.92	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
158.	मोइरा	ई.को.लि.	18.12.92	1	0	बी.जी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
159.	शिवपुरी यूजी	वे.को.लि.	19.12.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
160.	चिनाकुरी नं.2	ई.को.लि.	21.12.92	3	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
161.	घूसिक	ई.को.लि.	21.12.92	1	0	बी.जी.	गैस भर जाना
162.	दूधिचुआ प्रोजेक्ट	ना.को.लि	10.4.92	1	0	ओ.सी	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना
163.	सोमागुडम नं.1	सिं.को.कं.लि.	23.12.92	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
164.	आरा	सें.को.लि.	25.12.92	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
165.	मधाईपुर	ई.को.लि.	28.12.92	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
वर्ष 1993 के दौरान कोयला खानों में मृतक दुर्घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा							
1.	सिदुली	ई.को.लि.	3.1.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
2.	खुरडीह	ई.को.लि.	4.1.93	1	0	बी.जी.	केजेज, स्किप आदि द्वारा हिट होना
3.	सलानपुर	भा.को.को.लि.	5.1.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
4.	दुलबेरा	महानदी कोल फील्ड लि.	6.1.93	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
5.	महाबीर खान नं.2	सिं.को.कं.लि.	9.1.93	1	0	बी.जी	रूफ का गिरना
6.	गोदावरी खानी नं.2	सिं.को.कं.लि.	13.1.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
7.	ईस्ट भगतडीह	भा.को.को.लि.	15.1.93	1	0	बी.जी	रोलिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
8.	माधवपुर	ई.को.लि.	15.1.93	1	0	बी.जी	रोप हालेज
9.	केसलपुर	भा.को.को.लि.	15.1.93	1	0	बी.जी.	एयरब्लास्ट
10.	लखनपुर ओपनकास्ट	महानदी को.लि.	23.1.93	1	0	ओ.सी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
11.	केडला यूजी	सें.को.लि.	25.1.93	1	0	बी.जी.	अन्य रेल परिवहन
12.	नूनीडीह जीतपुर	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी	28.1.93	1	0	ए.जी.	रेत में दबा दिया गया
13.	निमचना(आर)	ई.को.लि.	29.1.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
14.	कल्याणखानी नं.5ए	सि.को.कं.लि.	30.1.93	3	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
15.	भदरा	सा.ई.को.लि.	2.2.93	1	0	बी.जी.	अवर्गीकृत
16.	मिगाही	ना.को.लि.	2.2.93	1	0	ओ.सी	लोलिंग मशीनें
17.	कल्याणखानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	30.1.93	3	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
18.	गोविंदपुर	भा.को.को.लि.	4.2.93	1	0	ओ.सी.	ओवरहैंग का गिरना

1	2	3	4	5		6	7
19.	उमरीहारी	सें.को.लि.	4.2.93	1	0	ए.जी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
20.	गोदावरी खानी नं.7	सिं.को.कं.लि.	6.2.93	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलेस (ट्रक, टैंकर आदि)
21.	दूधिघुआ प्रोजेक्ट	ना.को.लि.	8.2.93	1	0	ओ.सी	ड्रिलिंग केबलस
22.	बेलोरा ओसी	वे.को.लि.	10.2.93	1	0	ओ.सी	धूल/गैस/आग के कारण अन्य दुर्घटनाएं
23.	भादरा 7एवं 8 इनक्लाइन	सा.ई.को.लि.	11.2.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
24.	नूनीडीह जीतपुर	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी	16.2.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
25.	गोपालीचक	भा.को.को.लि.	16.2.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
26.	निचितपुर	भा.को.को.लि.	17.2.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
27.	धरमाबंध	भा.को.को.लि.	20.2.93	1	0	बी.जी.	ओवरहैंग का गिरना
28.	पनाउग्रोह	गुजरात मिनरलस डेव. कार्पो.	21.2.93	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलेस (ट्रक, टैंकर आदि)
29.	जारंगडीह	सें.को.लि.	24.2.93	2	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
30.	टरमी	सें.को.लि.	27.2.93	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
31.	नन्दन नं. 1	वे.को.लि.	27.2.93	1	0	बी.जी.	अवर्गीकृत
32.	वेस्ट झगराखंड	सा.ई.को.लि.	2.3.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
33.	बल्लारपुर 1 और 2 (ओ.सी)	वे.को.लि.	13.3.93	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
34.	गोदावरी खानी नं. 8ए	सिं. को.कं.लि.	15.3.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
35.	सेलांडु नं. 21	सिं.को.कं.लि.	17.3.93	1	0	ए.जी.	वैगन संचलन
36.	महेशपुर	भा.को.को.लि.	18.3.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
37.	दामोदा ओसीपी	भा.को.को.लि.	18.3.93	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रैकलेस(ट्रक, टैंकर आदि)
38.	दामुआ	वे.को.लि.	20.3.93	1	2	बी.जी.	रूफ का गिरना
39.	रास्ती	वे.को.लि.	20.3.93	1	0	ए.जी.	क्रशनएवं स्क्रीनिंग संयंत्र
40.	रामनवारा	वे.को.लि.	21.3.93	1	0	ओ.सी	व्हील ट्रेकलैस(ट्रक, टैंकर आदि)
41.	भाभरा साउथ यूजी	भा.को.को.लि.	21.3.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
42.	चरचा	सा.ई.को.लि.	23.3.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
43.	कोइमा वेस्ट	सा.ई.को.लि.	25.3.93	1	0	बी.जी	साइड का गिरना (ओ/ हैंग्स को छोड़कर)
44.	चरचा वेस्ट प्रोजेक्ट	सा.ई.को.लि.	25.3.93	1	0	बी.जी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
45.	भरतपुर	महानदी को.लि.	2.4.93	1	0	ए.जी.	गैस का भर जाना
46.	झारखंड	सें.को.लि.	7.4.93	1	0	ओ.सी.	ओवरहैंड लाइनें
47.	पनादरों	गुजरात मिनरल का.	9.4.93	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
48.	बालगी	सा.ई.को.लि.	9.4.93	1	0	बी.जी.	अवर्गीकृत
49.	चारगांव	वे.को.लि.	10.4.93	1	0	ओ.सी.	अन्य हेवी अर्थ मूवी मशीनरी
50.	जयंत प्रोजेक्ट	ना.को.लि.	11.4.93	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
51.	कतरास प्रोजेक्ट	भा.को.को.लि.	14.4.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज

1	2	3	4	5		6	7
52.	खोदिया ओपनकास्ट	ई.को.लि.	16.4.93	1	0	ए.जी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
53.	गोदावरी खानी नं.1	सिं.को.कं.लि.	22.4.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
54.	भाभरा नार्थ	भा.को.को.लि.	25.4.93	1	0	ए.जी.	रोप हालेज
55.	गोडुडीह	भा.को.को.लि.	28.4.93	2	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
56.	चूरी	सें.को.लि.	28.4.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
57.	चित्रा ए	ई.को.लि.	28.4.93	1	0	ए.जी	डम्पर्स
58.	गसली वाड	भा.को.को.लि.	6.5.93	1	0	बी.जी.	रालिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
59.	चासनाता नार्थ	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी	13.5.93	1	0	ए.जी.	ओवरहैड लाइनें
60.	साउथ तिसरा	भा.को.को.लि.	19.5.93	1	0	बी.सी.	रोप हालेज
61.	नन्दन नं.1	वे.को.लि.	21.5.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
62.	न्यू माझरी ओसी	वे.को.लि.	21.5.93	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
63.	परसिया ओसीपी	ई.को.लि.	27.5.93	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
64.	चिरिमिरी ओसी	सा.ई को.लि.	29.5.93	1	0	ओ.सी	रेत आदि में दबा दिया गया
65.	रविन्दर खानी नं. 8	सिं.को.कं.लि.	2.6.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
66.	डिगवाडीह	टाटाआयरन एंड स्टील कंपनी	2.6.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
67.	मधुजोर	वे.को.लि.	4.6.93	1	1	बी.जी.	विस्फोटन/गैस का जलना/धुलल आदि
68.	चासनाला साउथ	इंडियन आयल एंड स्टील कंपनी	5.6.93	1	0	बी.जी.	अन्य रेल परिवहन
69.	फुलारी टांड	भा.को.को.लि.	11.6.93	1	0	बी.जी.	अवर्गीकृत
70.	कोठाकुडम नं. 5 बी	सिं.को.कं.लि.	15.6.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
71.	चन्दा एतवारी	वे.को.लि.	19.6.93	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
72.	सोमागुडम नं 1	सिं.को.कं.लि.	27.6.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
73.	गेवरा परियोजना	सा.ई.को.लि.	30.6.93	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
74.	मनोहर बहल	ई.को.लि.	3.7.93	1	0	बी.जी	रूफ का गिरना
75.	जयन्त परियोजना	ना.को.लि.	4.7.93	2	0	ओ.सी.डी	डीपहोल ब्लास्टिंग प्रोजेक्ट टाइल्स
76.	कल्याणखानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	5.7.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
77.	घूसिक	ई.को.लि.	5.7.93	1	0	ए.जी.	ओवरहैड लाइनें
78.	कुजामा	भा.को.को.लि.	6.7.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
79.	जामादोबा	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	7.7.93	1	0	ए.जी.	कनवेंयर्स
80.	सस्ती ओसी	वे.को.लि.	10.7.93	1	0	ओ.सी	डम्पर्स
81.	कनकानी	भा.को.को.लि.	13.7.93	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
82.	जामादोबा	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	16.7.93	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
83.	सिलुआ	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	17.7.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना

1	2	3	4	5	6	7
84.	कुमारडीह बी	ई.को.लि	18.7.93	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
85.	वालनी	वे.को.लि.	21.7.93	1	0	बी.जी.	रालिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
86.	जवाहरखानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	22.7.93	1	1	बी.जी.	रोप हालेज
87.	मानिकपुर	सा.ई.को.लि.	24.7.93	1	0	ओ.सी.	रालिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
88.	जानंगडीह	सें.को.लि.	25.7.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
89.	लवपुरा ओसी	महानदी को.लि.	27.7.93	1	0	ओ.सी	डम्पर्स
90.	सयालडीह नं.6 एंव 8	से.को.लि.	27.7.93	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
91.	वेस्ट मूडीडीह	भा.को.को.लि.	29.7.93	1	0	ए.जी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
92.	अमृत नगर	ई.को.लि.	29.7.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
93.	पियरसियरसोल	ई.को.लि.	31.7.93	1	0	बी.जी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
94.	महेशपुर	भा.को.को.लि.	2.8.93	1	0	ए.जी.	ओवरहैड लाइनें
95.	कुसुडा	भा.को.को.लि.	7.8.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
96.	दुमनहिल	सा.ई.को.लि.	8.8.93	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स
97.	दुग्गा ओसीएम	सा.ई.को.लि.	19.8.93	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
98.	नाकोदा इनक्लाइन	वे.को.लि.	28.8.93	1	0	बी.जी.	साइड का गिरना(ओ/ हैंग्स को छोड़कर)
99.	भागाबंध	भा.को.को.लि.	1.9.93	1	0	ए.जी.	पानी में डूबना
100.	सिरका यूजी	सें.को.लि.	6.9.93	1	1	बी.जी.	रूफ का गिरना
101.	रविन्दर खानी नं. 4	सिं.को.कं.लि.	7.9.93	1	0	बी.जी.	ओवर हैंग का गिरना
102.	आदणोय 2(एन)	ई.को.लि.	7.9.93	1	0	बी.जी.	केजेज/स्किपआदि (उर्धगानी की ओवरबाइडिंग)
103.	निमचा (आर)	ई.को.लि.	11.9.93	1	1	डी.जी.	ऊर्जाकृत मशीने
104.	जामादोबा 6,7	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	11.9.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
105	बसता कोला	भा.को.को.लि.	13.9.93	1	0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
106.	दालुरबंद	ई.को.लि.	14.9.93	1	0	बी.जी.	अन्य प्रोजेक्ट टाइल्स
107.	सिगुआ	टाटा आयरन एंड स्टील कं.	21.9.93	1	0	ओ.जी.	रोप हालेज
108.	भरतपुर	महानदी को.लि.	26.9.93	1	0	ओ.सी.	व्हील ट्रेगलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
109.	जवाहरखानी नं.5	सिं.को.कं.लि.	26.9.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
110.	कोरिया	सा.ई.को.लि.	30.9.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
111.	चरचा	सा.ई.को.लि.	2.10.93	3	0	बी.जी.	गैस का लगना
112.	लेडो(तिराम)	ना.ई.को.लि.	6.10.93	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
113.	रविन्दर खानी नं.3	सिं.को.कं.लि.	7.10.93	1	0	बी.जी.	रूफ का गिरना
114.	हरिपुर(आर)	ई.को.लि.	8.10.93	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
115.	राजेन्द्र माइन	सा.ई.को.लि.	10.10.93	1	0	ए.जी.	ऊर्जाकृत मशीनें
116.	एनसीपीएच	सा.ई.को.लि	11.10.93	1	0	ए.जी.	क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र
117.	सिलेवारा	वे.को.लि.	11.10.93	1	0	ए.जी.	कनवेयर्स

1	2	3	4	5	6	7
118.	महाबीर खानी न.2	सि.को.कं.लि.	11.10.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
119.	कोइमा वेस्ट	सा.ई.को लि.	12.10.93	1 0	बी.जी.	लोडिंग मशीनें
120.	मालकेरा-छोटुडीह	टाटा आयरन एंड स्टील कं.	15.10.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
121.	मोइरा	ई.को.लि.	17.10.93	1 0	बी.जी.	अन्य रेल परिवहन
122.	नरसमोदा	ई.को.लि.	18.10.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
123.	बलांडु न.21	सिं.को.कं.लि.	21.10.93	3 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
124.	जामबाद	ई.को.लि.	22.10.93	1 0	ए.जी.	अन्य हेवी अर्थ मशीनरी
125.	जवाहर खाई ओसी	सिं.को.कं.लि.	22.10.93	3 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
126.	सुरकचार 5 एवं 6	सा.ई.को.लि.	25.10.93	1 1	बी.जी.	रूफ का गिरना
127.	साउनेर माइन नं.1	वे.को.लि.	2.11.93	1 0	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
128.	न्यू माझरी नं. 3	वे.को.लि.	3.11.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
129.	बलिहारी	भा.को.को.लि.	3.11.93	1 0	ए.जी.	कनवेयर्स
130.	रविन्दर खानी नं.6	सिं.को.कं.लि.	4.11.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
131.	श्रीरामपुर नं.1	सिं.को.कं.लि.	6.11.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
132.	गोदावरी खानी नं.11ए	सिं.को.कं.लि.	6.11.93	3 2	बी.जी.	रूफ का गिरना
133.	आरा	से.को.लि.	9.11.93	1 0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
134.	साउदा करनपुरा	से.को.लि.	10.11.93	1 0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
135.	रविन्दर खानी नं.1	सिं.को.कं.लि.	11.11.93	1 0	बी.जी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
136.	विश्रामपुर ओसी	सा.ई.को.लि.	12.11.93	1 0	ए.जी.	डम्पर्स
137.	लोयाबाद	भा.को.को.लि.	13.11.93	1 0	ए.जी.	लोडिंग मशीनें
138.	बेलपहाड़ ओसी	महानदी को. लि.	18.11.93	1 0	ए.जी.	डम्पर्स
139.	तिपोंग	ना.ई.को.	19.11.93	9 0	बी.जी.	विस्फोटन/गैस का जलना/धूल आदि
140.	चीनाकुरी न.1	ई.को.लि.	23.11.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
141.	अम्बारा	वे.को.लि.	24.11.93	1 3	बी.जी.	रूफ का गिरना
142.	कल्याणखानी नं.2	सिं.को.कं.लि.	24.11.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
143.	निरसा	ई.को.लि.	30.11.93	1 0	ओ.सी.	रोलिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
144.	बेलमपल्ली ओसीपी	सिं.को.कं.लि.	4.12.93	1 0	ओ.सी.	अन्य हेवी अर्थ मूवी मशीनरी
145.	सतपुरा नं.1	वे.को.लि.	7.12.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
146.	झींगुरदा	ना.को.लि.	8.12.93	1 0	ओ.सी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्ति का गिरना
147.	वेस्ट चिरिमिरी	सा.ई.को.लि.	10.12.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
148.	रविन्दर खानी	सि.को.कं.लि.	11.12.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
149.	गोविंदपुर	भा.को.को.लि.	13.12.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
150.	सास्ती	वे.को.लि.	16.12.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
151.	गिडी सी	से.को.लि.	17.12.93	2 0	ए.जी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
152.	गोधार	भा.को.को.लि.	18.12.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
153.	जिलगोरा	भा.को.को.लि.	23.12.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
154.	हिन्दुस्तान लालपेट न.3	वे.को.लि.	25.12.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज

1	2	3	4	5	6	7
155.	ईस्ट [illegible]	वे.को.लि.	25.12.93	1	बी.जी.	साइड का गिरना (ओ/हैंग्स को छोड़कर)
156.	गनीऊडीह	भा.को.को.लि.	25.12.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
157.	श्रीरामपुर नं.2ए	सिं.को.कं.लि.	27.12.93	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
158.	राजगमार 6 एवं 7	सा.ई.को.लि.	28.12.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना
159.	जमुना 9 और 10 इनक्लाइन	सा.ई.को.लि.	31.12.93	1 0	बी.जी.	रूफ का गिरना

वर्ष 1994 (जून तक) के दौरान हुई भयंकर दुर्घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा

1.	समता(आर)	ई.को.लि.	5.1.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
2.	रामागुंडम ओसी 2	सिं.को.कं.लि.	5.1.94	1 0	ओ.सी.	शावेल, ड्रेगलाइंस, फ्रंट एंड लोडर आदि
3.	घनश्याम	ई.को.लि.	5.1.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
4.	गिडी सी	सें.को.लि.	8.1.94	1 0	ओ.सी.	व्हील ट्रेकलैस (ट्रक, टैंकर आदि)
5.	दुबारी	भा.को.को.लि.	8.1.94	1 0	ए.जी.	उसी स्तर पर व्यक्तियों का गिरना
6.	बानकी	सा.ई.को.लि.	9.1.94	1 1	बी.जी.	रूफ का गिरना
7.	गोदावरी खानी नं. 6ए/बी	सिं.को.कं.लि.	12.1.94	1 2	बी.जी.	मिसफायर्स/शाकेट(ड्रिलिंग के समय)
8.	मन्देरबेनी	इ.को.लि.	16.1.94	2 0	बी.जी.	रोलिंग सामग्री सहित
9.	महाबीर खानी नं.1	सि.को.कं.लि.	18.1.94	4 0	बी.जी.	छत का गिरना
10.	कोठागोदाम नं. V	तदैव	19.1.94	1 0	बी.जी.	ऊंचाई से/गहराई में व्यक्तियों का गिरना
11.	जैलगोरा	भा.को.को.लि.	22.1.94	1 0	बी.जी.	उसी स्तर से व्यक्ति का गिरना
12.	दुदछूआ प्रोजेक्ट	ना.को.लि.	22.1.94	1 0	ए.जी.	क्रेशिग एवं स्पिनिंग संयंत्र
13.	नं.21 इन्क्लीन	सिं.को.कं.लि.	22.1.94	1 0	बी.जी	छत का गिरना
14.	खालनी	वे.को.लि.	25.1.94	1 1	बी.जी.	ओवरहैंग का गिरना
15.	न्यू केन्द्रा	ई.को.लि.	25.1.94	55 0	बी.जी.	गैस/ धूल आदि का किस्फोट्न/इगनिशन
16.	स्यामसुन्दरपुर	ई.को.लि.	3.2.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
17.	प्रकासम खानी नं.11	सि.को.कं.लि.	3.2.94	1 0	ए.जी.	डम्पर्स
18.	रामखनाली	भा.को.कं.लि.	4.2.94	1 0	ए.जी.	अवर्गीकृत
19.	कुआरधी	ई.कं.लि.	6.2.94	1 0	बी.जी.	छत का गिरना
20.	गोदावरी खानी 5-ए (कैप)	सि.को.कं.लि.	8.2.94	1 0	ए.जी.	वैगन संचलन
21.	पालकीमारा	स.ई.को.लि.	9.2.94	1 0	बी.जी.	छत का गिरना
22.	सिजुआ	टा.आ.स्टी.कं.	9.2.94	1 0	बी.जी.	औवरहैंग का गिरना
23.	बादजना	ई.सी.लि.	19.2.94	1 0	ए.जी.	अन्य "हैम"
24.	इन्दराम खानी नं.1	सि.को.कं.लि.	21.2.94	1 0	बी.जी.	दीवार का गिरना(ओ/हैंग को छोड़कर)
25.	मुथधी	ई.को.लि.	21.2.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
26.	वेनेकाटेस खानी नं. VII	भा.को.कं.लि.	21.2.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
27.	लोयाबाद	भा.को.कं.लि.	22.2.94	1 0	बी.जी.	दीवार का गिरना

1	2	3	4	5		6	7
28.	साउथ तिसरा	भा. को. कं. लि.	22.2.94	1	4	ओ.सी.	अन्य प्रोजेक्टाइल्स
29.	नेवेली न.2	ने. लि.वा.	24.2.94	1	0	ओ.सी	अन्य "हैम"
30.	खादी प्रोजेक्ट	ना.को.लि.	24.2.94	1	0	ओ.सी.	अवर्गीकृत
31.	सुरकाचार 3 एंड 4	स.ई.कं.लि.	26.2.94	1	2	बी.जी.	मिसानायर/साकेट(ड्रिलिंग करते समय)
32.	प्रकाशन खानी ओपेनकास्ट-II	सि.को.कं.लि.	27.2.94	1	1	ए.जी.	फ्लाइंग टुकड़े (विस्फोट को छोड़कर)
33.	अमाली ओसी	सा.ई.को.लि.	28.2.94	1	0	ओ.सी.	डम्पर्स
34.	छिरीमिरी ओसी	स.ई.को.लि.	28.2.94	1	0	ओ.सी.	उत्खनन/पीलरों का समय से पहले गिरना
35.	मेथानी	ई.को.लि.	3.3.94	1	0	बी.जी.	रोलिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
36.	कोटमा वेस्ट	स.ई.को.लि.	5.3.94	6	1	बी.जी.	छत का गिरना
37.	अमलाबाद	भा.को.को.लि.	7.3.94	1	0	बी.जी.	दीवार का गिरना (ओ/हैंग को छोड़कर)
38.	अकाशकिनारी	तैदव	14.3.94	1	0	ओ.सी.	लदान मशीन
39.	सुनन्दा"डी" इस्ट	स. को. लि.	17.3.94	1	0	ए.जी.	ब्लीड ट्रेकलैस (ट्रक/टैंकर आदि)
40.	लौकुरा ओ सी	म.को.लि.	17.3.94	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
41.	राजुर पीआईआई	वे.को.लि.	20.3.94	1	1	बी.जी.	छत का गिरना
42.	गोदावरी खानी नं.VIII	स.को.कं.लि.	23.3.94	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
43.	गिडिया	से.को.लि.	27.3.94	1	0	ओ.सी	अन्य हैम
44.	गोदावरी खानी नं. वीए	सि.को.कं.लि.	27.3.94	1	0	बी.जी.	छत का गिरना
45.	रामागुन्डम ओ/सी-III	तदैव	27.3.94	1	0	ओ.सी.	शावेल/ड्रैगलाइन, फ्रंट एंड लोडर आदि
46.	न्यू केन्डा	ई.को.लि.	29.3.94	1	0	बी.जी.	रोप हालेज
47.	गोदावरी खानी नं. 10	सि.को.कं.लि.	31.3.94	2	1	बी.जी.	छत का गिरना
48.	दमगोरिया	भा.को.को.लि.	2.4.94	1	0	ए.जी	व्लीड टैकलैस(ट्रक/टैंकरआदि)
49.	स्वंग	से.को.लि.	2.4.94	1	0	ए.जी.	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना
50.	लोदना	भा.को.को.लि.	5.4.94	1	0	बी.जी.	छत का गिरना
51.	सोनवानी क्लीन	सा.ई.को.लि.	9.4.94	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
52.	बिजुरी	तदैव	9.4.94	1	1	बी.जी.	अवर्गीकृत
53.	कुरासिया	तदैव	9.4.94	1	0	ए.जी.	व्लीड ट्रैकलैस (ट्रक/टैंकर आदि)
54.	सेन्ट्रल काजोरा	ई.को.लि.	13.4.94	3	2	बी.जी.	छत का गिरना
55.	नूनिदिह जीपटर	इस्को	15.4.94	1	0	बी.जी.	मिसफायर/साकेट (ड्रिलिंग को छोड़कर)
56.	जवाहर खन्नी नं. 5	सिं.को.कं.लि.	30.4.94	3	3	बी.जी.	छत का गिरना
57.	बछरा	से.को.लि.	3.5.94	1	0	बी.जी.	छत का गिरना
58.	प्रकाशम खन्नी नं.11	सि.को.कं.लि.	3.5.94	1	0	ए.जी.	रेत आदि में दबना
59.	विष्णुपुरी	ओ सी वे.को.लि.	4.5.94	1	0	ए.जी.	डम्पर्स
60.	मोहन	तदैव	4.5.94	1	0	बी.जी	गैस का होना
61.	धानपुरीओपेन कास्टमाइन	सा.ई.को.लि.	4.5.94	2	0	ए.जी.	क्रेसिंग एंड स्क्रीनिंग संयंत्र कास्ट माइन
62.	बास्तेकोला	भा.को.को.लि.	6.5.94	1	0	बी.जी.	छत का गिरना
63.	चुरी	से.को.लि.	6.5.94	1	0	बी.जी.	अन्य रेल परिवहन

1	2	3	4	5	6	7
64.	के.डी. हेसलौग प्रोजे.	से. को. लि.	7.5.94	1 0	डी.सी.	[illegible]ान मशीन
65.	निगाही	ना.को.लि.	7.5.94	1 1	ए.जी.	डम्पर
66.	बेनेदीह	भा.को.को.लि.	7.5.94	1 2	ओ.सी.	डम्पर
67.	गोविन्दा इनक्लीन	साई.को.लि.	9.5.94	1 0	बी.जी.	छत का गिरना
68.	बोकारो	से.को.लि.	10.5.94	1 0	ए.जी.	ऊंचाई से गहराई में व्यक्ति का गिरना
69.	निवेली न.2	ने.लि.को.	10.5.94	1 0	ओ.जी.	कन्वेयर्स
70.	सेन्दर बन्सजोरा	भा.को.को.लि	13.5.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
71.	तर्मी	से.को.लि.	17.5.94	1 0	ए.जी.	अन्य "हैम"
72.	पिपला	वे.को.लि.	17.5.94	1 0	ए.जी.	कन्वेयर्स
73.	मोतीलाल खानी न.4	सि.को.कं.लि.	22.5.94	1 0	बी.जी	रोप हालेज
74.	कुया	भा.को.को.लि.	26.6.94	1 1	बी.जी	छत का गिरना
75.	चोरा ओ सी	ई.को.लि.	28.5.94	1 0	ओ.सी	डम्पर्स
76.	रामकानाली	भा.को.को.लि.	28.5.94	1 0	ओ.सी	डम्पर्स
77.	सीरका यू/जी	से.को.लि.	1.6.94	1 0	ए.जी.	रोलिंग सामग्री सहित सामग्री का गिरना
78.	काकरी	ना.को.लि.	3.6.94	1 0	ए.जी.	व्लीड ट्रैकलैस(ट्रक/टैंकर आदि)
79.	नं. 21 इनक्लीन	से.को.कं.लि.	7.6.94	3 2	बी.जी.	छत का गिरना
80.	न्यू मजरी नं. 3	वे.को.लि.	11.6.94	1 0	बी.सी.	छत का गिरना
81.	पाबेलिया	हे.को.लि.	17.6.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज
82.	रोहिणी प्रोजेक्ट	से.को.लि.	17.6.94	1 0	ओ.सी.	अवर्गीकृत
83.	राजपुर/साउथ झरिया	भा.को.को.लि.	21.6.94	1 0	ओ.सी	डम्पर्स
84.	दुबेश्वरी	ई.को.लि.	22.6.94	1 0	बी.जी.	अन्य प्रोजैक्टाल्टस
85.	किकोना	सा.ई.को.लि.	23.6.94	1 0	बी.जी.	छत का गिरना
86.	इन्दाराम खन्नी नं.1	सि.को.कं.लि.	30.6.94	1 0	बी.जी.	रोप हालेज

सार-संक्षेपण का पूर्ण स्वरूप

भा.को.को.लि.	भारत कोकिंग कोल लि.
से.को.लि.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.
ई.को.लि.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
म.को.लि	महानदी कोलफील्ड्स लि.
ना.को.लि.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
ने.लि.को	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.
सिं.को.कं.लि.	सिंगरेनी कोलफील्ड्स लि.
सा.ई.को.लि.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
वे.को.लि.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
जी.एम.डी.सी.	गुजरात खनिज विकास निगम
इस्को	इंडियन आयरन एंड स्टील कं.
टिस्को	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
ए.जी.	भूमि से ऊपर
बी.जी.	भूमि से नीचे
ओ.सी	ओपेनकास्ट
यू.जी.	भूमिगत

पैट्रोल बिक्री केन्द्र

2404. श्री अमर पाल सिंह :
डा. परशुराम गंगवार :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पैट्रोल बिक्री केन्द्र और रसोई गैस की एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में वर्ष 1994-95 के दौरान रसोई गैस की कुछ और एजेंसियां और पैट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.10.1994 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2010 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 307 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत थीं।

(ख)और (ग). उत्तर प्रदेश के लिए चालू विपणन योजनाओं में 364 खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा 72 एल.पी.जी. डिस्ट्रब्यूटरशिपों के प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। विज्ञापन जारी होने के पश्चात डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू करने में लगभग 1-2 वर्ष का समय लग जाता है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

2405. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी के कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) गत वर्ष 1993 के दौरान दिल्ली में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के 761 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मामलों की संख्या

वर्ष	सूचित किए गए	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	न्यायालय में दायर किए गए	दोष मुक्ति में समाप्त हुए	दोष सिद्धि में समाप्त हुए	विचारण के लिए लंबित	जांच पड़ताल के लिए लंबित	पता न लगे
1993	761	2	759	742	93	3	646	12	5

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	उन व्यक्तियों की सं. जिनके विरूद्ध न्यायालय में मामले दर्ज किए गए हैं।	व्यक्तियों की संख्या दोष सिद्ध	व्यक्तियों की संख्या दोष मुक्त	उन व्यक्तियों की संख्या संख्या जिनके विरूद्ध मामले विचारण के लिए लम्बित हैं।	उन व्यक्तियों की संख्या संख्या जिनके विरूद्ध मामले जांच पड़ताल के लिए लंबित है।	छोड़ दिए गए व्यक्तियों की संख्या
796	773	89	2	682	20	[illegible]

गुजरात को भाप कोयला (स्टीम कोल)

2406. **श्री काशीराम राणा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान गुजरात में उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए कुल कितने भाप कोयले (स्टीम कोल) की आवश्यकता है;

(ख) क्या गुजरात में उद्योगों के लिए भाप कोयला (स्टीम कोल) की मांग को पूरा किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता है। पूरे देश के लिए उनका मूल्यांकन उद्योग/क्षेत्रवार किया जाता है। उपभोक्ताओं को कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले की आपूर्ति सम्बद्ध प्रायोजन पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रायोजन के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर की जाती है। गुजरात के औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्टीम कोयले की आपूर्ति साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से और कुछ सीमा तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से की जाती है। अप्रैल, 1994 से सितम्बर, 1994 की अवधि के दौरान कोयले की आपूर्ति 3.08 लाख टन स्टीम कोयले के कार्यक्रम की तुलना में लगभग 2.42 लाख टन (अनंतिम) की आपूर्ति की। आपूर्ति और भी अधिक मात्रा मे की जाती, यदि स्वयं उपभोक्ताओं की ओर से कार्यक्रम रद्द/निलंबित न किए जाते।

कोल इंडिया लि. सड़क अथवा रेल द्वारा उपभोक्ताओ द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण कार्यक्रम की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रयास कर रहा है। यदि रेल द्वारा संचलन में किसी तरह की कमी आती है तो सभी उपभोक्ताओं को प्रायोजित कार्यक्रम के एवज में प्रयोग में न लाए गए प्रायोजन के अंतर्गत सड़क द्वारा आर्डर बुक किए जाने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कई कोलियरियों से कोयले की आपूर्ति किए जाने की पेशकश की गई है। उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत भी कोयले की आपूर्ति थोक व्यापारियों तथा लघु व्यापारियों को की जाती है, जोकि लघु तथा मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

2407. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को राज्यवार किन-किन स्वयंसेवी संगठनों के विरूद्ध निधि का दुरुपयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्यवार स्वैच्छिक संगठनों के विरूद्ध निधियों के दुरुपयोग के बारे में प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई

क्र.सं.	संगठन का नाम	राज्य	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	बंगाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति डेवेलपमेंट सोसाइटी, उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल	मंत्रालय द्वारा शिकायत की जांच की गई थी और यह शिकायत झूठी पाई गई थी।
2.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली की बांकूडा यूनिट	वही	इस शिकायत की जांच निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, कलकत्ता द्वारा कराई गई थी। निरीक्षण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में दुर्विनियोजन के किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया है। तथापि, रिपोर्ट में कहा गया था कि 6,31,170/-रुपये की अनुमोदित राशि में से केवल 3,37,623/-रुपये ही स्कूल भवन निर्माण पर खर्च किए गए थे। मंत्रालय ने निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित मुद्दे का संगठन से स्पष्टीकरण मांगा था। संगठन ने अब उत्तर दिया है कि भवन का निर्माण पूरा हो गया है और निधियों का उपयोग हो गया है। संगठन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, कलकत्ता को संगठन का एक ताजा निरीक्षण करने को कहा गया है।

1	2	3	4
		1992–93	
	प्रमोद वन आनन्द धाम, चित्रकूट, सतना	उत्तर प्रदेश	इस संगठन को 1991–92 तक वृद्धावस्था गृह चलाने के लिए सहाअनुदान दिया गया था। 1992 में इस संगठन के विरूद्ध वित्तीय अनियमितताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। आगामी सहायता अनुदान बन्द कर दिया गया था और राज्य सरकार को इस मामले में जांच रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
		1993–94	
	श्री मुख्तियार सिंह स्मृति शिक्षा श्रीमति पूठकलां, दिल्ली	दिल्ली	मंत्रालय द्वारा शिकायत की जांच की गई थी और निरीक्षण रिपोर्ट में पाई गई अनियमिताओं को ठीक करने के लिए गैर सरकारी संगठन को कहा गया है।
	वेलयूधन मेमोरियन ट्रस्ट, शैट्रली	केरल	राज्य सरकार को जांच करने और कल्याण मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।
	वीर अर्जुन युवा विकास मंडल, नागपुर	महाराष्ट्र	तदैव
	सुधा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	इस संगठन को 1993–94 में एक दिवा देखभाल केन्द्र की स्थापना के लिए 70,977/- रुपये का सहायता अनुदान दिया गया था। कल्याण मंत्रालय के एक निरीक्षण दल ने मार्च, 1993 में इस संगठन का दौरा किया था और यह पाया था कि निरीक्षण के समय दिवा देखभाल केन्द्र में कोई लाभग्राही नहीं था। इस निरीक्षण दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस संगठन को और पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने तक अनुदान बन्द कर दिया गया था।
	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, सोनीपत	हरियाणा	इस संगठन के विरूद्ध वित्तीय/संगठनात्मक अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत पर राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार की अनुकूल टिप्पणी के आधार पर आगामी सहायता अनुदान बहाल कर दिया गया था।
		1994–95	
	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद	नई दिल्ली	इस संगठन पर 1994–95 के दौरान वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। मंत्रालय ने गुजरात सरकार को इसका ताजा निरीक्षण करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

2408. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए और परियोजनाओं/नहरों के आधुनिकीकरण हेतु उड़ीसा सरकार को कुल कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं, कब तक पूरी हो जाएंगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) योजना आयोग ने उड़ीसा की 1994–95 की वार्षिक योजना के लिए बृहद, मध्यम एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं हेतु 299.99 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) और (ग). उड़ीसा की चालू बृहद, मध्यम एवं विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई स्कीमों का विवरण

वित्तीय - करोड़ रु. भौतिक - हजार हेक्टेयर

परयोजना का नाम	वित्तीय स्थिति				भौतिक स्थिति		पूरा करने का कार्यक्रम
	अद्यतन अनुमानित लागत वार्षिक योजना 1994-95	3/92 के अंत तक व्यय	आठवीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 1992-94 के दौरान व्यय (प्रत्याक्षित)	चरम सिंचाई क्षमता	3/94 तक सृजित क्षमता (प्रत्याक्षित)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
क. बृहद							
1. अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	338.17	73.29	256.00	36.37	218.60	3.94	आठवीं योजना में आगे ले जाई गई
2. अपर कोलाब सिंचाई	157.97	81.08	76.00	47.83	88.75	33.58	आठवीं योजना
3. सुबनरिखा सिंचाई	1013.68	168.33	795.00	35.74	187.46	-	आठवीं योजना से आगे ले जाई गई
4. रेंगाली सिंचाई परि.	1475.00	142.35	480.00	44.60	423.60	-	वही
5. महानदी चित्रोटपाला	93.07	6.84	87.00	13.69	35.95	-	वही
6. पोट्टेरू सिंचाई परि.*	102.39	77.43	-	7.12	109.88	10.30	वही
ख. मझौली							
1. अपर जोंक सिंचाई	82.13	31.74	19.00	13.63	13.00	2.00	आठवीं योजना
2. बडानाल्ला	92.00	43.77	12.00	16.00	13.74	4.00	आठवीं योजना
3. हरिहरजोरे	51.19	31.64	18.00	9.98	13.70	-	आठवीं योजना
4. हरभंगी	96.00	44.16	22.21	16.34	15.97	-	आठवीं योजना से आगे
5. भगुआ चरण-II	39.46	10.48	18.00	8.05	3.39	-	आठवीं योजना
6. देव	52.23	1.43	50.00	4.21	15.64	-	आठवीं योजना से आगे
7. बाघलती	42.63	2.71	22.00	3.33	3.68		वही
8. सपुआबादजोरे	33.21	2.37	33.00	3.90	3.75		वही
9. बीरूपा-गुहाटी	11.46	6.76	3.20	2.24	8.09	6.09	आठवीं योजना
10. सतीगुडा**	4.52	-	2.74	0.50	13.59	11.81	आठवीं योजना
ग. विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण							
1. दरारों के लिए हीराकुंड बांध का सुदृढ़ीकरण	25.39	3.65	22.00	1.33			आठवीं योजना से आगे
2. हीराकुंड वितरण प्रणाली	81.82	2.66	20.00	1.24			वही
3. रूबिकुल्या फेज II	55.00	0.38	7.40	0.20			वही
4. थानोई	4.48	0.40	1.55	0.10	प्रत्यक्ष लाभ नहीं		वही
5. जयमगल	0.39	0.07	0.19	0.10			आठवीं योजना
6. सालिया	2.82	0.27	2.60	0.10			आठवीं योजना से आगे
7. बुद्धबुधियानी	4.53	0.20	0.32	0.32			वही
8. उतलेई	6.44	0.25	2.20	0.05			वही

1		2	3	4	5	6	7	8
9.	सैपाल	0.50	0.30	0.10	0.10			आठवीं योजना
10.	हीराधारबट्टी	1.18	0.05	0.78	0.10			आठवीं योजना से आगे
11.	कथकई	0.26	0.18	0.01	0.05			आठवीं योजना
12.	नेसा	0.25	0.14	0.10	0.05			आठवीं योजना
13.	ओखला वितरणी	0.21	0.16	0.07	0.03	प्रत्यक्ष		आठवीं योजना
14.	चुल्कीनल्ला का पुनःचक्रण	0.35	0.03	0.16	0.20	लाभ नहीं		वही
15.	सलगुडी एवं दास मौजा नहर	1.87	0.25	0.31	1.00			वही
16.	डैल्टा विकास योजना	600.75	7.02	100.00	9.49			आठवीं योजना से आगे

टिप्पणी : * यह परियोजना एक योजनागत परियोजना नहीं है। 94.83 करोड़ रुपए तक व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना है और शेष राशि राज्य द्वारा अपने संसाधनों से पूरी की जानी है।

** केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य सरकार को स्थानांतरित ।

कच्चे तेल का उत्पादन

2409. श्री हरिभाई पटेल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गुजरात के तेल क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों की तुलना में वर्तमान समय में राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन कितना है; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जबकि वर्ष 1992-93 तथा वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात के क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः 5.807 मिलियन टन तथा 5.976 मिलियन टन था, वर्ष 1994-95 के लिए 5.850 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) सरकार ने 1245.62 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर गंधार क्षेत्र चरण-II के विकास के लिए ओ.एन.जी.सी. के परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त मेहसाना में बलोल, संथाल तेल क्षेत्र आदि के लिए वर्द्धित तेल निकासी की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

दहेज संबंधी मामले

2410. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में सभी राज्य सरकारों को दहेज संबंधी मामलों तथा महिलाओं के विरूद्ध देश में हिंसा के मामलों की जांच करने हेतु प्रत्येक जिले में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना, पता लगाना और उनकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को महिला पुलिस अधिकारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति करने तथा महिलाओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए थानों में महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान विशेष प्रकोष्ठों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मौजूद विशेष प्रकोष्ठ

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विशेष प्रकोष्ठ
1	2
1. आंध्र प्रदेश	महिला संरक्षण प्रकोष्ठ
2. हिमाचल प्रदेश	महिला अपराध विरोधी प्रकोष्ठ
3. कर्नाटक	दहेज विरोधी प्रकोष्ठ
4. मध्य प्रदेश	महिला प्रकोष्ठ और महिला पुलिस स्टेशन(चुने हुए शहरों में)
5. उड़ीसा	दहेज विरोध प्रकोष्ठ
6. पंजाब	महिला प्रकोष्ठ
7. राजस्थान	दहेज प्रकोष्ठ
8. तमिलनाडु	दहेज प्रकोष्ठ
9. उत्तर प्रदेश	महिला सहायता प्रकोष्ठ

1	2
संघ शासित क्षेत्र	
1. चंडीगढ़	अपराध(महिला)प्रकोष्ठ
2. दिल्ली	अपराध (महिला)प्रकोष्ठ
3. पांडिचेरी	अपराध(महिला)प्रकोष्ठ

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन

2411. श्री साइमन मरान्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे किस्म का कोयला झारखंड क्षेत्र में निकाला जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कुछ कोयले की खानों में आग लगी हुई थी जिस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितना घाटा हुआ;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी सहायता मांगी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) कब तक इस आग को बुझा दिया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले में, जिसमें इस्पात ग्रेड-I तथा II और ग्रेड "ए","बी" और "सी" के अकोकर कोयले, अन्य ग्रेड के अकोकर कोयले के अलावा और अकोकर कोयला शामिल है, का बिहार राज्य में उत्पादन किया जाता है।

(ग) को.इं.लि. ने बिहार में कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(2) उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए लघु तथा कुछ कम घाटे वाली खानों का पुनर्गठन किया गया है।

(3) जहां कहीं भू-खनन परिस्थितियां अनुकूल हैं, उन स्थानों पर उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए साईड डिस्चार्ज लोडर्स और लोड-हॉल डम्पर्स की शुरूआत की गई है।

(घ) से (ज). बिहार में कोयला की कई खानें, खान की आगों में प्रभावित हैं। कुछ मामलों में जबकि इन आगों को नियंत्रित कर लिया गया है, किन्तु इन आगों को पूरी तरह से बुझाया जाना संभव नहीं हो सका है। बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में वर्ष 1916 में प्रथम आग का पता लगने के बाद, 17.32 वर्ग. कि.मी. के क्षेत्र में 70 आगों के विद्यमान होने की सूचना मिली है।

झरिया कोयला क्षेत्र में आग के कारण कोयले के भंडारों में हुई हानि का सही रूप में ब्यौरा देना कठिन है। किन्तु, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 37 मि.टन कोयले के भंडारों की आग के कारण क्षति हुई है।

भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा किए गए निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप 5 आगों को बुझा लिया गया है और 6 आगों को फैलने से रोक दिया गया है।

राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अभिकरण हैदराबाद द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जोकि रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए झरिया कोयला क्षेत्र में खानों में लगी आग के क्षेत्रों का तापीय चित्रण तैयार करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित किए जाने के लिए किया गया था।

झरिया कोयला क्षेत्र की आगों की समस्या के दीर्घावधि समाधान का पता लगाए जाने के उद्देश्य से झरिया कोयला अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन शुरू किया गया है, जिसके लिए 12.00 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक की सहायता अनुमोदित की गई है। इस अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल/बैंजीन का मूल्य

2412. डा. वसंत पवार : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये जाने वाले बैंजीन/कच्चे तेल के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आयी है;

(ख) क्या बैंजीन के मूल्य में इस गिरावट का स्वदेशी उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या आयात किये गये बैंजीन के मूल्य में इस अत्यधिक गिरावट के कारण कोचीन रिफाइनरीज को यह परियोजना मूल्यस्तर में सुधार होने तक स्थगित करनी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण हेतु अपेक्षित कदमों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैंजीन की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया है। बैंजीन मुक्त व्यापार का एक उत्पाद है तथा इसकी कीमत तेल कंपनियों द्वारा बाजारू ताकतों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र

2413. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) इस मामले को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मण्डी जिले में चौहार घाटी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का एक प्रस्ताव पेश किया है।

(ग) तथा (घ). राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। इसलिए यह इसके समेकित आदिवासी विकास परियोजना (आई.टी.डी.पी.) के रूप में घोषित करने के मानदंड को पूरा नहीं करता। फिर भी राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि यदि संभव हो तो घाटी में 10,000 अथवा 5,000 की कुल जनसंख्या वाले, जिनकी 50 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, निर्धारित करें, और माडा पाकेट अथवा समूह जैसा भी मामला हो बनाने का नया प्रस्ताव मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत करें। समेकित आदिवासी विकास परियोजना अथवा माडा अथवा समूह में से किसी में शामिल न की गई, अनुसूचित जातियों को बिखरी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

उत्तर प्रदेश में स्वयसेवी संगठन

2414. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में मंत्रालय की सहायता अथवा निर्देशों के अंतर्गत कितने स्वयसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन संगठनों द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कुछ स्वयंसेवी नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने संगठन हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इन संगठनों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन संगठनों ने शराबियों का उपचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो 1991 के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों का उपचार किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). कल्याण मंत्रालय से सहायतानुदान प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश स्थित स्वैच्छिक संगठनों की संख्या और कल्याण संबंधी विस्तृत कार्यकलाप, जिनके लिए सहायतानुदान दिए जाते हैं, निम्न प्रकार हैं :—

स्वैच्छिक संगठनों की संख्या		विस्तृत कल्याण संबंधी कार्यकलाप
46	—	अनुसूचित जाति के बच्चों के शैक्षिक विकास, और अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को लक्ष्य करके रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम
3	—	आश्रम विद्यालयों, टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण का रख-रखाव ।
5	—	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को यंत्र एवं सहायक उपकरण प्रदान करना।
37	—	शिक्षा, प्रशिक्षण और चेतना सृजन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास।
27	—	शराब तथा नशीली दवाओं के कुप्रभावों के बारे में चेतना सृजन करना और लोगों को शिक्षित बनाना; व्यसनियों की पहचान, प्रेरणा, परामर्श, निर्व्यसन, उत्तरवर्ती देखभाल और पुनर्वास के लिए समुदाय-आधारित सेवाएं प्रदान करना; मद्यनिषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में राज्य की ओर से किए गए उपायों और स्वैच्छिक प्रयासों के बीच उपर्युक्त संपर्क कायम करना।
50	—	बेसहारा बच्चों, वृद्धजनों का कल्याण और वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के बच्चों का पुनर्वास

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). एक विवरण संलग्न है।

(च) जी, हां।

(छ) अप्रैल, सितम्बर, 1994 के दौरान 5135 मद्यपान करने वालों का उपचार किया गया।

विवरण

		1993-94	1994-95
1.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, पिंडी करछना, इलाहाबाद	7,38,720	3,69,360
2.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, आजाद ग्राम डालिगंज, लखनऊ	1,24,740	2,44,080
3.	एसोसिएशन फॉर सोशल हैल्थ इन इंडिया, रानी होटल बिल्डिंग, बेगम ब्रिज, मेरठ-250001	3,17,517	1,22,580
4.	बोधिसत्व बाबा साहिब डा. अम्बेडकर स्मारक समिति 68/363, शितवापुर पैजवा, लखनऊ	4,96,260	9,92,520
5.	जे.पी. राजा बैरूमाधव, जनकल्याण समिति, गुलाब रोड, राय बरेली	2,11,442	1,15,891
6.	सोसायटी फॉर अर्बन एंड रूरल रिकन्सट्रक्शन, बी-28 माल एवेन्यु, लखनऊ	1,07,575	1,98,765
7.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति 504/63, टैगोर मार्ग (नियर बन्दी) डालिगंज माता मंदिर, डालिगंज, उन्नाव	1,96,200	1,16,000
8.	निर्वाण, डी 2239, हिमालयन रोड, इन्दिरा नगर, अल्मोड़ा	1,21,320	3,91,621
9.	कंचन लाल सगुन सेवा संस्थान, ग्राम और पो. पारा, जिला हमिपुर	46,350	1,13,400
10.	शक्ति साधना संस्थान, सीतापुर	1,43,100	1,16,100
11.	स्वर्गीय रामदेव सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निराश्रित दलित पिछड़ा वर्ग महिला उत्थान, बस्ती	1,28,250	1,21,500
12.	ग्राम विकास सेवा अल्लापुर, संस्थान, इलाहाबाद	10,15,100	4,97,340
13.	इंडियन रेडक्रास सोसायटी जिला ब्रांच 53, बहादुरगंज, इलाहाबाद	2, 53,800	1,26,900
14.	काशी क्लब, गंगेज भवन, 14/8, दशमेश रोड, वाराणसी	9,62,280	4,01,140
15.	अम्बेडकर शिक्षा समिति 563/के.ए/58 श्यामनगर आलमबाग, लखनऊ	7,10,090	3,69,360
16.	श्री कांचिलाल शास्त्री स्मारक संस्थान, सी-49, कल्लाणपुर, कानपुर	1,16,100	1,05,300
17.	मेडिकल एडवाइजर एसो. 211/जे.आई. किदवई नगर, कानपुर	11,53,080	—
18.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर मंगोली, शाहाबाद, रामपुर	2,53,800	1,26,980
19.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान 202 ए-6, जवाहर नगर, हाथी पार्क के निकट, लखनऊ	1,26,900	—
20.	श्री राम बाबू वर्मा चैरिटेबुल सोसायटी 4/6, बाग फरजाना सिविल लाइन्स, आगरा	10,93,053	6,46,295
21.	सामाजिक आवाम आर्थिक विकास संस्थान सी. 2116, इंदिरा नगर, लखनऊ	352,916	—
22.	सार्वजनिक शिक्षण समिति 565/180, पुरननगर आलमबाग, लखनऊ	1,26,225	1,22,917
23.	सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, मिलक पी.ओ. जिला रामपुर	1,09,620	—
24.	शहीद मेमोरियल सोसायटी ई-1698, राजाजीपुरम, लखनऊ	12,78,000	8,57,521
25.	सार्वजनिक शिक्षोन्मुलन संस्थान अलीपुर, हरदोई	9,92,520	—
26.	तिलक शिक्षक समिति 69-ए तिलक नगर, बेगम बारी रोड, इलाहाबाद	7,38,720	3,69,360
27.	भारतीय समाज सेवा संस्थान, बरथाना	2,47,050	1,26,900

[अनुवाद]

पंजीकृत समाचार पत्र/पत्रिकाएं

2415. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विभिन्न भाषाओं में कितने समाचार पत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत की गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :

30.11.94 तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों की संख्या।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत समाचारपत्रों/ पत्रिकाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1757
अरुणाचल प्रदेश	6
असम	320
बिहार	1516
दिल्ली	5325
गोवा	81
गुजरात	1081
हरियाणा	846
हिमाचल प्रदेश	139
जम्मू और कश्मीर	287
कर्नाटक	1806
केरल	1566
मध्य प्रदेश	2673
महाराष्ट्र	4350
मणिपुर	145
मेघालय	66
मिजोरम	100
नागालैण्ड	12
उड़ीसा	776
पंजाब	1163
राजस्थान	2695
सिक्किम	10
तमिलनाडु	2245
त्रिपुरा	95
उत्तर प्रदेश	5817
पश्चिम बंगाल	3348
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32
चंडीगढ़	295
दमन	1
दादर और नगर हवेली	1
लक्षद्वीप	2
पांडिचेरी	65
जोड़	38621

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड

2416. **श्री राज नारायण** : क्या पैट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 में उत्तर प्रदेश के लिए तेल चयन बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कितनी अवधि के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड ने किन-किन स्थानों का पैट्रोल पम्पों/रसोई गैस एजेंसियों तथा मिट्टी के तेल के बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु चयन किया है;

(ग) क्या उक्त बोर्ड अब भी कार्यरत हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस बोर्ड को भंग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 1994 में उत्तर प्रदेश के लिए नये तेल चयन बोर्ड का गठन किया गया है;

(च) यदि हां, तो बोर्ड के कौन-कौन सदस्य हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). तेल चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश) का गठन 1.1.1993 को दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। सरकार को इसके कार्यकरण के विरूद्ध शिकायतें मिली थीं। तदनुसार, तेल चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी, 1994 में समाप्त कर दिया गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस बोर्ड ने 119 डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन कर लिया था।

(ङ) और (च). तेल चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश) का पुनर्गठन 9 मार्च, 1994 को निम्नलिखित को शामिल करते हुए किया गया था :-

1. न्यायमूर्ति एस.एच. आबीदी — अध्यक्ष
   उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
2. रिक्त — सदस्य-1
3. श्री जे. एन. तिवारी — सदस्य-2

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

1984 के दंगे

2417. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994 के दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के कार्य के लिए 1990 अक्तूबर महीने के दौरान एक "दंगा प्रकोष्ठ" गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ से इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष न्यायालयों में 1984 के दंगों से संबंधित कितने मामले दायर किए हैं;

(ग) क्या न्यायालयों ने ऐसे मामलों में निर्णय दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो न्यायालयों ने अभी तक कितने मामलों में निर्णय दिए हैं और अभी तक कितने व्यक्तियों को सजा दी गई हैं; और

(ङ) कितने मामलों में न्यायालयों में आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां। "दंगा प्रकोष्ठ" का गठन सितम्बर, 1990 में किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया कि दंगा प्रकोष्ठ ने 143 मामलों में न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए।

(ग) से (ङ). 143 मामलों में से 73 मामलों को दोष सिद्ध न होने के कारण समाप्त कर दिया है। अभी तक जिन मामलों पर फैसला किया गया उनमें से किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का जलना

2418. **श्री तारा सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस व्यर्थ ही जल जाती है और इसका पूर्ण सदुपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) क्या सरकार इन स्रोतों का पूर्ण सदुपयोग करने के उद्देश्य से लघु/दीर्घ/मसौले स्तर के निर्माताओं को प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रसंस्करण/शोधन इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दे रही है;

(ग) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए कितनी दर वसूली जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इन इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक परामर्श देने के लिए कुछ परामर्शदात्री एजेंसियां बनाई हैं अथवा ये सेवाएं निजी परामर्शदात्री एजेंसियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां। उत्पादित गैस का लगभग 10.46 प्रतिशत हिस्सा जलाया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) गैस का वर्तमान लैंडफाल मूल्य उत्तर-पूर्व को छोड़कर, जहां यह मूल्य 1000 रुपये प्रति हजार घन मीटर है, पूरे देश में 17 रुपये प्रति हजार घन मीटर है।

(घ) और (ङ). सरकार ने ऐसे यूनिटों की स्थापना के संबंध में कोई परामर्शक एजेंसी नहीं खोली है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2419. **श्री प्रेम चन्द राम :**
श्री छेदी पासवान :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन बड़े तथा मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अपनी नियत समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) इसके फलस्वरूप कितनी मूल्य वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इन परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार के पास इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग हेतु प्रस्ताव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). बिहार सरकार से योजना आयोग में ऐसा कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो अपने मूल कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं, को पूरा करने के लिए वित्त सहायता मांगी गई है।

विवरण

बिहार को उन परियोजनाओं का ब्यौरा, जो अपने मूल कार्यक्रम से पीछे चल रही है।

(राशि : करोड़ रुपए)

क्र. स.	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	मूल अनुमोदित लागत	नवीनतम अनुमानित लागत	पूर्ण होने को सं. संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
I वृहद परियोजनाएं					
1.	पश्चिमी कोसी नहर	III	13.45	326.60	आठवीं योजना से आगे
2.	अपर कियूल जलाशय	V	8.07	63.67	आठवीं योजना
3.	बागमती सिंचाई	1970	5.78	314.67	आठवीं योजना से आगे
4.	दुर्गावती जलाशय	V	15.30	147.40	-वही-
5.	बरनार जलाशय	V	8.04	102.38	-वही-
6.	भूटेश्वरस्थान पम्प फेज-I	V	13.87	13.67	-वही-
7.	बाणसागर बांध	V	91.30	140.00	-वही-
8.	गुमानी बराज	V	3.84	58.42	आठवीं योजना
9.	टकरनाला पम्प	V	8.43	79.57	-वही-
10.	सिन्धवनीं जलाशय	IV	4.45	21.95	-वही-
11.	औरंगा जलाशय	VI	125.40	257.00	आठवीं योजना से आगे
12.	सुवर्णरिखा बहु-प्रयोजनी परियोजना	V	480.00	1428.82	-वही-
13.	उत्तर कोयल जलाशय	1973	113.77	475.00	-वही-
14.	सिक्तिया (अजोय) बराज	1972	9.21	133.11	-वही-
15.	पुनासी जलाशय	1982	26.14	145.00	-वही-
16.	कोनार दिकपरिवर्तन	V	11.43	225.40	-वही-
17.	तिलैया दिकपरिवर्तन	V	13.43	121.33	-वही-
18.	मासन बांध	VII	-	57.96	-वही-
II मध्यम परियोजनाएं					
1.	सक्रियाली पी.सी	V	3.61	8.14	आठवीं योजना
2.	ओरनी जलाशय	V	2.96	32.74	-वही-
3.	ओरनी जलाशय	V	4.01	34.78	-वही-
4.	तोरई जलाशय	V	2.96	56.18	-वही-
5.	कन्स जलाशय	V	1.37	18.40	-वही-
6.	झरझरा जलाशय	V	4.47	24.50	-वही-
7.	बिलासी जलाशय	वार्षिक योजना 78-80	1.46	12.02	-वही-
8.	सोनु जलाशय	VI	8.92	37.46	-वही-
9.	सुरु जलाशय	VI	3.12	14.86	-वही-
10.	लट्टाटु जलाशय	1982	10.98	41.98	-वही-
11.	भैरवा जलाशय	VII	20.19	25.08	-वही-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	केसो जलाशय	VII	16.14	16.83	आठवीं योजना से आगे
13.	पंचखेरो जलाशय	VII	9.55	16.85	-वही-
14.	नकातो जलाशय	VII	0.71	16.99	-वही-
15.	सुरंगी जलाशय	VII	4.63	17.55	-वही-
16.	कंसजोर जलाशय	VII	8.66	25.75	-वही-
17.	अपर शेक जलाशय	VII	9.19	29.22	-वही-
18.	रामरेखा जलाशय	VII	8.76	20.14	-वही-
19.	धनसिंगटोली जलाशय	VII	-	17.10	-वही-
20.	कटारी जलाशय	VII	-	28.64	-वही-
21.	सलैया जलाशय	VII	-	10.77	आठवीं योजना से आगे
22.	सतपोतका जलाशय	VII	2.15	16.10	-वही-
23.	मलाई सिंचाई	VII	-	6.33	-वही-
24.	बासुकी सिंचाई	VII	-	16.88	-वही-

राज्य की चुनिन्दा वृहद सिंचाई परियोजनाओं की प्रबोधन प्रक्रिया के दौरान विलम्ब के निम्नलिखित कारण सामने आये :—

(I) अपर्याप्त निधियों का प्रावधान जिसके कारण पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

(II) पूर्ण होने में विलंब के कारण सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि।

(III) परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।

(IV) कुछ परियोजनाओं में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन।

(V) कुछ परियोजनाओं में मुख्य संरचनाओं के अभिकल्प में परिवर्तन।

(VI) परियोजना के मूल अनुमान में अपर्याप्त प्रावधान।

[अनुवाद]

रसोई गैस बाटलिंग प्लांट

2420. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में पालाघाट में रसोई गैस बार्टालंग प्लांट स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में केरल में रसोई गैस वितरक संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न स्थानों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि, समीपवर्ती खपत क्षेत्र में पैक्ड एल पी जी की मांग संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर एल पी जी भरण संयंत्रों की स्थापना की जाती है। सितम्बर, 1992 में स्थापित एक भरण संयंत्र पालघाट, केरल में पहले ही काम कर रहा है।

अनुसूचित जाति के विकलांग छात्रों को सहायता

2421. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हाईस्कूलों में शैक्षिक रूप से प्रतिभावान अनुसूचित जातियों के विकलांग छात्रों के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी सहायता जा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : अपंग व्यक्तियों के छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं कक्षा से आगे सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जारी रखने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। यह योजना अनुसूचित जाति छात्रों सहित विकलांग व्यक्तियों की सभी श्रेणियों पर लागू है। यह योजना 1.4.92 से राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कल्याण मंत्रालय कई योजनाएं चलाता है जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों सहित विकलांगों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास उपलब्ध कराने तथा सहायक यंत्र और उपकरणों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई योजनाओं और सहायता का संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में कल्याण मंत्रालय के विद्यमान कार्यक्रम।

1. **स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता की योजना :** इस योजना के अंतर्गत, विकलांगों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए 90 प्रतिशत आधार पर (95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भवन निर्माण, उपकरण की खरीद, पत्रिकाओं के प्रकाशन, स्टाफ के वेतन तथा आकस्मिक खर्च आदि जैसे आवर्ती तथा गैर-आवर्ती मदों दोनों के लिए सहायता दी जाती है। 30.11.94 तक वहन किया गया व्यय 581.00 लाख रुपये है।

2. **सहायक यंत्र/उपकरणों के लगाने/खरीदने के लिए विकलांगों को सहायता :** इस योजना का उद्देश्य 1200/-रुपए से कम आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क तथा 1200/- रुपए से कम आमदनी वाले व्यक्तियों की 50 प्रतिशत की लागत पर सहायक यंत्र तथा उपकरण प्रदान कराना है। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को 3600/-रुपये तक की लागत के सहायक यंत्र तथा उपकरण जैसे वैशाखियां, कैलिपर, कृत्रिम अंग, पहिएदार कुर्सियां, ब्रेल उपकरण कराए जाते हैं। 30.11.94 तक वहन किया गया व्यय 600/-लाख रुपए है।

3. **कुष्ठरोग युक्त व्यक्तियों के संगठनों को सहायता की योजना :** इस योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के कार्यों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत तक दी जाती है जो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों में जागरूकता उत्पन्न करने, तत्काल मध्यस्थता करने, शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण संबंधी कार्यक्रमों का विकास करते हैं। 30.11.94 तक वहन किया गया व्यय 34.00 लाख रुपए है।

4. **प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों में जनशक्ति विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता :** प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में व्यावसायिक अध्यापकों, पुनर्वास संबंधी कार्यकर्ताओं, सहायकों, वाहनों आदि जैसे विभिन्न कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपेक्षित आधारभूत व्यावसायिकों के जनशक्ति प्रशिक्षण, होस्टल तथा अन्य सहायता के लिए संगठनात्मक और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। आवर्ती तथा गैर-आवर्ती मदों के लिए 100 प्रतिशत के व्यय तक की सहायता दी जाती है। 30.11.94 तक वहन किया गया व्यय 6.00 लाख रुपए है।

5. **विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास :** इस योजना में अस्थि, श्रवण तथा वाणी, दृष्टि तथा मानसिक मंदता के चार मुख्य विकलांगता वाले क्षेत्रों में विशेष स्कूलों की स्थापना और उनके स्तर में सुधार करने के लिए 90 प्रतिशत की सीमा तक गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत प्राथमिकता उन जिलों में स्कूलों की स्थापना के लिए दी जाती है जहां इस समय कोई विशेष स्कूल नहीं है। अनावर्ती तथा गैर-आवर्ती दोनों व्यय मंत्रालय द्वारा वहन किए जाते हैं। 30.11.94 तक वहन किया गया 9.00 लाख रुपए है।

कुएं खोदना

2422. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भू-जल की खोज हेतु अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खोदे गये कुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में और अधिक कुएं खोदने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल अन्वेषण के अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1994 तक मध्य प्रदेश में 576 अन्वेषणात्मक कुएं, 408 प्रेक्षण कुएं 7 स्लिम छिद्र तथा 24 फीजोमीटर ड्रिल किए हैं।

(ख) और (ग). बोर्ड द्वारा अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्यक्रम वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। वर्ष 1994-95 के लिए 60 अन्वेषणात्मक कुएं, 22 प्रेक्षण कुएं तथा 21 पीजोमीटर ड्रिल करने का लक्ष्य है जिसमें नवम्बर, 1994 तक 33 अन्वेषणात्मक कुएं, 14 प्रेक्षण कुएं तथा 15 पीजोमीटर ड्रिल किये गये हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

2423. श्री आनंद अहिरवार :
श्री बारे लाल जाटव :
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1946 की नोसेना की हड़ताल में भाग लेने वाले पंजाब के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी सजा की अवधि छः माह से कम रहने के कारण स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन नहीं दी गई;

(ख) क्या 1992 में इस संबंध में सरकारी नीति में संशोधन के बाद छः महीने से कम की सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए पात्र हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन कब तक दे दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 1996 में शाही भारतीय नोसैनिक गदर (नोसेना हड़ताल) में सहयोग दिए जाने के कारण, जिन व्यक्तियों को "बर्खास्त/सेवाओं की आवश्यकता नहीं अनुपयुक्त" के रूप में सेवा से उनकी सेवाओं से मुक्त किया गया था, वे पहले ही स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी छूट जाने के आधार पर पेंशन स्वीकृत की जाती है न कि भोगी गयी सजा के आधार पर।

(ख) से (घ). स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, उन व्यक्तियों को भी पेंशन के लिए पात्र माना गया है जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के सिलसिले में छह महीने या उससे अधिक अवधि के लिए जेल में रखा गया था किन्तु जिन्हें माफी मांगे बगैर समय से पहले छोड़ दिया गया था। जब कभी भी ऐसे मामले स्वीकार्य दस्तावेजी सबूतों के साथ प्राप्त होते हैं, तो उनकी जांच की जाती है और पेंशन मंजूर की जाती है।

ऐसे दावों की प्राप्ति तथा निपटान की प्रक्रिया चलती रहती है, अतः इनके निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

मंत्री महोदय का दौरा

2424. श्री बसुदेव आचार्य : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्त वर्ष के दौरान मंत्री महोदय देश तथा विदेश में कितने दिन दौरे पर रहे;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) क्या यह धनराशि केन्द्रीय सरकार के बजट से खर्च की गयी थी, और

(ङ) यदि नहीं, तो खर्च की गयी धनराशि का स्रोत क्या है?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). संसदीय कार्य मंत्री के पास जल संसाधन मंत्रालय का प्रभार भी है। वे यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते और अन्य भत्तों सहित अपना वेतन जल संसाधन मंत्रालय से लेते हैं। जहां तक संसदीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, जानकारी शून्य है।

मंत्री महोदय का दौरा

2425. डा. असीम बाला : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस वित्त वर्ष के दौरान मंत्री महोदय देश तथा विदेश में कितने दिन दौरे पर रहें;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौर पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) क्या यह धनराशि केन्द्रीय सरकार बजट से खर्च की गयी थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो खर्च की गयी धनराशि का स्रोत क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). भारत में दौरा :

तारीख	स्थान
7.11.94	कानपुर, दिल्ली, कानपुर
10.11.94	दिल्ली-बंबई
13.11.94	बंबई-दिल्ली
25.11.94	दिल्ली-पटना
27.11.94	पटना-दिल्ली
2.12.94	दिल्ली-मद्रास
4.12.94	मद्रास-दिल्ली

भारत से बाहर का दौरा

देश से बाहर का कोई दौरा नहीं किया। तथापि, कल्याण मंत्री चिकित्सा उपचार के लिए 24.4.94 से 21.5.94 की अवधि तक हाउसटन (अमरीका) में थे।

(ग) संबंधिति प्राधिकारियों से समायोजन बिलों की प्रतीक्षा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल का भण्डार

2426. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक तेल विशेषज्ञ के अनुसार भारत को 45 दिनों का तेल भंडार रखने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इससे भी अधिक तेल भंडार रखने हेतु आयात करने पर गहराई से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). फिलहाल तेल उद्योग मांग-वृद्धि, परिशोधन क्षमताओं में वृद्धि, स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि और भंडार बनाए रखने की लागत की प्रभावोत्पादकता को ध्यान में रखकर इष्टतम भण्डार बनाए हुए हैं।

[अनुवाद]

ताड़ी निकालने वाले

2427. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री धर्म भिक्षम :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ताड़ी टैपर्स यूनियन ने ताड़ी निकालने वालों के कल्याणार्थ उपायों के संबंध में केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय में आंध्र प्रदेश ताड़ी उतारने वालों की यूनियन द्वारा दिया गया ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

प्रतिलिप्याधिकार संबंधी अपराध

2428. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रतिलिप्याधिकार संबंधी अपराधों की जांच करने और इस बारे में मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों को एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रकाशनाधिकार संबंधी अपराधों की जांच करने हेतु बड़े नगरों में विशेष सैल स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है।

(ग) उपर्युक्त सुझाव के संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद

2429. श्री राम कापसे : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस नीति का अनुपालन करने की स्वीकृति दी है;

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने इस पर अपनी अलग राय प्रकट की है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ). हाल ही में अंतर्राज्यीय नदियों के जल आवंटन हेतु तैयार किए गए राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देशों का मसौदा राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है और राष्ट्रीय जल बोर्ड की जून, 1994 में आयोजित बैठकों में जिसमें राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था, भी इस पर विचार-विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय जल बोर्ड में हुए विचार-विमर्श के आधार पर संशोधित मसौदा राज्यों को परिचालित किया गया है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अगली बैठक की कार्यसूची में इसे शामिल किया गया है।

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

अंतर्राज्यीय जल आवंटन हेतु नदी बेसिनों को एक यूनिट के रूप में गिना जाएगा। सभी सह-बेसिन राज्य और केन्द्र आवंटन प्रक्रिया में पार्टनर होंगे।

आवंटन के समय उपयोग की उचित संभावना पर विचार किया जाएगा। आवंटन समान संविभाजन के सिद्धांत पर आधारित होगा।

राज्य समग्र राष्ट्रीय हित की अवहेलना किए बिना किसी भी तरीके से अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

सभी सह-बेसिनों राज्यों के बीच सामान्यतया अंतर्राज्यीय करारों का ध्यान रखा जाता है।

विद्यमान योजना पूर्व के उपयोगों और अनुमोदित योजना उपयोगों को संरक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय हित के रूप में पर्यावरण प्रबंध, राष्ट्रीय जल मार्ग में नौवहन तथा गैर-सहबेसिन राज्यों आदि की अत्यावश्यक जरूरतों की आवश्यकता पर विचार करके आवंटन।

किए गए आवंटन का निरीक्षण करने के लिए प्रबोधन और क्रियान्वयन तंत्र का गठन।

जल आवंटन की सामान्यतया 40 वर्षों के बाद पुनरीक्षा की जानी है।

ये नीति मार्ग निर्देश सहबेसिन राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए नियत किए गए हैं तथा इनको कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये मार्ग निर्देश अंतर्राज्यीय जल विवादों की बातचीत, विवेचन और अधिनिर्णय की प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हैं तथा ऐसे विवादों को शीघ्र हल करने के लिए कार्यढांचा प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2430. श्री गुमान मल लोढा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु इन संस्थाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ). उन वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में गैर-सरकारी संस्थानों की भागीदारी का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तथापि, राष्ट्रीय जल नीति और मसौदा सिंचाई प्रबंध नीति में सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में विशेषरूप से प्रणाली के निम्न स्तर पर, गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी की व्यवस्था है।

प्राकृतिक गैस का अतिरिक्त कोटा

2431. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार के राज्य को गैस का अतिरिक्त कोटा देने और गैस टर्मिनल तथा तेलशोध कारखाने की स्थापना हेतु प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). विशेषकर विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस के अतिरिक्त आबंटन के संबंध में गुजरात राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गैस के अतिरिक्त आबंटन संबंधी अनुरोधों पर विचार करना संभव नहीं है क्योंकि उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस का पूर्णतया आबंटन किया जा चुका है।

[अनुवाद]

कच्चे पैट्रोलियम कोक का भण्डार

2432. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम, बरौनी में कच्चे पैट्रोलियम कोक का भारी भण्डार जमा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी बिक्री हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने कच्चे पैट्रोलियम कोक के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतियोगिता का सामना करने के लिए कोई प्रबंध किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). । नवम्बर, 1994 को आर पी सी की लगभग 89 टी एम टी मात्रा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की बरौनी रिफाइनरी में जमा हो गई है। आर पी सी नियंत्रणमुक्त उत्पाद है तथा आयातित आर पी सी स्वदेशी आर पी सी से सस्ता है। चूंकि तेल कंपनियों द्वारा उत्पादित एवं विपणित आर पी सी के 3 अगस्त, 1993 से एक मुक्त व्यापार उत्पाद घोषित कर दिया गया है अतः सरकारी तेल कंपनियां इसे बाजार मूल्यों पर बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसकी खरीद में सुधार करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन ने आर पी सी के बिक्री मूल्य को संभव सीमा तक कम कर दिया है।

विज्ञापनों पर प्रतिबंध

2433. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर आपत्तिजनक ढंग से प्रसारित किये जा रहे कुछ उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ङ). दूरदर्शन को वस्तु/उत्पाद विशेष से संबंधित विज्ञापनों को प्रसारित न करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, दूरदर्शन उसी विज्ञापन को प्रसारण के लिए स्वीकृति देता है जो दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता के उपबंधों के अनुरूप होता है।

तेल शोधक कारखाने

2434. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में विदेशी सहयोग से कितने तेल शोधक कारखाने कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इनमें से कितने कारखाने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास में नेशनल इरानियन कंपनी (एन आई ओ सी), इरान की इक्विटी भागीदारी है।

रसोई गैस के स्थान पर प्रोपेन का प्रयोग

2435. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (जी ए आई एल) ने इस वर्ष के आरम्भ से ही लिक्विड पैट्रोलियम गैस (एल पी जी)

के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रोपेन का उत्पादन आरंभ कर दिया है और हाल ही में इसका विपणन भी आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रोपेन का उत्पादन किन-किन स्थानों पर किया जाता है और इसका दैनिक उत्पादन कितना है;

(घ) रसोई गैस की तुलना में प्रोपेन की लागत कितनी कम है;

(ङ) क्या देश में रसोई गैस की कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोपेन का उत्पादन किया जायेगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) घरेलू और आद्योगिक बाजार में रसोई गैस के स्थान पर प्रोपेन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए अथवा किए जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। गेल ने 1994 के मध्य से प्रोपेन का उत्पादन व विपणन शुरू कर दिया है।

(ग) विजयपुर में वर्तमान उत्पादन लगभग 100 एम टी प्रति माह है।

(घ) प्रोपेन और एल पी जी का कैलोरीफिक मूल्य लगभग समान है, जबकि प्रोपेन का मूल्य एल पी जी से 10 प्रतिशत कम है।

(ङ) और (च). प्रोपेन का उत्पादन 350 एम टी प्रतिदिन के स्तर तक बढ़ाने की योजना है।

(छ) एल पी जी के स्थान पर प्रोपेन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रियायती मूल्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

कश्मीर में हिंसा

2436. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानवाधिकार संगठन, वाच एशिया की रिपोर्ट के अनुसार अफगान युद्ध के बचे हुए हथियारों की सप्लाई के कारण कश्मीर में हिंसा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संगठन से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). ह्यूमन राइट्स वाच/आर्म्स प्रोजेक्ट ने "इंडिया आर्म्स एण्ड एब्यूजिज इन इंडियन पंजाब एण्ड कश्मीर" शीर्षक से सितम्बर, 1994 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा है कि पाकिस्तानी आई.एस.आई. द्वारा अफगानिस्तानियों के जरिये उग्रवादियों में आधुनिक छोटे शस्त्रों और हथियारों के प्रसार से पंजाब एवं कश्मीर में मानवधिकारों की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने आगे कहा है कि अफगानिस्तानी मुजाहिदीनों को पाकिस्तान द्वारा हस्तांरित किए गए इन हथियारों में से अनेक, पंजाब और कश्मीर में उग्रवादियों के हाथों में पहुंच गए हैं जिससे निशस्त्र सिविलियनों पर हमले, अंधाधुंध हमलों, समरी एक्जीक्यूशन और अपहरणों सहित युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का भारी उल्लंघन होने लगा है। सरकार, भारत के जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष संलिप्तता के प्रमाण, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जानकारी में लगातार लाती रही है। उपर्युक्त रिपोर्ट ने, इस संबंध में हमारे कथ्यों का ही समर्थन किया है। रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का उपयोग विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में आतंकवादियों को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में आगे सबूत के रूप में ही नहीं बल्कि इस मुद्दे का अन्तर्राष्ट्रीकरण करने के प्रयास में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे अपसूचना और दुष्प्रचार अभियान का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जल का उपयोग

2437. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक प्रमुख नदी में जल प्रवाह की उपयोग योग्य मात्रा कितनी है;

(ख) उन नदियों का वास्तविक जलोपयोग कितना है;

(ग) क्या उपयोग योग्य जल प्रवाह के अप्रयुक्त भाग का उपयोग करने की काफी गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो नदियों में उपलब्ध जल प्रवाह का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). पंचवर्षीय योजना में नदियों पर भंडारण बनाने पर बल दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1989 तक लगभग 166 घन किलोमीटर की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की गयी थी। 77 घन किलोमीटर की अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त वृहद और मझौली परियोजनाओं, जिनपर विचार किया जा रहा है, के माध्यम से लगभग 130 घन किलोमीटर भंडारण क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है।

विवरण

देश की बड़ी नदियों के वार्षिक उपयोज्य जल संसाधन

किलो

(यूनिट : घन/मीटर)

क्र.सं.	नदी घाटी का नाम	नदी में औसत वार्षिक क्षमता	अनुमानित उपयोज्य सतही जल	सतही जल का विद्यमान उपयोग
1.	सिन्धु (सीमा तक)	73.31	46.00	40.00
2.	क. गंगा	525.02	250.00	–
	ख. ब्रह्मपुत्र एवं बराक	597.04	24.00	–
3.	गोदावरी	110.54	76.30	38.00
4.	कृष्णा	78.12	58.00	47.00
5.	कावेरी	21.36	19.00	18.00
6.	पेन्नार	6.32	6.86	5.00
7.	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व प्रवाहित नदियां	22.52	13.11	–
8.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व प्रवाहित नदियां	16.46	16.73	–
9.	महानदी	66.88	49.99	17.00
10.	ब्रह्मानी एवं बैतरनी	28.48	18.30	–
11.	सुवर्णरिखा	12.37	6.81	–
12.	साबरमती	3.81	1.93	1.80
13.	माही	11.02	3.10	2.50
14.	लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्च प्रवाहित नदियां	15.10	14.98	–
15.	नर्मदा	45.64	34.50	8.00
16.	तापी	14.88	14.50	–
17.	तापी से तादरी तक पश्च प्रवाहित नदियां	87.41	11.94	–
18.	तादरी से कन्याकुमारी तक पश्च प्रवाहित नदियां	113.53	24.27	–
19.	राजस्थान के मरूस्थल में अन्त:स्थलीय जल निकास का क्षेत्र	–	–	–
20.	लघु नदी बेसिनें, जिनका जल बंगलादेश और बर्मा को जाता है	31.00	–	–
	योग	1869.35	690.309	
	अर्थात्	1869	690	

श्री लंकाई शरणार्थी

2438. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न शिविरों में कुल कितने श्रीलंकाई शरणार्थी हैं;

(ख) क्या इन शरणार्थियों की स्वदेश वापसी पुनः शुरू हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक कितने शरणार्थी वापस भेजे जा चुके हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) इस समय विभिन्न शिविरों में श्री लंकाई शरणार्थियों की कुल संख्या 66,178 है।

(ख) और (ग). प्रत्यावर्तन एक सतत् प्रक्रिया है और जब भी उपयुक्त संख्या में इच्छुक शरणार्थी उपलब्ध होंगे और मौसम अनुकूल होगा तो प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया पुनः आरंभ कर दी जाएगी।

(घ) 20.1.1992 से 29.9.94 तक 44,175 शरणार्थियों को प्रत्यावर्तित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता

2439. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश राइफल्स और सेना पाकिस्तान की आई.एस.आई. खुफिया एजेंसी की सांठगांठ से देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन एजेंसियों की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख). ऐसी रिपोर्टें हैं कि पूर्वोत्तर के कुछ विद्रोही ग्रुपों को बंगलादेश के राज्य क्षेत्र से और उनके प्राधिकारियों की ओर से, समर्थन मिल रहा है जिसमें पाकिस्तानी आई.एस.आई. भी सक्रिय है।

(ग) अक्तूबर, 1993 में केन्द्रीय गृह सचिव के दौरे के समय हमारी सुरक्षा चिंताएं जोरदार ढंग से व्यक्त कर दी गई थीं। इसके पश्चात्, एक संयुक्त कार्यकारी ग्रुप (जे डब्ल्यू जी) की स्थापना, बंगलादेश के राज्य क्षेत्र के अन्दर से भारतीय विद्रोह ग्रुपों को मिल रही सहायता और समर्थन से संबंधित मामलों सहित आपसी महत्व के मामलों की गहराई से जांच करने के लिए, की गई है। इस संयुक्त कार्यकारी ग्रुप की पहली बैठक दिल्ली में 29 मार्च से 30 मार्च, 1994 तक आयोजित की गई थी। हाल ही में महानिदेशकों (सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स) के स्तर की वार्ताओं में जोकि 8 से 11 नवंबर, 1994 तक ढाका में हुई थी, यह मामला उठाया गया था। सरकार ने अनेक अवसरों पर और प्रत्येक स्तर पर पाकिस्तान से, तोड़-फोड़ और आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद कर देने के लिए कहा है। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन में निहित खतरों से सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अवगत करा दिया है। आतंकवाद को किसी भी स्रोत से मिल रहे समर्थन का मुकाबला करने और राष्ट्र की एकता और अंखडता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए सरकार ने दृढ़ संकल्प किया है।

अर्द्ध-सैनिक बल

2440. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों में सेना कर्मचारियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आरंभ में प्रशिक्षण पर हुए व्यय को वहन करके नियमित आधार पर सेना मे सिपाहियों को इन बलों में शामिल करन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). सेना कर्मियों को, अर्द्ध-सैनिक बलों में शामिल करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इन बलों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में से असिस्टेंट कमांडेंट स्तर की 10 प्रतिशत रिक्तियां, "ग" समूह के पदों की 10 प्रतिशत रिक्तियां "घ" समूह के पदों की 20 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित होती हैं।

[अनुवाद]

इंटर सर्विसेज इन्टेलिजेंस की गतिविधियां

2441. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने अपनी गतिविधियां केरल के दक्षिण राज्य तक बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उनकी गतिविधियां को रोकन हेतु क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इससे परिचित है कि केरल में कार्यरत कुछ कट्टरपंथी संगठन विदेश से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन संगठनों के क्या नाम हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन्हें कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ङ) क्या केरल सरकार ने केन्द्र को केरल के इन संगठनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है; और

(च) इसके बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). हाल ही में "इसरो" से संबंधित जासूसी के मामले से यह संभावना सामने आई है कि पाकिस्तानी इंटेलीजेंस एजेंसियो को, कुछ संवेदनशील दस्तावेजों के लीक हो जाने से लाभ मिला है। तथापि, इस मामले से आई. एस. आई. का सीधा संबंध होने के बारे में कोई सबूत नहीं है। इस मामले की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को केरल सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सौंप दिया गया है।

(ग) ऐसा संकेत देने वाला कोई सबूत नहीं है कि केरल में कट्टरवादी संगठनों को विदेशी एजेंसियों द्वारा धन प्रदान किया जा रहा है।

(घ) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाएं

2442. **श्री खेलन राम जांगडे :**
श्री राम कृपाल यादव :
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबों, वृद्धों, विधवाओं तथा निराश्रितों के लिए कौन-कौन सी कल्याण योजनाएं पूर्णतया और अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वृद्धों और निराश्रितों के लिए अभिप्रेत योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) 1992-93 से कार्यान्वित की जा रही वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना

(2) 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही बेरूहारा बच्चों के कल्याण की केन्द्रीय सहायता

(3) किशोर सामाजिक कुसमंजन, नियंत्रण और निवारण की केन्द्र प्रायोजित योजना

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I और III में दी गई है।

विवरण-I

वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभग्राहियों की संख्या (30.11.94 तक)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,125	16,525	50,275
2.	असम	50	25	25
3.	बिहार	25	50	50
4.	गुजरात	—	75	—
5.	हरियाणा	400	375	200
6.	हिमाचल प्रदेश	50	50	50
7.	कर्नाटक	50	100	25
8.	मध्य प्रदेश	200	50	175
9.	महाराष्ट्र	350	175	250
10.	मणिपुर	575	600	1,050
11.	उड़ीसा	1,250	6,525	6,025
12.	राजस्थान	5,250	150	4,850
13.	पंजाब	50	100	50
14.	तमिलनाडु	1,025	16,175	35,625
15	उत्तर प्रदेश	975	7,350	1,950
16.	त्रिपुरा	275	50	—
17.	पश्चिम बंगाल	1,500	6,750	21,250
18.	दिल्ली	5,775	4,975	9,825
19.	केरल	25	—	9,725
20.	पांडिचेरी	25	—	25

विवरण-II

सड़कों पर घूमने वाले आवारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभग्राहियों की संख्या (30.11.94)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	300	1,500
2.	असम	—	—	300
3.	गुजरात	—	900	900
4.	कर्नाटक	—	600	1,200
5.	मध्य प्रदेश	—	—	900
6.	महाराष्ट्र	—	2,400	2,400
7.	मणिपुर	—	—	300
8.	राजस्थान	—	—	300
9.	तमिलनाडु	—	1,800	1,800
10.	उत्तर प्रदेश	—	1,200	1,200
11.	पश्चिम बंगाल	—	2,100	5,100
12.	दिल्ली	—	2,100	2,100

विवरण-III

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किशोर सामाजिक कुसमंजन एवं निवारण की योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए बच्चों की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	1177	1177	—	—
2.	असम	44	44	44	44
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
4.	बिहार	950	950	—	—
5.	गोवा	76	76	85	—
6.	गुजरात	1980	1980	—	1980
7.	हरियाणा	205	223	190	190
8.	हिमाचल प्रदेश	7	7	—	—
9.	कर्नाटक	4893	4893	—	—
10.	केरल	512	512	—	497
11.	मध्य प्रदेश	301	301	—	2350
12.	महाराष्ट्र	9790	9790	—	—
13.	मणिपुर	—	—	—	—
14.	मेघालय	133	130	50	—
15.	मिजोरम	35	35	45	45
16.	नागालैंड	—	—	132	132
17.	उड़ीसा	300	—	50	—
18.	पंजाब	311	311	296	296
19.	राजस्थान	184	184	107	-
20.	तमिलनाडु	4925	4925	—	—
21.	सिक्किम	—	—	25	—
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—
23.	उत्तर प्रदेश	1493	1493	—	—
24.	पश्चिम बंगाल	2500	2500	2500	3500
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
26.	चंडीगढ़	—	—	—	—
27.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—
28.	दमन और दीव	—	—	—	—
29.	दिल्ली	—	—	—	—
30	लक्षद्वीप	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	71	71	—	—

वर्ष 1993-94 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में कमी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग

2443. अंकुशराव टोपे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय जल आयोग के राज्य वार कुल कितने कार्यालय/स्टेशन चल रहे हैं;

(ख) क्या ये कार्यालय/स्टेशन कारगर तरीके से चल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के इस समय कार्य कर रहे कार्यालयों/केन्द्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग के राज्य वार कार्यालयों/केन्द्रों की संख्या

		कार्यालय	केन्द्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	15
3.	असम	16	71
4.	बिहार	15	87
5.	दादर व नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	1	3
6.	दिल्ली	10	4
7.	गोवा	1	2
8.	गुजरात	9	34
9.	हरियाणा	3	8
10.	हिमाचल प्रदेश	2	9
11.	जम्मू व कश्मीर	10	21
12.	केरल	3	19
13.	कर्नाटक	6	42
14	मध्य प्रदेश	9	77
15.	महाराष्ट्र	13	81
16.	मणिपुर	—	5
17.	मेघालय	4	4
18.	मिजोरम	4	8
19.	नागालैंड	1	6
20.	उड़ीसा	10	48
21.	राजस्थान	4	27
22.	सिक्किम	4	13
23.	तमिलनाडु	5	22
24.	त्रिपुरा	6	14
25.	उत्तर प्रदेश	26	145
26.	पश्चिम बंगाल	12	66
	कुल	196	877

केरल में पैट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

2444. श्री पी.सी. चाको : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को राज्य के कुछ जिलों में पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या करेल सरकार ने कुछ अन्य जिलों तथा राज्य के तालुक मुख्यालय में पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). निम्नांकित स्थानों पर इंडियन आयल कारपोरेशन ने उनके अपने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों के रूप में मैसर्स केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नियुक्त किया है :—

1. एम.जी. रोड, त्रिवेन्द्रम
2. वेलायमबलम, त्रिवेन्द्रम
3. कोल्लम
4. कोट्टायम
5. एम. जी. रोड, एरनाकुलम
6. डी. एच. रोड, एरनाकुलम
7. थानूर, मालापपुरम

(ग) और (घ). केरल सरकार ने निगम के पक्ष में 10 स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आबंटन के लिए अनुरोध किया गया था।

(ङ) से (छ). वर्तमान नीति के अनुसार राज्य के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन निगम "खुली" श्रेणी के तहत विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करने के पात्र हैं तथा आय, आवास तथा एक से अधिक डीलरशिप संबंधी मानदण्ड मानक उन पर लागू नहीं हैं। इन निगमों के पक्ष में अधिक छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें तेल चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों के चयन संबंधी विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करना होगा। जब कभी भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हों, तेल उद्योग को उन पर कार्रवाई करने तथा तदनुसार राज्य निगम को सलाह देने के लिए निर्देश दिया गया है।

रसोई गैस के सिलेंडरों का उपयोग

2445. श्री राम निहोर राय : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले रसोई गैस सिलेंडरों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस भ्रष्ट प्रक्रिया को रोकने हेतु कठोर उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). कई बार ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं कि घरेलू सिलेन्डरों का अप्राधिकृत ग्राहकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। यह साबित होने वाले मामलों में, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (जिन्हें हाल ही में और अधिक कठोर बनाया गया है) और एल पी जी नियंत्रण आदेश के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड को लाभ

2446. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. गत तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सहायक कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियां समग्र रूप में पिछले 3 वर्षों से लाभ कमा रही है।

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा कोयला मूल्य विनियमन लेखा को अंशदान किए जाने/से योगदान किए जाने के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान कमाए गए लाभ (+)/उठाई गई हानि (—) का कंपनी-वार विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(+) 38.90	(—) 17.20	(—) 70.40
भारत कोकिंग कोल लि.	(—) 48.12	(—) 73.84	(+) 21.56
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	(+) 103.77	(—) 41.56	(+) 62.06
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	(+) 34.24	(+) 190.72	(+) 325.23
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(+) 33.17	(+) 11.80	(+) 31.59
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(+) 25.61	(+) 133.40	(+) 139.84
महानदी कोलफील्ड्स लि.	—	(+) 43.73	(+) 21.27
केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.	(+) 2.12	(+) 2.50	(+) 2.64
कोल इंडिया लि./नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स/डी.सी.सी	(—) 22.62	(—) 41.40	(—) 33.47
जोड़ को.इं.लि.	(+) 167.07	(+) 291.27	(+) 400.32

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

2447. **डा. साक्षीजी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर, 1994 तक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) राज्य में 1991 से अब तक भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले तैयार किये गये हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन आरोपों के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम को डीजल और पैट्रोल की आपूर्ति

2448. **श्री मोहन रावले :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने दिल्ली परिवहन निगम को डीजल और पैट्रोल की आपूर्ति बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के पास भारतीय तेल निगम की एक बहुत बड़ी बकाया राशि बाकी है;

(घ) यदि हां, तो नवबंर 30, 1994 तक देय राशि निवल कितनी है; और

(ङ) बकाया देय राशि के भुगतान के निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). आई ओ सी ने डी टी सी को बड़ी बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी और यह नोटिस दिया कि भुगतान न करने की स्थिति में डीजल की आपूर्ति रोक दी जाएगी।

(घ) 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार शुद्ध देय धनराशि लगभग 21.4 करोड़ रुपए है।

(ङ) डी टी सी के अध्यक्ष को कई पत्र लिखे गए और बकाया धनराशि के परिसमापन के लिए अध्यक्ष सहित डी टी सी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह मुद्दा भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ भी उठाया गया है। वर्तमान समय में डी टी सी को "भुगतानों और समायोजनाओं" आधार पर डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

जनजातीय उपयोजना

2449. **श्री ललित उरांव :**
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :
श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) इस धनराशि में कितनी-कितनी राशि का राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपयोग किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त धनराशि का उपयोग दूसरे प्रयोजनों के लिए किया है अथवा उस राशि का पूर्ण उपयोग किए बिना इसे केन्द्र सरकार को वापस कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के लिए सूचना विवरण-I, II और III में दी गई है। 1995-96 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत की जाने वाली राशि निधियों की उपलब्धता, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रस्तावों तथा उनके बजट प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

(ख) सूचना विवरण-IV से VI में दी गई है।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने इन निधियों में से कुछ का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है।

(घ) गहराई से मानीटरिंग तथा इस मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा के बाद यह जानकारी मिली है कि कुछ राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय अनुदान शीघ्रता तथा ठीक से क्रियान्वयन एजेंसियों को नहीं दिए जा रहे हैं तथा इसका उचित उपयोग भी सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जून/जुलाई, 1994 में यह ध्यान में आया है कि बिहार में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्मुक्त अनुदानों का उपयोग उन्हीं योजनाओं के लिए नहीं किया गया था जिनके लिए यह प्रदान किया गया था इसमें आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 98.84 करोड़ रुपये तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत आदिवासी विकास के लिए 14.44 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। 10 अप्रैल, 1994 को टाइम्स आफ इंडिया में यह समाचार छपा था कि बिहार में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों का सरकारी कर्मचारियों को मजदूरी तथा वेतन के भुगतान पर खर्च किया था। प्राप्त सूचना को स्वयं कल्याण

मंत्री द्वारा तथा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी मुख्य मंत्री के ध्यान में लाया गया था लेकिन अभी तक कार्यान्वयन एजेंसियों को रुपये देने के बारे में और इसके उपयोग के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

11.2.94 को टाइम्स आफ इंडिया में हिमाचल प्रदेश में आदिवासी निधियों के दुर्विनियोग के बारे में एक समाचार छपा था, जिसकी जांच की जा रही है।

(ङ) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जिस उद्देश्यों के लिए ये निधियां संस्वीकृत की गई हैं उनके लिए अनुदानों की उपयोगिता के बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहती रही है। फिर भी इस मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए स्वीकृत अनुदानों की निर्मुक्त स्वीकृत होने की तारीख से एक महीने के भीतर करने का अनुदेश जारी कर दिया है।

विवरण–I

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूर की गई राशि

1992–93

(रु. लाख में)

राज्यों के नाम		विशेष केन्द्रीय सहायता	धारा 275(1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	गैर-सरकारी संगठन	एसटीडी सीसी
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1529.34	233.22	—	—	35.00	—	14.78	4.81	2.98	10.00
2.	असम	1077.61	160.80	16.38	16.00	—	—	—	10.70	20.81	—
3.	बिहार	3175.25	427.20	—	—	—		—	9.82	23.36	50.00
4.	गुजरात	1855.84	356.40	18.21	23.00	25.00	—	26.10	2.19	2.79	—
5.	हिमाचल प्रदेश	403.39	14.40	—	—	—	—	—	0.31	—	—
6.	जम्मू तथा कश्मीर	296.14	56.40	—	—	—		—	—	—	—
7.	कर्नाटक	327.42	133.98	—	—	—		—	—	10.45	—
8.	केरल	207.23	19.20	21.42	15.87	39.73	—		8.00	18.63	—
9.	मध्य प्रदेश	6785.01	880.80	83.06	63.74	—	—		28.28	7.91	51.00
10.	महाराष्ट्र	1815.21	423.96	—	—	—	—	—	11.87	35.54	24.00
11.	मणिपुर	383.41	28.38	—	—	—	—		6.60	18.71	—
12.	उड़ीसा	3378.03	434.78	35.58	30.00	42.00	—	—	3.22	22.88	—
13.	राजस्थान	1679.46	307.64	24.50	10.11	—	—	—	4.58	10.97	30.00
14.	सिक्किम	60.93	5.22	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	तमिलनाडु	270.72	38.40	6.12	6.74	24.69	—	14.78	9.44	9.17	—
16.	त्रिपुरा	414.94	42.78	8.00	18.38	10.00	—	—	0.69	7.25	—
17.	उत्तर प्रदेश	58.40	17.22	6.12	15.16	23.58	—	—	3.46	1.96	—
18.	पश्चिम बंगाल	1171.67	225.60	30.60	24.26	—	—	29.56	1.03	23.44	35.00
19.	अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह	81.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	दमन और दीव	23.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		24995.00	3806.38	249.99	223.26	200.00	—	85.22	105.00	216.26	200.00

विवरण–II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1993–94 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूर की गई राशि दर्शानेवाला विवरण

(रु. लाख में)

	राज्यों का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता	धारा 275(1)	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	अनुसंधान तथा संस्थान	गैर-सरकारी संगठन	एसटीडी सीसी
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1593.22	437.25	53.11	30.74	34.50	5.28	—	5.66	10.74	25.00
2.	असम	1087.57	301.50	—	—	—	—	—	12.10	20.65	—
3.	बिहार	3497.39	801.20	—	—	—	—	—	12.71	31.64	—
4.	गुजरात	2234.77	668.25	19.51	39.23	—	25.52	3.46	0.55	4.33	—
5.	हिमाचल प्रदेश	755.03	27.00	—	—	—	—	—	0.27	—	—
6.	जम्मू और कश्मीर	518.60	105.75	—	5.97	—	—	—	—	—	—
7.	कर्नाटक	439.76	251.25	—	—	—	—	—	0.29	19.44	—
8.	केरल	167.25	36.00	20.00	20.00	47.10	4.93	14.53	7.85	19.70	41.00
9.	मध्य प्रदेश	8117.65	1651.50	27.03	39.28	—	35.20	44.34	23.35	15.86	60.00
10.	महाराष्ट्र	2234.35	795.00	—	—	69.42	6.33		23.75	42.63	53.00
11.	मणिपुर	417.12	53.25	10.11	10.11	—	—	—	3.50	1.05	10.00
12.	उड़ीसा	3603.23	815.25	77.24	29.40	16.20	31.75	70.03	3.73	43.38	50.00
13.	राजस्थान	2664.68	576.75	12.25	36.75	—	16.19	44.34	5.57	10.49	61.40
14.	सिक्किम	73.67	9.75	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	तमिलनाडु	214.05	72.00	—	—	34.65	—	4.73	7.39	12.20	—
16.	त्रिपुरा	372.37	80.25	7.31	18.38	10.00	—	—	6.80	—	35.00
17.	उत्तर प्रदेश	69.22	32.25	3.65	3.65	40.68	—	—	4.98	1.28	—
18.	पश्चिम बंगाल	1319.06	423.00	23.74	26.41	—	—	8.57	0.93	14.74	—
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	77.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	दमन व दीव	28.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		29484.50	7137.95	253.95	259.99	252.55	125.00	190.00	119.43	248.03	335.40

विवरण–III

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के तहत मंजूर की गई राशि

1994–95

(रु. लाख में)

राज्यों का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	गैर-सरकारी संगठन	एसटीडी सीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आंध्र प्रदेश	796.61	230.25	50.00	50.00	66.80		—	16.98	4.63		
2. असम	543.78	157.50	—	—			—	12.00	24.02		
3. बिहार	1748.70	368.00	—	—			44.34	0.63	15.15		
4. गुजरात	117.39	338.25	4.73	6.44			21.59	—	2.36	30.00	
5. हिमाचल प्रदेश	177.75	12.00	—	—			—	0.22			
6. जम्मू और कश्मीर	513.50	86.25	—	14.77			—	—	—		
7. कर्नाटक	219.88	105.00	—	—	67.50		—	0.31	14.01		
8. केरल	76.13	17.63	20.00	20.00			—	10.00	11.78		
9. मध्य प्रदेश	3558.83	844.87	118.83	16.90		10.82	—	—	2.11		
10. महाराष्ट्र	1117.17	401.62	—	—			54.12	24.30	41.89		
11. मणिपुर	208.56	34.87	—	—			—	—	0.81		
12. उड़ीसा	3493.94	385.88	44.00	36.00	60.00	16.37	88.68	8.59	30.12		
13. राजस्थान	1047.34	300.38	—	—	24.50	8.30	—	6.15	—		
14. सिक्किम	36.84	5.25	—	—			—	—	—		
15. तमिलनाडु	107.03	31.50	—	—			10.05	7.12	4.51		
16. त्रिपुरा	186.18	46.87	19.44	29.17	19.44		—	0.41	—		
17. उत्तर प्रदेश	34.61	15.75	—	—			—	—	3.25		
18. पश्चिम बंगाल	659.53	208.87	—	—			6.21	—	19.71		
19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	38.61					—	—	—			
20. दमन और दीव	14.15						—				
कुल	15696.93	3585.74	257.00	173.28	238.24	35.49	244.99	86.71	174.35	30.00	

विवरण–IV

निधियों का उपयोग

1992–93

(रु. लाख में)

राज्यों का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर संस्थान	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान तथा संस्थान	गैर-सरकारी संगठन	एसटीडी सीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आंध्र प्रदेश	1561.18	73.00								10.00	
2. असम	–	–									
3. बिहार	197..97	—									
4. गुजरात	1983.02	241.73									
5. हिमाचल प्रदेश	368.41	—									
6. जम्मू और कश्मीर	—	—									
7. कर्नाटक	327.42	133.98									
8. केरल	192.74	—									
9. मध्य प्रदेश	6235.18	—								51.00	
10. महाराष्ट्र	1502.78	32.02									
11. मणिपुर	434.48	25.54									
12. उड़ीसा	3391.92	434.78									
13. राजस्थान	1328.19	307.64									
14. सिक्किम	61.17	—									
15. तमिलनाडु	270.72	19.20									
16. त्रिपुरा	408.18	42.78									
17. उत्तर प्रदेश	39.81	17.22									
18. पश्चिम बंगाल	1646.33	—									
19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71.91	—									
20. दमन और दीव	23.87	—									
कुल	20045.28	1327.89									

विवरण–V

निधियों का उपयोग

1993–94

(रु. लाख में)

राज्यों का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	गैर–सरकारी संगठन	एसटीडी सीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आंध्र प्रदेश	1545.58	—									
2. असम	—	—									
3. बिहार	—	—									
4. गुजरात	2103.66	557.85									
5. हिमाचल प्रदेश	355.53	—									
6. जम्मू और कश्मीर	342.30	—									
7. कर्नाटक	349.65	188.84									
8. केरल	152.25	—									
9. मध्य प्रदेश	8499.54	—									
10. महाराष्ट्र	2724.16	24.03									
11. मणिपुर	411.73	52.61									
12. उड़ीसा	3611.04	815.25									
13. राजस्थान	1475.23	432.56									
14. सिक्किम	72.89	—									
15. तमिलनाडु	214.05	36.00									
16. त्रिपुरा	323.18	33.43									
17. उत्तर प्रदेश	31.39	13.45									
18. पश्चिम बंगाल	—	—									
19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	53.13	—									
20. दमन और दीव	28.28	—									
कुल	22293.59	2154.02									

विवरण–VI

निधियों का उपयोग

1994–95

(रु. लाख में)

राज्यों का नाम	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्षिक परिसर संस्थान	व्यावसायिक प्रशिक्षण	अनुसंधान तथा संस्थान	गैर-सरकारी संगठन	एसटीडी सीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आंध्र प्रदेश	—										
2. असम	—										
3. बिहार	—										
4. गुजरात	—										
5. हिमाचल प्रदेश	—										
6. जम्मू और कश्मीर	—										
7. कर्नाटक	90.11										
8. केरल	13.28										
9. मध्य प्रदेश	—										
10. महाराष्ट्र	—										
11. मणिपुर	—										
12. उड़ीसा	—										
13. राजस्थान	265.39										
14. सिक्किम	—										
15. तमिलनाडु	—										
16. त्रिपुरा	—										
17. उत्तर प्रदेश	—										
18. पश्चिम बंगाल	—										
19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.89										
20. दमन और दीव	1.30										
कुल	374.97										

[अनुवाद]

शासकीय गुप्त बात अधिनियम

2450. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को संशोधित करने की आवश्यकता पर बारीकी से जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इसे कब संशोधित कर दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). इस संबंध में प्राप्त सुझावों/सिफारिशों के आधार पर सरकार इसमें शामिल मुद्दों की जांच सावधानीपूर्वक करती रही है। चूंकि मामला संवेदनशील और जटिल दोनों ही प्रकार का है इसलिए इसका सावधानीपूर्ण और संपूर्ण विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इस मामले में अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए ठीक-ठीक समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

सीसा मुक्त पेट्रोल

2451. श्री अमल दत्त : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सीसा मुक्त पेट्रोल की आपूर्ति के संबंध में आदेश पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने 21.10.94 को निर्देश दिया कि चार महानगरों में अर्थात् दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में कुछ लगे हुए बिक्री केन्द्रों से अप्रैल, 1995 से सीसा मुक्त पेट्रोल की आपूर्ति की जाए।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है कि कुछ चुने हुए केन्द्रों पर सुविधाएं स्थापित की जाएं ताकि निर्धारित तिथि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाएं

2452. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विद्यमान कोयला धोवनशालाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) इन धोवनशालाओं को कोयले की आपूर्ति किन मानदंडों के आधार पर की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य की इन धोवनशालाओं की आवश्यकताओं के संबंध में कोई आंकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन कोयला धोवनशालाओं के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा) : (क), (ख) और (ङ). महाराष्ट्र में कोल इंडिया लि. की कोई कोयला वाशरी विद्यमान नहीं है।

(ग) और (घ). कोल इंडिया लि. ने विश्वव्यापी आधार पर "स्वनिर्मित स्व-चालित" आधार पर (कोककर तथा अकोककर) दोनों तरह की कोयला वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए विदेशी तथा भारतीय पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। एक अकोककर कोयला वाशरी स्थापित किए जाने के लिए महाराष्ट्र राज्य में सस्ती का स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है।

प्राकृतिक गैस का आबंटन

2453. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य को अतिरिक्त गैस आबंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). जी, हां। तथापि, अधिशेष गैस की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त आबंटनों के संबंध में विचार करना संभव नहीं हो पाया है।

सिंचाई परियोजनाएं

2454. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत की गई गुजरात की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि नियत की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). गुजरात की उन वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं, जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई निधियों का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात की उन वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं, जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई निधियों का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए)	आठवीं योजना परिव्यय (करोड़ रुपए)	निवेश स्वीकृति की तारीख
	वृहद			
1.	उकई-ककरापार सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	60.12	8.95	9.3.94
2.	वनकबोरी वीयर में हाइड्रो तथा फ्यूज द्वार उपलब्ध करना	8.58	—	7.2.94
	मध्यम			
1.	मच्छू-II सिंचाई परियोजना का पुनरूद्धार	37.76	3.50	1.11.93
2.	उबेन सिंचाई परियोजना	12.49	0.20	20.1.1993
3.	मुक्तेश्वर मध्यम सिंचाई	19.37	5.22	21.4.1993

कोयले की उत्पादन लागत

2455. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयले की उत्पादन लागत विश्व के अन्य कोयला उत्पादक देशों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस देश की कोयला उत्पादन लागत सबसे कम है और उसकी दर कितनी है;

(घ) कोयला उत्पादन के लिए वहां क्या तकनीक अपनाई जा रही है;

(ङ) क्या भारत में ऐसी तकनीक अपनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए.संगमा) : (क) से (ग). कोल इंडिया लि. के कच्चे कोयले की वर्ष 1993-94 के लिए औसत उत्पादन लागत 364.35 रु. प्रति टन रखी गई है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की वर्ष 1993-94 की औसत लागत 486.66 रु. प्रति टन है। अधिकांश उत्पादक उत्पादन की लागत को गोपनीय रूप में रखते हैं और वे तत्काल इसके संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः अन्य देशों में उत्पादन की लागत के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) से (च). कोयले का उत्पादन करने वाले बड़े देशों ने अपनी ओपेनकास्ट/भूमिगत खानों में कोयले के उत्पादन/परिवहन किए जाने के मामले में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत कर दी है। को.इं.लि. भी अपनी खानो में ऐसी प्रौद्योगिकी की शुरूआत कर रही है, जोकि भारतीय कोयला खानों में चल रही भू-खनन परिस्थितियों को तथा प्रोद्योगिकी की व्यवहारिता तथा उपयोगिता को देखते हुए की जा रही है।

औद्योगिक इकाइयों को गैस की सप्लाई

2456. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक इकाइयों की राज्य-वार संख्या क्या है, जिन्होंने प्राकृतिक गैस की मांग की है;

(ख) उन औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या है जिनकी प्राकृतिक गैस आपूर्ति संबंधी मांग स्वीकार कर ली गई है तथा उन इकाइयों की क्या संख्या है जिनकी मांग अब तक स्वीकार नहीं की गई है; और

(ग) मांग स्वीकार करने/अस्वीकार करने में क्या मानदण्ड अपनाया गया है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). गेल द्वारा पंजीकृत मांग के संबंध में वांछित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) गैस का आबंटन सामान्यतया संबद्ध क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के प्रयोग के आरोपति लाभकारी मूल्य पर आधारित होता है, जिसमें विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है।

विवरण

31.03.1992 तक गेल के पास पंजीकृत उद्योगों की संख्या

राज्य	कुल संख्या	हस्ताक्षरित संविदा	(लंबित मामले)
1	2	3	4
गुजरात	327	13	314
महाराष्ट्र	98	5	93
राजस्थान	28	2	26
मध्य प्रदेश	62	—	62
उत्तर प्रदेश	141	10	131
दिल्ली	1	—	1
हरियाणा	105	6	99
पंजाब	2	—	1
हिमाचल प्रदेश	1	—	1
आंध्र प्रदेश	85	2	83
तमिलनाडु	86	6	80
कर्नाटक	3	—	3
असम	16	—	16
त्रिपुरा	19	—	19
उड़ीसा	2	—	2
अरुणाचल प्रदेश	1	—	1

रसोई गैस एजेंसियां

2457. **श्री विश्वेश्वर भगत :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तहसील मुख्यालयों में रसोई गैस एजेंसियां प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में इस समय कितने तहसील मुख्यालयों में रसोई गैस एजेंसियां उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) इन तहसील मुख्यालयों में रसोई गैस एजेंसियां कब तक प्रदान कर दी जायेंगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). उत्पाद की सीमित उपलब्धता के कारण, वर्तमान समय में केवल ऐसे कस्बों में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की योजना बनाई जाती है, जिनमें तहसील मुख्यालय सहित 20,000 अथवा अधिक जनसंख्या होती है और जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिपें बनाए रखने के लिए पर्याप्त संभाव्यता प्रदान करते हैं। तदनुसार मध्य प्रदेश की वर्तमान एल पी जी विपणन योजना 1992-94 में 54 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल कर ली गई हैं।

विज्ञापन प्रणाली पर प्रभाव

2458. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी टेलीविजन का देश में विज्ञापन प्रणाली पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नलकूप लगाना

2459. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में नलकूप लगाने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कितने नलकूप लगाए गये हैं; और

(ग) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार की सहायता से कितने नलकूप लगाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को विशेष रूप से नलकूप लगाने के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। तथापि योजना आयोग ने वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात को लघु सिंचाई योजनाओं की लिए, जिनमें नलकूप लगाना भी शामिल है, क्रमशः 33.52 करोड़ रुपये, 53.02 करोड़ रुपये और 53.02 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

इसके अतिरिक्त उथले नलकूपों/खुदे हुए कुओं के निर्माण के लिए लघु व सीमांत किसानों को सहायता (50:50 के आधार पर) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात सरकार को कृषि मंत्रालय द्वारा 12.50 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार 1.4.92 से यह योजना इस राज्य को स्थानांतरित कर दी गई है।

(ख) 1991-92 वर्ष के दौरान उपर्युक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 2940 उथले नलकूपों/खुदे हुए कुओं का निर्माण किया गया।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधक कारखानों के लिए कच्चा तेल

2460. श्री उद्धव बर्मन : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादित कच्चा तेल डिग्बोई, गुवाहाटी, बांगाईगांव और बरौनी तथा नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कच्चे तेल की उपलब्धता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हल्दिया से बरौनी तक क्रूड पाइप लाइन बिछाने के लिए आई ओ सी ने सरकार को एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजी है, ताकि बरौनी रिफाइनरी को क्रूड की आपूर्ति में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्व में उत्पादन बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए कार्यक्रम

2461. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने बच्चों के लिए बनाए गये कार्यक्रमों को टेलीविजन पर दिखाने से पहले जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यक्रमों की पूर्व जांच के बावजूद भी इनमें भारी संख्या में त्रुटियां पायी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) जी, नहीं। दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा सभी अन्य कार्यक्रमों की तरह ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण से पहले पूर्वदर्शन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात और दिल्ली में स्वयंसेवी संस्थाएं

2462. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और दिल्ली में किन-किन स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन संस्थाओं ने कितनी-कितनी धनराशि की मांग की और इन्हें कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) धनराशि मंजूर करने/मांगों को रद्द करने के लिए अपनाए गए मापदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) किन-किन संस्थाओं को काली सूची में डाला गया है और किन-किन संस्थाओं को सहायता रोक दी गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). ब्यारा संलग्न विवरण I, और II में दिया गया है।

(ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों और समाज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। यह संगठन समिति पंजीकरण अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, न्यास अथवा कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था के अंतर्गत पंजीकृत हो और सम्बद्ध क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष तक काम कर रहा हो। आवेदन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सिफारिश किया हुआ होना चाहिए।

(घ) प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि उनके द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों, शामिल किए जाने वाले लाभग्राहियों की संख्या, पिछले वर्ष उपयोग की गई राशि तथा निर्धारित किए गए अन्य मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करती है।

(ङ) किसी भी संगठन को काली-सूची में दर्ज नहीं किया गया है। एक संगठन अर्थात् दिल्ली वीमेन्स लीग का सहायता अनुदान बंद कर दिया गया है।

विवरण-I

कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे गुजरात के स्वैच्छिक संगठनों के नाम

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	मांगी गई तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता							
		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
		मांगी गई	प्रदान की गई	मांगी गई	प्रदान की गई	मांगी गई	प्रदान की गई	मांगी गई	प्रदान की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन (मल्टीकेटेगरी)	–	3.32	8.18	3.3	8.23	0.96	–	0.48 (प्रथम किस्त)
2.	बी.एम.ए. स्कूल ऑफ साइकोथेरेपी		0.67	1.95	0.70	1.84	0.74		0.37
3.	बी.एम.ए: शार्टहैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन गुजराती	(2 माह के लिए)	0.054	0.43	0.39	0.52	0.43		0.21
4.	बी.एम.ए. बेकरी एंड फूड प्रोड्क्ट	–	0.82	1.82	0.59	1.36	0.62	–	0.31
5.	बी.एम.ए. न्यूज लैटर	–	0.29	0.50	0.33	0.60	0.32	–	0.16
6.	बी.एम.ए. सैलरी ऑफ कम्पोजीटर एंड ट्राइडलमेन	–	0.53	1.21	0.53	1.27	0.54	–	0.27
7.	अन्ध कल्याण केन्द्र	–	–	0.64	0.51	0.62	0.30	–	0.15
8.	अन्ध अपंग कल्याण केन्द्र	–	–	0.65	0.53	0.60	0.53	–	0.27
9.	अन्ध जन विविधालाक्षी तालीम केन्द्र	–	–	7.07	3.29	1.40	4.34	–	2.17
10.	डी एस पारेख इंस्टिट्यूट	–	–	2.88	0.40	0.63	0.41	–	0.20
11.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट	–	–	3.08	2.85	4.51	.01	–	0.50
12.	के.एल. इंस्टिट्यूट ट्रांसपोर्ट अलाउंस	–	3.51	0.51	0.46	0.58	0.29	–	0.15
13.	के.एल. इंस्टिट्यूट टीचर ट्रेनिंग कोर्स	–	–	0.69	0.49	0.76	0.50	–	0.25
14.	लाइट हाऊस फॉर ब्लाइंड गर्ल्स	–	2.57	3.79	2.68	3.85	2.84	–	1.42
15.	सोसायटी फॉर मेंटली रिटार्डेड	–	1.44	2.32	1.48	2.57	2.39	–	1.19
16.	वी-वन सोसायटी, वडौदरा	2.50	1.50	3.57	1.80	4.00	2.15	4.47	1.07
17.	मानव दया ट्रस्ट	2.73	0.50	–		–	–	1.50	0.25
18.	के.एल. इंस्टिट्यूट फॉर डीफ, भावनगर	9.00	0.50	10.26	1.00	10.50	1.25	20.39	0.62
19.	मेडिकल केयर सेन्टर, वडौदरा	5.00	2.50	6.10	4.00	7.00	5.00	7.60	2.50
20.	ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन, अहमदाबाद	18.00	12.00	21.16	15.00	28.00	18.00	41.75	9.00
21.	भारत सेवाश्रम संघ, अहमदाबाद	6.55	0.48	7.30	1.65	1.66	1.61	1.66	0.83
22.	जरपान नसरपुर विभाग, सूरत	–	–	4.26	1.12	3.68	2.72	6.28	1.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	अखिल भारतीय आदि विकास परिषद, नई दिल्ली	5.70	1.17	55.47	6.81	503.18	–	224.74	–
24.	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउण्डेशन	2.62	2.62	4.38	4.38	5.99	–	5.99	–
25.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट	2.88	2.27	3.08	2.51	7.01	6.59	10.48	4.03
26.	गुजरात केल्वाणी ट्रस्ट, अहमदाबाद	12.87	8.56	17.94	11.27	17.75	6.92	14.30	6.15
27.	इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेल्फेयर	3.28	2.17	3.28	3.23	6.80	6.00	10.08	7.73
28.	अखण्ड ज्योति फाउण्डेशन	0.50	0.50	0.50	0.45	1.12	1.02	7.90	3.59
29.	नशाबन्दी मण्डल, अहमदाबाद	17.92	5.43	20.68	8.92	24.81	21.03	21.70	7.21
30.	एस.सी. पटेल ट्रस्ट केन्सर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बडौदा	7.82	5.55	7.82	5.57	7.62	7.48	7.62	3.77
31.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेन्शन रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद	0.50	0.41	–	–	0.50	0.50	1.00	0.75
32.	रचना सेवा संघ, बडौदा	0.50	0.38	–	–	–	–	–	–
33.	ब्लाइंड मेन्स एसोसिएशन, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	0.50	0.50	–	–	1.00	1.00	0.50	0.25
34.	बडौदा सिटीजन काउंसिल, बडौदा	0.50	0.50	–	–	1.00	0.84	0.50	0.25
35.	श्री कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, जुमानगर	0.50	0.50	–	–	–	–	–	–
36.	विकास विद्यालय, वधवा सिटी	0.50	0.38	0.50	0.43	0.50	0.41	–	–
37.	विकास गृह, अहमदाबाद	0.50	0.50	–	–	–	–	–	–
38.	जामनगर जिला समाज कल्याण संघ, जामनगर	0.50	0.50	–	–	–	–	–	–
39.	श्री टी.आर. गांधी विकास गृह, भावनगर	0.50	0.31	–	–	–	–	–	–
40.	बलराम संगम क्षेत्र समिति	0.50	0.25	–	–	–	–	–	–
41.	ज्योति संघ, अहमदाबाद	0.50	0.50	–	–	0.50	0.40	–	–
42.	रोशन विकास मण्डल	–	–	–	–	0.50	0.45	–	–
43.	मंगल ग्राम सेवा निधि	–	–	–	–	0.50	0.39	–	–
44.	स्वैच्छिक समन्वय एजेन्सी (वीसीए), रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, हार्दिक प्रेरणा पार्क सोसायटी, अहमदाबाद	0.14	0.14	0.72	0.72	0.81	0.81	–	–
45.	अंजुमन-ए-तालीनी इदारा चेरिटेबल, बहरूच	9.33	2.35	–	–	11.00	1.78	–	–
46.	महदुम एजूकेशनल सोसायटी, मोदारा	–	–	–	–	5.05	1.50	–	–

विवरण–II

कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे दिल्ली के स्वैच्छिक संगठनों के नाम

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	मांगी गई तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता							
		1991–92		1992–93		1993–94		1994–95	
		मांगी गई	प्रदान की गई	मांगी गई	प्रदान की गई	मांगी गई	प्रदान की गई	मांगी गई	प्रदान की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे	123.93	39.43	124.67	45.00	153.71	94.78	333.82	60.11
2.	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी	98.45	18.18	100.20	19.98	109.63	21.80	–	–
3.	समाज सेवा संघ, ब्रह्मपुरी	5.84	4.52	19.62	7.20	19.64	9.29	15.73	4.82
4.	शोषण उन्मूलन परिषद, चन्द्रलोक कालोनी, शाहदरा	20.87	15.88	35.61	29.49	45.59	38.52	56.92	21.19
5.	श्री मुख्त्यारसिंह स्मृति शिक्षा समिति, पूठ कलां	6.72	4.46	17.46	10.19	49.91	11.24	56.86	3.43
6.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, सुलतानपुरी	3.32	2.84	6.28	4.46	3.49	5.60	5.97	2.89
7.	मुक्ति संग्राम संघ, लक्ष्मीनगर	3.82	0.77	2.84	1.78	2.91	1.51	7.00	0.82
8.	कोणार्क शिक्षण संस्थान, उत्तम नगर	8.14	1.00	9.57	2.36	5.50	3.96	7.17	2.07
9.	बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर रिसर्च संस्थान, आर.के. पुरम	6.56	1.74	6.70	4.36	6.30	4.43	6.23	2.22
10.	ऑल इंडिया सेन्टर फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, गोल मार्किट	5.45	1.17	9.74	4.36	6.24	4.59	3.25	2.04
11.	दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ, रानी झांसी रोड	1.29	0.70	1.88	0.89	0.95	0.44	0.96	0.45
12.	नारी उत्थान समिति, मौजपुर	2.77	0.49	4.11	3.35	4.86	4.86	5.10	2.55
13.	सुषमा शिक्षा समिति, नन्द नगरी	1.36	0.27	1.63	1.63	1.49	1.35	1.49	0.59
14.	इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, सेवक पार्क, नजफगढ़ रोड	4.98	0.29	12.84	2.74	8.70	7.83	13.15	5.21
15.	बाबा साहेब अम्बेडकर सेकेण्डरी स्कूल समिति, रानी झांसी रोड	–	–	6.83	0.48	0.62	0.62	–	–
16.	चौ. धूपचन्द जेलदार मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी, पश्चिम विहार	–	–	9.91	2.10	3.46	1.78	1.56	0.78
17.	वीकर सैक्शन वेल्फेयर फेडरेशन, डा. अम्बेडकर नगर	–	–	6.45	0.96	10.18	2.76	8.78	1.38
18.	ग्रामोत्थान कल्याण परिषद, रिठाला	–	–	–	–	1.86	0.58	1.55	0.70
19.	बंगाली एस.सी./एस.टी. वेल्फेयर एसोसिएशन, चितरंजन पार्क	1.62	0.57	1.35	0.28	–	–	–	–
20.	सोशल वेल्फेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसायटी, करोल बाग	2.10	1.46	1.11	0.50	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	भारतीय ललितसाहित्य अकादमी, 233, टैगोर पार्क, मॉडल टाउन	3.04	1.56	3.50	2.05	–	–	–	–
22.	इंस्टिट्यूट फॉर दि ब्लाइंड	5.00	1.03	6.00	4.01	21.03	4.13	20.69	2.06
23.	बलवंत राय मेहता विद्या भवन	9.85	6.77	10.28	7.95	10.01	8.03	2.63	–
24.	प्रभा इंस्टिट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड कल्चरल क्राफ्टस फॉर दि हैंडीकेप्ड	3.03	0.95	4.30	1.43	5.21	1.66	5.32	0.83
25.	संजीवनी	2.73	0.75	2.79	1.04	4.09	1.57	4.30	0.79
26.	दिल्ली सोसायटी फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन	4.24	2.18	6.51	4.74	7.12	5.59	7.89	2.79
27.	स्पास्टिक्स सोसायटी ऑफ नार्दर्न इंडिया	15.72	14.15	22.83	17.51	31.19	18.75	43.32	9.30
28.	ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन	5.46	3.73	8.07	3.29	6.09	–	लागू नहीं	
29.	अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट	21.22	9.30	28.16	16.75	24.52	11.55	31.25	9.96
30.	अक्षय प्रतिष्ठान	2.09	1.89	4.11	2.36	4.10	2.61	5.81	1.30
31.	फेडरेशन ऑफ दि वेल्फेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड	20.43	8.41	26.26	7.28	33.21	8.13	26.04	4.06
32.	एसोसिएशन फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ मल्टीप्लाई हैंडीकेप्ड	–	–	7.61	–	–	–	–	–
33.	नेशनल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड	16.41	7.90	19.23	8.92	24.37	10.34	25.89	5.20
34.	आल इंडिया कान्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड	1.44	1.30	2.23	1.07	1.64	1.21	1.94	0.64
35.	इकलत सोसायटी	2.34	2.11	2.68	1.92	2.62	1.89	2.77	0.93
36.	डा. लबीर हुसैन मेमोरियल वेल्फेयर सोसायटी	2.89	2.03	4.38	2.17	1.74	3.32	4.39	0.87
37.	एसोसिएशन फॉर नेशनल ब्रदरहूड	–	–	–	–	4.60	0.77	8.11	1.09
38.	जनता आदर्श अंध विद्यालय	5.21	2.23	6.11	2.89	7.93	2.05	12.14	9.16
39.	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ दि डीफ	8.18	2.69	7.56	4.11	10.10	5.36	10.40	2.68
40.	अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ	2.86	1.33	3.79	2.41	5.99	3.42	6.94	1.71
41.	तमन्ना	5.69	3.79	6.54	4.61	5.66	5.36	8.37	2.68
42.	समाधान	–	–	–	–	–	–	–	–
43	इंडियन सोसायटी फॉर दि हीयरिंग इम्पेयरड	2.71	–	–	–	–	–	–	–
44	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ	–	–	1.92	0.79	3.89	0.92	1.93	0.46
45.	हैंडीकेप्ड वूमेन वेल्फेयर एसोसिएशन	1.99	1.78	3.40	2.02	4.30	2.08	5.96	1.04
46.	एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकेप्ड	4.23	1.46	5.61	2.09	7.65	2.47	8.79	1.23
47	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड (दिल्ली ब्रांच)	4.40	2.79	4.77	2.74	5.84	4.08	6.41	2.04
48.	इंस्टिट्यूट फॉर दि फिजिकली हैंडीकेप्ड	30.00	30.00	30.00	15.00	75.00	75.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट	7.00	4.75	15.00	5.75	15.00	5.54	5.50	2.75
50.	दिल्ली कांउसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर क्युडिसिया पार्क	4.50	0.50	4.68	0.75	4.80	0.37	5.00	0.19
51.	ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर डीफ, आर.के. पुरम	10.00	6.00	9.00	3.50	9.00	7.00	15.00	3.00
52.	दिल्ली मिडटाउन रोटरी सर्विस ट्रस्ट	–	–	0.80	0.80	–	–	–	–
53.	ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज	3.00	–	–	–	–	–	2.50	–
54.	एसोसिएशन ऑफ नेशनल ब्रदरहूड फॉर सोशल वेल्फेयर, 21 न्यू रोहतक रोड	12.00	7.18	15.50	13.87	19.70	18.96	20.12	9.45
55.	एसोसिएशन फॉर सोशल हैल्थ इन इंडिया, 4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	13.90	7.63	19.50	9.34	18.40	8.76	18.90	7.53
56.	दिल्ली पुलिस फाउण्डेशन, दिल्ली पुलिस स्टेशन, सराय रोहिल्ला	–	–	7.79	3.66	7.39	2.42	6.44	2.36
57.	इंडियन कांउसिल ऑफ एजूकेशन, सफदरजंग एन्कलेव	35.40	25.24	42.44	36.16	44.49	29.48	4.49	21.58
58.	सोसायटी फॉर प्रामोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, 80ए/9, किशनगढ़, वसन्तकुन्ज	3.10	2.61	6.04	3.95	8.20	6.06	5.00	3.43
59.	डा. विद्या सागर कौशल्या देवी मेमोरियल ट्रस्ट, नेहरू नगर	18.00	5.56	27.68	5.67	22.00	7.40	22.00	10.61
60.	दिल्ली वीमेन्स लीग	7.80	4.35	–	–	3.20	0.77	–	–
61.	नेशनल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड	0.50	0.50	–	–	0.50	0.48	–	–
62.	स्पास्टिक सोसायटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हौज खास	0.50	0.50	–	–	–	–	–	–
63.	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ दि डीफ, आर.के. पुरम	0.50	0.50	–	–	–	–	–	–
64.	इंडिया इन्टरनेशनल रूरल कल्चरल सेन्टर	0.50	0.50	–	–	–	–	–	–
65.	हैंडीकेप्ड वेल्फेयर फेडरेशन	0.50	0.50	–	–	1.00	0.75	–	–
66.	एज केयर इंडिया, साकेत	0.50	0.18	1.28	1.28	0.75	0.37	–	–
67.	इंडियन काउंसिल ऑफ एजूकेशन	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	–	–
68.	दिल्ली सोसायटी फॉर दि वेल्फेयर ऑफ दि मेंटली रिटार्डेट्स, ओखला	0.50	0.50	–	–	–	–	–	–
69.	ऑल इंडिया कान्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, मॉडल टाऊन	0.50	0.48	–	–	–	–	–	–
70.	समाज सेवा संघ	3.95	3.95	4.36	4.03	0.50	0.17	–	–
71.	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड	–	–	0.50	0.50	0.50	0.50	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	मैसर्ज वेल्फेयर होम फॉर चिल्ड्रेन, 68, राजा गार्डेन	–	–	–	–	1.63	1.63	–	–
73.	मैसर्ज सेवा भारती, 100196-ए, सेवा कुन्ज, झण्डेवालां	–	–	–	–	1.63	1.63	–	–
74.	मैसर्ज एस ओ एस चिल्ड्रेन्स, विल्लेज ऑफ इंडिया, ए-33, कैलाश कालोनी	–	–	1.63	1.63	–	–	–	–
75.	वाल्यूनटरी कोआर्डिनेटिंग एजेन्सी, मार्फत दिल्ली काउंसिल फॉर दि चाइल्ड वेल्फेयर, कुदासा गार्डेन	0.54	0.54	0.37	0.37	0.77	0.77	–	–
76.	हमदर्द स्ट्डी सर्कल	–	–	8.94	5.89	–	–	11.475	8.475
77.	सोसायटी फॉर पार्टनरशिप एजूकेशन एंड डेवलपमेंट	–	–	3.43	1.50	4.04	2.60	–	–
78.	एस.एन. दास गुप्ता कॉलेज	–	–	–	–	125.00	7.42	–	–
79.	राव आई ए एस स्ट्डी सर्कल	–	–	–	–	–	–	15.38	10.975
80.	एम्प्लायमेंट टुडे	–	–	–	–	–	–	22.11	1.10
81.	सचदेवा न्यू पी टी कॉलेज	–	–	–	–	–	–	19.44	3.30
82.	हैल्पेज इंडिया	3.25	3.25	–	–	1.97	1.97	2.91	2.91
83.	जामिया मिलिया इस्लामी	0.70	0.70	–	–	0.28	0.28	–	
84.	अलक चेरिटेबल ट्रस्ट, विवेक विहार	0.49	0.49	0.08	0.08	–	–	–	–
85.	भारतीय न्यू चेरिटेबल विकास समिति	0.38	0.15	0.15	–	–	–	–	
86.	ऑल इंडिया वूमेन कान्फरेंन्स	0.67	0.67	0.13	0.13	1.53	1.53	0.78	0.78
87.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	3.30	3.30	7.83	7.83	–	–	0.43	0.43
88.	प्रया जुवेनाइल एड सेन्टर, जहांगीरपुरी	–	–	–	–	5.30	5.30	7.40	7.40
89.	बाल सहयोग, कनॉट प्लेस	–	–	–	–	3.70	3.70	7.40	7.40
90.	अंकुरन	–	–	–	–	3.70	3.70	–	–
91.	इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर	–	–	–	–	2.46	2.46	–	–
92.	सलाम बालक ट्रस्ट	–	–	–	–	1.83	1.83	7.40	3.62
93.	आशा प्रोजेक्ट वाई डब्ल्यू सी ए	–	–	–	–	0.62	0.62	7.40	7.40
94.	सेवा भारतीय, झण्डेवालां	–	–	–	–	0.62	0.62	–	–
95.	आशीर्वाद सीनियर सिटिजेन्स सूर्या निकेतन	–	–	–	–	–	–	0.69	0.69

प्राकृतिक गैस का आबंटन

2463. डा. अमृतलाल कालिदास : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य में विद्युत परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस की 7.55 एम एम एस सी एम डी मात्रा आबंटित की गई है। आगे और आबंटनों हेतु अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस का पूर्णतया आबंटन किया जा चुका है।

रसोई गैस कनेक्शन

2464. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में रसोई गैस के नए कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) राज्य में इस समय कुल कितने रसोई गैस एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य में अन्य स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियां खोलने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान पूरे देश में 20 लाख नए ग्राहकों का नामांकन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को निर्देश है कि राज्यवार लक्ष्य नियत नहीं है। एल पी जी (रसोई गैस) की उपलब्धता, नए ग्राहक नामांकन योजना, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक तथा तत्संबंधी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए उड़ीसा समेत पूरे देश में एक चरणबद्ध प्रणाली में नए एल पी जी (रसोई गैस) कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

(ख) 01 अक्तूबर, 1994 को उड़ीसा में 91 एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटर कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ). अधिक एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के संबंध में उड़ीसा समेत देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। आर्थिक व्यवहार्यता तथा उत्पाद उपलब्धता के अध्याधीन 20,000 और उससे अधिक आबादी वाले स्थानों पर एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए विचार किया जाता है। तदनुसार 6 एल पी जी (रसोई गैस) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों संबंधी प्रस्ताव उड़ीसा के लिए चालू एल पी जी (रसोई गैस) विपणन योजना 1992-94 में सम्मिलित किए गए हैं।

वृद्ध दिवस

2465. श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनेवा में अपनी संकल्प संख्या 45/106 द्वारा 1 अक्तूबर को "वृद्ध दिवस" घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत तथा विश्व में "वृद्ध दिवस" सर्वप्रथम कब मनाया गया;

(घ) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान वृद्ध दिवस मनाया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत शुरू की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(च) इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग). जी, हां। महासभा ने संकल्प संख्या 45/106 द्वारा 1 अक्तूबर को वयोवृद्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में निर्दिष्ट किया। सभा ने 1 अक्तूबर को विशेष दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए इस दिन कुछ कार्यकलाप आयोजित करने के लिए भी सुझाव दिए हैं जिनमें राज्यों के प्रमुखों द्वारा वक्तव्य, सम्पूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में आयोजन, रेडियो, दूरदर्शन तथा प्रेस में समाचार की घोषणा तथा सार्वजनिक क्षेत्र आदि में फोटो तथा पोस्टरों का प्रदर्शन आदि। इसे 1991 में सम्पूर्ण विश्व में पहली बार मनाया गया था।

(घ) से (छ). जी, हां। कल्याण मंत्रालय वयोवृद्धों के कल्याण के लिए योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संस्थागत तथा गैर-संस्थागत तथा चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है। वयोवृद्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे क्योंकि यह योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। प्रगति गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों तथा निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए 5.68 करोड़ रुपये का कुल योजना आबंटन है।

सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण

2466. श्री अन्ना जोशी :
श्री प्रमथेश मुखर्जी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा सुरक्षा बल के विशेष रूप से जल और वायु प्रभागों के आधुनिकीकरण और इन्हें सुदृढ़ बनाने का है जिससे सीमाओं पर आतंकवादियों और कट्टरपंथी तत्वों की सहायता के लिए विस्फोटक और अन्य सामग्री की तस्करी को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बल को अच्छी नौकायें और विमान प्रदान किए जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). सीमा सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, जिसमें इसकी जल-विंग और वायु-विंग भी शामिल है, एक सदैव चलते रहने वाला कार्यक्रम है।

(ग) और (घ). अभी कुछ समय पहले, सीमा सुरक्षा बल के विस्तार कार्यक्रम के तहत इसके लिए 423 अतिरिक्त पदों के सृजित किए जाने सहित, 43 स्पीड बोट्स, 2 मीडियम क्राफ्ट्स, 5 यांत्रिक

नावें, 9 देशी नौकाएं, 61 इंजन युक्त देशी नौकाएं तथा 14 मोटर-वाहन स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में स्वीकृत की गई अतिरिक्त नौकाएं और क्राफ्ट्स को हासिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

रसोई गैस की मांग

2467. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसोई गैस की मांग को स्वयं पूरा करने में सक्षम है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एल पी जी की संभावित मांग स्वदेशी उत्पादन से बहुत अधिक रही है।

(ख) नए स्रोतों की स्थापना करके और वर्तमान स्रोतों से उत्पादन बढ़ाते हुए देश में एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि करने की योजनाएं बनाई गई हैं। नई एल पी जी सुविधाओं को विकसित करने और वर्तमान आयात सुविधाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार ने निजी एजेंसियों द्वारा बाजार निर्धारित मूल्यों पर अपने स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से एल पी जी के आयात और बिक्री करने की अनुमति दे दी है।

बहरूल इस्लाम समिति

2468. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहरूल इस्लाम समिति ने विकलांगों के संबंध में मुख्यतः कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) बहरूल इस्लाम समिति ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की थीं :—

1. निम्नलिखित के लिए विधान अधिनियमित करना :—

(1) प्रमस्तिष्काघात व मानसिक मंदता के लिए एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना;

(2) विकलांग कल्याण के आयुक्त सहित विकलांग कल्याण बोर्ड की स्थापना, जिसमें आयुक्त बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा।

(3) सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय सरकार के कार्यालय और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) की सेवाओं में इन तीन वर्गों अर्थात् दृष्टि बाधितार्थ, वाणी और श्रवण विकलांगों को समूह "ग" और "घ" की सेवाओं में प्रत्येक को 1 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करना जो कि 1977 से कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत पहले ही विद्यमान है।

2. कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान करना :—

(1) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दृष्टि बाधितार्थ, वाणी व श्रवण और अस्थि विकलांगों को इन तीन वर्गों में प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत तक का आरक्षण

(2) विकलांगों के लिए सार्वजनिक भवनों और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में पहुंच सुविधाएं;

(3) समूह "क" और "ख" की सेवाओं में तीनों श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के लिए 12 की दर से अथवा प्रारंभ में उससे कम प्रतिशत आरक्षण जो इन तीन वर्गों में समान रूप से बांटा जाए।

(ख) निम्नलिखित दो सिफारिशें कार्यान्वयन के प्रयोजन से सरकार के विचाराधीन हैं :—

(1) मानसिक मंदता तथा प्रमस्तिष्काघात के लिए एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना; और

(2) "विकलांग व्यक्ति (सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक" नामक एक व्यापक विधान जिसमें विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और सुरक्षा के सभी पहलू शामिल हों जैसे निवारण, शीघ्र पता लगाना, समय पर निवारण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार पुनर्वास, बीमा आदि।

(ग) इस विधान को संसद में प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सिंचित क्षेत्र का विकास

2469. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1974-75 से एक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मार्च, 1994 तक निर्मुक्त की गई राज्यवार केन्द्रीय वित्त सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत राज्य सरकारों को मार्च, 1994 तक निर्मुक्त की गई राज्यवार केन्द्रीय वित्त सहायता

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1994 तक कुल निर्मुक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	4985.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	1674.07
4.	बिहार	10152.31
5.	गोवा	802.46
6.	गुजरात	8285.55
7.	हरियाणा	4983.30
8.	हिमाचल प्रदेश	340.69
9.	जम्मू व कश्मीर	1159.38
10.	कर्नाटक	9224.83
11.	केरल	4510.80
12.	मध्य प्रदेश	7961.75
13.	महाराष्ट्र	16825.40
14.	मणिपुर	444.97
15.	मेघालय	20.00
16.	नागालैंड	10.00
17.	उड़ीसा	3614.42
18.	राजस्थान	21245.30
19.	तमिलनाडु	5233.08
20.	त्रिपुरा	12.18
21.	उत्तर प्रदेश	26878.15
22.	पश्चिम बंगाल	1650.58
23.	दादर व नगर हवेली	0.00
24.	दमन व द्वीव	0.00
25.	अध्ययनों के लिए अनुदान	180.78
	कुल	130193.05

[अनुवाद]

रसोई गैस में कमी

2470. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में रसोई गैस की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). केरल राज्य में मौजूदा ग्राहकों की मांग कमोबेश संपूर्णतः पूरी की जा रही है। संभावित अस्थायी बकाया कार्यों को कार्योपरि घंटों और छुट्टियों के दिन भराई संयंत्रों के प्रचालन द्वारा एल पी जी आपूर्तियों में वृद्धि करके और समीपस्थ क्षेत्रों के भराई संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जाता है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन चैनलों पर समाचार बुलेटिन

2471. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिन्दी समाचार बुलेटिन का प्रसारण केवल दूरदर्शन चैनल-1 से ही किया जाता है जबकि अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण दूरदर्शन के चैनल-1 तथा चैनल-2 दोनों से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी समाचार बुलेटिन को दूरदर्शन के एक ही चैनल तथा अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का दूरदर्शन के दोनों चैनलों से प्रसारण किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण दूरदर्शन के दोनों चैनलों से किए जाने अथवा अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण भी दूरदर्शन के एक ही चैनल से किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। अपराह्न ट्रांसमिशन में डी.डी.-1 पर टेलीकास्ट किए जाने वाले हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन का डी.डी.-2 पर भी रिले किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डी.डी.-1 पर टेलीकास्ट किए जाने वाले समाचार बुलेटिन को डी.डी.-2 पर रिले करना, डी.डी.-2 चैनल की समग्र कार्यक्रम अपेक्षा पर निर्भर करता है। मौजूदा व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में कल्याण योजनाएं

2472. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है;

(ख) इस धनराशि में से राज्य सरकार ने कितनी राशि का उपयोग किया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य में आवासीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए हाल ही में केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त अनुदान देने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए प्रदान की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

(रु. करोड़ में)

1992-93	1993-94	1994-95 (अब तक)
60.11	89.71	40.91

(ख)

1992-93	1993-94	1994-95
59.55	37.93	अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ). राज्य सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करने हेतु विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए कहा है। निधियों की अनुपलब्धता के कारण, अतिरिक्त निधियां प्रदान करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

जल निकास प्रणाली

2473. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार ने जल निकास प्रणाली संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्रसारण संहिताएं

2474. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन की प्रसारण संहिताओं की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय अनुसन्धान संस्थाएं

2475. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी जनजातीय अनुसन्धान संस्थाएं किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन संस्थाओं ने मौल, मारिया, नागा आदि जैसी कुछ जनजातियों में मानव हत्या की घटनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं और किन-किन संस्थाओं ने यह सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि नहीं, तो भविष्य में ऐसे सर्वेक्षणों को कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) देश में इस समय (14) जनजातीय अनुसंधान संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ये हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), गौहाटी (असम), रांची (बिहार), अहमदाबाद (गुजरात), कोझीकोड (केरल), भोपाल (मध्य प्रदेश), भुवनेश्वर (उड़ीसा), पुणे (महाराष्ट्र), उदयपुर (राजस्थान), उथगमन्डलम (तमिलनाडु), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), इम्फाल (मणिपुर) तथा अगरतला (त्रिपुरा) में अवस्थित हैं।

(ख) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन संस्थाओं द्वारा भील, मारिया, नागा आदि जैसी कुछ जनजातियों में मानव हत्या की घटना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी इस प्रकार के सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई परियोजनाएं

2476. डा. असीम बाला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई वृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाएं नहीं हैं। लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

(ख) योजना आयोग ने वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में लघु सिंचाई के लिए क्रमशः 1.22 करोड़ रुपए, 1.99 करोड़ रुपए तथा 1.99 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। वर्ष 1994-95 के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लघु सिंचाई के लिए अनुमोदित परिव्यय 1.99 करोड़ रुपए है।

केरल से विधेयक

2477. श्री पी.सी. चाको :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने "केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास (संशोधन) विधेयक, 1994" शीर्षक से एक विधेयक केन्द्र सरकार की सहमति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे सहमति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग). केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास (संशोधन) विधेयक, 1994, राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किए जाने से पहले भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के लिए 19.4.1994 को प्राप्त हुआ था। 14.7.1994 को राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वे विधेयक के कुछ उपबंधों के बारे में स्पष्टीकरण दें। राज्य सरकार से उक्त स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद ही विधेयक के संबंध में आगे कोई कार्रवाई की जा सकेगी।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2478. डा. साक्षीजी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इनमें से कितनी धनराशि अब तक जारी की जा चुकी है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से यह आग्रह किया है कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋण और अनुदानों के रूप में होती है जो विकास परियोजना के किसी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है। तथापि, योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1994-95 के लिए हिमाचल प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र के वास्ते 28.15 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला परियोजनाएं

2479. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. खानों को अर्थक्षम बनाने और अच्छी क्वालिटी के कोयले के उत्पादन हेतु कुछ परियोजनाओं में कनाडा, आस्ट्रेलिया और फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी इन परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) कनाडाई, आस्ट्रेलियाई और फ्रांस की प्रौद्योगिकी से क्रियान्वित की जा रही कोल इंडिया लि. की परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश	कोल इंडिया लि. की परियोजना	मांग की गई प्रौद्योगिकी
कनाडा	राजमहल ओ.का. परि.	उच्च क्षमता "हैम" तथा समग्र खान प्रबंधन पद्धति की शुरूआत
आस्ट्रेलिया	पीपरवार ओ.का. परि.	इनपिट क्रेशर तथा कन्वेयर पद्धति
फ्रांस	कोटाडीह	एकल सलाइस में मोटी सीम में भूमिगत लांगवाल खनन

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल की सरकार ने भूमि अधिग्रहण में अपेक्षित सहायता मुहैया करके सहायता प्रदान की है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में वैगन का नष्ट किया जाना

2480. श्री मोहन रावले : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** कोचीन तेल शोधक कारखाने में वैगन के नष्ट किए जाने के बारे में 17 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 3338 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को हुए 1.07 करोड़ रुपये के नुकसान में से इसे कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) कब तक बकाया का भुगतान कर दिया जायेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कमार शर्मा) : (क) और (ख). रेलवे के 1,07,27,589/-रुपए के दावे में से 53,92,348/- रुपए कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने पहले ही भुगतान कर दिए हैं। शेष देय धनराशि का कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा रेलवे के बीच वार्ता के उपरांत भुगतान किया जाएगा।

यातायात अवरुद्ध होना

2481 श्रीमती गिरिजा देवी :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के कारण यातायात काफी देर तक अवरुद्ध रहने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं के संबंध में चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, इस संबंध में कुछ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायत पर, सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है। भारत सरकार द्वारा अति-अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इन दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। सरकार द्वारा इन दिशा निर्देशों की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का आयात

2482. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान राष्ट्रवार कितना कच्चा तेल आयात करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने सस्ती दरों पर भारत को तेल निर्यात करने के इच्छुक देशों के साथ बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) 1995-96 की आयात योजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) और (ग). सभी आयात बाजार संबंधित मूल्यों पर किए जाते हैं तथा आवधिक संविदाओं के तहत क्रुड आयात सामान्यतः उत्पादक राष्ट्रीय तेल कंपनियों के सरकारी बिक्री मूल्यों पर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में कम शक्ति के ट्रांसमीटर

2483. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में कम शक्ति के अधिकांश ट्रांसमीटरों के असन्तोषजनक कार्यकरण के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). गुजरात में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रां.) के समग्र निष्पादन संतोषजनक होने की सूचना है। विगत में उनके खराब कार्य करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के खराब कार्य करने की सूचनाओं पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और त्रुटियों को विधिवत रूप से ठीक कर दिया जाता है।

सिंचाई परियोजनाएं

2484. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना काल के दौरान मध्य प्रदेश के लिए मंजूर की गई बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं?

(ख) केन्द्र सरकार के समक्ष कौन-कौन सी बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी मिलेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एक वृहद परियोजना अर्थात् मध्य प्रदेश की मान सिंचाई परियोजना को 44.10 करोड़ रुपए की लागत पर निवेश स्वीकृति प्रदान की गई।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश की 14 वृहद और 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से सलाहकार समिति द्वारा 10 वृहद और 3 मध्यम परियोजनाएं इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गई कि राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने, पर्याप्त निधियों का प्रावधान करने, राज्य के वित्त विभाग की सहमति आदि प्राप्त कर ली जाए। वन पर्यावरण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पहलुओं पर कार्य योजनाएं प्रस्तुत न किए जाने के कारण सलाहकार समिति द्वारा एक वृहद एवं एक मध्यम सिंचाई परियोजना पर विचार आस्थगित कर दिया गया। शेष 3 वृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर, राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के साथ विभिन्न तकनीकी आर्थिक मामले सुलझाने हैं।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है और पर्यावरणीय एवं वन पहलू से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की योजनाओं के बारे में कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

कश्मीरी विस्थापितों को रसोई गैस कनेक्शन

2485. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों के प्रत्येक परिवार को रसोई गैस के एक-एक कनेक्शन देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रसोई गैस के कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग). दिल्ली में प्रत्येक विस्थापित कश्मीरी परिवार को प्राथमिकता के आधार पर एल पी जी कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यदि आवेदक के पास जम्मू तथा कश्मीर में एल पी जी कनेक्शन था तो तेल कंपनियों द्वारा आवेदन पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

2486. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि जारी की है;

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ने उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान निर्मुक्त की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिनसे कि रिपोर्टें आने की प्रतीक्षा है, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1993-94 में 4900.0463 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता के उपयोग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 1994-95 में निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोग का पता इस समय नहीं लग सकता क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 31.3.1995 तक है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) यह योजना व्यापक होने के कारण इसमें सभी पात्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। तथापि, यह अनुमान है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 300 करोड़ रुपए के आवंटन से आठवीं योजना अवधि में 56.67 लाख विद्यार्थियों को इस योजना स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

विवरण-I

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1077.365	675.30
2.	बिहार	590.144	451.00
3.	गोवा	1.46	0.90
4.	गुजरात	357.951	292.00
5.	हरियाणा	68.00	75.49
6.	हिमाचल प्रदेश	3.272	2.00
7.	जम्मू और कश्मीर	33.754	20.70
8.	कर्नाटक	1077.436	657.30
9.	केरल	106.764	66.00
10.	मध्य प्रदेश	474.76	289.70
11.	महाराष्ट्र	1240.04	1140.30
12.	मणिपुर	59.47	36.40
13.	मेघालय	74.279	143.275
14.	मिजोरम	164.35	100.30
15.	नागालैंड	60.00	-
16.	उड़ीसा	385.74	235.30
17.	पंजाब	120.878	73.80
18.	राजस्थान	348.02	311.68
19.	तमिलनाडु	736.98	449.60
20.	त्रिपुरा	54.944	33.60
21.	उत्तर प्रदेश	350.00	-
22.	प. बंगाल	73.20	-
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.30	0.75
24.	दमन और दीव	2.562	1.60
25.	दादर और नगर हवेली	3.13	4.06
26.	पांडिचेरी	10.56	11.30
27.	गोहाटी प्रोजेक्ट	3.00	2.00
	कुल	7479.359	5056.355

विवरण-II

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना 1991-92 और 1992-93 और 1993-94 के दौरान पुरस्कारों की संख्या (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	132515	1,42,383	1,56,622
2.	असम	41542	36,464	87,605
3.	बिहार	153000	1,89,474	1,20,611
4.	गोवा	146	125	130
5.	गुजरात	112752	1,29,240	1,42,149
6.	हरियाणा	10959	12,077	13,313
7.	हिमाचल प्रदेश	3730	4,015	3,974
8.	जम्मू और कश्मीर	2428	2,301	2,619
9.	कर्नाटक	86250	1,02,080	1,28,296
10.	केरल	46399	44,992	47,872
11.	मध्य प्रदेश	107977	1,22,533	1,31,849
12.	महाराष्ट्र	204709	2,06,258	1,87,708
13.	मणिपुर	8252	9,750	10,797
14.	मेघालय	10056	10,088	12,504
15.	मिजोरम	8361	9,920	16,363
16.	नागालैंड	13608	11,689	16,030
17.	उड़ीसा	36510	28,558	40,331
18.	पंजाब	16923	17,697	19,916
19.	राजस्थान	44380	52,369	58,249
20.	सिक्किम	175	127	-
21.	तमिलनाडु	103840	1,12,322	1,18,990
22.	त्रिपुरा	7221	7,260	8,637
23.	उत्तर प्रदेश	234776	1,74,540	2,47,326
24.	पश्चिम बंगाल	99793	82,950	91,208
25.	अंडमान और निकोबार	-	175	250
26.	दमन और दीव	124	175	250
27.	दादर और नगर हवेली	568	657	640
28.	दिल्ली	8761	8,734	9,648
29.	पांडिचेरी	1241	1,346	1,466
30.	गोहाटी प्रोजेक्ट	63	64	130
	कुल	14,97,059	15,30,880	16,75,483

गैस की सप्लाई

2487. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग लि. गैस की कुछ मात्रा उरण से एच बी जे पाइपलाइन में सप्लाई करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच बी जे पाइपलाइन से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई में कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(च) ऐसे उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार अक्तूबर 1994 से मार्च, 1995 के दौरान कितनी मात्रा में गैस की सप्लाई करने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) और (घ). 1994-95 में हजीरा में उपलब्धता 1993-94 के स्तर के समान है। तथापि, एच बी जे के आस पास मांग बढ़ गई है, जिसके परिणामस्वरूप निजी इकाइयों की आपूर्ति में 1993-94 की तुलना में कमी आई है।

(ङ) द्वितीय बेसिन हजीरा ट्रंक लाइन की स्थापना से मई, 1995 के बाद से स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

(च) लगभग 30 एम एम एस सी एम डी की जरूरत की तुलना मे अक्तूबर, 94 से मार्च, 95 के दौरान हजीरा और एच बी जे में उपलब्धता 20 एम एम एस सी एम डी होगी।

हथियारों का जब्त किया जाना

2488. श्री अन्ना जोशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्थानों पर तस्करों तथा आतंकवादियों से कितनी मात्रा में गोला बारूद तथा हथियार जब्त किए गए;

(ख) इस समय इन हथियारों का बाजार मूल्य कितना है; और

(ग) उनका निपटान किस प्रकार किया जाता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) देश के विभिन्न भागों में तस्करों/आतंकवादियों से शस्त्रों और गोला बारूद की जब्ती के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :—

1. **जम्मू और कश्मीर (1992-1994)**

	(अगस्त, 1994 तक)
शस्त्र	13,528
गोला बारूद	12,02,868

2. **पंजाब (1992-1994)**

	(अक्तूबर, 1994 तक)
शस्त्र	4 29
गोला बारूद	1,21,652

3. **उत्तरी पूर्वी राज्य (1992-1994)**

	(नवम्बर 1994 तक)
शस्त्र	1,491

4. **गुजरात (6.12.1992 से 11.8.1993)**

शस्त्र	359
गोला बारूद	6,029

5. **महाराष्ट्र (1993 में)**

शस्त्र	80
गोला बारूद	39,604

(ख) और (ग). इन हथियारों के बाजार मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि तस्करों/आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियार न्यायालयवाद सम्पत्ति का हिस्सा बन गए हैं। उसके बाद इन हथियारों को न्यायालय के निदेशों के अनुसार निपटा दिया जाएगा।

नेशनल फिल्म फोरम

2489. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेशनल फिल्म फोरम स्थापना करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके निदेश पदों, कार्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). फिल्म उद्योग के विभिन्न मुद्दों/समस्याओं पर विचार करने और उन्हें हल करने हेतु उपायों का पता लगाने के लिए सरकार ने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। इस प्रकार कोई अन्य विशिष्ट उपबंध कार्य तथा उद्देश्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

इन्टरपोल सम्मेलन

2490. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में इन्टरपोल सम्मेलन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया;

(ग) सम्मेलन में क्या-क्या सिफारिशें की गईं;

(घ) सम्मेलन पर कितना खर्च हुआ; और

(ङ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां। भारत में सर्वप्रथम इन्टरपोल का एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन दिनांक 13.12.94 से 16.12.94 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह तेहरवां एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन था।

(ख) निम्नलिखित देशों ने इस सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया :—

1. आस्ट्रेलिया
2. आर्मीनिया
3. बहरीन
4. बंगलादेश
5. ब्रूनी
6. चीन
7. भारत
8. इण्डोनेशिया
9. ईरान
10. इराक
11. इजरायल
12. जापान
13. कजाकिस्तान
14. कोरिया
15. लाओस
16. मंगोलिया
17. मलेशिया
18. नेपाल
19. न्यूजीलैंड
20. ओमान
21. पाकिस्तान
22. पुर्तगाल (मकाव)
23. कतर
24. रूसी परिसंघ
25. सऊदी अरब
26. श्री लंका
27. थाइलैंड
28. यू.ए. ई.
29. यू.के. (हांग-कांग)
30. उजबेकिस्तान

निम्नलिखित देशों ने सम्मेलन में प्रेक्षक के रूप में भाग लिया :—

1. फ्रांस
2. इटली
3. नीदरलैंड
4. स्वीडन
5. यू.एस.ए.
6. कनाडा
7. नार्वे
8. डेनमार्क

इसके अलावा सम्मेलन में निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया :—

1. कोलम्बो प्लान ब्यूरो श्री लंका
2. यूरोपियन कमीशन ब्रूसेल्स बेल्जियम
3. यूनाइटेड नेशन्स ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम (यू.एन.डी.सी.पी.)

(ग) से (ङ). सम्मेलन में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की गतिविधियों, वैधानिक ढांचे, इन्टरपोल हथियार और विस्फोटक खोज प्रणाली, समुद्रीय प्रदूषण जो अपराध की कोटि में आता है, रेडियो एक्टिव सामग्री की अवैध रूप से सीमा-पार गतिविधियां, वित्तीय और आर्थिक पर्यावरण, विशेष रूप से "गैर-पारंपरिक" धन स्थानांतरण प्रणाली, परिवर्तन अथवा कूटकरण की रोकथाम करने के लिए पासपोर्टों के संबंध में सुरक्षा फीचर, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय अथवा प्रणाली के विकास हेतु प्रयास, एन.सी.बी. के बीच सहयोग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक सम्पर्क अधिकारी नामित करना, एन.सी.बी. के लिए सेवा मानक आपसी सहयोग तथा निष्कासन की प्रक्रिया तथा क्षेत्रीय आधार पर अपराध के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन के बारे में 13 सिफारिशें की गईं। आई.सी.पी.ओ. द्वारा सिफारिशों को अन्तिम रूप दिए जाने पर, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(घ) सम्मेलन के लिए 3 लाख रुपये के खर्चे का अनुमोदन किया गया था। सभी प्रतिनिधियों की यात्रा और ठहरने पर आया खर्च सदस्य देशों द्वारा वहन किया गया।

जयपुर दूरदर्शन के लिए दूसरा चैनल

2491. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जयपुर दूरदर्शन केन्द्र से दूसरा चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह चैनल अपना कार्य करना कब से शुरू कर देगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जयपुर स्थित दूरदर्शन का दूसरा चैनल 31 अक्तूबर, 1994 से पहले ही कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाना

2492. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पूर्वी देशों बंगलादेश, नेपाल, म्यांमार से जुड़ी सीमाओं पर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सीमाओं पर विदेशी घुसपैठ तथा तस्करी की गतिविधियों पर कुछ हद तक रोक लगाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या फरवरी-मार्च, 1994 में केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी सीमाओं पर सड़क विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, संचार आदि सुविधाओं को बेहतर बनाने एवं विकसित करने हेतु पर्याप्त धन राशि मंजूर की थी तथा इसे पूर्वी सीमाओं पर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए सीमा सुरक्षा बल को सौंपा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) विद्रोही ग्रुपों को सीमा पार से प्राप्त हो रहे बढ़ते हुए समर्थन को ध्यान में रखते हुए इसके प्रति हमारी गंभीर चिंता के बारे में उन्हें सुग्राही बनाने के लिए और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए बंगलादेश, म्यांमार और नेपाल की सरकारों के साथ पहल की गई है। सभी बकाया मुद्दों की गहराई से जांच करने और उनके समाधान हेतु व्यावहारिक उपायों की सिफारिश करने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ एक संस्थागत तन्त्र की स्थापना की गई है। दोनों देशों का एक संयुक्त कार्य दल गठित किया गया है जिसने मार्च, 1994 में दिल्ली में अपनी पहली बैठक की थी। सिविलियन सीमा अधिकारियों के बीच सहयोग के संबंध में जनवरी, 1994 में म्यांमार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इसके अग्रसरण में, निचले स्तर पर सहयोग प्राप्त करने के लिए गृह सचिव के स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक तथा तीन सैक्टोरल स्तर की बैठकें की गई हैं। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के स्तर की बैठकों में नेपाल सरकार को भी सुग्राही बनाया गया है।

(ख) और (ग). तस्करी और घुसपैठ की समस्याओं से सरकार अवगत है तथा इस संबंध में अनेक उपाय किये गए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त गहन करना, सीमा सुरक्षा बल के वाटर-विंग को मजबूत बनाना, सीमा सड़कों का निर्माण करने और बाड़ लगाने के कार्यक्रम तेज करना, विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम (पी.आई.एफ.)/मोबाईल टास्क फोर्स (एम.टी. एफ.) योजनाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

(घ) और (ङ). सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.), जिसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर तथा स्थानीय जनता के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ाकर देश के पश्चिमी भाग के संवेदनशील क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, अब 1993-94 के दौरान इसका विस्तारण उन पूर्वी राज्यों में भी कर दिया गया है जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बंगलादेश के साथ लगती है। बी.ए.डी.पी. कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को निधियां विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर, दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को अलग से कोई निधि नहीं दी जाती। राज्य स्तर पर संवीक्षा समिति, बी.ए.डी.पी. योजना के अधीन विशिष्ट योजनाएं आरम्भ करने हेतु निधियों का वितरण करने के लिए सैक्टरों/सब सैक्टरों तथा एजेन्सियों का चयन करती है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2493. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ सिंचाई परियोजनाओं को जापान की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जापान द्वारा इस संबंध में मंजूर की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें से अभी तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पंजाब-हरियाणा विवाद

2494. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के बीच लंबित मसलों का निपटारा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इनका निपटारा हो जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). पंजाब और हरियाणा के बीच लम्बित पड़े मामलों को, संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके, स्वीकार्य हल निकालने के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जा रहे हैं।

सिंचाई

2495. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार किन-किन सिंचाई परियोजनाओं में खेतों की सिंचाई का कार्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा रहा है; और

(ख) इलेक्ट्रोनिक रिमोट कंट्रोल प्रणाली का अध्ययन करने हेतु कितने सिंचाई अभियन्ता विदेश भेजे गए हैं और इन्हें किन-किन देशों में भेजा गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कमान क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र द्वारा प्रदान किया जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में कुछ कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं में बेतार संचार प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पुनर्निर्मित महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई-III परियोजना के अन्तर्गत माजलगांव उप-परियोजना में डायनोमिक रेगुलेशन के प्रारंभ का एक घटक है।

(ख) विगत में यू एस ए आई डी से सहायता प्राप्त जल संसाधन प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत 24 सिंचाई इंजीनियरों को नहर द्वार प्रणालियों में स्वचलन और सिंचाई नहर स्वचलन का अध्ययन करने के वास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका, मिश्र एवं फ्रांस भेजा गया।

आस्ट्रेलियाई दूरदर्शन का प्रवेश

2496. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आस्ट्रेलियाई दूरदर्शन से भारत में अपने कार्यक्रम प्रसारण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

टाडा के संबंध एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

2497. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1994 में जारी की गई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत को तत्काल "टाडा" की पुनरीक्षा करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). "इंडिया-द टेररिस्ट एण्ड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेन्शन) एक्टः द लेक ऑफ "स्क्रूपुलस केअर" नवम्बर, 1994" शीर्षक से प्रकाशित अपनी ताजा रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि "टाडा" की समीक्षा करने के लिए सरकार कार्रवाई शुरू करे।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय द्वारा प्रोसेस की जा रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

2498. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार युवकों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने संबंधी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अधिक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों में ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां। अदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए एक योजना है। अनुसूचित जाति के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ख) जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संबंध है उन्हें वर्तमान आश्रम विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों में स्थापित किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को तीन ट्रेडों में प्रत्येक में चार माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है और उनके प्रशिक्षण के बाद तीन माह के लिए मास्टर शिल्पी के साथ तीनों ट्रेडों में सम्बद्ध किया जाता है। केन्द्रीय सरकार ऐसे केन्द्रों के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक केन्द्र पर अनुमानित लागत 14.78 लाख रुपये है।

जहां तक अनुसूचित जाति के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना का संबंध हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा पात्र स्वयंसेवी संगठनों को सीधे ही व्यावसायिक केन्द्र चलाने और कुल स्थापना लागत का 90 प्रतिशत प्रदान किया जाता है जिनमें निम्नलिखित शामिल है :—

1. कर्मचारियों को वेतन आदि
2. प्रशिक्षण सामग्री
3. प्रशिक्षण के लिए उपस्कर तथा मशीनें
4. प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 6 माह से 12 माह तक के लिए होती हैं।

(ग) अब तक स्थापित केन्द्रों की संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भविष्य में आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या राज्य सरकारों के प्रस्ताव उनके द्वारा निधियों के उपयोग तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

अनुसूचित जाति के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत भविष्य में स्थापित किए जाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या संबंधित राज्य सरकारों अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा विधिवत सिफारिश से प्राप्त पात्र स्वयं सेवी संगठनों के व्यवहार्य प्रस्तावों की गुणवत्ता की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार–प्रशिक्षण केन्द्रो की संख्या के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	अनु. जाति के लिए स्वयं संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1	29
2.	असम	—	1
3.	बिहार	3	4
4.	गुजरात	7	—
5.	दिल्ली	—	25
6.	हरियाणा	—	3
7.	हिमाचल प्रदेश	—	1
8.	जम्मू और कश्मीर	—	1
9.	कर्नाटक	—	8
10.	केरल	1	—
11.	मध्य प्रदेश	3	9
12.	महाराष्ट्र	4	2
13.	मणिपुर	—	6
14.	उड़ीसा	12	18
15.	मिजोरम	1	—
16.	राजस्थान	3	4
17.	तमिलनाडु	2	7
18.	त्रिपुरा	—	3
19.	उत्तर प्रदेश	—	51
20.	पश्चिम बंगाल	3	23
	कुल	40	195

राष्ट्रीय अकादमी

2499. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल सुधार समिति ने जेल प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करने की सिफारिश की थी और

(ख) यदि हां, तो इस अकादमी की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सुधारात्मक प्रशासन अकादमी की स्थापना करने का फैसला किया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रशिक्षण और सम्बद्ध योजनाएं

2500. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रशिक्षण और इससे सम्बद्ध योजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) उक्त राशि में से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है और 1994-95 के अंत तक कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए एक केन्द्र प्रायोजित कोचिंग और सम्बद्ध योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य भर्ती निकायों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि उनका सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। यह केन्द्र या तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से या विश्वविद्यालयों/कालेजों और निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा सीधे चलाए जाते हैं। राज्य सरकारों को उनकी प्रतिबद्ध देयता अर्थात पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में हुए कुल व्यय के अनुसार व्यय के समान आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों और निजी कोचिंग संस्थानों के मामले में, केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत आधार पर प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को लाभ मिलता है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 24,000/-रुपये से अधिक न हो।

(ग) और (घ). कुछ राज्यों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। अन्य राज्यों की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित राशि 10.00 करोड़ रुपये है।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र प्रायोजित कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वास्तविक उपयोग

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92		1992-93		1993-94	
		प्रदत्त केंद्रीय सहायता	उपयोग केन्द्रीय सहायता	प्रदत्त केन्द्रीय सहायता	उपयोग केन्द्रीय सहायता	प्रदत्त केन्द्रीय सहायता	उपयोग केन्द्रीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	23.68	2.24	38.42	0.72	40.70	14.73
2.	हरियाणा	3.24	2.93	3.20	4.47	3.56	2.28
3.	केरल	1.57	2.41	3.09	2.72	6.96	3.45
4.	कर्नाटक	4.66	6.17	11.62	0.17	12.46	2.98
5.	मेघालय	1.21	शून्य	1.71	शून्य	2.21	0.33
6.	उड़ीसा	2.65	1.87	2.28	1.04	2.74	3.02
7.	पंजाब	4.38	1.31	5.46	3.82	5.63	1.22
8.	राजस्थान	24.15	शून्य	42.27	10.52	45.69	20.01
9.	तमिलनाडु	4.00	शून्य	6.00	शून्य	8.00	शून्य
10.	त्रिपुरा	2.96	0.69	3.17	1.68	7.89	1.13
11.	दिल्ली	1.55	1.44	3.00	2.40	3.00	3.00
	कुल	74.05	19.11	120.22	33.54	138.84	52.15

गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को आसान शर्तों पर ऋण

2501. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवसी :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान तथा 1995-96 के लिए भी तेल की खोज में लगी गैर क्षेत्र की कंपनियों को आसान शर्तों पर ऋण दिया है अथवा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी गैर सरकारी कंपनियां लाभान्वित होंगी; और

(ग) कितनी कंपनियों ने ऋण लेने पर सहमति व्यक्त की है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं। अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद

2502. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने अपनी हाल की लंदन यात्रा के दौरान ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा इसे रोकने हेतु रणनीति तैयार करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां। ब्रिटेन की हाल की यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने ब्रिटिश सरकार के गृह मंत्री के साथ, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार इत्यादि की समस्याओं सहित आपसी हित के मामलों पर विचार विमर्श किया। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हुई कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एक विश्व-व्यापी समस्या है और यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है और यह कि इस खतेरे को नियंत्रित करने के लिए सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

वृद्ध लोग

2503. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वृद्धावस्था के लिए क्या उम्र निर्धारित की गई है;

(ख) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार वृद्ध लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सौ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे लोगों की संख्या कितनी है;

(ङ) ऐसे लोगों को कितनी पेंशन राशि दी जा रही है;

(च) क्या सरकार को इस राशि को बढ़ाए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को वयोवृद्ध माना गया है।

(ख) से (घ). 1991 की जनगणना के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। तथापि 1991 की जनगणना के अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। विवरण में विभिन्न आयु समूह सहित 100+ आयुवर्ग के व्यक्तियों की राज्य क्षेत्रवार संख्या दी गई है।

(ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वयोवृद्धों को पेंशन की योजना चलाई जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वयोवृद्धों की पेंशन की दर 50 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह है तथा विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

(च) से (ज). साधारणतः जनता के कुछ भागों से वयोवृद्धों के पेंशन को बढ़ाने की मांग को उठाया गया है। राज्य सरकारें अपने वित्तीय स्रोतों के अनुसार वयोवृद्धों को पेंशन प्रदान कर रही है।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार विभिन्न आयु के व्यक्तियों की संख्या

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		आयु समूह							
		58	60	65	75	80	90	95	100
	*भारत	2,094,167	1,50,48,595	75,65,992	25,05,842	23,89,294	4,18,533	97,711	1,32,839
1.	आंध्र प्रदेश	1,75,256	14,23,297	5,37,252	1,77,755	2,08,764	29,214	5,070	3,812
2.	अरुणाचल प्रदेश	2,348	10,630	3,886	1,372	1,697	328	105	98
3.	असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	बिहार	1,89,707	18,07,425	8,72,383	2,67,506	2,47,118	39,249	10,138	15,133
5.	गोवा, दमन और दीव	4,693	20,457	11,275	3,553	2,992	444	136	144
6.	गुजरात	1,20,468	6,87,791	3,80,563	1,13,980	1,04,424	18,347	5,273	6,326
7.	हरियाणा	34,896	2,97,290	1,51,404	45,656	49,735	8,045	1,752	2,295
8.	हिमाचल प्रदेश	17,221	88,753	48,289	18,116	20,492	4,394	1,007	1,529
9.	जम्मू और कश्मीर	10,930	1,29,503	51,788	17,717	26,794	6,449	1,026	2,553
10.	कर्नाटक	1,16,547	8,79,608	4,12,583	1,56,885	1,56,132	26,624	7,398	8,494
11.	केरल	1,43,634	3,55,064	2,89,607	1,20,054	78,214	11,334	2,637	1,432
12.	मध्य प्रदेश	1,36,242	11,98,013	6,12,655	2,07,106	1,96,520	37,954	8,350	11,370
13.	महाराष्ट्र	1,91,917	13,27,793	7,78,328	2,33,099	1,89,602	42,363	11,326	15,257
14.	मणिपुर	6,997	23,288	9,346	4,080	4,809	701	182	196
15.	मेघालय	4,327	19,759	8,670	3,262	3,256	581	119	167
16.	मिजोरम	1,978	4,535	1,858	842	949	180	38	67
17.	नागालैंड	3,848	11,230	4,494	2,230	3,374	848	289	484
18.	उड़ीसा	95,150	5,62,724	2,77,472	99,202	90,018	14,275	3,536	4,176
19.	पंजाब	60,483	4,27,580	2,22,636	80,887	1,10,180	22,901	4,182	7,948
20.	राजस्थान	81,482	8,22,375	3,64,851	1,00,677	1,06,593	13,620	3,232	2,879
21.	सिक्किम	997	3,290	1,252	467	480	58	20	20
22.	तमिलनाडु	1,85,886	9,95,893	5,64,153	1,87,030	1,37,176	21,299	4,355	3,726
23.	त्रिपुरा	4,582	43,434	22,139	9,925	12,150	2,299	685	1,070
24.	उत्तर प्रदेश	3,08,925	28,52,746	13,54,768	4,56,265	4,86,884	88,099	18,296	33,187
25.	पश्चिम बंगाल	1,71,346	9,48,044	5,25,916	1,79,689	1,32,226	25,376	7,608	9,302
संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	399	1,782	882	308	322	73	18	33
2.	चंडीगढ़	1,372	4,952	2,682	1,000	1,050	221	48	93
3.	दादर और नगर हवेली	453	1,435	789	148	131	14	6	3
4.	दमन और दीव	गोआ सहित							
5.	दिल्ली	19,547	87,293	46,857	14,402	15,381	3,004	925	1,019
6.	पांडिचेरी	240	578	291	99	76	15	3	—
7.	पांडिचेरी	2,293	12,032	6,922	2,530	1,653	227	53	28

नोट :- जोड़ के कारण कुल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कुछ मामलों में भारत से मिलान नहीं होगा*

* भारत में असम के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि असम में 1981 की जनगणना नहीं कराई गई थी।

स्रोत : भारत की जनगणना 1981, शृंखला-1, भारत, भाग-IV A, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सारणी (सारणी, सं. 5)

[अनुवाद]

मिट्टी के तेल के डिपो

2504. डा. साक्षी जी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उन स्थानों पर जहां मौजूदा मिट्टी के तेल के डिपो ने काम करना बंद कर दिया है, मिट्टी के तेल के डिपो खोलने का प्रस्ताव व अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवदा]

महाराष्ट्र में अस्पृश्यता

2505. श्री अन्ना जोशी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता की घटनाओं की जानकारी मिली है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस की एजेंसियों और पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

2506. श्री एन.जे. राठवा :
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों की ओर से राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में पैट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस की एजेंसियां खोलने के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं?

पैट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पैट्रोलियम क्षेत्र का उदारीकरण

2507. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पैट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम क्षेत्र को और अधिक उदार बनाने तथा पैट्रोल और डीजल जैसे उत्पादनों के वितरण और मूल्यों पर नियंत्रण हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(घ) इन प्रस्तावों से क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ). राष्ट्रीय तेल उद्योग का पुनर्गठन करने संबंधी एक "कार्यनीति नियोजन दल" का गठन किया गया है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उच्च श्रेणी के प्रबन्धक और शैक्षिणिक तथा अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञ सदस्य हैं। इस दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

कल्याण संस्थाएं

2508. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपयुक्त स्थानों पर अनाथालय, निःशुल्क औषधालय आदि जैसी कुछ मॉडल कल्याण संस्थाएं स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये संस्थाएं किन-किन राज्यों में स्थापित की जायेंगी,

(घ) क्या कुल व्यय और लाभार्थियों की संख्या के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वे संस्थाएं कब तक स्थापित कर दी जायेंगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि पहले केन्द्र सरकार की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए अनाथालयों की स्थापना

नामक एक योजना थी। यह योजना अब 1.4.92 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित कर दी गई है।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

कोयले का निर्यात

2509. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले का निर्यात करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों को कोयले का निर्यात किया जाएगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) कोल इंडिया लि., कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो अपने पारंपरिक खरीददारों को, जो कि पड़ोसी देश हैं, को कोयले का नियमित रूप में निर्यात कर रहा है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान को.इं.लि. के द्वारा लगभग 3.20 लाख टन की निर्यात की वचनबद्धताओं को पूरा किया गया है।

(ग) ऐसे देश जिन्हें को.इं.लि. द्वारा निर्यात किए जाने की संभावना है, वे निम्न हैं—बंग्लादेश, नेपाल तथा भूटान।

महाराष्ट्र में आदिम जनजातियां

2510. श्री अन्ना जोशी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आदिम जनजातियों की समस्याओं के समाधान और उन्हें सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को आदिम जनजातियों के लिए दिए गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) यह मंत्रालय आदिम जनजाति समूहों (पी.टी.जी.) के विकास की योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का कुछ हिस्सा निर्धारित करता है। कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आदिम जनजाति समूहों के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के एक हिस्से के रूप 184.78 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, आदिम जनजाति समूहों से संबंधित काटकारियों तथा माटिया गौंड हेतु कम साक्षरता पाकेटों में अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए शैक्षिणिक परिसरों की योजना के अंतर्गत सहायता निर्मुक्त की गई थी।

(ख) कम साक्षरता पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसरों की योजना के अंतर्गत ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र को 1993-94 के दौरान 6,33,167 रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी। यह योजना पिछले वर्ष चालू की गई थी। आदिम जनजाति समूहों के लिए महाराष्ट्र के गैर सरकारी संगठनों को इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान कोई सहायता नहीं दी गई है।

कोल इंडिया लि. के अधिकारी

2511. श्री मोहन रावले : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1994 के "इकानामिक टाइम्स" में "सी.आई.एल. स्लैप्स चार्ज शीट्स ऑन 400 आफिशियल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या कोल इंडिया लि. के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोप-पत्र दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी समिति, जिसने भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) में स्टाक की कमी की जांच की थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर भा.को.को.लि. के लगभग 152 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(ग) एक महाप्रबन्धक और तीन एजेंन्टों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, 6 एजेंन्टों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। बकाया अभ्यायोजित अधिकारियों के विरुद्ध मामलों में कार्रवाई विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चलचित्रों हेतु रायल्टी

2512. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ माह तक दूरदर्शन प्राइमरी चैनल में रात्रि स्लाट में चक्रवार एक भाषा के बाद अन्य भाषा में पुरस्कार विजेता चित्रों के अलावा पुरानी फिल्मों सहित महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं में सुप्रसिद्ध चलचित्र दिखाए गए;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं के ऐसे चलचित्रों का प्रसारण नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अन्य भाषाओं के प्रति अनुचित भेदभाव नहीं है विशेष रूप से यह देखते हुए कि उपग्रह क्षेत्रीय भाषा सेवा योजना के अंतर्गत प्रसारित की जाने वाली अन्य भाषाओं की फिल्मों को दी जाने वाली कुछ हजार रुपए की रायल्टी की तुलना में हिन्दी फिल्मों को लाखों रुपयों की रायल्टी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

एल पी जी एजेंसियों का आवंटन

2513. श्री राजनारायण : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डीजल/पैट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र, और एल पी जी तथा मिट्टी के तेल की एजेंसियों के आवंटन में उत्तर प्रदेश के तेल चयन बोर्ड के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और उठाए गए उपचारी कदमों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के तेल चयन बोर्ड सहित तेल चयन बोर्डों द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विभिन्न स्थानों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। निवारणात्मक कार्रवाई के लिए शिकायतों की जांच संबंधित संगठनों के परामर्श से की जाती है। असंतोषजनक कार्यकरण के कारण तेल चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश) को मार्च, 1994 में समाप्त कर दिया गया था। पुनर्गठित तेल चयन बोर्ड कार्यरत हैं।

आंतरिक सुरक्षा योजना

2514. श्री सुधीर सावंत
श्री पंकज चौधरी :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक संदर्शी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्तर पर संगठित रूप में अपराध किये जाने के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ). आंतरिक सुरक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। तथापि, संदर्शी योजना जैसा कोई दस्तावेज नहीं है। इसके अतिरिक्त, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए ठोस कदम उठाने और विभिन्न तरीके निकालने का काम राज्य सरकारों का है। विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए उपायों का समन्वय करने में मदद करने तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सूचना में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय सरकार, राज्यों को अर्द्ध-सैनिक बलों, राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण और उन्नत हथियार तथा संचार सुविधाओं के रूप में हर संभव सहायता भी प्रदान कर रही है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों का कोई आंकलन नहीं किया गया है।

तेल की खोज

2515. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल अन्वेषण हेतु कोई ऐसी नीति तैयार की है जिसके अंतर्गत देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण हेतु तेल का प्राकृतिक गैस आयोग ने बहुराष्ट्रीय और स्वदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त अन्वेषण हेतु कोई नीति निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल के अन्वेषण हेतु, तैयार की गई नई नीति से देश के लिए कहां तक सहायता मिलेगी?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). भारत में तेल और गैस का अन्वेषण करने हेतु ओ एन जी सी/ओ आई एल के साथ संयुक्त उद्यम में प्रतिभागिता करते हुए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव है, ताकि तेल अन्वेषण की गति में तेजी लायी जा सके।

प्रस्तावित किए जाने वाले ब्लॉकों और प्रस्ताव की औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इससे अन्वेषण की गति में तेजी लाने में सहायता मिलेगी, जिसका उद्देश्य देश के हाइड्रोकार्बन भंडारों में वृद्धि करना है।

पारिस्थितिकी अनुकूल लुब्रिकेटिंग तेल का विकास

2516. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पारिस्थितिकी अनुकूल लुब्रिकेटिंग तेलों के विकास में कोई सफलता प्राप्त हुई है जो बायोडिग्रेडेबल नॉन-टाक्सिक हैं और पर्यावरण में जमा नहीं होते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण अनुकूल फार्मूलेशों से बने स्नेहक, खनिज तेल भंडारों पर आधारित तत्वों से मंहगे होते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पर्यावरण अनुकूल स्नेहकों की लागत कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (छ). ऐसे स्नेहक तेलों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जो बायोडिग्रेडेबल, नॉनटाक्सिक हैं और जो पर्यावरण में जमा नहीं होते। ये स्नेहक पर्यावरणानुकूल फार्मूलेशनों पर आधारित हैं और परंपरागत तेल की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत अधिक मंहगे होते हैं। इन पर अधिक खर्च होता है क्योंकि उन्हें फार्मूलेट करना कठिन होता है क्योंकि उनमें गैर खनिज संघटक होते हैं और उन्हें खनिज तेलों के समान निष्पादन देना होता है। ये पारिस्थितिकी अनुकूल स्नेहक तेल टेक्सटाइल स्पींडल मशीनरी, रेडीयेटर कूलैंट, कोल्ड रोलिंग, मशीन टूल्स और हाइड्रालिक्स के क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं।

हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन का विस्तार

2517. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं के लिए गैस उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश सरकार से एक विद्युत परियोजना के अलावा स्पोंज लोहा उर्वरक संयंत्रों आदि के लिए भी गैस आबंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा शेयरों का आबंटन

2518. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कर्मचारियों को भारी छूट पर प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर पैट्रोलियम उद्योग में सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). ओ एन जी सी ने 270/- रुपए प्रति शेयर की दर पर अपने प्रत्येक कर्मचारी को 150 शेयर दिए हैं। कर्मचारियों को यह शेयर इन आधारों पर आबंटित किए गए हैं कि उन्होंने पिछले वर्षों में ओ एन जी सी के कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय योगदान किया है और वे ओ एन सी जी को इसके वर्तमान आकार और क्षमताओं तक लाए हैं।

(ग) प्रत्येक मामले के गुण-दोष और संबंधित विषय पर सरकार की सामान्य नीति को देखते हुए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को शेयरों के आबंटन का निर्णय लिया जाता है।

माल की चोरी

2519. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में "पुलिस पिलफर्स गुडीज वर्थ करोरस्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पुलिस द्वारा इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह कहना सही नहीं है कि पुलिस कार्मिकों की एक बड़ी संख्या मंहगी वस्तु, जैसे कि वी.सी.आर., फर्नीचर, टी.वी. सैट, रैफ्रिजरेटर इत्यादि तथा अनुपयुक्त मदिरा, कारों और स्कूटरों के टायरों की, पुलिस मालखाने से चोरी कर रही है। वर्ष 1994 के दौरान ऐसे केवल 2 मामलों का पता चला है तथा इन मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके खिलाफ कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

पुलिस मालखाना में रखी गई सम्पत्ति की किसी प्रकार की हेरा-फेरी अथवा चोरी की रोकथाम करने के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियों को, मामले की सम्पत्ति को हिरासत में सुरक्षित रखने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में स्थाई अनुदेश जारी किए गए हैं। नियमित निरीक्षण तथा वास्तविक रूप से जांच, यह भी सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि इस प्रकार से रखी गई सम्पत्ति की चोरी न हो सके।

जिन वस्तुओं के लिए कोई दावे नहीं किये जाते उन वस्तुओं की नीलामी करने के संबंध में दिल्ली पुलिस अधिनियम, की धारा 69 में यह प्रावधान है कि जिन वस्तुओं के लिए दावे नहीं किए जाते, उन वस्तुओं की नीलामी, पुलिस आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही की जाए।

"सुपुर्दगी" वाले वाहन तथा अन्य वस्तुओं को, अपराध दण्ड प्रक्रिया की धारा 102 (3) के अधीन, छेड़ा जाता है। सरलता से न्यायालयों में न ले जाए जा सकने वाली सम्पत्ति को उसके वास्तविक दावेदार को "सुपुर्दगी" के अधीन उस व्यक्ति द्वारा इस आशय के बाण्ड अथवा वचन पत्र भरने के बाद सौंप दिया जाता है कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो उस सम्पत्ति को वह न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

यह सच है कि पुलिस स्टेशन के मालखानों में मामलों से संबंधित रखी गई सम्पत्ति को रखने में काफी स्थान की आवश्यकता होती है तथा स्थान के अभाव के कारण, ऐसे सामान को खुले स्थान में रखना पड़ता है, परिणामस्वरूप, वे क्षतिग्रस्त/खराब हो जाते हैं अथवा न्यायालयों द्वारा मामले में फैसला दिये जाने तक वे वस्तुएं मरम्मत के लायक नहीं रहती। दुर्घटनाग्रस्त वाहन, जो "सुपरदारी" के अधीन नहीं छोड़े जाते हैं, उनको न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में फैसला दिए जाने के बाद बेच दिया जाता है।

एल पी जी एजेंसी

2520. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दम : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान उनके विवेकाधीन कोटे से तमिलनाडु में कोई एल पी जी एजेंसी/पैट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख). अनुकंपा आधार पर तामिलनाडु में जनवरी-दिसम्बर 1993 के दौरान कोई भी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान नहीं की गई।

[हिन्दी]

विदेशों से धन

2521. श्री दत्ता मेघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विदेशों से धन प्राप्त करने वाली संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को कितनी धनराशि मिली है; और

(ग) उनके क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). महाराष्ट्र राज्य से जिन एसोसिएशनों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्ति की सूचना भेजी है उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	एसोसिएशनों की संख्या	सूचित किया गया विदेशी अभिदाय (करोड़ में)
1990	904	106.31 रु.
1991-92	827	132.58 रु.
1992-93	989	164.47 रु.

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत, आने वाली एसोसिएशनों को इस अधिनियम के अन्तर्गत, चालू वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय और उसके उपयोग के बारे में, चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सूचना इस मंत्रालय को भेजनी होती है। सरकार द्वारा स्थापित प्रबोधन इकाई, एसोसिएशनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय, उनकी प्राप्ति के विवरणों, का प्रबोधन करती है और जहां कहीं अपेक्षित होता है उनका निरीक्षण करती है।

अखबारी कागज का आयात

2522. श्री महेश कनोडिया :
श्री रामकृपाल यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आयात करने की अनुमति देने के लिए कोई दिशा निर्देश/मानदंड तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने समाचार पत्रों की अखबारी कागज का आयात करने के लिए "इन्टाइटलमेंट सर्टिफिकेट" जारी किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। वर्तमान में, अखबारी कागज आयात नीति से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय की 31.3.93 की

सार्वजनिक सूचना सं. 118 (पी.एन.)/92-97 के माध्यम से यथा संशोधित 31.3.92 की सार्वजनिक सूचना सं. 4-आई टी सी (पी.एन.)/92-97 द्वारा अखबारी कागज के आयात को विनियमित किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज का आयात हेतु जिन समाचारपत्रों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए गए, उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

1991-92	-	2463
1992-93	-	2100
1993-94	-	1691

मिट्टी के तेल की मांग/आपूर्ति

2523. श्री तेजनारायण सिंह :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की वर्तमान मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है जिसके परिणामस्वरूप जनता को लकड़ी उपयोग करना पड़ता है और इससे वनों की कटाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल की मांग पूर्णतः पूरी करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग). केरोसीन एक कमी वाला तथा राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्व के आधार पर आबंटित किया जाता है। राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने के लिए केरोसीन कोटे को विभिन्न जिलों को जारी करती है। तेल कंपनियों द्वारा केरोसीन पूर्व में किये गये आबंटनों के अनुरूप जारी किए जाते हैं।

राज्य सरकारें आबंटन में भारी वृद्धि की मांग करती रही हैं। उत्पाद संबंधी कठिनाइयों तथा दी जाने वाली भारी राजसहायता के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं हुआ है। तथापि, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केरोसीन की उपलब्धता में और भी सुधार करने के लिए सरकार ने केरोसीन के आबंटन में गत वर्ष से 3 प्रतिशत अधिक वृद्धि के लिए अनुमति दे दी है। सरकार ने केरोसीन के आयात को नियंत्रण मुक्त कर दिया है जिसके तहत निजी पार्टियां केरोसीन का आयात कर रहीं हैं तथा बाजार निर्धारित मूल्यों पर इसका विपणन कर रही हैं।

[अनुवाद]

कैदियों की अदला-बदली

2524. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को अवैध रूप से पार करते हुए पकड़े गए कितने पाकिस्तानी कैदी भारतीय जेल में हैं तथा कितने भारतीय कैदी उन्हीं वजहों से पाकिस्तान की जेल में हैं;

(ख) क्या इन देशों के बीच इन कैदियों की अदला-बदली के लिए कोई वार्ता की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण और परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को वापस लेने से इंकार कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों के संबंध में कोई जांच प्रक्रिया की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). भारत और पाकिस्तान के बीच 2.11.1982 को जिस "प्रोटोकोल आन कान्सुलर एक्सेस" पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें भारतीय और पाकिस्तानी कैदियों के प्रत्यावर्तन में दूसरे देश द्वारा कान्सुलर एक्सस उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए राजनयिक माध्यमों से निरन्तर बातचीत हुई है। नई दिल्ली में हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत के छठे दौर के दौरान, भारतीय और पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और प्रत्यावर्तन पर तकनीकी चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों ने सहमति दिखाई। कैदियों के प्रत्यावर्तन की रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है।

(घ) और (ङ). जून, 1991 में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से 85 पाकिस्तानी कैदियों की अदला बदली की पेशकश की थी। किन्तु पाकिस्तान केवल 40 कैदियों को स्वीकार करने पर सहमत हुआ तथा अन्य 45 पाकिस्तानी कैदियों की राष्ट्रीयता पाकिस्तान द्वारा सत्यापित नहीं की गई। लागू प्रथा यह है कि कैदियों की राष्ट्रीयता इत्यादि के बारे में सत्यापन किए जाने संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपसी आधार पर कैदियों की अदला-बदला की जाती है।

(च) और (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

समाचार पत्र उद्योग

2525. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र उद्योग में अखबारी कागज की कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी किस कारण है तथा कितनी है, और चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज की मांग और उपलब्धता कितनी-कितनी है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग). चालू वर्ष हेतु देश में मानक अखबारी कागज की 6 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित मांग के मुकाबले देशी मानक अखबारी कागज का उत्पादन 3.80 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। समाचार पत्रों को अखबारी कागज की अधिकृत मात्रा के आयात की अनुमति प्रदान करके आपूर्ति की इस कमी को पूरा किया जाता है।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

2526. डा. जयन्त रंगपी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय क्षेत्रों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राकृतिक न्याय के हित में उन क्षेत्रों में कार्यकारी दंडाधिकारियों की न्यायिक शक्ति को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). दाण्डिक न्यायालयों के एक नए सैट-अप का प्रावधान करके दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की मंशा, अखिल भारतीय आधार पर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण सुनिश्चत करना है। "संहिता" को लागू किए जाने की सीमा का नियमन, संविधान के संगत उपबंधों के साथ पठित "संहिता" की धारा । के तहत किया जाता है। जहां यह संहिता लागू नहीं होती है उन क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

सीमेंट उद्योग द्वारा रक्षित कोयले की खानें

2526.क. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट के उत्पादन के लिए तथा रक्षित विद्युत उत्पादन के लिए रक्षित कोयले की खानों की स्थापना करने हेतु सीमेंट उद्योग को अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). सरकार ने लोहा और इस्पात बनाने के लिए रक्षित खानें रखने की अनुमति देने के मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, कोयला धोवनशालाएं स्थापित करने की अनुमति देने तथा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य अन्तिम उपयोगों के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में 9.6.1993 को पहले ही संशोधन कर दिया गया है। विद्युत इस्पात संयंत्र विकसित करने के इच्छुक संगठनों को इस बीच 14 कोयला खनन ब्लॉक्स आंबटित किए जा चुके हैं। मौजूदा प्रावधानों में सीमेंट उत्पादकों द्वारा रक्षित खानें रखे जाने की अनुमति नहीं है।

11.19 म.पू.

तत्पश्चात् लोक सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

12.00 मध्याह्न

लोक सभा 12.00 मध्याह्न पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

संयुक्त राष्ट्रसंघ की 50वीं वर्षगांठ के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संकल्प को स्वीकृति हेतु सभा के समक्ष रखता हूं :

यह सभा द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप, आगामी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए, विश्व की समस्याओं का समाधान करने तथा सहयोगपूर्ण कार्य के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में सुधार के लिए एक मंच के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए विश्व के राष्ट्र के निश्चय को याद करते हुए;

शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में इस विश्व संगठन द्वारा पिछले उनचास वर्षों के दौरान दिए गए अद्वितीय योगदान की सराहना करते हुए;

इस बात को भी महसूस करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में असमानता, दूसरे पर प्रभुत्व जमाने और शोषण करने की प्रवृत्ति अब भी जारी है, गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है और विश्व में गंभीर सशस्त्र संघर्ष हो रहे हैं;

यह विचार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं वर्षगांठ से विश्व की सरकारों और लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति अपने आपको पुनः समर्पित करने और समानता तथा न्याय के आधार पर सभी देशों के लोगों के लिए विश्व शांति और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के नये युग का सूत्रपात करने की प्रतिज्ञा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है;

(1) "बेहतर विश्व निर्माण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ" के सिद्धान्तों को बढ़ावा देने में समुचित ढंग से 50वीं वर्षगांठ मनाने के संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा के निर्णय का स्वागत करती है;

(2) अपने इस विश्वास को दोहराती है कि बहुपक्षीयता का प्रतिरूप संयुक्त राष्ट्र संघ एक अधिक न्यायोचित, समतावादी, समृद्ध तथा सुरक्षित विश्वव्यवस्था को बढ़ावा देने में विशिष्ट स्थान रखता है और इसे वर्तमान राजनीतिक व आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परस्पर सम्मान तथा विश्वव्यापी सहभागिता के आधार पर सबका कल्याण सुनिश्चित करने के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सुदृढ़ किया जाना चाहिए;

(3) संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपनी अटूट वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करती है और संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों के प्रति आस्था प्रकट करने तथा शान्ति, सुरक्षा और समृद्धि संबंधी अपनी सम्मिलित आकांक्षाओं की शीघ्र पूर्ति हेतु इसकी क्षमता का उपयोग करने के अपने निश्चय को दोहराती है;

(4) आशा करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धान्तों और प्रयोजनों की प्राप्ति और समूची मानवता की शांति और प्रगति के हित में सुरक्षा परिषद् सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन तथा उसे मजबूत बनाने से वर्तमान वास्तविकताएं प्रतिबिम्बित होंगी।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह संकल्प संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को भेजा जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.05 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.06 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.05 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म.प.

लोकसभा 2.05 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम सभा पटल पर पत्रों को रखेंगे।

2.06 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकेप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री सीताराम केसरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6872/94]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय श्री पी.ए. संगमा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.6873/94]

(4) कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6874/94]

मिनिरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड नागपुर, के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(I) (एक) मिनिरल ऐक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनिरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6875/94]

(II) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 6876/94]

चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री के.पी. सिंह देव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) चलचित्र (प्रमाणीकरण) (संशोधन) नियम, 1994, जो 3 अगस्त, 1994 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 603 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) चलचित्र (प्रमाणीकरण) (तीसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 16 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 816(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) चलचित्र (प्रमाणीकरण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1994, जो 16 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 6877/94]

बीक्को लारी लिमिटेड, कलकत्ता और भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, कैप्टन सतीश कुमार शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) बीक्को लारी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीक्को लारी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6878/94]

(ख) (एक) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6879/94]

(ग) (एक) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईबीपी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6880/94]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6881/94]

(ङ) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6882/94]

(च) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6883/94]

(छ) (एक) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6884/94]

(ज) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6885/94]

(झ) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड) के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड) का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6886/94]

(ञ) (एक) बोंगईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बोंगईगांव के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बोंगईगांव का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6887/94]

(ट) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6888/94]

(ठ) (एक) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6889/94]

(2) भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, वीडियोकोन पैट्रोलियम लिमिटेड; कमान्ड पैट्रोलियम (इं॰ प्रा. लिमिटेड; रावा ऑयल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड के बीच रावा ऑयल एण्ड गैस फील्ड के रूप में अभिज्ञात कॉन्ट्रेक्ट एरिया के संबंध में प्रोडक्शन शेयरिंग कान्ट्रेक्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6890/94]

(3) भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच ब्लाक जीएन-ओएन-90/3 के संबंध में प्रोडेक्शन शेयरिंग कानट्रेक्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6891/94]

(4) भारत सरकार तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा एलबियोन इंडिया; आईएनसी कोपलेक्स (इंडिया) लिमिटेड; ओवरसीज एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड के बीच ब्लाक केजी-ओएस-90/1 के संबंध में प्रोडेक्शन शेयरिंग कानट्रेक्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6892/94]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री संतोष मोहन देव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6893/94]

हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री मल्लिकार्जुन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6894/94]

लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण): सभा-पटल पर रखता हूं:

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 38 — ग्यारहवां सत्र, 1988
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6895/94]
2. विवरण संख्या 28 — बारहवां सत्र, 1988
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6896/94]

नौवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 32 — दूसरा सत्र, 1990
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6897/94]
4. विवरण संख्या 28 — तीसरा सत्र, 1990
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6898/94]
5. विवरण संख्या 24 — छठा सत्र, 1990
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6899/94]
6. विवरण संख्या 24 — सातवां सत्र, 1991
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6900/94]

दसवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या 25 — पहला सत्र, 1991
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6901/94]
8. विवरण संख्या 20 — तीसरा सत्र, 1992
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6902/94]
9. विवरण संख्या 18 — चौथा सत्र, 1992
   [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6903/94]
10. विवरण संख्या 15 — पांचवां सत्र, 1992
    [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6904/94]
11. विवरण संख्या 14 — छठा सत्र, 1993
    [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6905/94]
12. विवरण संख्या 10 — सातवां सत्र, 1993
    [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6906/94]
13. विवरण संख्या 9 — आठवां सत्र, 1993
    [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6907/94]
14. विवरण संख्या 7 — नौवां सत्र, 1994
    [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6908/94]
15. विवरण संख्या 4 — दसवां सत्र, 1994
    [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6909/94]
16. विवरण संख्या 2 — ग्यारहवां सत्र, 1994
    [ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6910/94]

दसवीं लोक सभा

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी, रुड़की का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे;

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6911/94]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलाजी, रुड़की के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलाजी, रुड़की के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6912/94]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना और रिपैट्रीएट्स कोआपरेटिव लाइसेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या यू.-14011/160/89-दिल्ली की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 30 नवम्बर, 1994 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी,

1990 की अधिसूचना संख्या 14011/160/89-दिल्ली (एक) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6913/94]

(2)(एक) रिपैट्रीएट्स कोआपरेटिव फाइनैंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रीएट्स कोआपरेटिव फाईनैंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6914/94]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) रिहैबीलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबीलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6915/94]

(4) पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 223 की उपधारा (2) के अंतर्गत चन्डीगढ़ प्रशासन के 21 अक्तूबर, 1994 के राजपत्र में प्रकाशित आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत समितियों और जिला परिषद् के निर्वाचन कराने की अवधि को 23 अक्तूबर, 1994 से अगले छह महीना की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 6916/94]

नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड शिमला तथा राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री पी.वी. रंगय्या नायडू की ओर से मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नाथपा झाकरी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6917/94]

(2) (एक) राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6918/94]

(3) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल.टी. 6919/94]

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री पी.वी. रंगय्या नायडू की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह-'क' पद) भर्ती नियम, 1993 जो 19 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 485 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह-'क' पद) भर्ती (संसोधन) नियम, 1994, जो 12 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6920/94]

2.07 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री सूरजभानु सोलंकी (धार) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.07 ½ म.प.

प्राक्कलन समिति की गई कार्यवाही विवरण

डा. कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अनतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल मंत्रालय-रेल और सुरक्षा के बारे में प्राक्कलन समिति के दूसरे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का बाइसवां प्रतिवेदन।

(2) शहरी विकास मंत्रालय-दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए हॉस्टल आवास के बारे में प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशें पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का तेइसवां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) -वित्तीय नीति-घाटे का प्रबंध-बाह्य और आन्तरिक ऋण के बारे में प्राक्कलन समिति के बारहवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का सत्ताइसवां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)-प्रवर्तन निदेशालय के बारे में प्राक्कलन समिति के छठे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का तेंतीसवां प्रतिवेदन।

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय-जवाहर रोजगार योजना के बारे में प्राक्कलन समिति के तीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दसवीं लोक सभा) का चवालीसवां प्रतिवेदन।

2.08 म.प.

लोक लेखा समिति

(एक) उनासीवां और बयासीवां प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी-निरर्थक परिव्यय के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

(2) सविदा प्रबंध के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

(दो) की गई कार्यवाही विवरण

श्री शरद दिघे : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कारबार आय की गलत संगणना संबंधी 177वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(2) सीमा-शुल्क प्राप्तियां-मोचन जुर्माने पर छोड़ी गई जब्त कार पर सीमा-शुल्क न लगाये जाने संबंधी 186वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(3) प्राईवेट पार्टियों को पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में रेलवे को देय राशि का भुगतान न किये जाने संबंधी 202वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(4) बजट प्राक्कलनों और वास्तविक व्यय में अंतर संबंधी 224वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(5) आयुध कारखानों में एक उपस्कर के उत्पादन में कमी तथा वस्तु सूचियों और चल रहे कार्यों संबंधी 27वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(6) सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में योजना प्रक्रिया और निगरानी तंत्र संबंधी 81वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-रेफ्रिजरेटरों और टायरों की कीमतों पर शुल्क में कमी का प्रभाव संबंधी 82वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(8) सेना इंजीनियर सेवायें संबंधी 131वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(9) एक उपस्करण के विकास में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय संबंधी 180वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(10) कोयला और कोक की ढुलाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा)।

(11) पुणे टेलीफोन्स संबंधी 15वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(12) (एक) खडकपुर-मद्रास बाइडबैंड माइक्रोवेव योजना (दो) कलकत्ता-पश्चिम बंगाल-असम बाइडबैंड माइक्रोवेव योजना (तीन) नागपुर-बंगलौर बाइडबैंड माइक्रोवेव योजना संबंधी 14वां प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा)।

(13) कलकत्ता में ट्रंक स्वचल केन्द्र संबंधी 15वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(14) कलकत्ता पत्तन न्यास संबंधी 35वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(15) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की योजना को कार्यान्वित न किए जाने संबंधी 46वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(16) मैट्रो रेलवे कलकत्ता-संकेतन के परिष्कृत उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी 62वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

24.09 ½ म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड-बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.10 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

उनतालीसवां और चालीसवां प्रतिवेदन

डा. (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :

(1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)-उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 39वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-निवेश विभाग)-यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 40वां प्रतिवेदन।

2.11 म.प.

रेल अभिसमय समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री एम. बागा रेड्डी (मेडम) : मैं रेलवे खरीद और ठेका प्रणाली, भण्डार की प्राप्ति और मुद्रण स्क्रैप, कोयले और कोयले की राख के निपटान के बारे में रेल अभिसमय समिति (1991) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.11 ½ म.प.

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : मैं नेहरू रोजगार योजना-शहरी विकास मंत्रालय के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.12 म.प.

मानव संसाधन विकास संबंधी समिति

तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन

डा. वसंत पवार (नासिक) : मैं रंगभेद का निवारण विधेयक, 1988 और योग उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) विधेयक, 1994 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के क्रमशः तेरहवें और चौदहवें प्रतिवेदन की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.12 ½ म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

पंद्रहवां प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति के अंतरिक्ष विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1993-94) (दूर संवेदी उपयोजन परियोजना और उपग्रह आधारित संकट पूर्व चेतावनी प्रणाली) के बारे में पंद्रहवे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। ...**(व्यवधान)**

2.13 म.प.

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सुनिये। अब नियम 377 के अधीन लिए जाएंगे। यह आपका कार्य है। क्या आप नहीं चाहते कि नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू करेगी।

(व्यवधान)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, हम शुरू कर सकते हैं। आप काफी समय ले चुके हैं। हम अब शुरू कर सकते हैं।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (युवा मामलें एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सदस्य इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करने में विलम्ब कर रहे हैं।

वे कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने काफी समय ले लिया है। अब, आप अपने स्थान पर जाईए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया आप सभी, एक-एक करके बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर बैठिए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। यहां चिल्लाने के बजाए आप बोलते क्यों नहीं है?

(व्यवधान)

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर विचार आरम्भ किया जाए।. .. **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं श्री वासुदेव आचार्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हां, आप बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर वापस जा सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य अब अपना भाषण जारी रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, आप पहले अपनी सभा को नियंत्रित कीजिए। मैं अब किस प्रकार बोल सकता हूं?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस जा सकते हैं। श्री वसुदेव आचार्य बोलना चाहते हैं।

2.24 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत् होने के लिए स्थगित होती है।

2.25 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा 4.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

4.00 म.प.

लोक सभा 4.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पद की और आपको पूरा सम्मान देते हुए वैयक्तिक रूप से आपके चेम्बर में हुई चर्चा से पूरी तरह अवगत हूं। लेकिन हमें सरकार के अड़ियल रवैए से शिकायत है। हम इस सभा की खासकर वित्तीय कार्य संबंधी वैधानिक जिम्मेदारी से भी अवगत हैं। लेकिन चूंकि हम अपनी कठिनाईयों से, उच्च स्थानों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के बारे में इस सरकार के रवैए से, विधायिका के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व से और जन जीवन में सत्यनिष्ठा के बारे में हम समझौता नहीं कर सकते, इसलिए आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सभा से बाहर जाने की अनुमति चाहता हूं।

4.02 म.प.

इस समय, श्री जसवन्त सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोल्लूर) : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को मानते हैं कि एक वित्तीय मामले के विषय में आपने परसों कुछ बयान दिये थे। लेकिन, तब से सरकार की नीति यही है। मैं देखता हूं कि वे एक के बाद एक अवसर पर भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर रहे हैं और उन मंत्रियों को प्रमाणपत्र दे रहे हैं जिनका अपराध हमारे अनुसार, लगभग साबित हो चुका है। लेकिन चूंकि यहां वित्तीय मामले संबंधी कार्यवाही चल रही है, इसलिए हम यह धारणा नहीं बनने देना चाहते कि आपके विचारों की उपेक्षा अथवा अवज्ञा की जा रही है। यद्यपि हम जानते हैं कि पूरा धन बर्बाद किया जा रहा है, फिर भी हम इसे अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर इस वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकते।

लेकिन महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं कि हम मामलों से निपटने के संबंध में, सरकार के इस रवैइए का विरोध नहीं कर रहें हैं जिसमें कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव भी दाव पर लगा हुआ है। आज सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। अतः, हम उनके कार्यकरण पर आपत्ति करते रहेंगे। लेकिन हम इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, परसों जब सदन में ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा चल रही थी, तब मैंने आपसे निवेदन किया था कि बहस को चलाया जाए और बाद में बजट को पास कर दिया जाए और सरकार को आपने वचन दिया था। हम इस सरकार के किसी काम में किसी तरह से शरीक इसलिए नहीं होना चाहते कि पिछले सत्र से आज तक एटीआर और चीनी घोटाले के सवाल रहे हैं, उन सवालों पर सरकार का जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, एटीआर पर 4 सवाल हम मजबूती से रखते रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, अफसरों पर एक्शन कौन लेगा और फॉरेन बैंकों का क्या होगा, से सारे मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आज जो आपके साथ वचन था, कोई एंथेरेसिम पोजीशन न आए, इसलिए इस सदन के सम्मान को रखने के लिए हम थोड़ी देर के लिए शांत हैं।

नहीं तो अपने विरोध को जो हम स्थगित किए हैं उसकी हमें भी तकलीफ और अफसोस है। सरकार सम्पत्ति को जिस तरह से लुटाती रही है और घोटाले पर घोटाले करती रही है आइडेन्टिटी कार्ड से लेकर सारे सवाल जिनपर उसने वचन दिया था कोई काम सरकार ने नहीं किया है। इस सत्र का कल आखिरी दिन होगा लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून पर भी जिस तरह से सरकार चुप रही है और संवैधानिक संकट जिस तरह खड़ा होगा और भ्रष्टाचार का तो कहना ही नहीं है। एक वाक्य नहीं है उसमें कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई काम किया है और किसी भ्रष्टाचारी को कोई सजा दी हो। यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अपने गले को किसी तरह से छुड़ाने को तैयार नहीं है। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा आपसे हमने कहा था...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने कल ही मांग की थी कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधान मंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वे कुर्सी पर रहे। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और कैंसर के रूप में फैला हुआ है, उससे प्रधान मंत्री का नाम और कांग्रेस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में लिखा जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : आप क्या कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आपको तो मार दिया कांग्रेस ने, आप क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि जैसे शरद जी ने कहा और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने कमरे में बैठक बुलाई थी और उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे थे। उसमें क्या तय हुआ था। उसमें तय हुआ था कि कम से कम सरकार चार मुद्दों पर कार्रवाई करेगी। जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं उनको बर्खास्त करेगी और जो रिजर्व बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। चार-पांच विदेशी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और जो सिस्टम का फैल्योर है उस सिस्टम के फैल्योर को सुधारा जायेगा। ए.टी.आर. की रिपोर्ट पर भी अपने किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहते हैं कि दो दिन की छूट दे दीजिए तो हम मंत्री को बर्खास्त कर देंगे। अभी तक आपने क्यों नहीं बर्खास्त किया?...**(व्यवधान)**

श्री राम लाल राही : कौन कह रहा है?

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आप उठकर कह सकते हैं तो कहिये कि नहीं बर्खास्त किया जायेगा। जरा उठिये, कहिये, राही जी। तो अध्यक्ष जी, न तो किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई और न किसी बैंक के अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसी तरह से चीनी घोटाले का मामला है। ताल ठोककर खाद्य मंत्री जी कर रहे हैं कि "माई का लाल पैदा हुआ है तो मेरे खिलाफ में कार्रवाई करे।" कल मणिशंकर अय्यर जी बोले थे। अध्यक्ष जी, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मणिशंकर अय्यर ने वित्त मंत्री को लपेटा, वाणिज्य मंत्री को लपेटा। जिस देश में गंगोत्री गंदी हो जायेगी उस देश में गंगा का पानी कभी साफ नहीं रह सकता। यह सरकार जानबूझ कर करप्शन को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज जो भी बिजनैस करवाना चाहते हैं आप करवा लीजिए, हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। सवेरे जब भी आप उठे तो हम बैठ गये। हम लोग बैठ जायेंगे लेकिन इस सरकार को...**(व्यवधान)**

शुक्ला जी आ गये हैं। यहां वह कुछ बोलेंगे वहां कुछ बोलेंगे। इस सरकार का नाम करप्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा, हम लोगों का वोट में हुआ था...**(व्यवधान)**

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह गलत है।...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : क्या गलत है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इनके पास कोई आर्गूमेंट नही है कहने के लिए, इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं।...**(व्यवधान)** यह हर्षद मेहता को बचाने के लिए...**(व्यवधान)**

आपको दलालों को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है तो बचाइये। अगर संसद का अपमान करना है, तो यह नहीं हो सकता। जब आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते और जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने नहीं देते, यह नहीं हो सकता।...**(व्यवधान)** ऐसे नहीं चलेगा, यह सौदेबाजी नहीं हो सकती है।

श्री राम विलास पासवान : मैं बैठ जाता हूं, आप बोल ले।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्षजी, मैं बोलना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड किया जा चुका है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात करिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये बहस से मुंह चुरा रहे है। बहस क्यों नहीं करना चाहते हैं? खुद ही बोलते रहते हैं। प्रजातंत्र में चिल्लाना कोई चीज नहीं होती।...**(व्यवधान)** ऐसे कोई बात नहीं बनेगी। यदि बहस करनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप भी बोलिये, हम भी जवाब देंगे। सिर्फ खड़े होकर बोलते रहना, यह सही नहीं है। ...**(व्यवधान)**... चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप आइये और बहस करिये।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जो हमने आफर किया था सरकार ने वह अस्वीकार कर दिया है, यह स्पष्ट हो जाने दीजिए जो कि सरकार नहीं चाहती है।

(व्यवधान)

महोदय, हमने आपको सम्मान दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, मैं आपके सहयोग के लिए आपका अत्यंत आभारी हूं। आपके और आपकी सत्ताधारी पार्टी के बीच वाक-पुट जारी रहनी चाहिए। लेकिन कृपया अब, जैसाकि हम सहमत हैं, हमें इस बजट को पारित करने दीजिए और यदि आप चर्चा करना चाहते हैं, तो हम चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, वे हमारे विरूद्ध आरोप लगाते रहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने खण्डन किया है, आपको उत्तर दिया है और यह रिकार्ड कर लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं केवल एक बात रिकार्ड में शामिल करना चाहता हूं कि हम कुछ युद्ध के बारे में बहुत ही गंभीर हैं। सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। हो सकता है कि ये विचार इस तरह व्यक्त किए गए हैं जिसे सरकार नहीं पसंद करती है। लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती है।

महोदय, हमने स्पष्ट कर दिया था कि पीठासीन अधिकारी की कतिपय टिप्पणियों के सम्मान में, हम इस तरह का आचरण करेंगे कि जिससे सरकार की वित्तीय कार्यवाही में कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी। क्या जवाब देने का यह तरीका है ? हम पर संसदीय मानदण्डों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। सरकार यह नहीं चाहती।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, श्री राम विलास पासवान बोल रहे थे, तो वह वित्तीय मामले के बारे में नहीं बोल रहे थे। यदि वह रेलवे के बारे में बोल रहे थें, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन रेलवे के बदले, उन्होंने की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर बोलना शुरू कर दिया यह समझौता नही था। समझौता भिन्न किस्म का था। जब श्री राम विलास पासवान बोल रहे थे, तो वह रेलवे के विषय में नहीं बल्कि अन्य चीजों के बारे में बोल रहे थे।

श्री राम विलास पासवान : हम किस समझौते में शामिल नहीं हुए हैं। यह सरकार भ्रष्ट है और इसे अवश्य ही जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साक्षी आप मेरी सुन लीजिए मेरे ख्याल से आप सबसे सीनियर है और आप सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जो फाईनेंशियल बिजनेस पास होना है, उसमें कोई कंपलीकेशन न हो।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, आपका कहना सही है और हम भी चाहते है कि जो रेल का बजट का मामला है, उस संदर्भ में सरकार बुरी हो या भली हो, रेल को देश में चलना ही है। उसमें हम बाधक नहीं होना चाहते। लेकिन इससे गलतफहमी का खतरा है इसलिए इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। शुक्ल जी ने कहा कि...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा वह तो रिकार्ड पर आ गया है :

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : बात तो बल स्पष्टीकरण वाली है....

अध्यक्ष महोदय : आप एक दिन तो पांच साल में मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्रीकांत जेना : महोदय, हमने सरकार से कोई भी समझौता नहीं किया है। हम केवल आज के द्वारा लिए गए अनुरोध का ही सम्मान चल रहे हैं। अन्यथा, हम विरोध कर रहे थे और हम भविष्य में भी अपना विरोध जारी रखेंगे हम आपके निवास पर ही शांत रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह सही है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मैं खत्म कर रहा हूं...

अध्यक्ष महोदय : आज के दिन तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, शुक्ल जी ने सही कहा था कि कार्य निष्पादन प्रतिवेदन में जो बैंक घोटाला है, उसके लिए समय दिया गया था लेकिन हमने यह नहीं कहा कि निष्कार्य प्रतिवेदन पेश कीजिए। तो यह प्रतिवेदन निष्कार्य है। इसलिये मै विस्तार में नहीं जाऊंगा,... **(व्यवधान)** आप सब्र कीजिए। अभी भी ये साहस करें तो जो मुख्य मुद्दे है, उससे राय लें और तब हम बहस के लिए तैयार होंगे। चूंकि संसदीय समिति...

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री इन्द्रजीत जी से भी रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने मान लिया है, इसलिए आपको भी मानना पड़ेगा और आज के दिन तो मानना ही पड़ेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, हमारे दल की दो आवाज नहीं होंगी। इसलिए जो इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूं। उसमें जो वचन हमारी ओर से कहा गया है...

अध्यक्ष महोदय : अब इन सब बातों की जरूरत नहीं है। आप एक बात ही बोलते हैं तो सौ बात समझ जाते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, इसलिये यह मामला हुआ और सरकार ने जो रूप लिया है, मैं यह नहीं कहता हूं कि इसके चलते देश भ्रष्ट हो जायेगा। भारत की आत्मा में शक्ति है, ये भले ही चले जायें, हम भी भ्रष्ट हो तो चले जाये लेकिन भारत रहेगा, इसकी आत्मा रहेगी। देश भ्रष्ट हो, हम इस परम्परा में भागीदार नहीं होना चाहते हैं इसलिये मेरा आग्रह है जैसा आपने कहा, रेल बजट में बाधक नहीं होंगे, हम सदन को भी नहीं छोड़ेंगे और आपका अपमान भी नही करेंगे, हम यहां बैठेंगे मगर उसके बाद हमारी यही क्रिया चालू रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : बस, आपने सब कह दिया, उसमें कुछ नहीं बचा है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपनी ओर से एक बात कह रहा हूं जो बहुत जरूरी है फोटो पहचान-पत्र वाला मामला, इसमें हमारा कोई वचन नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में बूथ पर कब्जा मिटे, बूथ पर हिंसा न हो और हम यह नहीं चाहते हैं कि फोटो पहचान पत्र न हो। मैं सी.पी.आई. की ओर से यह कहना आवश्यक समझता हूं।

श्री चन्दजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और मैं आपकी बात का सम्मान आज नहीं, सदैव करता हूं और करता रहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : और आपने बहुत सारे संकटों के समय पहल लेकर भी उन संकटों को हल निकालने की कोशिश करते रहे हैं।

एक बात का तो हल निकला ही कि हम किसी बजट में अवरोध पैदा नहीं करना चाहते ताकि देश का काम न रुके और जो जनता का काम है वह न रुके। इसलिए खास तौर से जो बजट का सवाल है और रेलवे बजट की जो सप्लीमेंटरी पार्ट्स है, हम इस बात पर राजी हो गए हैं कि हम सदन से निकल जाएंगे। हमारा बॉयकोट रहेगा। सरकार इनको पास करा ले, हम उसमें अवरोध पैदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे संसदीय मंत्री ने जो कहा कि हम लोग बहस नहीं करना चाहते, मैं इसका प्रतिकार करना चाहता हूं। हम लोग बहस करना चाहते थे। हमारी बहस के लिए समय निर्धारित था, ऐजेण्डा पर निर्धारित था मगर स्थिति में परिवर्तन हो गया। जब सरकार ने एटीआर में ऐक्शन नहीं लिया और चीनी घोटाले में साफ कह दिया कि वह किसी को दोषी नहीं मानते हैं। हमारा उस पर बहुत सख्त ऐतराज है। हम समझते हैं कि देश की जनता को भी ऐतराज है। उस पर परदा डाला जा रहा है। हमारा इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूट किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : ठीक है, वह रिफ्यूट करे लेकिन हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार को छिपाया नहीं जाना चाहिए, परदा नहीं डाला जाना चाहिए। जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

4.21 म.प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1994-95 जारी

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

कटौती प्रस्ताव सं.1, 2 और 3 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) सभा में मतदान के लिए रखता हूं :—

प्रश्न यह है कि :-

कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाई गई मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	रेलवे निधियां	11,000

4.22 म.प.

विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक*, 1994

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 दिनांक 22.12.1994 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

***श्री सी. के. जाफर शरीफ** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : सभा अब बिधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

प्रो. सुशांत चक्रवर्ती (हावड़ा) : इन भ्रष्ट लोगों को धन देने का क्या उपयोग है? **(व्यवधान)**

*** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विधेयक को पारित करने के संबंध में सभा में सभी दलों के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई संवेदनशीलता की सराहना करता हूं। अब, ठीक...

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा)* :

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, सभा स्थगित करने के लिए वे आपसे अनुरोध कर सकते हैं परन्तु वे इस तरह सभा स्थगित करने का आपको आदेश नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तांत से श्री पासवान के शब्दों को निकालने का आदेश दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे आदेश दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपकी अनुमति से बोला था।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 23 दिसम्बर, 1994 को 11.00 म.पू. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

4.26 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1994/2 पौष, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

पी. एल. एस.–48/37/12/94 (एन.)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
डाटा प्वांईट, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।